पंचम माला, खंड 18, अंक 15
Fifth Series, Vol. XVIII, No 15

सोमवार, 21 अगस्त, 1972/30 श्रावण, 1894(शर्क)
Mnoday, August 21, 1972/Sravana 30, 1894(Saka)

लोक-सभा वाद्-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[पांचवां सत्र
Fifth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 18 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XVIII contains Nos. 11 to 20]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Rupees Two

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok-Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 15, सोमवार, 21 अगस्त, 1972/30 श्रावण, 1894 (शक)
No- 15, Monday, August 21, 1972/Sravana 30, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
निधन सम्बन्धी उल्लेख/OBITUARY REFERENCE		1-3
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
281. चल चिकित्सा केन्द्र तथा बेरोजगार डाक्टर	Mobile Health Centres and unemployed Doctors ...	3-6
282. राष्ट्रीय ग्रंथालय (नेशनल लाइब्रेरी) कलकत्ता	National Library, Calcutta	6-8
284. उत्तर प्रदेश में नलकूपों के कारण पानी की सतह का नीचा हो जाने सम्बन्धी अध्ययन	Study of Recession of Water Table due to Tube Wells in U.P. ...	9-10
285. शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा के बारे में अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Report of the study Group on Ceiling on Urban Property ...	10-12
286. दिल्ली में नर्सरी अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की माँग	Demand for training facilities for Nursery Teachers in Delhi ...	12-13
287. तरल अमोनिया को मिट्टी में सीधा मिलाने के संबन्ध में भारतीय उर्वरक निगम की योजना	Scheme by Fertilizer Corporation of India for direct injection of liquid Ammonia into Soil ...	13-14
289. गजेन्द्रगडकर आयोग की नियुक्ति के पश्चात् भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में भर्ती की वर्तमान प्रक्रिया	Recruitment Procedure prevalent in ICAR after appointment of Gajendragadkar Commission ...	14-15

किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicateds that the question was actually asked on the floor of the House by him.

आ० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
290.	दिल्ली में अस्पतालों के लिये और अधिक कर्मचारी	More Staff for Hospitals in Delhi...	15-17
292.	सुलतानपुर (महरौली) में स्थित ईंटों के संयन्त्र का घाटे पर चलना	Brick Plant in Sultanpur (Mehrauli) running at loss ..	17-18
293.	23 जुलाई, 1972 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में फैसला	Decision on land celling at Chief Mintster's Conference Held on 23 rd July, 1972 ...	18-19

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अता० प्र० संख्या S. Q. No.			
283.	आदिवासियों का शोषण	Exploitation of Tribal People ...	19-21
288.	दिल्ली में छात्राओं के लिये परिवहन की सुविधाएँ	Transport facilities for Girl Students in Delhi ...	21-22
291.	पंजाब में आवास परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Aid for Housing Projects in Punjab ...	22
294.	पाण्डीचेरी में केन्द्रीय विश्वविद्यालय	Central University at Pondicherry...	22
295.	राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of State Health Ministers ...	22-24
296.	उड़ीसा में बालासौर जिले के घमारा स्थान पर मत्स्य पतन	Fishing Port at Dhamara, Balasore Orissa ...	24
297.	रबी की फसल में खाद्यान्नों का उत्पादन	Production of Foodgrains during Rabi Season ...	24
298.	सरकार की सहायता के बिना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को चलाया जाना	Running of Aligarh Muslim University without Government's help ...	24-25
299.	भारतीय खाद्य निगम को चालू रबी मौसम में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में चने की खरीद में घाटा	Loss in Purchase of Gram by FCI in Punjab, Haryana and Rajasthan during current Rabi Season ...	25
300.	चीनी सम्बन्धी नई नीति पर राज्यों की प्रतिक्रिया	Reaction of States to new Sugar Policy ...	25-26

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2780.	आवास तथा नगरीय विकास निगम द्वारा स्वीकृत राज्य योजनायें (मध्य प्रदेश)	State Scheme (Madhya Pradesh) Approved by the Housing and Urban Development Corporation ...	26
2781.	मध्य प्रदेश में निरक्षरों की संख्या	Illiterates in Madhya Pradesh ...	27
2782.	दिल्ली में शिक्षण स्नातकों (बी. एड.) के लिये स्थान	B. Ed. Seats in Delhi ...	27
2783.	नई दिल्ली स्थित तिलक मार्ग के आर्ट्स कालेज में हड़ताल	Strike in Arts College, Tilak Marg, New Delhi ...	28-29
2784.	आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में नशीली वस्तुओं के उपयोग के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट	W.H.O. Report Regarding Use of Narcotics in Modern Medicine ...	29
2785.	लेडी हार्डिंग अस्पताल, नई दिल्ली में अपूर्ण गर्भपात सम्बन्धी मामले	Incomplete Abortion Cases in Lady Harding Hospital, New Delhi ...	29
2786.	भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ की मान्यता समाप्त करना	Derecognition of FCI Association...	30
2787.	राजस्थान में अकाल के दौरान शुरू किये गये कार्यों का रखरखाव	Maintenance of Works Undertaken during Famine in Rajasthan ...	30
2788.	सरकारी आवास आवंटित करने संबंधी नियम	Rules for Allotment of Government Accommodation ...	30-31
2789.	सुपारी के बारे में अनुसंधान की योजना	Scheme for Research in Arecanut...	31-32
2790.	सुपारी के मूल्यों में गिरावट	Fall in prices of Arecanuts ...	32
2791.	सुपारी बोर्ड की स्थापना	Setting up Arecanut Board ...	32-33
2792.	दिल्ली विकास प्राधिकरण में कनिष्ठ इंजीनियरों की पदोन्नति	Promotion to Junior Engineers in DDA ...	33
2793.	वर्ष 1972-73 के दौरान ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors during 1972-73...	33
2794.	दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक का स्थगित होना	Postponement of Delhi University (Anendment) Bill ...	34

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	Subject	पृष्ठ/Pages
2795. पूर्वोत्तर क्षेत्र में विज्ञान अकादमी तथा शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना	Opening of Science Academy and Physical Education Institute in North Eastern Region ...	34
2796. राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को गृह-निर्माण के लिये अग्रिम धन राशि दिया जाना	House Building Advance to Central Government Employees in States and Union Territories ...	34
2797. लेखकों, प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं का संयुक्त संगठन	Joint Organisation of Authors, Publishers and Book Sellers ...	35
2798. ट्रैक्टरों की कमी	Shortage of Tractors	35
2799. आदिवासी क्षेत्रों का विकास	Development of Adivasi Regions...	35-36
2800. आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए उच्च अधिकारप्राप्त बोर्ड	High Powered Board for Development of Adivasi Areas ...	37
2801. स्नातक इंजीनियरी और डिप्लोमा धारियों को रोजगार देने पर लघु एककों को राजसहायता देना	Subsidy to Small Scatle Units for employing Graduate Engineers and Diploma Holders ...	37
2802. विदेशों में भारतीय ऐतिहासिक महत्त्व की वस्तुओं की खोज	Search for Indian Articles of Historical Value in Foreign Countries ...	38
2803. कपास की वसूली	Procurement of Raw Cotton	38
2804. सरकारी क्षेत्र के उर्वरक निर्माताओं द्वारा विभिन्न प्रकार के आयातित उर्वरकों की मांग	Various types of imported Fertilisers demanded by Public Sector Fertiliser Manufacturers...	38-39
2805. कुछ राज्यों में बेघर तथा बाढ़ पीड़ित लोगों को आवास सुविधाएँ देने के लिये निधि का नियतन	Allocation of Funds for Housing Facilities to Homeless and Flood Affected Persons in some States ...	39-40
2806. ईसाई धर्म-प्रचारकों द्वारा चलाये जा रहे होस्टल	Hostels run by Christian Missionaries ...	40-41
2807. विभिन्न विश्वविद्यालयों के गैर-अध्यापन कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी सुरक्षा	Security of Services to Non Teaching Employees of Various Universities ...	41

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		
2808. ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्य सामग्री का वितरण	Distribution of Food Stuffs at Fair Price Shops in Rural and Urban Areas ...	41-42
2809. शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून के बारे में तमिल.नाडु का उत्साहहीन होना	Tamil Nadu Cold on Urban Ceiling Legislation ...	42
2810. सड़क दुर्घटनायें तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर लोगों का चालान	Road Accidents and Persons challaned for violating Traffic Rules ...	42-43
2811. गेहूँ का उत्पादन मूल्य	Cost of Production of Wheat ...	43
2812. छोटा नागपुर के आदिवासियों के लिये आदर्श योजना	Model Scheme for Adivasis of Chhota Nagpur ...	43
2813. कीटनाशी औषधियों के छिड़काव वाले अनाज का मानव पर प्रभाव	Effect on Human beings of Food grains Sprayed by Pesticides...	44
2814. बीरभूम (पश्चिम बंगाल) में ग्रामीण अशिक्षित बेरोजगार के लिये द्रुत योजना के अन्तर्गत कार्य का निष्पादन	Execution of work under Crash Scheme for Rural uneducated in Birbhum West Bengal ...	44
2815. बम्बई से गोवा तथा केरल के समुद्र तटों तक यात्री समुद्री जहाज सेवा	Passenger Liner Cruise from Bombay to Beaches in Goa and Kerala ...	45
2816. आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर खर्च	Expenditure for Development of Tribal Areas ...	45-46
2817. आन्ध्र प्रदेश में चीनी मिल मजदूरों के लिये उनकी राजनैतिक गतिविधियों के बारे में आचरण सम्बन्धी नियम	Conduct Rules for Sugar Factory Workers in Andhra Pradesh regarding their Political Activities ...	46
2818. बड़े नगरों में भूमि की बिक्री पर प्रतिबंध	Restriction of Sale of land in Big Cities ...	46-47
2819. 25 वर्षों की बंगला कविताओं का संकलन	Compilation of 25 years of Bengali Poetry ...	47-48
2820. पश्चिम बंगाल में उच्चतर माध्यमिक और तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम का पुनर्गठन	Reorganisation of Higher Secondary and three year degree course in West Bengal ...	48-49

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No,	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2821.	देर से हुई वर्षा से अगली फसल पर प्रभाव	Effect of delayed rain on next crops ...	49
2822.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा अधिकृतभवन को खाली कराया जाना	Vacation of Building in Possession of RSS in Banaras Hindu University ...	49-50
2823.	फालतू प्रशिक्षित शिक्षकों को उन विषयों में प्रशिक्षण देना जिनकी मांग है	Training of Surplus trained Teachers in Subjects for which There is demand ...	50
2824.	कच्छ के वान्नी क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या को हल करने सम्बन्धी योजना	Plan to meet Drinking Water problem in Banni area of Kutch	50-51
2825.	अनाज का बफर स्टाक	Buffer stock of foodgrains	51
2826.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कर्मचारियों द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में लेख याचिका दायर किया जाना	Writ petition filed by employees of Indian Council of agricultural research in Delhi High Court ...	51-52
2827.	दिल्ली के अस्पतालों में इलाज किये गये मनोविकृति रोगियों की संख्या	Number of Patients given Psychiatry treatment in Delhi hospitals ...	52-53
2828.	दिल्ली विश्वविद्यालय के एम. बी. ए० पाठ्यक्रमों में दाखिला	Admission in MBA courses, Delhi University ...	53-55
2829.	सांयकालीन विधि केन्द्र (ला सेन्टर) दिल्ली विश्वविद्यालय में राज्यों के लिये स्थानों का आरक्षण	Reservation of seats for States in Evening Law Center, Delhi University Law College ...	55
2830.	दिल्ली विश्वविद्यालय में एल. एल. बी. का पत्राचार पाठ्यक्रम	Correspondence Course in LLB in Delhi University ...	55
2831.	सामरिक महत्व की सड़कों के निर्माण के लिये पंजाब सरकार से सहायता का अनुरोध	Request from Punjab Government for constructing Strategic Roads ...	56
2832.	बिहार राज्य में थोक बाजार के लिये सहायता	Assistance for Wholesale Markets in Bihar State ...	56

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2833.	प्रौढ़ शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय नीति	National Policy on Adult Education ...	56-57
2834.	डी०आई०जैड क्षेत्र, नई दिल्ली दुग्ध योजना के दो दुग्ध केन्द्र (बूथ) खोलने के सम्बन्ध में हुई प्रगति	Progress in opening of two DMS Milk Booths in DIZ area of New Delhi ...	57
2835.	राज्यों में आवास समस्या के हल के लिये सहायता	Help to solve Housing problem in States ...	57-59
2836.	जर्मनी के सहयोग से बने नये ट्रैक्टर की कीमत तथा उसका कार्यकरण	Price and Performance of a new Tractor with German Collaboration ...	59
2837.	चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिये मैसूर से अनुरोध	Request for Mysore to Nationalise Sugar Industry ...	59
2838.	चयन समिति के एक सदस्य का दिल्ली स्थित भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान में एक प्रोफेसर के रूप में चयन किया जाना	Selection Committee Member appointed as Professor in IIT Delhi ...	59-60
2839.	आठ लाख की जन संख्या वाले ग्यारह नगरों के लिये पर्यावरण सम्बन्धी योजना	Environment Scheme for Eleven Cities having population of Eight Lakhs ...	60-61
2840.	माल्दा में कुपोषण से मृत्यु	Deaths due to Mal-Nutrition in Malda ...	61
2841.	आसाम को सड़क मार्ग से अनाज का भेजा जाना	Movement of Foodgrains by Road to Assam ...	61-62
2842.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा बंगला देश में सैनिक कार्यवाही के दौरान सैनिकों को और बंगला देश से आये शरणार्थियों को दालों की सप्लाई	Supply of Pulses by FCI to Army while in operation in Bangladesh and Bangladesh Refugees...	62
2843.	नेहरू मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज नई दिल्ली में सायंकालीन कक्षायें	Evening classes in Nehru Memorial Homeopathic College, New Delhi ...	63
2844.	गांवों में आवास की आवश्यकताओं के बारे में आंकड़े एकत्र करना	Collection of Statistics regarding Rural Housing ...	63-64

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2845.	भारतीय जीवन की मुख्य धारा में अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों का समावेश	Integration of Scheduled Castes and Tribes in mainstream of Indian Life ...	64-65
2846.	अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के विभिन्न समुदायों को संवैधानिक लाभ	Constitutional benfits to various communities of Scheduled Castes and Tribes ...	65
2847.	स्कूलों और कालेजों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Schools and Colleges ...	65-66
2848.	केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले स्कूलों और कालेजों की प्रबन्ध समितियों के सदस्यों के लिये शैक्षिक अर्हताएं	Academic Qualifications for Members of Managing Bodies of Central aided Schools and Colleges ...	66
2849.	दिल्ली में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Government aided Schools in Delhi ...	66-67
2850.	डी०आई० जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली के सेक्टर 'बी' में बनाये गये मकानों के बारे में शिकायतें	Complaints against houses constructed in Sector 'B' of D.I.Z. area, New Delhi ...	67-68
2851.	अलाटियों द्वारा किराये पर उठाये गये सरकारी क्वार्टरों के लिये अनुमति	Permission for rented out Government Quarters by the Allottees ...	68-69
2852.	वर्ष 1972-73 में जन्म दर पर नियंत्रण	Check on birth rate during 1972-73 ..	69
2853.	पश्चिम बंगाल में सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये केन्द्रीय सहायता के लिये अनुरोध	Request for Central Aid for Drought affected areas in West Bengal ...	69
2854.	दिल्ली परिवहन निगम की बसों की मरम्मत	Repairs of DTC Buses	69-70
2855.	दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रि-मेडिक्ल पाठ्यक्रम में दाखिला	Admission to Pre-Medical Courses in Delhi University ...	70
2856.	दिल्ली के मेडिकल कालेज में दाखिला	Admission in Medical College of Delhi ...	70-72
2857.	बिहार में सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assisuance for Drought conditions in Bihar ...	73

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U, S. Q. No.		
2858. हाजीपुर में गंगा नदी पर पुल का निर्माण	Construction of Bridge at Hajipur acroos Ganga River ...	73
2859. दिल्ली विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ की मांगें	Demands of Delhi University Employees Union ...	73-74
2860. दिल्ली के मेडिकल कालेजों में सीटों का घटाया जाना	Reduction of Seats in Medical Colleges Delhi ...	74
2861. सहकारिता आन्दोलन की विफलता	Failure of cooperative Movement...	75
2862. मध्यम दर्जे के किसानों सम्बन्धी योजना का मूल्यांकन	Assessment of Scheme of Medium Farmers ...	75
2863. उच्च शिक्षा को केन्द्रीय विषय बनाने का प्रस्ताव	Proposal to make higher education Central Subject ...	75
2864. किसानों के कब्जे में मकानों की जगहों के स्वामित्व अधिकार उन्हें प्रदान करने सम्बन्धी विधेयक	Legislation Conferring Ownership Rights on Farmersin Possession of House sites ..	76
2865. सड़क बोर्ड की स्थापना	Setting up of Road Board	76-77
2866. कोर्ट और शिक्षा परिषद् के बिना विश्वविद्यालय	Universities having not constituted Courts and Academic Counclis ...	77
2867. शिमला से इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एडवान्स्ड स्टडीज को अन्यत्र ले जाना	Shifting of Indian Institute of Advanced Studies from Simla ...	77-78
2868. प्रौढ़ शिक्षा कार्य के लिये वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे स्वयंसेवी संगठन	Voluntary Organisation for Adult Literacy work receiving Financial Assistance ...	78
2869. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में लिया गया निर्णय	Decision taken at Meeting of Central Advisory Board of Education ...	78
2870. परिवहन आयोग परिषद् की स्थापना	Setting up of Transport Commission Council ...	78-79
2871. सिंधीभाषा में पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन के लिये आर्थिक सहायता	Financial Assistance for Publishing Text Books in Sindhi Language ...	79

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2872.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा सोयाबीन विधायन संयंत्र (प्रोसैसिंग प्लांट) की स्थापना	Establishment of Soyabeen Processing Plant by FCI ...	79-80
2873.	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बहु-प्रयोजनाय प्रायोगिक परियोजनाएं	Multiple Pilot During Fourth Five Year Plan ...	80
2874.	मद्रास शहर के गन्दी बस्ती क्षेत्रों में पर्यावरण सम्बन्धी सुधार	Environmental Improvement in Slum Areas of Madras City ...	80-81
2875.	सरकारी कार्यालयों को दिल्ली से बाहर ले जाना	Shifting of Government office out of Delhi ...	81
2876.	समारोहों आदि के लिये दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा अपने डिपुओं से दूध की सप्लाई करना बन्द कर देना	Discontinuance of Supply of Milk by DMS for ceremonial occasions through its Depots...	82
2877.	दिल्ली दुग्ध योजना में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे कर्मचारी	Deputationists working in Delhi Milk Scheme ...	82-83
2878.	पिछड़े वर्गों के कल्याण के प्रभारी राज्यों के मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of State Ministers in Charge of Welfare of Backward Classes ...	83-84
2879.	भारतीय खाद्य निगम में प्रतिनियुक्त पश्चिम बंगाल के कर्मचारी	Employees on Deputation of FCI from West Bengal ...	84-85
2880.	दिल्ली में तीन पहियों वाले स्कूटरों में किराया मीटर	Fare Meters in Three Wheeler Scooters in Delhi ...	85
2881.	संग्रहालयों के कार्यकरण सम्बन्धी समिति द्वारा की गई सिफारिशें	Recommendation made by Committee on Working of Museums ...	86
2882.	सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान	Grants to Public Libraries	86-87
2883.	टी० एम० एस०एस० महल पुस्तकालय तंजाबूर को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया जाना	Declaration of TMSS Mahal Library Thanjavur as Institution of National Importance...	87-88
2884.	दिल्ली विश्वविद्यालय में अफीम का सेवन	Use of Opium in Delhi University ...	88

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2885.	भारत और मारिशस और अन्य देशों के बीच यात्री नौवहन सेवा	Passenger Shipping Service between India and Mauitous and other countries ...	88-89
2886.	मध्य प्रदेश में चलती-फिरती परीक्षण प्रयोगशालाएँ	Mobile Soil Testing Laboratories in Madhya Pradesh ...	89
2887.	राज्यों में स्वीकृत आदिवासी खंडों का खोला जाना	Opening of Tribal Blocks Sanctioned in States ...	89-90
2888.	शिक्षा संस्थानों में अल्प संरक्षकों के लिए आरक्षण	Reservation for Minorities in Educational Institutions ...	90
2889.	विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा एल. एस. डी. का प्रयोग	Use of LSD by University Students ...	90
2890.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर विचार गोष्ठी	Seminar on Aligarh Muslim University ...	90-91
2891.	छः वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा	Compulsory Education for Children of 6-14 Years Age Groups...	91
2892.	राज्यों में बेरोजगारों के लिये द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ किये गये कार्यों की देखभाल	Maintenance of Works Undertaken in States under Crash programme for Unemployed ...	91-92
2893.	राजस्थान के पाली जिले में ग्रामीण रोजगार के लिये द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ किये गये कार्यों का स्वरूप और उन पर व्यय	Nature and Expenditure on Works undertaken in Pali, Rajasthan under Crash Programme for Rural Employment...	92
2894.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा संचालित यंत्रीकृत ईंट संयंत्र	Mechanised Brick Plants run by NBCC ...	92-93
2895.	राज्यों में स्कूली बच्चों के लिये 'केयर' द्वारा भोजन वितरण की योजना	Scheme for food distribution by CARE FOR School children in States ...	93-94
2896.	दिल्ली के भीतर तथा दिल्ली के बाहर केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालय	CGHS dispensaries in and outside Delhi ...	94-95
2897.	भवन निर्माण हेतु ऋण की सीमा का बढ़ाया जाना	Raising the limit for grant of House Building Loans ...	95

विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		
2898. खेतिहर मजदूरों को पीने के पानी और मकानों के लिये जगह की सुविधा	Facility of drinking water and house sites to Agricultural Workers ...	96
2899. दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों के पुनरीक्षित वेतनमानों को क्रियान्वित किया जाना	Implementation of Revised Pay Scales of Delhi School Teachers ...	96-97
2900. न्यू मोती नगर, नई दिल्ली में पानी की सप्लाई	Water Supply in New Moti Nagar, New Delhi ...	97
2901. गुजरात में किसानों के परिवारों को रोजगार की योजना	Scheme for employment of Families of Farmers and Landless Peasants in Gujarat ...	98
2902. शैक्षणिक आँकड़ों की सारिणियों के कम्प्यूटरीकरण सम्बन्धी उप-समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations made by Sub-committee on Computerisation of Tabulation of Educational Statistics...	98
2903. सांख्यिकीय यूनिट के पुनर्गठन संबंधी समिति द्वारा दी गई सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations made by Committee on Reorganisation of Statistical Unit ...	98-99
2904. जर्मन जनवादी गणराज्य के विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग	Utilisation of Services of Experts from GDR ...	99
2905. विदेशी सहयोग से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये केरल से परियोजना प्रतिवेदन	Project Report of Deep Sea Fishing in Kerala with Foreign Collaboration ...	99-100
2906. केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के सहायक मार्गों और राजमार्गों को चौड़ा करने के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि का अनुमान	Land Acquisition of Estimates of Bypasses and Widening of Roads on National Highways in Kerala ...	100-101
2907. भारत के प्रमुख नगरों और कस्बों में हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी की शाखाओं की स्थापना	Setting up of Branches of Hindustan Housing Factory in Major Cities and Towns ...	101
2908. राष्ट्रीय पुरातत्त्व विभाग से दस्तावेज गुम हो जाना	Documents Missing from National Archives ...	101-102

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	Subject	पृष्ठ/Pages
2909. आनन्द पर्वत शिशु सदन, नई दिल्ली	Anand Parbat Children's Home, New Delhi ...	102
2910. देहाती मकानों के सुधार करने के लिये गन्दी बस्तियों के स्थान पर लघु उपयोगी मकान बनाने की योजना	Scheme for Replacement of Slums by Small Utility Housing to Improve Rural Housing Units ...	102-103
2911. देश में नीम-हकीमों पर प्रतिबन्ध	Ban on Quacks in the Country...	103-104
2912. 26 जुलाई 1972 को हैदराबाद में आयोजित दक्षिणी क्षेत्र परिषद की बैठक में वन्य पशुओं के संरक्षण के उपायों पर जोर दिया जाना	Steps for preservation of Wild Life Stressed at meeting of Southern Zonal Council held at Hyderabad on 26th July, 1972...	104
2913. लद्दाख में ठंडे मौसम में पैदा होने वाली शाक सब्जियों तथा बंजर भूमि में कृषि के सम्बन्ध में परीक्षण	Experiments in Ladakh regarding Cold Weather Vegetables and Cultivation of Treeless Wastes...	104-105
2914. मध्य प्रदेश में लावा गुफायें	Volcanic Caves in Madhya Pradesh ...	105
2915. रामचरित मानस की हस्तलिखित प्रति	Manuscript copy of Ram Charit Manas ...	105
2916. शाजापुर जिले के नरवल नामक ग्राम में शिलालेख का पाया जाना	Book Inscription Found in Narval Village in Shajapur District...	105-106
2917. गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहन	Incentive to Sugarcane Growers...	106
2918. पारादीप पत्तन 'टग' के कथित घोटाले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	CBI probe into reported Paradip Port Tug Scandal ...	106
2919. विदेशों में भारतीय डाक्टरों की सेवा-शर्तों के सम्बन्ध में शिकायतें	Survey on Working Conditions of Indian Doctors Abroad ...	107
2920. कृषि मूल्य आयोग द्वारा सुझाये गये गेहूं के मूल्य के सम्बन्ध में शिकायतें	Complaints re : What prices recommended by APC ...	107
2921. मैसूर राज्य में परिवार नियोजन पर व्यय	Expenditure on Family Planning in Mysore State ...	107-108
2922. मंगलौर बन्दरगाह के निर्माण में प्रगति	Progress in Construction of Mangalore Harbour ...	108

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2923.	राष्ट्रीय अकादमियों और भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee to review the Working of National Akademis and Indian Council of Cultural Relations ...	108-109
2924.	दरभंगा से फारबिसगंज तक सड़क का निर्माण	Construction of Road from Darbhanga to Forbisganj ...	109
2925.	सुधरी हुई किस्म के बीजों की अनुपलब्धता के कारण बिहार में फसलों की पैदावार में हानि	Loss in Yield of Crop in Bihar due to non availability of Improved variety of Seeds ...	109
2926.	दुधारु पशुओं का आयात	Import of Milch Cattle	110-111
2927.	'केयर' को उपहार के रूप में प्राप्त हुए पदार्थ	Food Products Received by CARE as Gift ...	111-112
2928.	मानवीय उपभोग के लिये अनुपयुक्त दुग्ध चूर्ण और बटर आयल	Milk Powder and Butter Oil unfit for human Consumption ...	112
2929.	दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय	Delhi University Library	112-113
2930.	क्षेत्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जालंधर में गन्ने की एक नई किस्म का विकास	Development of a new variety of Sugar Cane at Regional Sugarcane Research Institute, Jullunder ...	113-114
2931.	बंगला देश को खाद्यान्नों की सप्लाई	Foodgrains to Bangladesh	114
2932.	मन्दिर मार्ग टाइप II क्वार्टरों में सप्लाई और बागवानी की व्यवस्था	Sanitation and Horticulture Arrangement in Type II Quarters of Mandir Marg, New Delhi ...	114
2933.	समाज कल्याण बोर्ड को कानूनी दर्जा देना	Legal Status to Social Welfare Boards ...	115
2934.	ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना को कार्य रूप देने के लिये एक उच्च शक्ति सम्पन्न समिति की स्थापना	Setting up of Power Committee for Implementation of National Health Scheme for Rural Area ...	115-116
2935.	छोटे कृषक विकास एजेन्सी पर किया गया व्यय	Expenditure on Small Farmers Development Agency ...	116

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	Subject	पृष्ठ/ Pages
2936. मध्य प्रदेश में शारीरिक शिक्षा संस्था की स्थापना	Setting up of Physical Training Institute in M.P. ...	116-117
2937. मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन के विकास के लिये मास्टर प्लान का पुनर्विलोकन	Review of Master Plan for Development of Fisheries in Madhya Pradesh ...	117
2938. मध्य प्रदेश में मध्यम कोटि के किसानों के लिये विकास एजेंसी	Development Agency for Medium Farmers in M.P. ...	117
2939. मध्य प्रदेश में रायपुर से सम्बलपुर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 का बंद किया जाना	Closure of National Highway No. 6 passing from Raipur to Sambalpur M.P. ...	117-118
2940. मध्य प्रदेश में मूल स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने की योजना	Scheme to solve Basic Health Problem in Madhya Pradesh...	118
2941. चुकन्दर तथा सूरजमुखी लगाने के लिये विदेशों से सहायता	Foreign Assistance in cultivation of Sugar Beet and Sun Flower...	119
2942. मिथिला विश्वविद्यालय	Mithila University	119
2943. कृषि पालिटेकनिकों की स्थापना	Setting up of Agricultural Polytechnics ...	120
2944. धावल के लिये 'मिनीकिट' कार्यक्रम	Mini Kit Programme for Rice ...	121
2945. बड़े जहाज बनाने के लिये कलकत्ता में खुश्क गोदी का निर्माण	Construction of Dry Dock in Calcutta to build Bigger Ships...	121
2946. 14वीं इंटरनेशनल यूथ साइंस फोर्टनाईट में शिष्ट मंडल भेजना	Delegates in 14th International Youth Science Fortnight ...	121
2947. त्रिवेन्द्रम के कुछ स्कूलों में विषाक्त भोजन के मामले	Food poisoning in certain Schools in Trivandrum ...	122-123
2948. भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के कर्मचारियों की माँगें	Demands of Employees of LIT, New Delhi ...	123-124
2949. चौथी योजना में सामाजिक सुरक्षा के उपाय	Social Security Measures in Fifth Plan ...	124

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2950.	कर्मचारियों के सामाजिक शिक्षा संस्थानों की गतिविधियों और कार्यक्रमों का विस्तार	Expansion of Activities and programmes of Workers Social Education Institute ...	124-125
2951.	चुने हुए जिलों में निरक्षरता की समाप्ति के लिये मार्गदर्शी परियोजनायें	Pilot Projcets for Eradication of Illiteracy in Selected Districts...	125
2952.	भैंस प्रजनन केन्द्र के लिये प्रायोगिक परियोजना स्थापित करने हेतु पेरू (दक्षिण अमरीका) से प्राप्त प्रस्ताव	Proposal from Peru (S. America) for Setting up Pilot Projcet for Buffallow Breeding Centre ...	125-126
2953.	युवकों द्वारा औषधियों के दुरुपयोग के बारे में गोष्ठी	Seminar on Abuse on Drugs by Youths ...	126
2954.	भारतीय नौवहन निगम का विस्तार	Expansion of Shipping Corporation of India ...	126-127
2955.	आन्ध्र प्रदेश को सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिये केन्द्रीय सरकार की सहायता	Central Assistance to Andhra Pradesh for Drought Situation...	127
2956.	उस्मानिया विश्वविद्यालय में गामा इरेडियेशन यूनिट की स्थापना	Installation of Gamma Irradiation Unit in Osmania University...	127-128
2957.	रूस से मछली पकड़ने की नौकाओं का आयात	Import of Fishing Vessels From U.S. S.R. ...	128
2958.	काजू की काश्त के विस्तार के लिये केरल को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Kerala for Expansion of Cashew Cultivation ...	128-129
2959.	सूरजमुखी के बीजों के बारे में रूस के साथ करार	Agreement with USSR for Sun Flower Seeds ...	129-130
2960.	सूरजमुखी की खेती	Sun Flower Cultivation	130-31
2961.	राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण और विकास में बिहार का बहुत पिछड़ जाना	Bihar far behind in Construction and Development of National Highways ...	131-132
2962.	दिल्ली दुग्ध योजना में कुछ पदों पर नियुक्ति के लिये बनाये गये नियम	Rules framed for Appointment to certain posts in Delhi Milk Scheme ...	132-133

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2963.	भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी विधान बनाने और उसके क्रियान्वयन का निरीक्षण करने के लिये तंत्र	Machinery to Supervise Land Ceiling Legislation and its Implementation ...	133
2964.	समाज कल्याण कार्यक्रम के कार्यकरण में सुधार	Improvement in working of Social Welfare Programme ...	r34-135
2965.	मैडिकल कालेज, अलेप्पी में रूसी उपकरणों से सुसज्जित शिशु बोर्ड की स्थापना	Setting up of Russian equipped Pacdiatric Ward in the Medical College, Alleppy ...	135-136
2966.	बड़े जहाज बनाने के लिये शुष्क गोदी	Dry Dock to build Bigger Ships...	136
2967.	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा आयातित 'बटर आयल'	Butter oil imported by Delhi Milk Scheme ...	136-137
2968.	सरोजिनी नगर के एल० और एम० ब्लाकों में पानी की अपर्याप्त सप्लाई	Inadequate supply of water in 'L' and 'M' Blocks of Sarojini Nagar, New Delhi ...	137-138
2969.	सेवा-निवृत्ति के समय तथा उपक्रमों में पुनःनियुक्ति के दौरान सरकारी आवास का आवंटन	Allotment of Government Accomodation at the time of retirement and during re-employment in undertaking ...	138
2970.	संसद् भवन में दिल्ली दुग्ध योजना केन्द्र से घी की सप्लाई पर प्रतिबन्ध	Restriction on supply of Ghee from DMS stall in Parliament House ...	139
2971.	राज्यों में सुपारी के मूल्यों के बारे में ज्ञापन	Memorandum on fall in price of Arecanut in States ...	139-140
2972.	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के कर्मचारी	Employees of ICAR	140-142
2973.	पश्चिम बंगाल में माध्यमिक शिक्षा पद्धति का सर्वेक्षण	Survey of System and pattern of Secondary Education in West Bengal ...	142
2974.	स्वतंत्रता के 25वें वर्ष में निरक्षरता समाप्त करने के लिये द्रुत कार्यक्रम	Crash programme for Eradication of Illiteracy during 25th year of Independence ...	143
2975.	हिन्दी शिक्षण के लिये गैर हिन्दी-भाषी राज्यों को वित्तीय सहायता	Financial assistance to non-Hindi speaking States for Hindi Education ...	143

विषय	Subject	पृष्ठ/pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		
2976. गुजरात के काण्डला कालोल उर्वरक समूह के लिये अमोनिया क्रेकर एवं बर्नर संयंत्र की खरीद के लिये ब्रिटिश फर्म को आदेश	Ammonia Cracker cum-Burner Equipment for Kandla Kalol Fertiliser Complex in Gujarat ordered from a British Firm..	143 144
2977. ब्रिटेन में समाज कल्याण व्यवस्था के स्वरूप और उसके कार्यकरण का अध्ययन करने के लिये नियुक्त किये गये भारतीय अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Report of Indian Study Team appointed to observe structure and functioning of social welfare Machinery in Britain ...	144-145
2978. राज्य के स्वास्थ्य सचिवों की बैठक	Meeting of Health State Secretaries ...	146
2979. गुजरांवाला गृह-निर्माण सहकारी समिति दिल्ली	Gujranwala House Building Co-operative society, Delhi ...	146
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re. Motion for Adjournment ...	147
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ...	147
सीमेंट कर्मकारों की अन्तरिम सहायता सम्बन्धी कथित माँग	Reported demand of cement workers for interim relief ...	147
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunderl Mahapatra...	147
श्री आर. के. खाडिलकर	Shri R. K. Khadilkar	147-151
स्थगन प्रस्ताव	Motion for Adjournment	151
शाहदरा में हुई घटनाएं तथा पुलिस के कथित अत्याचार	Shahdara incidents and alleged Police atrocities ...	151-52
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	152-153
सदस्य की दोष सिद्धि	Conviction of Member ...	153
(श्रीमती शकुन्तला नायर)	(Shrimati Shakuntala Nayar) ...	153
साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण विधेयक)	General Insurance Business (Nationalisation) Bill ...	153
(एक) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	Report of Joint Committee	153-154

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	Subject	पृष्ठ/Pages
(दो) साक्ष्य	Evidence	154
राष्ट्रीय कृषि आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य	Statement re: Interim Reports of National Commission on Agriculture ...	154
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed	154
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee...	154
पन्द्रहवाँ प्रतिवेदन	Fifteenth Report	154
विधेयक पुरः स्थापित	Bills Introdueed	154
(1) पुरावशेष तथा बहुमूल्य कला कृति विधेयक	Antiquities and Art Treasure Bill ...	155
(2) भारतीय रियासतों के नरेश (विशेषाधिकारों का उत्सादन)	Rulers of Indian States (Abolition of Privileges) Bill ...	155
(3) खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक	Mines and Minerals (Regulation and Development) Amendment Bill ...	156
दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक	Dentists (Amendment) Bill	156-158
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha ...	156
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय	Dr. Laxminarain Pandeya ..	156
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	156
प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D. P. Chattopadhyaya	157
खंड 2 से 28 और 1	Clauses 2 to 28 and 1	158
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	158
वन्य प्राणी (संरक्षण) विधेयक	Wild Life (Protection) Bill	159
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
प्रो० शेर सिंह	Prof. Sher Singh ...	159-160

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री दशरथ देव	Shri Dasaratha Deb	160-161
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	161-162
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	162-164
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh	164-166
श्री मोहन राज	Shri Mohanraj Kalingarayar ...	166-167
श्री निंबालकर	Shri Nimbalkar ...	167-168
श्री बीरेन्द्र सिंह राव	Shri Birender Singh Rao	168-169
श्री डी० पी० जदेजा	Shri D. P. Jadeja ...	169-171
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade	171
श्री नाथू राम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha	171-172
श्री जे० बी० पटनायक	Shri J. B. Patnaik	173-173
श्री यमुना प्रसाद मंडल	Shri Yamuna Prasad Mandal ...	173
श्रीमती सहोदराबाई राय	Shrimati Sahodrabai Rai	173
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	173
श्री पी० गंगा रेड्डी	Shri P. Ganga Reddy	174
श्री चन्द्र भाल मणि तिवारी	Shri Chandra Bhal Mani Tiwart...	174
श्री रुद्र प्रताप सिंह	Shri Rudra Pratap Singh	174
श्री मंगरू उइके	Shri M. C. Uikey	174
खंड 2 से 66 और 1	Clauses 2 to 66 and 1	175-186
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended	186-187
विक्टोरिया स्मारक (सशोधन) विधेयक	Victoria Memorial (Amendment) Bill	187

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. No.**		
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as Passed by Rajya Sabha ...	187
प्रो० एस० नुरुल हसन	Prof. S. Nurul Hasan	187-188
श्री माधुर्य्य हालदर	Shri Madhuryya Haldar	188-189
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	189
श्री सी० टी० दण्डपाणि	Shri C. T. Dhandapani	189-190
श्री महादीपक सिंह शाक्य	Shri Maha Deepak Singh Shankya	190
खंड 2 और 1	Clauses 2 and 1	191
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	191
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प तथा इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक	Statutory Resolution re, Disapproval of Indian Iron and Steel Company (Taking over of management) Ordinance and Indian Iron and Steel Company (Taking over of Management) Bill ...	192
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय	Dr. Laxminarain Pandeya	192
श्री एस० मोहन कुमारमंगलम	Shri S. Mohan Kumaramangalam	192-195
श्री रोबिन सेन	Shri Robin Sen ...	195-196
श्री स्वर्ण सिंह सोखी	Shri Swaran Singh Sokhi ...	196
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion	196
भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के विकेन्द्रीकरण के बारे में	Decentralisation of Geological Survey of India ...	196
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	196
श्री एस० मोहन कुमारमंगलम	Shri S. Mohan Kumaramangalam	198

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 21 अगस्त, 1972/30 श्रावण 1894 (शक)
Monday, August 21, 1972/Sravana 30, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को डा. ए. जी. सोनार की दुःखद मृत्यु की सूचना देनी है जिनका 56 वर्ष की आयु में 19 अगस्त, 1972 को पूना के निकट फाल्टन में अचानक देहान्त हो गया।

डाक्टर सोनार महाराष्ट के रामटेक निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान लोक सभा के सदस्य थे। 1967-70 के दौरान भी वह चौथी लोकसभा के सदस्य रहे थे। इससे पहले वर्ष 1946 से 57 के दौरान वह मध्य प्रदेश तथा बम्बई राज्य विधान सभाओं के सदस्य रहे थे। किसान तथा डाक्टर होते हुए भी उन्होंने अपना बहुत समय, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में, शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में लगाया था। जब वे छात्र थे तब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें जेल जाना पड़ा था। वे बहुत ही शान्त प्रकृति के तथा मिलनसार व्यक्ति थे। हरिजनों के कल्याण में, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान में तथा साम्प्रदायिक एकता और सहकारिता सम्बन्धी कार्यों में वे विशेष रुचि लेते थे। गत शुक्रवार को वे सदन में उपस्थित थे और कोई भी नहीं जानता था कि उन्हें हम से इतनी जल्दी छीन लिया जायेगा।

हम अपने इस मित्र के निधन पर अत्यधिक शोकाकुल हैं और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार को अपनी सम्वेदनायें भेजने में सदन भी मेरे साथ होगा।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, अवश्यम्भावी मृत्यु ने हमारे एक और साथी को हमसे छीन लिया है। कुछ ही दिन पहले हमने अपने एक प्रतिष्ठित साथी के निधन

पर शोक व्यक्त किया था जिनकी मृत्यु बड़ी दुःखद परिस्थितियों में हुई थी और आज फिर एक अन्य साथी की दुःखद तथा अचानक मृत्यु पर शोक व्यक्त करने का दुखपूर्ण कर्त्तव्य हमें पूरा करना है। डा. ए. जी. सोनार की असमय मृत्यु पर आपने जो उद्‌गार व्यक्त किये हैं उनमें मैं और यह सदन भी शामिल होते हैं।

श्रीमन्, जैसा आपने सदन को बताया है, डा. सोनार स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे थे। वर्ष 1942 में जब वह नागपुर में मैडिकल छात्र थे, तभी उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। इसके पश्चात वे सार्वजनिक जीवन के विविध क्षेत्रों के भाग लेते रहे थे। वे मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र विधान सभाओं के सदस्य रहे थे। पुराने मध्यप्रदेश में उन्होंने संसदीय सचिव के रूप में भी कार्य किया था। शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में उनकी बहुत रुचि थी। वे विभिन्न राज्यों के शिक्षा बोर्डों के सदस्य भी रहे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में छः हाईस्कूल भी उन्होंने चलाये। हरिजन तथा पिछड़ी जातियों के लिए कल्याण कार्य करने में उनकी विशेष रुचि थी। मेरा अनुरोध है कि आप शोकसंतप्त परिवार को हमारी सद्‌भावनायें तथा सवेदनायें प्रेषित करें।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : श्रीमन्, डा. ए. जी. सोनार की अचानक मृत्यु पर आपने जो उद्‌गार व्यक्त किये हैं उनमें अपने दल की ओर से मैं भी शामिल होता हूँ। इस सत्र के दौरान पहले ही हमारे कई साथियों का देहान्त हो चुका है और अब डा. सोनार की अचानक मृत्यु की दुःखद सूचना मिली है। वह एक सामाजिक कार्यकर्त्ता थे, शिक्षा कार्यों में तथा पिछड़ी जातियों, विशेषतया हरिजनों के कल्याण में उनकी बहुत अधिक रुचि थी। उनके निधन से सभी, विशेषतया जो उनके बहुत अधिक निकट थे, शोकाकुल हैं। मेरा अनुरोध है कि आप शोकसंतप्त परिवारों को हमारी संवेदना प्रेषित करें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त अलीपुर : श्रीमन्, डा. ए. जी सोनार की अचानक तथा दुःखद मृत्यु पर प्रधान मंत्री ने जो उद्‌गार व्यक्त किये हैं, मैं और मेरा दल भी उनमें शामिल होते हैं। जिस थोड़े से समय के लिए वे यहाँ रहे उसमें हम उन्हें व्यक्तिगत रूप से भली भांति नहीं जान पाये। परन्तु हम यह जानते हैं कि वह एक पुराने स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें 1942 में तथा अन्य अवसरों पर जेल जाना पड़ा था। शिक्षाविद् के रूप में उनकी बड़ी ख्याति है। मुझे बताया गया है कि जब वह छात्र थे तब उन्होंने एक बार हिन्दू मुस्लिम दंगों के दौरान शान्ति स्थपित करने के लिए स्मरणीय कार्य किया।

उनका निधन केवल देश के लिये ही घोर दुःख का विषय नहीं है अपितु महाराष्ट्र तथा मध्यप्रदेश के उन सभी साधारण लोगों के दुःख का विषय भी है जिनके लिए उन्होंने जीवन पर्यन्त कार्य किया था। मैं अपने दल की ओर से शोकसंतप्त परिवार को अपनी सम्वेदना प्रेषित करने का अनुरोध करता हूँ।

Shri Jagannath Rao Joshi (Shojapur). Sir, I was very well acquainted with Dr. Sonar ever since he was a member of the fourth Lok Sabha. I had a talk with him in the evening of last Friday. At that time, I could not have even imagined this calamity. I

was shocked to hear of his sudden demise. He was quiet and a reserved man. He was not so active in various proceedings of the House as he was devoted to the work for his constituency. It is really sad that God has snatched him away from us. Associating myself and my group with the sentiments expressed, I pray God to give solace to the departed soul and request you to convey our condolences to the bereaved family.

श्री मोहनराज कलिंगारामर (पोलाली) : मैं द्रमुक दल की ओर से डा० ए० जी० सोनार की दुःखद तथा अचानक हुई मृत्यु पर अपनी सद्भावनायें व्यक्त करता हूँ। मैं भी शोक संतप्त परिवार को अपनी सम्वेदनायें पहुँचाये जाने में शामिल होता हूँ।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : हमारे मित्र की दुःखद मृत्यु पर प्रधान मन्त्री तथा अन्य साथियों ने जो उद्गार व्यक्त किये हैं मैं तथा मेरा दल भी उनमें शामिल होते हैं। मेरा अनुरोध है कि आप शोक-संतप्त परिवार को हमारी संवेदनायें पहुंचायें।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुवा) : मैं अपने दल की ओर से अनुरोध करता हूँ कि आप शोक संतप्त परिवार को हमारी सद्भावनायें पहुंचायें। प्रधान मन्त्री तथा अन्य साथियों ने जो उद्गार व्यक्त किये हैं मैं और मेरा दल भी उनमें पूर्णतया शामिल होते हैं।

श्री समरगुह (कन्हाई) : नियति ने एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी तथा एक सक्रिय देशभक्त को अचानक ही हमारे बीच से उठा लिया है जिन्हें अभी और कई वर्ष देश की सेवा करनी थी।

आपने, प्रधान मन्त्री जी ने तथा अन्य साथियों ने जो उद्गार व्यक्त किये हैं मैं भी पूर्णतया उनमें शामिल होता हूँ। अपने दल की ओर से शोक संतृप्त परिवार को अपनी संवेदना पहुंचाने का आपसे अनुरोध करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : सदन के सदस्य अपना दुःख व्यक्त करने के लिये कुछ देर मौन खडे रहेंगे।

(तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े रहे)
Members thsn stood in silence for a short while

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Mobie Health Centres And Unemployed Doctors

***281. Laxminarayan Pandey :**
Shri R. R. Sharma.

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of unemployed doctors in the country ;

(b) the total number of doctors and permanent or mobile health centres required in the country ; and

(c) the policy or scheme in this regard ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) देश में बेरोजगार डाक्टरों की संख्या के सम्बन्ध में कोई सांख्यिकीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी कुल मिलाकर देश में विशेषकर ग्राम क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी है।

(ख) देश की कुल जनसंख्या के लिये लगभग 5,400 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चाहियें। इन स्वास्थ्य केन्द्रों को चलाने के लिये लगभग 10,800 डाक्टरों की आवश्यकता होगी।

(ग) नीति यह है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड में कम से कम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अवश्य हो और प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र में दो डाक्टर हों।

Dr. Laxmi Narain Pandey: Mr. speaker, Sir, I had asked about the number of unemployed doctors, but the Hon. Minister has replied that there is an over all shortage of the Doctors in the country. He has not provided the data regarding unemployed doctors. May I know whether the Government are aware of the fact that the number of the doctors coming out of Rajasthan, Mysore and West Bengal is so large that they do not get any employment ?

श्री ए० के० किस्कु: इस विषय में वर्ष 1971 में हमने सभी राज्यों से जानकारी एकत्र की थी। राजस्थान तथा उड़ीसा के अतिरिक्त सभी राज्यों ने यही बताया है कि उनके यहाँ डाक्टरों की कमी है। राजस्थान में लगभग 400 डाक्टर फालतू थे तथा उड़ीसा में लगभग 650। परन्तु इन दोनों राज्यों के अतिरिक्त हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि अन्य राज्यों में डाक्टर फालतू हैं। हमने केन्द्रीय स्वास्थ्य जाँच ब्यूरो तथा रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय से भी इस बारे में बातचीत की थी। उनके 1968 से 1971 तक के चालू रजिस्टरों से यह पता चला कि कुछ नियुक्तियाँ की गयी हैं : उदाहरणार्थ 1968 के चालू रजिस्टर में 1005 डाक्टरों के नाम थे जिनमें से 392 की नियुक्ति की गई; 1969 में 1597 नाम थे जिनमें से 392 की नियुक्ति की गयी; 1970 में 2497 नाम थे जिनमें से 384 की नियुक्ति की गयी। वर्ष 1971 के बारे में जानकारी अभी तक नहीं मिली है। फिर भी, क्योंकि बेरोजगार डाक्टरों का पंजीकरण कराना स्वैच्छिक है, इसलिये बेरोजगार डाक्टरों की सही संख्या का पता लगना संभव नहीं है।

Dr. Laxmi Narain Pandey : the Hon. Minister has said that there is an over all shortage of Doctors in the country and about 10,800 Doctors are required to man the Primary Health Centres. On the other hand, he has admitted that there is a surplus in Rajasthan and Orissa. As far as my knowledge goes Mysore and West Bengal are providing a good number of Doctors who are not being absorbed. In the light of the above, may I know, as to why these Doctors are not employed in Primary Health Centres ? Is it also a fact that the Government is unable to provide these Doctors the desired facilities, being to the shortage of Doctors in Primary Health Centres, what stepts Government propose to take in this regard ?

श्री ए० के० किस्कु : मैसूर और पश्चिम बंगाल के बारे में मेरे पास अभी तक कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है।

आपने जो दूसरी बात पूछी है उसके सम्बन्ध में मेरा उत्तर यह है कि डाक्टर नगरीय क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जाने में उन्हें कठिनाइयाँ आती हैं ? तथापि सरकार आवास, बिजली तथा पानी की सप्लाई आदि की सुविधायें तथा ग्रामीय-सेवा भत्ता आदि देकर विभिन्न प्रकार से प्रोत्साहन दे रही है ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में जाने को

उत्साहित हों; और हम देखते हैं कि उक्त प्रोत्साहन उन्हें इसके लिये उत्साहित भी कर रहे हैं तथा हमें प्राप्त आँकड़ों से पता चलता है कि अधिकाधिक डाक्टर गाँवों में जा रहे हैं। हमें आशा है कि हम शीघ्र ही डाक्टरों के लिये इस सम्बन्ध में कोई आधारभूत सिद्धान्त तैयार कर लेंगे और गाँवों में डाक्टरों की कमी की समस्या हल हो जायेगी।

Dr. Laxmi Narain Pandey : The Hon. Minister has stated that he has no information in respect of West Bengal. Here is Government's booklet of 1969—70 entitled 'Employment Review' and on page 46 thereof the number of surplus Doctors is also given in respect of West Bengal and Mysore. I am surprised to know that the Hon. Minister is not aware of it.

अध्यक्ष महोदय : श्री राम रतन शर्मा—अनुपस्थित।

श्री बी० वी० नायक : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूँगा कि शहरी क्षेत्रों में जिन डाक्टरों के पास रोगी नहीं हैं अर्थात् जिनका व्यवसाय नहीं चल पा रहा है क्या उन्हें भी बेरोजगार डाक्टरों की श्रेणी में रखा जा रहा है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : हमारे पास ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है कि किस डाक्टर के पास कितने रोगी आते हैं तथा किस का व्यवसाय नहीं चल रहा है। मेरे पास केवल एक आँकड़ा है—मालूम नहीं उन्होंने इसे जानना चाहा है या नहीं। चालू रजिस्टर पर 1971 के अन्त तक 3953 मैडिकल ग्रेजुएट बेरोजगार दर्ज थे। परन्तु कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अपने नाम दर्ज न कराये हों या कुछ ऐसे भी हों जिनको बाद में रोजगार मिल गया हो, अतः ये आँकड़े कोई बहुत ही ठीक नहीं हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : अब क्योंकि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना का विस्तार कानपुर, जबलपुर आदि जैसे नगरों में भी कर रही है, इस योजना में, इस विस्तार के पश्चात् कितने और डाक्टर भर्ती किये जाने की संभावना है ?

श्री ए. के. किस्कू : यह प्रश्न इस समय विचारणीय मुख्य प्रश्न में से तो नहीं निकलता है। परन्तु फिर भी यदि माननीय सदस्य जानकारी रखते हैं तो हम खुशी से उन्हें यह जानकारी देंगे।

श्री एस. एम. बनर्जी : यह असंगत तो नहीं है। स्वास्थ्य केन्द्र इसी योजना के अधीन आते हैं।

डा० महीपत राय मेहता : क्या यह सच है कि राजस्थान में मैडिकल ग्रेजुएटों की संख्या अधिक होने के कारण राजस्थान मैडिकल कालेजों में स्थानों की संख्या को घटाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार राजस्थान सरकार को कहेगी कि वह उन पड़ौसी राज्यों के छात्रों को अपने मैडिकल कालिजों में प्रवेश दे दे जहाँ मैडिकल कालेजों की कमी है ?

श्री उमा शंकर दीक्षित : इस बार उन्होंने 400 छात्रों को प्रवेश दिया है। पहले भी इतनी ही संख्या में छात्रों को प्रवेश दिया जाता रहा है। गत दो वर्षों में उन्होंने 600 छात्रों को प्रवेश

दिया था परन्तु उन्होंने देखा कि जो डाक्टर पहले भी इन कालेजों में शिक्षा पाकर बाहर निकल चुके हैं उन्हें भी रोजगार नहीं मिला है और वे राजस्थान से बाहर भी नहीं जाना चाहते हैं। हाल ही में जब मैंने समारोह के उपलक्ष में राजस्थान का दौरा किया तो वहां डाक्टरों ने प्रदर्शन किया और मैंने स्वास्थ्य सेवा के महा निदेशक को वहां जाने के लिये कहा था। वह एक सप्ताह के भीतर ही वहां गये। उन्होंने उन सभी डाक्टरों को आमंत्रित किया जो देश के किसी भी भाग में नियुक्त होने को राजी थे। मेरे विचार से 500 उम्मीदवारों ने आवेदन किया तथा 52। मुझे ठीक संख्या याद नहीं—या लगभग 50 को उसी समय नियुक्ति पत्र दे दिया गया लेकिन उनमें से केवल छः ने कार्यभार संभाल लिया। समस्या यह है कि वे अपने ही राज्य में रहना चाहते हैं। अतः एक तरीका तो हम यह सोच रहे हैं कि उन्हें इस समय कुछ प्रोत्साहन दें। राज्य सरकार भी अपनी ओर से प्रोत्साहन दे रही है। हमने भी यह निश्चय किया है कि लगभग 400 पिछड़े केन्द्रों पर नियुक्त होने वाले डाक्टरों में से प्रत्येक को 150 रुपये का विशेष भत्ता दिया जाये। हम दूसरे प्रकार के प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। फिर स्कूलों, पहुंच सड़कों तथा मैडिकल छात्रों की अन्य जरूरतों का भी सवाल पैदा होता है। मैं तो यही कहूंगा कि जब तक डाक्टर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा की भावना से नहीं जाना चाहेंगे तब तक मुझे डर है कि यह समस्या हल नहीं हो सकेगी।

डा० महीपत राय मेहता : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस प्रश्न पर पहले भी 20 मिनट खो चुके हैं, अन्य प्रश्न भी तो रहते हैं।

Shri Bibhuti Mishra. When the matter concerning villages comes, you pass over it. It is a very important matter. It relates to those who live in villages.

राष्ट्रीय ग्रंथालय (नेशनल लाइब्रेरी) कलकत्ता

*282 **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री राष्ट्रीय ग्रंथालय, कलकत्ता को स्वायत्तशासी निकाय के रूप में बदलने के सम्बन्ध में 15 मई, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 833 और कलकत्ता स्थित ग्रंथालय में लाइब्रेरियन के पद के सम्बन्ध में अतारांकित प्रश्न संख्या 6081 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता के प्रशासन की अन्तरिम व्यवस्था अब भी जारी है और, यदि हां, तो वर्तमान अन्तरिम व्यवस्था किस प्रकार की है; और

(ख) भा आयोग की कौन-सी मूल बातें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) जी, हाँ। 26 अक्तूबर, 1971 से राष्ट्रीय पुस्तकालय के के उप-पुस्तकाध्यक्ष अपने कार्यों के साथ-साथ पुस्तकाध्यक्ष के मौजूदा कार्यों की भी देख-रेख कर रहे हैं।

(ख) विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-3451/72]

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि झा-समिति ने डाक प्रतिवेदन पेश किया था तथा उसमें लगभग 20 सिफारिशें की थीं? मंत्री महोदय के उत्तर के अनुसार 20 में से अधिकांश प्रमुख सिफारिशों को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया गया है। अब मैं जानना चाहूंगा कि क्या इनकी क्रियान्विति केवल खोसला आयोग की नियुक्ति के मामले में ही की गई है अथवा अन्य 19 मामलों में भी उनकी क्रियान्विति की गई है? दूसरे, क्या झा-समिति ने एक सिफारिश यह की थी और सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया था कि राष्ट्रीय ग्रन्थालय में एक निदेशक की नियुक्ति की जायेगी और एक प्रशासी परिषद भी नियुक्त की जानी चाहिए? क्या यह सच है कि सरकार उस विशिष्ट सिफारिश को क्रियान्वित नहीं कर रही है? यदि हाँ, तो क्यों, क्योंकि इसके कारण ग्रन्थालय का प्रशासन, राष्ट्रीय ग्रन्थालय के लिये पुस्तकों के क्रय तथा अन्य मामलों में गंभीर रूप से बाधा पड़ रही है?

प्रो० एस० नुरूल हसन : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, सरकार ने अधिकांश सिफारिशें सिद्धान्तत स्वीकार करली हैं। कुछ सिफारिशों को पूरी तरह उचित ढंग से क्रियान्वित करने के लिये वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता होगी जिसे प्राप्त करने का हम प्रयास कर रहे हैं। एक प्रशासी परिषद तथा एक निदेशक की नियुक्ति करने का निर्णय किया गया था। यह ऐसा मामला है जिसके बारे में पूर्ण मसौदा झा-समिति द्वारा सिफारिश किये गये नये संगठनात्मक ढाँचे को स्थापित करने के बाद ही तैयार किया जा सकता है। इसमें कुछ कानूनी कठिनाइयाँ हैं और हमने इस सम्बन्ध में कानूनी सलाह ली है। ऐसा मालूम होता है कि हम प्रशासी परिषद को, इसके पूर्व अन्य कतिपय आवश्यक कार्यवाहियां किये बिना मौलिक शक्तियाँ नहीं दे सकेंगे। स्वयं झा-समिति ने भी यही बात कही है। और सरकार इस संदर्भ में सक्रिय रूप से विचार कर रही है और निकट भविष्य में सरकार इस संबन्ध में कोई निर्णय करके सभा को उचित जानकारी दे सकेगी।

श्री समर गुह : मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रंथालय के कार्य को इस समय एक उप-लाइब्रेरियन देख रहा है। क्या यह सच है कि जब झा-समिति राष्ट्रीय ग्रंथालय की गतिविधियों की समीक्षा कर रही थी उस समय श्री चितरंजन बन्दोपाध्याय वहां उप-लाइब्रेरियन थे और पश्चिम बंगाल के प्रायः सभी उप-कुलपतियों, राष्ट्रीय प्रोफेसरों तथा सुविख्यात विद्वानों ने इन्हीं श्री चितरंजन बन्दोपाध्याय के बारे में सरकार से अपील की थी और उनका वर्णन ग्रन्थ-सूची का जीवित स्वरूप तथा एक प्रकाण्ड विद्वान के रूप में किया था? यदि हाँ, तो चूँकि समिति अथवा खोसला आयोग ने उनके विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाया है, क्या मैं जान सकता हूँ कि फिर भी उन्हें वहाँ से रेफ्रेन्स लाइब्रेरी में क्यों स्थानान्तरित किया गया जहां उनके करने योग्य कोई काम ही नहीं है? उनके विरुद्ध क्या आरोप लगाया गया था तथा उन्हें क्यों स्थानान्तरित किया गया था और फिर ऐसे आदमी को जिसे सभी सुविख्यात विद्वानों ने जीवित ग्रंथ-सूची की संज्ञा दी थी। उनकी सेवाओं को इस प्रकार अकारण ही क्यों समाप्त किया गया? क्या सरकार उनके मामले पर पुनः विचार कर रही है?

प्रो० एस० नुरुल हसन : श्री बनर्जी के केन्द्रीय रेफ्रेन्स लाइब्रेरी में स्थानान्तरण को माननीय सदस्य ने एक दण्ड अथवा एक अन-अपेक्षणीय कार्यवाही माना है। मैं उनसे इस बात पर सर्वथा असहमत हूं।

श्री समर गुह : वहां उनके योग्य कोई काम नहीं है ।

प्रो० एस० नुरुल हसन : आधुनिक अनुसन्धान के सम्बन्ध में निर्देश के महत्त्व को समझने वाला कोई भी विद्वान यह अनुभव करेगा कि निर्देश सम्बन्धी कार्य आज अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है और सरकार इस आशय के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है कि देश में निर्देश सम्बन्धी सभी सुविधायें उपलब्ध कराई जायें क्योंकि निर्देश सेवाओं के बिना अधिकांश विश्वविद्यालय अपने शोध कार्य में अत्यधिक कठिनाइयां अनुभव कर रही हैं ।

श्री समर गुह : मंत्री महोदय तथ्यों को छिपा रहे हैं, उन्हें सभी तथ्य मालूम हैं । उन्हें मालूम है कि श्री चितरंजन बन्दोपाध्याय की पदावनति की गयी है और उन्हें इस संदर्भ में व्याप्त विवाद की भी जानकारी है । उनकी सेवाओं को वहाँ लाइब्रेरियन के रूप में उपयोग में क्यों नहीं लाया गया !

श्री ज्योतिर्मय बसु : जबकि मैं मंत्री महोदय की उपरोक्त धारणा का विरोध नहीं करता हूँ, मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि श्री चितरंजन बन्दोपाध्याय को राष्ट्रीय ग्रन्थालय से हटाने से वहाँ एक ऐसा अभाव पैदा हो गया है जिसके कारण वहाँ बड़ी कठिनाई अनुभव की जा रही है और राष्ट्रीय ग्रन्थालय कर्मचारी संघ ने सितम्बर 1971 में झा-समिति की सिफारिशों के बारे में विस्तार से अपने निष्कर्ष सरकार को पेश किये थे । मैं मंत्री सहोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इस संबन्ध में समुचित विचार किया है, और यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में इसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि वह पहले की गई मेरी टिप्पणी यह थी कि जब काफी स्वायत्त एक उच्च शक्ति प्राप्त प्रशासी निकाय राष्ट्रीय ग्रन्थालय के प्रशासन को चलाता है तो फिर व्यापक संगठनात्मक कार्यों के बारे में उसे ही आवश्यक निर्णय लेने होते हैं, मेरे मंत्रालय को नहीं । इसलिये, यह एक ऐसा मामला है जिस पर उस प्रशासी निकाय को विचार करना होता है । सर्व प्रथम तो इसका एक कार्य यह है कि वह कर्मचारियों द्वारा पेश की गई शिकायतें, दृष्टिकोण अथवा सुझावों पर विचार करें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे प्रश्न का अभी उत्तर नहीं मिला है । मेरा प्रश्न यह था कि क्या केन्द्र सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है । क्या मंत्री महोदय ने उस पर विचार किया है, और यदि हाँ, तो उनकी इसपर क्या प्रतिक्रिया रही है । इसे प्रशासी निकाय पर क्यों छोड़ते हैं ? इस प्रकार क्या वह उल्टी बात नहीं कर रहे हैं ? मंत्री महोदय प्रश्न का उत्तर दें । यदि उनके पास कोई उत्तर नहीं है तो वह ऐसा कहें ।

प्रो० एस० नुरुल हसन : मुझे वह मिला है, मैंने उस पर विचार किया है तथा अपना उत्तर भी दे दिया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह तो कोई उत्तर नहीं हुआ ।

उत्तर प्रदेश में नलकूपों के कारण पानी की सतह का नीचा हो जाने संबंधी अध्ययन

*284 **श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अत्यधिक नलकूपों के लगाये जाने के कारण विशेषकर उत्तर प्रदेश में, पानी की सतह के नीचा हो जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक किये गये अध्ययनों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)

(क) सरकार द्वारा अब तक किये गये अध्ययनों से विशेषकर उत्तर प्रदेश में नलकूपों की गहरी संस्थापन के कारण पानी की सतह के नीचे हो जाने के सम्बन्ध में कोई सामान्य कमी मालूम नहीं होती ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उत्तर प्रदेश में एक विशाल आर्णविक कृषि-औद्योगिक समूह स्थापित किये जाने और नल-कूपों का जाल बिछाये जाने की दृष्टि से क्या सरकार अभी से ऐसा सँगठन बनाने पर विचार करेगी जो उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर जल-निकासी से भूमिगत पानी के स्तर का अध्ययन करे ?

प्रो० शेर सिंह : केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के दो कार्यालय उत्तर प्रदेश में हैं—एक लखनऊ में है और दूसरा वाराणसी में है । लखनऊ वाला कार्यालय जल-स्तर का अध्ययन कर रहा है और वाराणसी का कार्यालय नलकूपों की खोज करता है।

Shri Jharkhande Rai : May I know whether there is any Central or State agency to inform farmers about the maximum number of tubewells to be Sunk in a particular area ensuring the water-table not to recede, and these tube-wells are assured lcustained water leupply ? These days a large number of tube-wells are being sunk privately apart from those sunk by Government. This ca uses difficulty in the availability of water. May know lchether Government have set up a Study Team or is there a proposed to do so ?

Prof. Sher Singh : I just mentioned about the Central Groundwater Board, U.P. has its own State Tubewell Department having two Directorates : One is Minor Irrigation Department and the other is Ground-water Cell. A tubewell can be sunk only after scrutning by Ground-water Cell.

श्री पी० वेंकटासुब्बया : उत्तर प्रदेश के अलावा आंध्र प्रदेश के रायल सीमा क्षेत्र में भी जल-स्तर कम होता जा रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में कोई वैज्ञानिक अध्ययन इसके लिए नहीं किया गया है और वहां अंधाधुंध कुएं खोदे गए हैं। इससे कृषि उत्पादन कम हो जाएगा । अत: सरकार भूमिगत पानी का अध्ययन नियमित रूप से करने और उस क्षेत्र में किसानों को सोच-समझ कर कुएं खोदने की सलाह देने के लिए क्या विशेष कदम उठाएगी ?

प्रो. शेर सिंह : भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग के जल प्रभाग को हाल ही में केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में मिला दिया गया है । यह संगठन विभिन्न क्षेत्रों में जल की उपलब्धि का अध्ययन करने के लिए कार्यवाही कर रहा है । कुछ अन्य परियोजनाएं भी चालू हैं; संयुक्तराष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक परियोजना है और दूसरी कनाडा के सहयोग से चल रही है । हम दक्षिणी भागों सहित विभिन्न भागों में भूमिगत जल का अध्ययन कर रहे हैं ।

शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा के बारे में अध्ययन दल का प्रतिवेदन

*285. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा के प्रश्न की जांच करने के लिये गठित अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त दल द्वारा क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) उन सिफारिशों पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

परिवार और नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) :

(क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) : अध्ययन दल की सिफारिशों की रिपोर्ट पर विस्तृत विचार करने हेतु सरकार द्वारा इसे मंत्रियों के एक दल को सौंप दिया गया है । सरकार द्वारा उन सिफारिशों पर निर्णय लिए जाने के बाद, अध्ययन दल की रिपोर्ट प्रकाशित करने तथा उचित कानून बनाने के लिए दोनों पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री. सी. के. चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में अध्ययन दल की सिफारिशों का ब्यौरा नहीं दिया है । यदि सम्भव हो तो ब्यौरा दिया जाये ।

दूसरे, जिन मंत्रियों को इन पर विचार करने को कहा गया है क्या उन्हें अपना कार्य किसी समय-सीमा के अन्दर पूरा करना होगा ?

श्री. डी. पी. चट्टोपाध्याय : समय सीमा का प्रश्न नहीं उठ सका क्योंकि सम्पूर्ण मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । दूसरे, सिफारिशों की मुख्य बातें हैं—शहरी क्षेत्रों की धारणा और परिभाषा का निर्धारण, इनकी सीमा और कुछ प्रस्तावित छूटों आदि पर निर्णय लेना इत्यादि इन बातों पर विचार तो किया गया है परन्तु इन पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया । मैं निश्चित उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं । मोटी बातें मैंने बतला दी हैं ।

श्री. सी. के. चन्द्राप्पन : मंत्री महोदय ने कुछ निराशाजनक उत्तर दिया । चूंकि क्योंकि शहरों में कुछ लोग प्रस्तावित विधान आने से पहले ही अपनी सम्पत्ति बेच रहे हैं, अतः क्या सरकार कुछ सीमा के बाद इस प्रकार की बिक्री पर रोक लगाने के लिए उपाय करेगी ?

श्री. डी. पी. चट्टोपाध्याय: इन सिफारिशों में से एक इस प्रकार की भी थी कि विधान बनने से पहले की कुछ समयावधि के अंदर की गयी बिक्री पर पुनर्विचार किया जा सकेगा और यदि ये सौदे वास्तविक उपबन्धों के विरूद्ध हुए तो वे निष्प्रभावी माने जाएंगे। विभिन्न राज्यों द्वारा कानून बनाते समय भी इन बातों पर विचार किया नया था । माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

श्री हरि किशोर सिंह : क्या इस अध्ययन दल ने यह सिफारिश भी की है कि वाणिज्यिक और औद्योगिक गृहों और कारखानों के भवनों एवं सम्पत्ति को प्रस्तावित शहरी सम्मत्ति सीमा विधि के अन्तर्गत नहीं लाया जाये ?

श्री. डी. पी. चट्टोपाध्याय : मैं बता चुका हूं कि सिफारिशों में कतिपय सम्पत्तियों को, जो आर्थिक प्रयोग में लाई जा रही हैं, छूट देने की बात है परन्तु इसकी ठीक-ठीक परिभाषा क्या हो इस पर अभी विचार किया जाना है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : इस अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था और मंत्रियों के एक मंडल द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्रियों के दल द्वारा इस पर विचार के पश्चात् उन राज्यों में बने विधान में पुनः संशोधन करना होगा ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : में स्थिति स्पष्ट करता हूँ। अब तक लगभग 12 राज्यों ने नगरीय सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा संबंधी केन्द्रीय विधान को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है । छः राज्यों ने संविधान के अनुच्छेद 252 के अधीन केन्द्रीय विधान को प्राधिकृत किया है। अध्ययन दल का प्रतिवेदन 15 अप्रैल को प्राप्त हुआ था। मंत्रिमंडल की समिति ने इस पर मई में विचार किया था और उसने इसे मंत्रियों के एक दल को सौंपा हुआ है। योजना आयोग और अन्य संबंधित मंत्रालय इस पर इस मास के अन्त में विचार करेंगे। दूसरे, सदन में मैं आश्वासन दे चुका हूँ कि संसद के आगामी सत्र में यह विधान हम ला पाएंगे।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : क्या सत्तारूढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष के इस कथन की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि सरकार भूमि और भवन के अतिरिक्त अन्य प्रकार की सम्पत्ति पर भी सीमा लगाने का विचार कर रही है और क्या कृषि सम्पत्ति और शहरी सम्पत्ति की सीमा में कोई अनुपात रखा जाएगा ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : सदस्य महोदय का प्रश्न मूल प्रश्न् का अंग नहीं है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरे प्रश्न का पहला भाग तो संगत है।

श्री उमाशंकर दीक्षित : मूल प्रश्न नगरीय सम्पत्ति के बारे में है । अन्य प्रकार की सम्पत्ति के बारे में यदि अलग प्रश्न पूछा जाए जो शायद उत्तर तैयार किया जा सकेगा।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मेरा प्रश्न नगरी सीमा के बारे में है जिसमें अन्य प्रकार की शहरी सम्पत्ति भी तो शामिल है। शायद मंत्री महोदय को पता ही न हो कि अन्य प्रकार की नगरीय सम्पत्ति भी होती है ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : इस समय तक तो नगरीय क्षेत्रों में भूमि और भवनों के परिसीमन पर ही विचार किया जा रहा है।

श्री जगन्नाथ राव : नगरीय सीमा लगाने पर समाजीकरण करना अवश्यम्भावी है। क्या सरकार दिल्ली में फ्री-होल्ड भूमि, जिस पर भवन बन चुके हैं, के समाजीकरण के बारे में भी सोच रही है ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : यही तो मूल प्रश्न है। जिस भूमि पर निर्माण हो चुका है और जो खाली पड़ी है, दोनों ही इस विधान के क्षेत्राधिकार में आएंगी।

श्री राम सहाय पाण्डे : कितने राज्यों ने यह विधान बना दिया है, और क्या मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है और क्या केन्द्र ने शेष सभी राज्यों को मध्य प्रदेश का अनुकरण करने के लिए कहा है।

श्री उमाशंकर दीक्षित : जी नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इसे शामिल किया था और समिति ने अपनी रिपोर्ट भी चार मास पूर्व दे दी थी, फिर भी सरकार इसे लागू करने में विलम्ब क्यों कर रही है और अपनी नीति की घोषणा क्यों नहीं करती है ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : कोई विलम्ब नहीं हो रहा है। यह एक जटिल प्रश्न है। कृषि सम्पत्ति और नगरीय सम्पत्ति बिल्कुल भिन्न मामला है। फिर यह समिति तो हाल ही में नियुक्त की गई है। इसमें कोई विलम्ब नहीं किया गया है—यह मामला ही जटिल है।

दिल्ली में नर्सरी अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण सुविधाओं की मांग

*286. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नर्सरी अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण सुविधाओं की बहुत मांग है ;

(ख) इस प्रशिक्षण के लिये दिल्ली के मान्यता प्राप्त संस्थानों में कितने स्थान उपलब्ध हैं तथा उनके लिये प्रवेश मांगने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, और नर्सरी अध्यापकों के इस क्षेत्र में दिल्ली के छात्रों की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या इस मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली नगर निगम, दिल्ली प्रशासन तथा नई दिल्ली नगर पालिका संसाधनों का समन्वय करने की संभाव्यता पर विचार किया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभापटल पर दी जाएगी।

श्री बनमाली पटनायक : इतना समय लिए जाने के क्या कारण हैं ?

प्रो० नुरुल हसन : जानकारी दिल्ली प्रशासन से एकत्र करनी है। प्रश्न बहुत व्यापक है। अतः जानकारी एकत्र करने में समय लगता है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप कम से कम दस मिनट के लिए शान्त रहें। आप मेरे बहुत समीप बैठे हुए हैं और मेरे लिये कार्य करना कठिन है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या दिल्ली प्रशासन से उत्तर प्राप्त करने में 21 दिन की अवधि पर्याप्त नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

तरल अमोनिया को मिट्टी में सीधा मिलाने के संबंध में भारतीय उर्वरक निगम की योजना

*287. **श्री बेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तरल अमोनिया को मिट्टी में सीधा मिला देने सम्बन्धी योजना को भारतीय उर्वरक निगम ने कार्यरूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर इसका परीक्षण किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : **(क) तथा (ख)** : भारतीय उर्वरक निगम ने नांगल, गोरखपुर तथा दुर्गापुर के अपने एककों के आस-पास हाल ही में 21.06 लाख रुपये की कुल लागत से निर्जलीकरण अमोनिया के उपयोग की एक परीक्षण परियोजना स्वीकृत की है। योजना अभी कार्यान्वित नहीं की गई है।

श्री बेकारिया : क्या उस प्रयोग से कोई परिणाम निकला है और क्या यह अमोनिया से सस्ता और अधिक सरल है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस पर हम खुले दिल से विचार करने को तैयार हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा एक अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। हमारे विचार में यह बहुत ही वांछनीय दशा है क्योंकि अधिकांश विकसित देश भी एनहाइबडरोस तरल एमोनिया को ही अपना ले रहे हैं और इसका कारण यह है कि यह सस्ता है। भारतीय कृषि के लिए सस्ते उर्वरक ही वांछनीय हैं। नये प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

श्री डी० पी० जदेजा : वक्तव्य से ऐसा लगता है कि भारतीय उर्वरक निगम ने लगभग समान प्रकार की भूमि पर प्रयोग किये हैं। क्या अन्य प्रकार की भूमि पर भी कोई प्रयोग किया गया था और यदि हां, तो कब और किस राज्य में ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : कार्यवाही के लिए यह एक सुझाव है। नये प्रस्तावों के बारे में माननीय सदस्य की बात को ध्यान में रखा जायेगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या ग्रामीण क्षेत्रों में तरल अमोनिया के परिवहन की समस्याओं के बारे में कोई जांच कराई गई है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : अन्य अनेक देशों को इस बारे में पर्याप्त अनुभव प्राप्त है। इसका अध्ययन करने के लिए हमने विदेशों में अपने विशेषज्ञ भेजे हैं। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों का सम्बन्ध है हम इस ओर कार्य कर रहे हैं कि इसको किस प्रकार किया जा सकता है।

गजेन्द्रगडकर आयोग की नियुक्ति के पश्चात् भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में भर्ती की वर्तमान प्रक्रिया

*289. **श्री भारत सिंह चौहान :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में भर्ती की त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया पर अभी भी तेजी से अमल किया जा रहा है जब कि गजेन्द्रगडकर आयोग की सिफारिशें अभी प्राप्त होनी है; और

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के भर्ती विभाग में वे ही अधिकारी, जो कि डा० शाह की आत्महत्या के जिम्मेदार हैं, अपने पदों पर अभी भी आसीन हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को समस्त स्वीकृत अनुसंधान परियोजनाओं को शीघ्र क्रियान्विति के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए, परिषद् के सम्बद्ध उपबन्धों के अनुसार भर्ती जारी रखी जा रही है।

(ख) यह धारणा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के भर्ती स्कन्ध के कुछ अधिकारी, डा० शाह की आत्महत्या के लिए उत्तरदायी हैं, प्रत्यक्षतः सही नहीं है। इस स्थिति में उनके पदों पर अधिकारियों की सेवा में जारी न रखने का प्रश्न ही नहीं होता। परन्तु, साधारण प्रशासनिक रीति से कार्मिकों की बदली को भी नहीं रोका गया है।

Shri Bharat Singh Chawhan : It has been admitted that recruitment proceduse is defective but inspite of that rccruitment is going on. There au officers against whom allegtous have been levelled. In these circumstances may I know the effects of the recruitment which is being done through this defective procedure ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सभा में इस मामले पर पूरी तरह चर्चा हो चुकी है। माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों के परिणामस्वरूप डा० गजेन्द्रगडकर की अध्यक्षता में इन मामलों की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। समिति की सिफारिशों के प्राप्त होने के पश्चात यदि कुछ परिवर्तन आवश्यक हुए तो सरकार उचित निर्णय लेगी। इस समय हम

भर्ती को बन्द करके अनुसंधान कार्य में बाधा नहीं डालना चाहते क्योंकि यह एक निरन्तर चलते रहने वाला कार्य है।

Shri Bharat Singh Chawhan : Inspite of the defective procedure recruitment is going on and favouritism is also rampant as before. May I know the number of persons recruited after the micide of Dr. Shah ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इन सभी तथ्यों को एकत्र किया जाना है, चयन समिति की गत चार महीनों, अर्थात मई से अगस्त तक, में 31 मई, 12 जून, 20 जुलाई और 4 अगस्त बैठकें हुई थीं। कुल मिलाकर 31 अगस्त तक उसकी 72 बार बैठक हुई। मेरे विचार में सभी बातों को त्रुटिपूर्ण मान लेना ठीक नहीं है। वास्तव में कई बार समिति की अध्यक्षता बाहर के वैज्ञानिकों द्वारा की जाती है। समितियों के अधिकांश सदस्य बाह्य लोग, अर्थात प्रसिद्ध वैज्ञानिक होते हैं। यह कल्पना करना कि वे ठीक कार्य नहीं कर रहे हैं, उचित नहीं है। फिर सरकार इस विषय पर खुले दिल से विचार करेगी। एक उच्च स्तरीय समिति इन मामलों की जांच कर रही है।

श्री एस० एम० बनर्जी : डा० शाह की मृत्यु पर चर्चा के समय माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि भर्ती तथा पदोन्नति सम्बन्धी नीति में दीर्घावधि तथा अल्पावधि परिवर्तन किये जायेंगे। अपनाई गई नई नीतियां क्या हैं। क्या वह नीतियां यहां पर कार्य कर रहे वैज्ञानिकों के परामर्श से अपनाई गई हैं ?

श्री अण्णासाहिब शिन्दे : जहां तक 750 रुपये से कम का वेतनमान पाने वाले श्रेणी के वैज्ञानिकों के सम्बन्ध में आम तौर पर संस्था के निदेशक ही नियुक्ति समिति की अध्यक्षता करते हैं। हमने अब यह निर्णय लिया है कि निदेशक के स्थान पर समिति की अध्यक्षता एक बाह्य वैज्ञानिक किया करेगा। जहां तक उच्च पदों का सम्बन्ध है समिति की अध्यक्षता एकबाह्य वैज्ञानिक को मनोनीत करने की खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की प्रथा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हम इस बारे में उच्चस्तरीय समिति की शिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके शीघ्र ही मिलने की सम्भावना है।

दिल्ली में अस्पतालों के लिये और अधिक कर्मचारी

*290. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पन्त अस्पताल, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली और मानसिक रोग अस्पताल शाहदरा के मनोविकृति विज्ञान विभागों में कुछ और विशेषज्ञों की व्यवस्था की जायेगी; और

(ख) क्या उक्त अस्पतालों ने अपने कर्मचारियों और डाक्टरों की संख्या में वृद्धि करने का अनुरोध किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

मानसिक रोग अस्पताल, शाहदरा ने जीर्ण रोगी वार्ड तथा नर्स छात्रावास के लिए निम्न-लिखित पदों के सृजन का अनुरोध किया है :—

जीर्ण रोगी वार्ड :

1. आहार विद्	1
2. सहायक मैट्रन	1
3. व्यावसायिक चिकित्सक	1
4. नर्सिंग सिस्टर	2
5. स्टाफ नर्स	12
6. स्टोर कीपर	1
7. अपर श्रेणी क्लर्क	1
8. मेडिकल रिकार्ड तकनीशियन	1
9. फार्मेसिस्ट	1
10. अपर श्रेणी क्लर्क	2
11. हवलदार	1

नर्स छात्रावास :

1. मेट	1
2. सफाई कर्मचारी-सह-चौकीदार	1
3. बैरा	1
4. रसोइया	1
5. चौकीदार	3

2. सफदरजंग अस्पताल में 'डी-एडिक्शन क्लिनिक' खोलने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त कर्मचारियों सम्बन्धी प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है:—

1. मनश्चिकित्सक (के० स्वा० सेवा के विशेषज्ञ ग्रेड का)	1
2. जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड II (जिन्हें मनश्चिकित्सक रजिस्ट्रार के पद का छः माह का अनुभव हो)	1
3. मनोवैज्ञानिक	1
4. हाउस सर्जन	2
5. स्टाफ नर्स	3
6. मनश्चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता के पद का ग्रेड बढ़ाना ।	

Kumari Kamla Knmari : The outrsidess have to wait for six months or even up to one year before they get the permission to show their patients to specialists. May I know whether Government will increase the number of specialists there so that outsiders can also take beenefit of their services ?

श्री ए० के० किस्कु : हमारे विभिन्न अस्पतालों के मनोविकृति विभागों में कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में मैंने विवरण में बता दिया है। मामले पर यथासम्भव शीघ्र विचार किया जायेगा।

सुलतानपुर (महरोली) में स्थित इंटों के संयंत्र का घाटे पर चलना

*292. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या **निर्माण और आवास**मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा महरोली-गुड़गांव रोड़ पर सुल्तानपुर गांव में 1967 में स्थापित किया गया यंत्रीकृत ईंट-निर्माण संयंत्र आरम्भ से ही घाटे पर चल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में अब तक क्या ठोस कदम उठाये हैं और उक्त संयंत्र के सन्तोषजनक ढंग से कार्य न करने के विभिन्न कारण क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. डी. पी. चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) :

जी, हाँ। यथार्थ कठिनाइयों और कमियों को मालूम करने तथा फैक्टरी के कार्य में सुधार हेतु सिफारिशें करने के लिये, दिसम्बर, 1971 में एक समिति बनाई गई थी। समिति की सिफारिशें प्राप्त हो चुकी हैं तथा सरकार के विचाराधीन हैं।

इसी बीच में निगम ने प्लांट की कतिपय आवश्यक मरम्मत की है तथा कुछ सुधार नोटिस में आया है। ईंटों का उत्पादन, जो दिसम्बर, 1971 में 5 लाख था बढ़ कर जून, 1972 में 8.50 लाख हो गया है।

Shri Arvind Netam: Mr. Speaker, Sir, the Hon. Minister has said that the production of brickos has gone up from 5 lakhs to 8·5 lakhs. May I know as to who is responsible for the loss suffered previous to the increase in production and whether any action has been taken against any officer in this regard ?

प्रो. डी. पी. चट्टोपाध्याय : यह हानि विभाग को ही उठानी पड़ेगी। इसमें कोई सन्देह नहीं है। इस सम्बन्ध में उपचारात्मक कार्यवाही की जा चुकी है। कुछ मशीनें बदली गयी हैं, वित्तीय ढांचे का पुनर्गठन करने का विचार किया गया है और कुछ प्रबन्धात्मक कार्यवाही भी की गई है। इन सभी बातों के परिणामस्वरूप उत्पादन मूल्य कम होने की आशा है और बेकार हो जाने वाली इंटों की संख्या भी कम हो जायेगी। इस सम्बन्ध में यही कुछ कार्यवाही की गई है, और जैसा कि उत्पादन वृद्धि के आंकड़ों से पता चला है, इसके अच्छे परिणाम निकले हैं।

Shri Arvind Netam : I wanted a categorical replx if any action has been taken against any officer ! It has not been replied,

प्रो. डी. पी. चट्टोपाध्याय : मैंने बताया है कि हमने प्रबन्ध सम्बन्ध ढांचे में कुछ परिवर्तन किये हैं। परन्तु किसी के भी विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई है।

Shri Mohammad Ismail : The Hon. Minister has said that the labour problem has also been slightly solved, I would like to know the Firebricks Plant of Hazaribagh district, in which 1400 employees are working has been closed w.e.f. 5 August. You told nothing about that.

Mr Speaker : This does not arise out of it, here your are mentioning it unnecessarily.

Shri Mohammad Ismail : In Hazaribagh district..., it is also a brick plant. Here alro bricks are prepared.

Mr Speaker : How does Hazaribagh comes to picture ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या सरकार इस सुविधा का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में भी करने को तैयार है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : मुझे आशा है माननीय सदस्य स्वयं वस्तु स्थिति से परिचित हैं। यह रूमानिया से आयात की गई जटिल तथा आधुनिकतम मशीनरी है। धीरे-धीरे तकनीकि तथा अन्य मामलों को नियंत्रण में लाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे प्लांट लगाने अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में इनका प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। ग्रामीण क्षेत्रों में ईंटों के भट्टे हैं तथा अन्य सामग्री को उपयोग में लाया जाता है। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा प्लांट लगाने की कोई योजना हमारे विचाराधीन नहीं है।

Shri R. N. Sharma : The Hon. Minister has said that 5 to 8 lakhs bricks have been produced. It appeared from the way he defined the plant as if some very big steel factory is being defined in which there is such a complicated and sophistieated machinary and such a large investment and all this. Any plant which produces 5 to 8 lakhs ? bricks in an ordinary way there is no question of any loss. But why it is in loss when government plant produces the same number of bricks ?

प्रो. डी. पी. चट्टोपाध्याय : इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है। हमने बताया है कि श्रमिक अशान्ति तथा मशीन सम्बन्धी दोषों और इसका पूर्णतया उपयोग न किये जा सकने के कारण घाटा हुआ है।

23 जुलाई, 1972 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में फैसला

*293. **श्री सी. के. जकरशरीफ** :

श्री सी. टी. दण्डपाणि :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 जुलाई, 1972 को दिल्ली में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में देश में भूमि की

अधिकतम सीमा निर्धारित करने के प्रश्न पर फ़ैसला किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि ग्रन्थालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी. शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

[**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.**-3452/72]

श्री. सी. के. जकरशरीफ़ : क्या राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय भूमि सुधार समिति के निर्देशों के अनुसार भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी संशोधन पारित कर रही हैं ? भिन्न-भिन्न राज्यों में जोत की सीमा निर्धारित की गई है जिससे कुछ राज्यों में असन्तोष है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र और मैसूर में, जहाँ भूमि भी लगभग एक जैसी तथा जलवायु भी, भूमि की जोत के सम्बन्ध में दोनों राज्य सरकारों ने भिन्न-भिन्न सीमा निर्धारित की हैं। क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कोई निर्देश दिये हैं।

श्री अण्णासाहिब पी. शिन्दे : राज्य सरकारों से आशा की जाती है कि वे भारत सरकार द्वारा बनायी जाने वाली व्यापक नीति का अनुसरण करें। यह नीति सामान्यतया सभी को ज्ञात है। मुख्य मंन्त्रियों के सम्मेलन में इस पर चर्चा हुई थी। हम राज्य सरकारों को शीघ्र ही इस सम्बन्ध में सूचना भेज रहे हैं।

श्री. सी. टी. दंडपाणि : जैसा कि माननीय मित्र ने पूछा है, क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को कोई निर्देश भेजा था ? केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को कौन-सा मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजा था और उसके प्रति राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री. अण्णासाहिब पी. शिन्दे : मैंने बताया है कि हम शीघ्र राज्य सरकारों को सूचना भेज रहे हैं। यह नीति मुख्यमंन्त्रियों के साथ ही निर्धारित की गई थी। मुख्यमंन्त्रियों के सम्मेलन में सर्वसम्मत्ति से जो व्यापक नीति बनायी गयो थी वह उन्हें ज्ञात है। अतः राज्य सरकारों से आशा की जाती है कि वे मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में बनायी गयी व्यापक नीति का अनुसरण करेंगी।

श्री सी. टी. दंडपाणि : मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ···

अध्यक्ष महोदय : आप एक प्रश्न पहले ही पूछ चुके हैं। और अब तो प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

आदिवासियों का शोषण

*283. **श्री सरजू पांडे** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासियों का अत्यधिक शोषण और उनमें व्याप्त घोर असंतोष आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम क्षेत्र में नक्सलवादी आन्दोलन के मुख्य कारण थे ;

(ख) क्या अन्य क्षेत्रों के आदिवासियों में भी यही स्थिति विद्यमान है ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या यथासंम्भव शीघ्र आदिवासियों में असंतोष के मूल कारणों को हटाने की दृष्टि से उन लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने कोई नई नीति बनाई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के. एस. रामास्वामी) : (क) आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम क्षेत्र में नक्सलवादी आन्दोलन मुख्यतया आदिम जातियों के लोगों के भूमि सम्बन्धी अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से बनाए गए कानून को त्रुटिपूर्ण रूप से लागू करने पर उनकी शिकायतों तथा आदिम जाति क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास की अत्यन्त धीमी गति के कारण थे।

(ख) कुछ अन्य आदिम जाति क्षेत्रों में भी वैसी ही स्थिति विद्यमान है।

(ग) एक विवरण-पत्र सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये पिछड़े वर्ग क्षेत्र में चालू योजनाओं के अतिरिक्त, कृषि मंत्रालय ने आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिये आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा के राज्यों में 6 मार्गदर्शी परियोजनाओं की मन्जूरी दी है जो नीचे दी जाती हैं :

क्रमसंख्या	राज्य	जिला	परियोजनाओं की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम	1
2.	बिहार	सिंगभूम	1
3.	मध्य प्रदेश	बस्तर	2
4.	उड़ीसा	गंजम तथा कोरापुट	2

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में इनमें से प्रत्येक परियोजना के लिये 1.50 करोड़ रुपये की धनराशि नियत की गई है। प्रत्येक परियोजना का मूल उपागम स्थानीय आवश्कयताओं को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास के एक कार्यक्रम का अभिज्ञान करना है और संचार साधनों के जाल, इन क्षेत्रों को राज्य की मुख्य सड़कों के साथ मिलने तथा पीने के पानी की सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि के रूप में सहायक सेवाएँ प्रदान करने के अतिरिक्त कार्यक्रम के द्वारा उसकी अनुपूर्ति करना है।

सरकार निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आदिम जातियों के उत्थान के लिए नई नीति बनाने पर भी विचार कर रही है :—

(1) अनुसूचित क्षेत्रों के अन्दर और बाहर रहने वाले अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिए संरक्षणात्मक कानून बनाया जाए और उसे सख्ती से लागू किया जाए।

(2) अत्यन्त पिछड़ी तथा उपेक्षित आदिम जातियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष योजनाएँ बनाई जाएँ और वर्तमान योजनाओं में संशोधन किया जाए।

(3) आदिम जाति विकास खण्ड के कार्यक्रम का विस्तार किया जाए ताकि उसके अन्तर्गत वे सभी क्षेत्र आ जाएँ जिनकी कम से कम 50% आबादी आदिम जातियों की हो और आदिम जाति विकास खण्डों के बाहर के आदिम जातियों की आबादी के छोटे-छोटे क्षेत्रों के लिए भी धन दिया जाए।

(4) विकास को तेज करने के लिए आदिम जाति विकास खण्डों तथा आदिम जाति क्षेत्रों के लिए आवंटन को बढ़ाया जा सकता है।

(5) अपेक्स सहकारी निगमों की कार्यवाहियों को बढ़ाने के लिए वित्तीय संस्थाओं को कर्ज देने चाहिए।

(6) ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे साधारण क्षेत्र से भी अनुसूचित आदिम जातियों को विशेषतया पीने के पानी, संचार साधनों, स्वास्थ, कृषि, पशुपालन तथा कुटीर उद्योगों इत्यादि के बारे में लाभ पहुंचे। इन कार्यक्रमों से अनुसूचित आदिम जातियों को मिलने वाले वास्तविक लाभों के बारे में लगातार आधार सामग्री एक त्रित की जानी चाहिए।

(7) प्रमुख परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए आदिम जातियों के लोगों के पुनर्वास की योजनाएं उन परियोजनाओं का अभिन्न भाग होनी चाहिए और उनमें विस्थापित लोगों की शिक्षा, प्रशिक्षण और साज सामान के लिए कार्यक्रम शामिल होने चाहिएं।

इस सुझाव पर राज्यों के समाज कल्याण मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था जो 28 जुलाई, 1972 को हुआ था। भारत सरकार आदिवासी विकास की नई नीति पर सरकार को सलाह देने के लिए एक विशेष दल नियुक्त करने के बारे में भी विचार कर रही है।

दिल्ली में छात्राओं के लिये परिवहन की सुविधाएं

*288 **डा० कर्णी सिंह :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि दिल्ली में छात्राओं के लिये परिवहन की सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या विशेष प्रबन्ध करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : दिल्ली में छात्राओं के लिये पर्याप्त परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। यूनिवर्सिटी औरकालेज के विद्यार्थियों के लिये बहुत से विशेष फेरों के अलावा, राजधानी के विभिन्न स्थानों

से महिला कालेजों को अनन्यरूप से ऐसे छात्रों के लिये सुबह के समय रोजाना दिल्ली परिवहन निगम द्वारा अठारह विशेष फेरे लगाये जाते हैं।

पंजाब में आवास परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता

*291. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने राज्य में आवास परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय निधि से वित्तीय सहायता माँगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) :

(क) और (ख) :—ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत 299/60 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 30,668 विकसित आवास-स्थलों की व्यवस्था के लिये पंजाब सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। अर्जन की लागत तथा प्रति आवास-स्थल के कुल क्षेत्रफल को अत्यधिक समझा गया। राज्य सरकार से अर्जन की लागत में कमी करने की संभावनाओं पर विचार करने का अनुरोध किया गया है। उन से इस बात की पुष्टि करने का भी अनुरोध किया गया है कि उन द्वारा प्रस्तावित प्रत्येक आवास-स्थल के विकास की वास्तविक लागत और योजना के अधीन केन्द्र द्वारा देय विकास की लागत के बीच के अन्तर को उन द्वारा वहन किया जायगा। केन्द्र द्वारा उठाई बातों का उत्तर प्राप्त होने पर योजना के अविलम्ब निपटान के लिये इसकी जाँच की जायेगी।

Central University At Pondichersy

***294. Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the **Minister of Education And Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the University Grants Commission has suggested the opening of a Central University at Pondicherry ;

(b) if so, the action taken so far in this regard ; and

(c) the time by which the said University would start functioning ?

The Minister of Education, Social Welfare And Culture (Prof. Nurul Hasan):

(a) to (c) : The Pondichery Administration has proposed that a Central University may be established at Pondicherry. The proposal is being examined in consultation with the University Grants Commission and the Planning Commission.

राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन

*295. **श्री पी० गंगादेव** :

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, और

(ख) यदि हाँ, तो उसमें किन विषयों पर विचार किया गया और क्या निर्णय किए गये ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) :

(क) जी हाँ ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

'विवरण'

25 और 26 जुलाई, 1972 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों, स्वास्थ्य सचिवों और स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशकों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था ।

सम्मेलन में निम्नलिखित मुख्य बातों पर विचार विमर्श हुआ :—

1. ग्रामीण क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना,
2. परिवार नियोजन कार्यक्रम, और
3. उपचार एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर ग्रेडेड शुल्क की प्रणाली लागू करना ।

ग्रामीण क्षेत्रों की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना में स्वदेशी चिकित्सा पद्धति और होम्यो-पैथी के 2,50,000 पंजीकृत चिकित्सकों को ग्राम क्षेत्रों में रोजगार देने की बात निहित है । राज्य मंत्रियों द्वारा अभिव्यक्त विभिन्न विचारों को ध्यान में रखते हुए सम्मेलन ने निश्चय किया कि केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाय जिसमें बिहार, हरियाणा, हिमाचल, प्रदेश महाराष्ट्र, मैसूर, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री होंगे और वे इस योजना पर सविस्तार विचार करेंगे तथा इस योजना की क्रियान्विति को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक संशोधन सुझायेंगे । इस सम्मेलन ने कुछेक घनी आबादी वाले राज्यों में परिवार नियोजन कार्य-क्रम चल रही असमान प्रगति पर चिन्ता व्यक्त की और यह निश्चय किया कि इस धीमी गति के कारणों को जानने के लिये विशेष अध्ययन करना आवश्यक है। इस सम्मेलन ने केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन राज्य मंत्री की अध्यक्षता में असम, बिहार, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मैसूर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की एक समिति गठित की जिसका काम इस कार्यक्रम की प्रगति की धीमी गति का अध्ययन करना तथा कार्यक्रम को आवश्यक प्रोत्साहन देने के लिये मार्गोपाय सुझाना है ।

राज्य मंत्रियों ने ग्रेडेड शुल्क लागू करने के प्रश्न पर अलग-अलग विचार व्यक्त किये । अतः सम्मेलन ने यह निश्चय किया कि राज्य सरकारें स्वास्थ्य-कर अथवा प्रत्यक्ष शुल्क लेकर अथवा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार किसी अन्य उपाय से अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिये

कदम उठा सकती हैं। इस सम्मेलन ने डाक्टरों की बेरोजगारी की समस्या को हल करने, साथ अपमिश्रण तथा वायु एवं जल दूषण को दूर करने विषयक मर्गोपायों पर भी संक्षेप में चर्चा की।

मत्स्य-पतन

*296. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के वालासोर जिले में चांदवाल के निकट धमारा के स्थान पर पूर्णरूपेण केन्द्रीय वित्त-सहायता से मछली पकड़ने के एक पतन का निर्माण करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य कार्यक्रम क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) :

(क) उड़ीसा में मत्स्य बन्दरगाह स्थानों के सर्वेक्षण के फलस्वरूप, धमारा को एक सम्भावित क्षमता वाले स्थान के रूप में चुना गया था। मत्स्य बन्दरगाहों के निवेश पूर्व सर्वेक्षण के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजना द्वारा धमारा में ब्योरे वार इंजीनियरिंग और आर्थिक दृष्टि से अध्ययन किये गये हैं और एक परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। बन्दरगाह के लिये स्वीकृति देने का प्रश्न विचाराधीन है। अनुमोदन होने पर परियोजना के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

(ख) परियोजना में 2 मीटर गहरे और 200 मीटर लम्बे वार्फ के निर्माण की व्यवस्था मौजूद है। एक नौका निर्माण यार्ड रिलपवे और नीलामी हाल, जल आपूर्ति, कार्यालय भवन इत्यादि अन्य तटीय सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है।

रबी की फसल में खाद्यान्नों का उत्पादन

297. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष रबी की फसल में खाद्यान्नों का कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) गत वर्ष की रबी की फसल के खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में यह कितना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) :

वर्ष 1971-72 के दौरान देश में रबी की फसल के खाद्यान्नों के उत्पादन सम्बन्धी पक्के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, अभी तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार गेहूं का उत्पादन 1970-71 में 232 लाख मीटरी टन के रेकार्ड स्तर से अधिक होने की संभावना है। किन्तु रबी के कुछ अन्य अनाजों का उत्पादन कम हो सकता है।

सरकार की सहायता के बिना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को चलाया जाना

*298. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुछ मुस्लिम संगठनों की गतिविधियों की ओर दिलाया गया है जिनका विचार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्प-संख्यक स्वरूप को बनाये रखने के लिए सरकार की सहायता के बिना उसे चलाने की एक योजना बनाने का है;

(ख) क्या भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने हाल के सम्मेलन में इस प्रयोजन हेतु एक समिति नियुक्ति की थी; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) और (ख) : प्रेस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय संघ मुस्लिम लीग की कार्यकारी समिति ने दिनांक 23 जून, 1972 को अपनी आयोजित बैठक में विश्वविद्यालय को सरकार द्वारा पूरी तौर से वित्तीय सहायता दिये जाने के बजाय इसे सहायता प्राप्त संस्थान के रूप में विश्वविद्यालय को संचालित करने की सम्भावनाओं की जांच करने के लिये एक नौ सदस्यीय उप-समिति नियुक्त की थी ताकि इसे मुस्लिमों द्वारा अपने लाभ के लिये संचालित नितान्त मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में बनाये रखा जा सके।

(ग) किसी भी संगठन ने विश्वविद्यालय को बिना सरकारी सहायता के चलाने की आयोजना सहित अब तक सरकार को नहीं लिखा है।

भारतीय खाद्य निगम को चालू रबी मौसम में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में चने की खरीद में घाटा

*299. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू रबी मौसम में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में चने की व्यापारिक खरीद में भारतीय खाद्य निगम को भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस बारे में कोई जांच-पड़ताल की गई है; और

(ग) यदि हाँ,तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा मंडियों तथा राज्य फार्म निगम से वाणिज्यिक आधार पर खरीदे गये चने का अधिकाँश स्टाक अभी तक उनके पास है और उस स्टाक के बिक जाने के बाद इस सौदे के वित्तीय परिणाम ज्ञात होंगे।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

चीनी सम्बन्धी नई नीति पर राज्यों की प्रतिक्रिया

*300. **श्री रामसहाय पांडे** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित चीनी सम्बन्धी नई नीति कुछ राज्य सरकारों को स्वीकार्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनकी मुख्य आपत्तियां क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में उन राज्यों के विचार जानने के लिये उनके साथ परामर्श किया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) : कुछेक राज्य सरकारों ने पहली जुलाई, 1972 से अस्तित्व में आयी सांविधिक आंशिक नियंत्रण की नई नीति के विरुद्ध अभ्यावेदन दिये थे। उनके विचार थे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित लेवी मूल्य अयथार्थिक हैं और अगले वर्ष गन्ने और चीनी का अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों को निरुत्साहित करने वाले वाले हैं।

(ग) जी नहीं।

आवास तथा नगरीय विकास निगम द्वारा स्वीकृत राज्य योजनायें (मध्य प्रदेश)

2780. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवास और नगरीय विकास निगम द्वारा कितनी राज्य (मध्य प्रदेश) योजनायें स्वीकृत की गई हैं;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में इस योजना के अधीन कितनी अग्रिम धन-राशि दी गई है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश के लिये कितनी अग्रिम धन-राशि दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) : आवास तथा नगर-विकास निगम ने मध्य प्रदेश की निम्नलिखित योजनाएँ स्वीकृति की हैं तथा वह इन योजनाओं के लिये निम्न प्रकार से धन देगा :—

योजना का नाम	कुल स्वीकृत ऋण	स्वीकृत किये गये ऋण में से 31–7–72 तक दी गई राशि	स्वीकृत की गई राशि में से 31–3–73 तक दी जाने वाली प्रस्तावित राशि।
1	2	3	4
		(लाख रुपयों में)	
1. भोपाल सुधार न्यास की रिहायशी आवास योजना	39	5	15
2. जबलपुर आवास योजना	130	–	21
3: शाहपुरा, भोपाल में आवास योजना	40	–	9
जोड़	209	5	45

मध्य प्रदेश में निरक्षरों की संख्या

2781. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 के अन्त में मध्य प्रदेश राज्य में निरक्षरों की संख्या कितनी थी; और

(ख) लोगों को साक्षर बनाने के कार्यक्रम को तेज करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) भारत की 1971 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या 3,24,36, 041 थी।

(ख) निरक्षरता का उन्मूलन करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। तथापि राज्य सरकार के प्रयासों को बढ़ाने के लिये भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के चार जिलों में कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम मंजूर किए हैं। निरक्षरता के उन्मूलन के लिए चुने हुए जिलों में प्रायोगिक परियोजनाओं की योजना तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों के जरिए निरक्षरता उन्मूलन की योजना शुरू करने के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं।

दिल्ली में शिक्षण-स्नातकों (बी० एड०) के लिये स्थान

2782. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली राज्य क्षेत्र में जामिया मिलिया इस्लामिया तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षण स्नातकों (बी० एड०) के लिये उपलब्ध स्थानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ यह संख्या बहुत कम है जिसके फलस्वरूप अधिकांश छात्र शिक्षण-स्नातक पाठ्यक्रम के लिये समीपवर्ती राज्यों के कालेजों में प्रवेश लेते हैं जिसके कारण अभिभावकों को भारी वित्तीय परेशानी होती है; और

(ग) संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली में अभ्यार्थियों विशेष रूप से महिलाओं की बड़ी संख्या को देखते हुए, क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इन स्थानों की संख्या में काफी वृद्धि करने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) 1972-73 के दौरान 340।

(ख) और (ग) उपलब्ध भौतिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, स्थानों की संख्या निर्धारित की जाती है। बी० एड० पाठ्यक्रम के लिए स्थानों की संख्या में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार करने की जिम्मेदारी दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया प्राधिकारियों की है।

नई दिल्ली स्थित तिलक मार्ग के आर्ट्स कालेज में हड़ताल

2783. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22, तिलक मार्ग, नई दिल्ली स्थित आर्ट्स कालेज के छात्रों ने गत कई महीनों से हड़ताल कर रखी है, यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस हड़ताल के फलस्वरूप, वार्षिक परीक्षाओं को अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित कर दिया गया है हालांकि छात्रों के एक वर्ग ने परीक्षा के दिन स्वयं को वहाँ उपस्थित किया था; और

(ग) इस हड़ताल को समाप्त कराने तथा वार्षिक परीक्षायें यथा समय शीघ्र आयोजित कराने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) छात्रों ने 13 जनवरी, 1972 को हड़ताल की थी । हड़ताल का तात्कालिक कारण निम्नलिखित था :—

(i) छात्रों में यह निराधार भय था कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के कला के राष्ट्रीय डिप्लोमा को बंद कर दिया जाएगा और केवल राज्य डिप्लोमा प्रदान किये जायेंगे; और

(ii) कला-कालेज से अंश-कालिक संस्था पाठ्यक्रमों को दिल्ली के किसी निजी संस्थान में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ।

बाद में छात्रों ने यह मांग की थी कि इस कालेज को दिल्ली विश्वविद्यालय से शीघ्र सम्बद्ध किया जाये तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के राष्ट्रीय डिप्लोमा के स्थान पर विश्व-विद्यालीय डिग्रियाँ प्रदान की जाएँ । उन्होंने कालेज के प्रबन्धकों के विरुद्ध आरोप भी लगाये ।

दिल्ली प्रशासन ने कला कालेज को दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने और उन्हीं के द्वारा डिग्रियाँ प्रदान करने से सम्बन्धित प्रश्न को पहले से ही अपने हाथ में लिया हुआ है । दिल्ली विश्वविद्यालय के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है ।

छात्रों की अन्य मांगों की देख-भाल भी एक ऐसी समिति द्वारा की जा रही है, जिसे इसी उद्देश्य के लिए कालेज के पुनर्गठन के लिये संस्थापित किया गया है ।

जहाँ तक वार्षिक तौर पर आयोजित होने वाली अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के प्रायुक्त-कला में राष्ट्रीय डिप्लोमा की परीक्षाओं का सम्बन्ध है, छात्रों के प्रत्यावेदन पर उन परीक्षाओं को जो अप्रैल, 1972 में आयोजित होनी थी, जुलाई, 1972 तक मुल्तवी कर दी गयी ।

24 जुलाई, 1972 को किसी विद्यार्थी ने ललित कला तथा वास्तुकला विषयों की परीक्षा में अपने आपको पेश नहीं किया । 26 जुलाई को कुछ विद्यार्थी वाणिज्य कला-ग्रुप की परीक्षा देने आये थे । परन्तु बहुत सारे परीक्षार्थी तथा कई अन्य छात्र कालेज के बाहर इकट्ठे हो गये और अनुरोध करने के बावजूद उन्होंने धमकी दी कि किसी भी स्थिति में परीक्षा को आगे चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है । परीक्षा के अधीक्षक तथा कालेज के तीन प्रोफेसरों सहित परीक्षाओं

के नियंत्रक ने पिछले अनुभव तथा वहां पर उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया कि परीक्षा आयोजित नहीं हो सकती। इन परीक्षाओं को यथाशीघ्र आयोजित करने के लिये परीक्षा समिति के अध्यक्ष से अब इस मामले को उठाया गया है।

आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में नशीली वस्तुओं के उपयोग के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट

*2784. **श्री एन० एस० शिवस्वामी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैज्ञानिक-दल की इस रिपोर्ट पर विचार किया है कि आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में अफीम, मारफीन तथा कोडीन का उपयोग अनिवार्य नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और निष्कर्ष क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय)

(क) और (ख) : इस रिपोर्ट पर जांच पड़ताल की जा रही है।

लेडी हार्डिग अस्पताल, नई दिल्ली में अपूर्ण गर्भपात संबंधी मामले

2785. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेडी हार्डिग अस्पताल में गत तीन महीनों में अपूर्ण गर्भपात के कितने रोगियों की चिकित्सा की गई ;

(ख) ऐसे कितने मामलों में आपरेशन के पश्चात् कठिन परिस्थितियां पैदा हुई और इसके क्या कारण रहे ;

(ग) क्या उक्त कठिन परिस्थितियां आपरेशन करते समय डाक्टरों की लापरवाही के कारण पैदा हुयीं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विषय में जाँच की है तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये सावधानी के तौर पर कोई व्यवस्था की है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो०डी०पी० चट्टोपाध्याय)

(क) 387 (तीन सौ सत्तासी)

(ख) चिकित्सा के लिए देरी से आने के कारण 27 मामलों में कुछ छोटी-मोटी कठिनाइयां आई थीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ की मान्यता समाप्त करना

*2786. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **कृषि मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ की मान्यता समाप्त कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) :(क) और (ख): जी नहीं। सरकार ने भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ को कभी मान्यता प्रदान नहीं की थी। तथापि, भारतीय खाद्य निगम ने अखिल भारतीय केन्द्रीय सरकार खाद्य कर्मचारी संघ को तथ्येन आधार पर मान्यता प्रदान की थी। संघ में फूट पड़ जाने के कारण भारतीय खाद्य निगम ने इस संघ के प्रत्येक ग्रुप के साथ तथ्येन सम्बन्ध स्थगित कर दिए हैं।

राजस्थान में अकाल के दौरान शुरू किये गये कार्यों का रखरखाव

*2787. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **कृषि मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि पहले पड़े अकाल के दौरान जो कार्य किया गया था उसमें से अधिकांश कार्य उचित रखरखाव न होने के कारण बेकार हो गया है और राज्य को अब गम्भीर अकाल और पीने के पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो राजस्थान के लोगों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु कितनी केन्द्रीय सहायता अपेक्षित है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : राजस्थान सरकार ने इस बात का खण्डन किया है कि पहले पड़े सूखे के दौरान शुरू किए गए राहत निर्माण कार्य बेकार हो गए हैं। इन निर्माण कार्यों के रख-रखाव के लिए सभी सम्भव उपाय किए जा रहे हैं। हालांकि वर्षा के न होने से राज्य में सूखे की स्थिति बनी हुई है, लेकिन हाल ही में पूर्वी जिलों में वर्षा होने से स्थिति में सुधार हुआ है। पूर्वी जिलों में पेय जल की कोई कमी नहीं होगी लेकिन पश्चिमी जिलों में पानी सप्लाई करने के प्रबन्ध जारी रखे जा रहे हैं। एक केन्द्रीय अध्ययन दल ने मई, 1972 में राजस्थान का दौरा किया था और जून-जुलाई, 1972 में किए जाने वाले राहत कार्यों के लिए 2.19 करोड़ रुपये के खर्चे की सीमा की सिफारिश की है। एक अन्य अध्ययन दल मौके पर स्थिति का जायज़ा लेने के लिए राज्य का दौरा करने वाला है और यह दल केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन हेतु खर्चे की सीमा की सिफारिश करेगा। राज्य सरकार को अध्ययन दल की सिफारिशों को ध्यान में रख कर और केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस बीच, राज्य सरकार को अपनी तात्कालिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए 1 करोड़ रुपये की तदर्थ ऋण सहायता की मंजूरी दी गई है।

सरकारी आवास आवंटित करने सम्बन्धी नियम

*2788. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरिष्ठ अधिकारियों का श्रेणी-5 और उससे ऊपर के आवास आवंटित करने सँबंधी नियम श्रेणी–4 और इससे कम श्रेणी के आवासों के पात्र कम आय वाले कर्मचारियों के लिये आवंटन संबंधी नियमोंसे भिन्न हैं ;

(ख) क्या पहले वर्णित श्रेणी के अधिकारियों को उनकी पात्रता से एक श्रेणी नीचे कम आवास प्रदान करने की व्यवस्था है जब कि कम आय वाले कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है ;

(ग) दो प्रकार के नियम जिनमें से एक प्रकार के नियम तो उच्च अधिकारियों के लाभ के लिये हैं तथा दूसरे प्रकार के नियम कम आय वालों के लिये अहितकर हैं, बनाये रखने का क्या औचित्य है ; और

(घ) कम आय वाले कर्मचारियों के लिये भी उनकी पात्रता से एक श्रेणी नीचे के आवास की भी व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है जैसी कि उच्च वेतन प्राप्त श्रेणी-5 तथा उससे ऊपर की श्रेणी के पात्र अधिकारियों के लिये है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो०डी०पी० चट्टोपाध्याय) :(क) से (घ):—टाईप और उससे ऊपर के पात्र कर्मचारियों के मामले में सामान्य पूल से वास के आवंटन के उद्देश्य से वरिष्ठता उस तिथि से मानी जाती है जबसे ऐसे कर्मचारी केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर उस टाईप विशेष के लिए या उस से ऊंचे टाईप के अनुरूप परिलब्धियां लगातार ले रहे हों। उनके मामले में, सामान्य पूल वास के आवंटन के उद्देश्य हेतु उनकी सम्पूर्ण सेवा पर विचार नहीं किया जाता। टाईप IV और उससे नीचे के टाईप के पात्र कर्मचारियों के मामले में, उनकी वरिष्ठता उस तिथि से मानी जाती है जबसे वे केन्द्रीय या राज्य सरकार की लगातार सेवा में हैं और उनकी सारी सेवा को ध्यान में रखा जाता है। तथापि, टाईप V और ऊपर के टाईप के पात्र कर्मचारियों को उनके अनुरोध पर अगले निचले टाईप का वास आवंटित किया जाता है। टाईप V और उससे ऊपर के पात्र अधिकारियों के मामले में, अगर उनकी केन्द्रीया राज्य सरकार के अधीन कुल सेवा पर विचार किया जाए तो उनमें कई ऐसे हो सकते हैं जिनकी 20 वर्ष से अधिक सेवा होने पर भी उन्हें उन के पात्र टाईप में वास का आंवटन नहीं किया गया है। इसलिए यह नियम उच्च वेतन प्राप्त अधिकारियों के लिए अपेक्षाकृत अधिक हित में नहीं है। फिलहाल, ऐसा कोई सुझाव नहीं है जिससे टाईप IV और उससे नीचे के पात्र अधिकारियों के मामले में अगले निचले टाईप में वास के आवंटन की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। क्योंकि टाईप II में परितुष्टि की प्रतिशतता, टाईप III और IV से अपेक्षाकृत बहुत कम है।

सुपारी के बारे में अनुसन्धान की योजना

*2789. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्लि** : क्या **कृषि मन्त्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कासरगोड के केन्द्रीय नारियल अनुसन्धान केन्द्र की ओर से सुपारी के संबंध में अनुसंधान करने सम्बन्धी कोई योजना प्राप्त हुई है ;

(क) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां । यो योजनायें, अर्थात् (i) सुपारी तकनोलोजी एवं उपयोग और (ii) सुपारी तथा अन्य फसलों की श्रेष्ठ पौध-रोपण सामग्री के पुनरुत्पादन की वर्धन योजना सी० पी० सी० आर० आई० कसार गोड से प्राप्त हुई है ।

(ख) सुपारी तकनौलोजी एवं उपयोग की योजना का प्रयोजन चबाने के अतिरिक्त सुपारी का व्यापक उपयोग करना है । इस योजना के अन्तर्गत सुपारी में ऐलकालायइस पर अनुसंधान, आदि जैसे औद्योगिक प्रयोजन के लिए अब शेष का प्रयोग चियगम, दंत मंजन एवं पेय का निर्माण किया जायेगा ।

इस अधिक उत्पादनशील किस्मों पर, एक दूसरी योजना के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाने के लिये प्रजनन सम्बन्धी श्रेष्ठ संकर/किस्मों का पर्याप्त उत्पादन करना है । यह योजना मैसूर राज्य के आरक्षित बन क्षेत्र कीडू में अवस्थापित होगी ।

(ग) योजनायें तैयार की जा रही हैं और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संबन्धित वैज्ञानिक पेनल/स्थायी कृषि अनुसंधान समिति/स्थायी वित्तीय समिति/शासी निकाय की आगामी बैठकों के समय उनके विचारार्थ प्रस्तुत करने की संभावना है ।

सुपारी के मूल्यों में गिरावट

*2790. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्लि** : क्या **कृषि मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सुपारी के मूल्यों में प्रति दिन गिरावट आ रही है और इस कारण केरल तथा मैसूर के कृषकों को बड़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां । गत वर्ष के मूल्यों की तुलना में इस वर्ष के दौरान सुपारी के मूल्यों में कमी आई है ।

(ख) यह मामला भारत सरकार के विचाराधीन है ।

सुपारी बोर्ड की स्थापना

*2791. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्लि** :

श्री वी० के० नायक :

क्या **कृषि मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि क्या सुपारी उत्पादकों की सुरक्षा प्रदान करने के लिये रबड़ बोर्ड, इलायची बोर्ड आदि की भांति ही एक सुपारी बोर्ड भी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री(श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : जी नहीं। इस समय कोई ऐसा प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में कनिष्ठ इंजीनियरों की पदोन्नति

2792. **श्री एस. डी. सोमसुन्दरम** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण निर्माण और आवास मंत्रालय के अधीन कार्य कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ इंजीनियरों को 10 वर्ष में भी पदोन्नति नहीं दी जाती जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण में सेवा के कुछ वर्षों बाद ही उनको पदोन्नति मिल जाती है ; और

(ग) यदि हाँ, तो ऐसी असमानताओं को अनिश्चित समय तक जारी रखने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, निर्माण और आवास मंत्रालय का एक सम्बद्ध कार्यालय है जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण इस मंत्रालय के सर्वोपरि नियंत्रण में कार्य कर रहा एक सांविधिक निकाय है।

(ख) तथा (ग) : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में 10 वर्षों की सेवा वाले कनिष्ठ इंजीनियरों की संख्या 1,550 है। पदोन्नति के लिए उन सब पर विचार करना सम्भव नहीं है।

चूंकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एक सरकारी विभाग है तथा दिल्ली विकास प्रधिकरण एक स्वायत्त निकाय है, अतः इन दोनों संगठनों में पदोन्नति के ऐवेन्यूज की तुलना करना उचित नहीं होगा क्योंकि ये काडर की कुल संख्या, समय-समय पर उपलब्ध होने वाली रिक्तियों और पदोन्नति के लिये पात्र अधिकारियों की संख्या जैसे कई कारणों पर निर्भर हैं।

वर्ष 1972-73 के दौरान ट्रैक्टरों का आयात

2793. **चौधरी साधु राम** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 1972-73 में 20,000 ट्रैक्टरों का आयात करने का प्रस्ताव है, यदि हाँ, तो किस-किस देश से किस-किस मार्क के कितने-कितने ट्रैक्टर आयात किये जायेंगे, ये ट्रैक्टर पूरे के पूरे आयात किये जायेंगे या एस. के. डी. अथवा सी. के. डी. बैंक में आयात किये जायेंगे और यदि एस. के. डी. और सी. के. डी. बैंक में आयात किये जायेंगे तो कितने प्रतिशत पुर्जों का आयात नहीं किया जायेगा।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी. शिन्दे) :

भारत सरकार ने 20,000 ट्रैक्टरों को आयात करने का निर्णय किया है। उनके ब्यौरा (देशवार, मेकवार, आदि) की जाँच की जा रही है।

दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक का स्थगित होना

2794. **श्री के. मालन्ना** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ के सदस्यों ने दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर विचार स्थगित करने तथा विश्वविद्यालय के संघीय स्वरूप को बनाये रखने का अनुरोध करते हुए एक ज्ञापन प्रधान मंत्री को पेश किया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो. एस. नुरूल हसन) (क) दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ के अध्यक्ष ने 7 अगस्त को प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने उनको दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1972 को रद्द करने पर विचार करने और अगले दिन संघ के प्रतिनिधिमंडल से मिलने के लिए अपील की। प्रतिनिधिमंडल प्रधान मंत्री से 8 अगस्त 1972 को मिला।

(ख) प्रतिनिधिमंडल को उठाये गये विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में सरकार का रवैया बतलाया गया।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विज्ञान अकादमी तथा शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना

2795. **श्री रोबिन ककोटि** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण**मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी भी राज्य में एक विज्ञान अकादमी तथा एक शरीरिक शिक्षा संस्थान खोलने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें किन-किन स्थानों पर खोला जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के. एस. रामास्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को गृह निर्माण के लिए अग्रिम धन राशि दिया जाना।

2796. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में मार्च, 1972 तक असम, नागालैंड, मेघालय, मनीपुर, त्रिपुरा राज्यों और अरुणांचल तथा मिजोराम के संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को गृह निर्माण के लिए राज्यवार, कितनी-कितनी राशि के ऋण दिये गये।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. डी. पी. चट्टोपाध्याय) : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

लेखकों प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं का संयुक्त संगठन

2797. **श्री वी. मायावन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रकाशन उद्योग के तीन मुख्य अंगों में अधिक तालमेल के लिये देश के लेखकों, प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं का संयुक्त संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हाँ, तो संयुक्त संगठन की मुख्य बातें क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मँत्रालय में उप मंत्री (श्री के. एस. रामास्वामी) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष की राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक में, इस आशय का प्रस्ताव पेश किया गया था। इस मामले पर, समिति द्वारा आगे अभी विचार किया जाना है। प्रस्ताव प्रारम्भिक अवस्था में है और व्योरों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

ट्रैक्टरों की कमी

2798. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ट्रैक्टरों की कमी से 'हरित क्रान्ति' पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा रहा है,

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है, और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किये गये ट्रैक्टरों की संख्या कितनी है और अगले दो वर्षों के दौरान अनुमानित मांग कितनी होगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी. शिन्दे) : (क) और (ख) : 'हरित क्राति' की शीघ्र प्रगति अन्य बातों के साथ साथ फार्म यंत्रीकरण द्वारा कृषि विकास पर निर्भर करती है। अतः ट्रैक्टरों और समस्त प्रकार के फार्म यंत्रों की मांग काफी हद तक बढ़ गई है। ट्रैक्टरों की समूची मांग को पूरा करने के लिये 20,000 ट्रैक्टरों का आयात करने का निर्णय किया गया है। विदेशों में रहने वाले भारतीय सम्बन्धियों से भी उपहार के रूप में ट्रैक्टर आयात करने की अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा, देशी ट्रैक्टरों के उत्पादन में भी वृद्धि करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान 40,784 ट्रैक्टरों का आयात किया गया है। चतुर्थ योजना की शेष अवधि और पंचवर्षीय योजना के लिए वैज्ञानिक आधार पर मांग का मूल्यांकन करने का कार्य राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद को सौंप दिया गया है, रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

आदिवासी क्षेत्रों का विकास

*2799. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उपेक्षित आदिवासी क्षेत्रों के उत्थान और विकास के लिये सरकार ने अब तक

कितनी धन राशि खर्च की है। प्रत्येक मद पर किए व्यय का ब्यौरा क्या है और क्या इस संबंध में एक सूची सभा-पटल पर रखी जायेगी;

(ख) उदयपुर जिले के कोन गुवा और कोठरा तहसीलों में अब तक कितनी धन-राशि खर्च की गई है और इस क्षेत्र के आदिवासियों की स्थिति में क्या सुधार किए गए हैं; और

(ग) यदि उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं किया गया है तो उपरोक्त आदिवासी क्षेत्र की जनता की मुख्य समस्यायें क्या हैं और क्या उनकी ओर सरकार का ध्यान दिलाया भी गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री० के० एस० रामास्वामी):

(क) इस विभाग द्वारा योजना आवंटन राज्यवार किए जाते हैं, क्षेत्र-वार नहीं। 1971-72 तक अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं पर किया गया खर्च, जो साधारण योजनाओं के अतिरिक्त है, दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र सभा के पटल पर रखा जाता है।

(ख) तथा (ग)—अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण

योजना का नाम	**प्रत्याशित खर्च 1971-72 तक (रुपए करोड़ की राशियों में)**
केन्द्रीय क्षेत्र	
1—मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	12.41
2—लड़कियों के छात्रावास	0.88
3—परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण	0.12
4—आदिमजाति विकास खंड	55.91
5—सहकारिता	5.47
6—आदिम जाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण	0.78
7—अन्य योजनाएं	13.44
	जोड़ : 88.96
राज्य क्षेत्र	
1—शिक्षा	38.20
2—आर्थिक विकास	42.77
3—स्वास्थ्य आवास तथा अन्य योजनाएं	19.35
	जोड़: 100.32
	कुल जोड़: 189.28

आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिये उच्च अधिकार प्राप्त बोर्ड

*2800. **श्री अमर नाथ चावला** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आदिवासी क्षेत्रों का सभी प्रकार से विकास करने के लिये सरकार का एक उच्च अधिकार प्राप्त बोर्ड नियुक्त करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस संबंध में अंतिम निर्णय कर लिया गया है; और यदि हाँ, तो उस बोर्ड का गठन किस प्रकार का होगा; और

(ग) बोर्ड कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० ऐस० रामास्वामी)

(क) से (ग)—आदिवासी क्षेत्रों का सभी प्रकार से विकास करने के लिए एक उच्च अधिकार बोर्ड नियुक्त करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

स्नातक इंजीनियरों और डिप्लोमाधारियों को रोजगार देने पर लघु एककों को राजसहायता देना

*2801. **श्री डी०पी० जदेजा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या सरकार को पता है कि पंजाब सरकार लघु एककों को स्नातक इंजीनियरों और डिप्लोमाधारियों को रोजगार देने पर राजसहायता दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस तरह की कोई योजना केन्द्रीय सरकार के समक्ष है ?

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु और मध्यम दर्जे के ऐसे औद्योगिक यूनिटों को जो नए इंजीनियरी स्नातकों और डिप्लोमा धारियों को रोजगार देने के लिए सहमत हों, उन्हें पंजाब सरकार की योजना के आधार पर सहायता देने का निर्णय किया है। इंजीनियरी स्नातक को 400/=रु० मासिक और डिप्लोमा धारी को 250/=रुपये मासिक का वजीफा दिया जाएगा। वजीफों का खर्चा एक वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार और औद्योगिक यूनिटों द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाएगा । एक वर्ष की अवधि के बाद संबंधित औद्योगिक यूनिटों द्वारा सारा खर्चा वहन किया जाएगा । चालू वर्ष में इस उद्देश्य के लिए 50.0 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है। राज्य उद्योग निदेशकों के सहयोग से इस योजना को कार्यान्वित करने के प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

Search for Indian Articles of Historical Value in Foreign Countries.

2802. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Education and Social Welfare be pleased to state : whether Government propose to issue any directive to Indian Embassies in various countries to find out Indian articles of historical value scattered in various countries ?

Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): No, Sir. Government have no proposal under consideration to have such a directive to Indian Missions abroad. However, whenever it comes to the notice of any mission that an Indian antiquity has been taken abroad under suspicious circumstances, the matter is reported to the Central Government.

कपास की वसूली

*2803. **श्री आर० वी० बड़े** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के राज्य सहकारी विपणन संघ ने राज्य में कपास की एकाधिकारी वसूली के लिये केन्द्रीय सरकार से अपनी कार्यकर पूंजी के लिये 40 करोड़ रुपये देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र के उर्वरक निर्माताओं द्वारा विभिन्न प्रकार के आयातित उर्वरकों की माँग

*2804. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उर्वरक निर्माताओं ने, बीज और विपणन सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिये विभिन्न प्रकार के आयतित उर्वरकों की कितनी माँग की है;

(ख) क्या पूर्वी भारत में भारतीय उर्वरक निगम के संबंधन कार्य को योरुप से ए० एन० पी० के आयात की कमी के कारण काफी धक्का लगा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) वर्ष 1972-73 के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के उत्पादकों द्वारा बताई गई विभिन्न प्रकार के आयातित उर्वरकों की बीज संबंधी कार्यक्रमों की आवश्यकताएं नीचे दी गई हैं:—

विनिर्माता का नाम	अपेक्षित उर्वरकों की कुल मात्रा		
1. फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स (ट्रावन्कोर) लिमिटेड।	एन० पी० के०	18:18:18	25,000 मीटरी टन
		24:12:12	25,00 ,, ,,
		28:28:0	15,0000 ,, ,,
		14:28:14	10,000 ,, ,,
2. भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड।	यूरिया		1,75,000 ,, ,,
	ए एन पी		90,000 ,, ,,
	सी ए एन		70,000 ,, ,,
	अमोनियम सल्फेट		1,60,000 ,, ,,

(ख) और (ग) सामान के आयातित भंडार में कमी होने के कारण भारत के पूर्वी भाग में ए० एन०पी० के विकास में कुछ सीमा तक अवरोध उत्पन्न हो गया है। भारतीय उर्वरक निगस के बीज सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए आयातित ए० एन० पी० की मात्राओं को क्रय करने के पहले प्रयास सफल नहीं हुए थे क्योंकि यूरोप में उचित मूल्यों पर सामान उपलब्ध नहीं था। उर्वरक क्रय प्रतिनिधि मंडल हाल की चेष्टाओं के परिणामस्वरूप यूरोप से कुछ मात्रा में ए० एन० पी० का क्रय किया जा रहा है। यह भारतीय उर्वरक निगम के बीज सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिये पहले ही आयातित और आवंटित लगभग 10,00० मीटरी टन ए० एन० पी० मात्रा के अतिरिक्त है।

Allocation of Fund for Housing Facilities to Homeless and Flood Affected Persons in some States

2805. Shri M.S. Purty: Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether Government have collected any State-wise data in regard to number of homeless and flood affected persons and victims of natural calamities in Bihar, Uttar Pradesh, Bengal and Orissa ; and

(b) if so, the arrangements made by Government to allocate funds to these States or to provide housing facilities there ?

Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and in the Ministry of Works and Housing (Prof. D.P. Chattopadhyaya)

(a) This Ministry have not collected any data regarding the number of homeless persons in different States. Some data on the number of houseless persons in the country has been collected during the 1971 Census but tabulated results have not yet become available. This Ministry have no information regarding the number of persons affected by floods and other natural calamities in Bihar, Uttar Pradesh, Bengal ond Orissa.

(b) For providing housing facilities to the needy a number of social housing schemes introduced by the Ministry are being implemented by the State Governments. Majority of these schemes are in the State Sector and financial assistance therefore

is given by the Ministry of Finance in the shape of 'block loans' and 'block grants' for all the State Sector Schemes (including Housing) taken together without being tied to any particular scheme. This Ministry, however, sanction financial assistance for the following social 'housing' schemes which are in lhe Central Sector :—

(1) Subsidised Housing Scheme for Plantation Workers.

(2) Scheme for provision of house-sites to landless workers in rural areas.

Scheme at (1) above has been transferred to the Central Sector with effect from the year 1970-71 and the Scheme at (2) above has been taken up for implementation from the current financial year. There is also a scheme for grants to State Government for environmental improvement to slume in the larger cities. The Housing and Urban Development Corporation is also giving laons to State Housing Boards for viable housing schemes. The funds sanctioned/allocated so far to the four States are given below :—

(1) Subsidised Housing Scheme for Plantation Workers :

Name of Scheme	1970-71 Loan		1971-72 Loan		1972-73 Loan	
	Allocated	Drawn	Allocated	Drawn	Allocated	Drawn
West Bengal	Rs. 6.00 lakhs	Rs. 6.00 lakhs	Rs. 6.00 lakhs	Nil	Their requirements of funds is awaited.	

Other three States mentioned in the Questione are not implementing this Scheme.

(2) Scheme for provision of House-sites to Landless Workers in Rural Areas.

Name of State	Grant sanctioned during 1972-73
1. Bihar	Nil
2. Uttar Pradesh	Rs. 25.41 lakhs
3. West Bengal	Nil
4. Orissa	Rs. 8.40 lakhs

Financial assistance to State Governments for relief from floods and other natural calamities is sanctioned by ahe Ministry of finance under a Scheme of finaocial assistance towards expenditure incurred by them on account of such calamities on the basis of the proposals received from the State Governments. This Ministry have no information about such relief assistance sanctiond by the Ministry of Finance to these four States.

ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा चलाये जा रहे होस्टल

*2806. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा मुख्यत: केरल के पिछड़े क्षेत्रों में चलाये जा रहे होस्टलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उक्त होस्टल गिरजाघरों के अहातों में स्थित हैं; और

(ग) क्या उन्हें सरकारी अनुदान प्राप्त हो रहा है, और यदि हां, तो कितना ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग)—जानकारी राज्यों और संघ क्षेत्रों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही उसे सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

विभिन्न विश्वविद्यालयों के गैर-अध्यापक कर्मचारियों की सेवा संबंधी सुरक्षा

*2807. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में उन गैर अध्यापन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन की सेवाओं को गत वर्षों के दौरान समाप्त कर दिया गया;

(ख) इन कर्मचारियों को सेवा संबंधी सुरक्षा प्रदान करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन कर्मचारियों को सेवा संबंधी सुरक्षा प्रदान करने के लिये संविधान के अनुच्छेद 311 के अधीन कोई कानून बनाने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने औद्योगिक विधान के विषय क्षेत्र के अन्तर्गत शैक्षिक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के गैर-अध्यापन कर्मचारियों को शामिल करने के प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति की स्थापना की है। समिति का कार्य प्रगति पर है। यह प्रश्न भी मंत्रालय के विचाराधीन है।

ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्य सामग्री का वितरण

*2808. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्या सरकार देश के उन ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों की सूची तैयार करना चाहती है जहां स्थानीय रूप से खाद्यान्नों के सीमित उत्पादन के कारण वहां की उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्य सामग्री के वितरण के स्थायी प्रबंध किये जाने हैं; और

(ख) देश के अनेक बड़े क्षेत्रों में इस मार्ग को पूरा करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : जी हां, राज्य सरकारों से उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न का सरकारी वितरण करने, विशेषतया ग्रामीण और दुर्गम स्थानों पर अधिक उचित मूल्य की दुकानें खोलने और मौजूदा दुकानों से खाद्यान्न बढ़ाने के लिए कहा गया। सम्बन्धित राज्यों से जनजाति क्षेत्रों में आदिवासियों को

खाद्यान्नों की मौजूदा वितरण प्रणाली की समीक्षा करने और उपयुक्त योजना तैयार करने के लिए भी कहा गया है।

शहरी संपत्ति की अधिकतम सीमा संबंधी कानून के बारे में तमिल नाडु का उत्साह हीन होना

*2809 **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों विशेष रूप से तमिल नाडु, ने शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा संबन्धी प्रस्तावित कानून के बारे में अपने कुछ संदेह व्यक्त किये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख)

मैसूर, नागालैण्ड, मनीपुर, पांडीचेरी तथा तमिलनाडु ने अपने अन्तिम विचार अभी सूचित नहीं किये हैं।

मैसूर ने यह सूचित किया था कि चुनी हुई सरकार के बन जाने के पश्चात मामले पर विचार किया जायगा ; उनके विचारों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

नागालैण्ड ने यह सूचित किया था कि शहरी सम्पत्ति की सीमा का निर्धारण आवश्यक नहीं है, तथा फिर भी वे स्थिति पर ध्यान पूर्वक दृष्टि रखेंगे और जब कभी ऐसी कार्यवाही की आवश्यकता होगी वे भारत सरकार को सूचित कर देंगे।

तमिलनाडु ने यह सूचित किया है कि प्रस्ताव पेचीदा होने के कारण, इस पर राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय स्तर पर विधेयक लाने से पूर्व, इसके सब पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा। उन्होंने मामले की जांच के लिये एक समिति नियुक्त की थी। उनके अन्तिम विचारों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

मनीपुर ने यह सूचित किया है कि प्रस्तावित कानून को जनजातीय पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं लागू किया जाना चाहिए।

पांडीचेरी ने यह सूचित किया है कि उनको कानून बनाने पर कोई आपत्ति नहीं है परन्तु वे अपने विचारों को अन्तिमरूप देने से पहले तमिलनाडु सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करना चाहेंगे।

Road Accidents and Persons Challaned for Violating Traffic Rules.

2810. Shri Hukam Chand Kachwai : Will and **Minister of Shipping And Transport** deplaced to state.

(a) the number of persons challaned within the territory of Delhi city for violating traffic rules during the last two months ; and

The number of road accidents occurred within the territory of Delhi city during the said period ?

Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport. (Shri Om Mehta) :

(a) 31568 during June and July 1972.

(b) 812.

गेहूं का उत्पादन मूल्य

2811. **श्री विक्रम महाजन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि असिंचित भूमि पर गेहूं की प्रति क्विंटल उत्पादन लागत क्या है और योजना आयोग ने इस प्रयोजन हेतु किन आदर्श फार्मों पर विचार किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : हाल ही में विभिन्न राज्यों में प्रमुख फसलों की खेती की लागत के अध्ययन के लिए वृहत् योजना प्रारम्भ की गई है, जो गेहूँ के उत्पादन की लागत के सम्बन्ध में भी जानकारी प्रदान करेगी। फार्म प्रबन्ध सम्बन्धी अर्थ व्यवस्था के अध्ययन के लिए योजना के अन्तर्गत पहले कुछ चुने हुए जिलों के लिए गेहूँ के उत्पादन लागत पर भी कुछ आंकड़े एकत्रित किये गये थे। फिर भी न तो प्रमुख फसलों की खेती की लागत के अध्ययन हेतु कोई वृहत् योजना अनुस्थापित की गई है और न असिंचित भूमि अथवा माडल फार्म में गेहूं के प्रति क्विंटल उत्पादन की लागत के विशिष्ट मूल्यांकन के लिए फार्म व्यवस्था के अध्ययन की योजना बनाई गई है।

छोटा नागपुर के आदिवासियों के लिये आदर्श योजना

2812. **श्री एम० एस० पुरंसी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के छोटा नागपुर के लोगों को वहां पर उपलब्ध प्रचुर खनिज सम्पत्ति का लाभ नहीं मिल रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार वहाँ के आदिवासियों के विकास के लिए जो कि आर्थिक तथा सामाजिक तौर पर पिछड़े हुये हैं, सामाजिक, आर्थिक तथा तकनीकी आधार पर कोई आदर्श योजना बनाने का विचार है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) : जानकारी राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही उसे सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

कीटनाशी औषधियों के छिड़काव वाले अनाज का मानव पर प्रभाव

2813. **श्री वी० आर० शुक्ल :**

श्री फतेह सिंह राव गायकवाड़ :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस फसल का अनाज जिस पर कीटनाशी औषधियों का छिड़काव किया गया हो, उन पुरुषों को नपुंसक बनाता है जो यह अनाज खाते हैं ; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि ब्रिटेन तथा अमरीका में वैज्ञानिकों द्वारा किये गये प्रयोगों से उक्त बात का पता लगा है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) हमारे वैज्ञानिकों के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

वीरभूम (पश्चिम बंगाल) में ग्रामीण अशिक्षित बेरोजगारों के लिये द्रुत योजना के अन्तर्गत कार्य का निष्पादन

2814. **श्री गदाधर शाहा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वीरभूम के ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने हेतु द्रुत योजना के अन्तर्गत कार्य के कितने प्रस्ताव पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिला अधिकार से प्राप्त हुये हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा कितने प्रस्तावों के लिये मंजूरी दे दी गई है ;

(ख) उन ब्लाक आफिसों की संख्या तथा नाम क्या हैं जिसकी योजनायें मंजूर हो गई हैं और जिन पर स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत कार्य आरम्भ हो गया और उन पर अब तक कितना कार्य हुआ है ;

(ग) अब तक कितने बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिया गया और वीरभूम के लिये चालू वर्ष में मंजूर कुल साढ़े बारह लाख रुपये की धन राशि में से अब तक कितनी राशि इस योजना के अन्तर्गत हो रहे कार्य पर खर्च की गई है ; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में कितनी धनराशि खर्च की जानी शेष है ; और वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में ब्लाक-वार निष्पादन के लिये विचाराधीनता तथा शुरू किये जाने वाले कार्यों सम्बन्धी प्रस्ताव क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) (क) से (घ) : राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

बम्बई से गोवा तथा केरल के समुद्र तटों तक यात्री समुद्री जहाज सेवा

2815. **श्री एस० ए० मुरुगनतम** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई से गोआ तथा केरल के समुद्र तट तक यात्री समुद्री जहाज सेवा की सम्भाव्यता की जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख) बम्बई से पानाजी को चोगुले कम्पनी द्वारा एक यात्री सेवा का परिचालन पहले से ही है । जहाँ तक बम्बई और केरल के बीच यात्री सेवा का सम्बन्ध है, कुछ दिन हुए इस मामले पर विचार किया गया था, परन्तु संभावित हानियों के कारण, इस सेवा का चलाना साध्य नहीं पाया गया ।

आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर खर्च

2816. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी क्षेत्रों के सामान्य आर्थिक विकास के लिए सरकार ने कोई धनराशि मंजूर की है ; और

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं ; जिनमें कार्य पहले ही आरम्भ हो चुका है और सरकार इसके लिये कुल कितनी धनराशि खर्च करने जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) तथा (ख) भारत सरकार ने देश में आदिवासी क्षेत्रों के चौतरफा विकास के लिये 504 आदिम जाति विकास खण्ड मंजूर किये हैं जो निम्नलिखित कसौटियों को पूरा करते हैं :—

(1) क्षेत्रफल 150-200 वर्ग मील ;

(2) कुल आबादी 25,000 ;

(3) आदिवासियों की जनसंख्या 66.2/3%

(4) एक सामान्य प्रशासनिक एकक के रूप में चलाये जाने की क्षमता ।

प्रत्येक आदिवासी विकास खण्ड, दूसरी पंचवर्षीय योजना से, जब वे खण्ड प्रारम्भ किए गए थे, वर्षों की अवधि के लिए 42 लाख रुपये की धनराशि पाने का पात्र है ।

केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने भी देश में पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों के लिये 6 विशेष मार्गदर्शी परियोजनाएं मंजूर की हैं । इन परियोजनाओं के अन्तर्गत ये क्षेत्र आते हैं ।

(1) मध्य प्रदेश में बस्तर (2 परियोजनाएं) (2) आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, (3) उड़ीसा में गंजम तथा कोरापुट और (4) बिहार में सिंगभूम । चतुर्थ योजना की शेष अवधि के लिए प्रत्येक

परियोजना का 1.50 करोड़ रुपये का परिव्यय है। इन परियोजनाओं का लक्ष्य उन क्षेत्रों का समन्वित आर्थिक विकास करना है जो आदिवासी लोगों द्वारा सघन रूप से आबाद हैं।

आन्ध्र प्रदेश में चीनी मिल मजदूरों के लिये उनकी राजनैतिक गति विधियों के बारे में आचरण सम्बन्धी नियम

2817. **श्री पी० नरसिन्हा रेड्डी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में सहकारी चीनी मिलों के प्रबन्धकों को उनके कर्मचारियों द्वारा किसी राजनीतिक दल का सदस्य बनने अथवा चुनाव में किसी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पर रोक लगाने की बात को उप-नियमों में शामिल करने की अनुमति दे दी गई है ; और

(ख) इस संवैधानिक उल्लंघन के निराकरण के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे) : (क) चीनी निदेशक, सहकारी विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में चीनी तैयार कर रहे सभी सहकारी चीनी कारखानों को भेजे गए परिपत्र में उनकी उप-विधियों में निम्न प्रारूप संशोधन अपनाने का सुझाव दिया गया था :—

कारखाने का कोई भी कर्मचारी संसद अथवा राज्य विधान मण्डल अथवा स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के सम्बन्ध में न पक्ष-प्रचार करेगा अथवा अन्यथा हस्तक्षेप करेगा अथवा अपने प्रभाव का प्रयोग करेगा अथवा उनके चुनाव के लिए खड़ा होगा अथवा उसमें भाग लेगा। तथापि, वह एक साधारण मतदाता के रूप में अपना मतदान कर सकता है।

(ख) : उपर्युक्त सुझाव में अन्तर्ग्रस्त संवैधानिक औचित्य अथवा अन्यथा की जांच की जाएगी।

बड़े नगरों में भूमि की बिक्री पर प्रतिबन्ध

2818. **श्री बी० बी० नायक** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, हैदराबाद और बंगलौर जैसे महानगरों में काले धन से भूमि के सट्टे व्यापार को खत्म करने हेतु कुछ निश्चित वर्षों तक शहरी भूमि का क्रय-विक्रय बन्द करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो मध्यम तथा निम्न आय वर्ग के लोगों को लाभ के लिये शहरी भूमि के मूल्य पर किस प्रकार नियंत्रण करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपध्याय) : (क) तथ' (ख) : भारत सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, परन्तु कुछ राज्य सरकारों ने थोड़ी अवधि के लिये नगरीय भूमि

के सौदों पर पाबंदी का कानून पारित किया है ताकि नगरीय सम्पत्ति की सीमा पर रोक लगाने के पीछे जो उद्देश्य है वह समाप्त न हो जाये। तथापि, राज्य सरकारों को आवास के लिये बड़े पैमाने पर भूमि के अर्जन तथा विकास के लिये सहायता देने हेतु भूमि अर्जन तथा विकास योजना नाम की एक स्कीम 1959 में आरंभ की गई थी। योजना का उद्देश्य निम्न तथा मध्यम आय वर्गों के भावी आवास-निर्माताओं को उचित लागत पर आवास-स्थल देकर भूमि के मूल्यों में स्थिरता लाना तथा किरायों को बढ़ने से रोकना है। फिलहाल, योजना राज्य क्षेत्र में शामिल की गई है तथा इस के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को प्रतिवर्ष नियत की गई केन्द्रीय खण्ड सहायता में सम्मिलित की जाती है। कुछ राज्यों में यह योजना इस मंत्रालय द्वारा नियत किये गये जीवन बीमा निगम के ऋणों से चलाई जाती है। राज्य सरकारें योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यक्रम निर्धारित करने और अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार उनके लिये निधियों का नियतन करने में स्वतन्त्र हैं।

आवास तथा नगर-विकास की राष्ट्रीय नीति के विकास पर अप्रैल, 1972 में हुई गोष्ठी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि समुदाय के सामूहिक लाभ हेतु नगरीय भूमि में सौदे बाजियों से होने वाले लाभ तथा उनके मूल्यों में होने वाली अनर्जित वृद्धि को समाप्त करने की दृष्टि से नगरीकरण योग्य सभी भूमि का समाजीकरण किया जाना चाहिए। हाल ही में, जुलाई, 1972 में हुए आवास, नगर-आयोजना तथा नगर-विकास के राज्य मंत्रियों के सम्मेलन ने भी इस सिफारिश का समर्थन किया है। नगरीकरण योग्य भूमि का समाजीकरण करने की नीति का वास्तविक उद्देश्य तथा उसकी प्राप्ति के तरीकों को अभी निश्चित किया जाना है।

25 वर्षों की बंगला कविताओं का संकलन

*2819. **श्री समर गुह:** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने 25 वर्षों की बंगला कविताओं के चयन संकलन का कार्य श्री सुभाष मुखर्जी को सौंपा है और यदि हां, तो क्या इसे 16 भारतीय भाषाओं में अनूदित किया जायेगा ;

(ख) किन-किन कवियों की कविताओं का चयन किया गया है ;

(ग) क्या सुधीन्द्र नाथ दत्त, जीवन्तनन्द दास, अमिय चक्रवर्ती, समर सेन, वृद्ध देव बोस तथा कुछ अन्य विख्यात कवियों की कविताएँ इसमें सम्मिलित नहीं की गई हैं और उसके क्या कारण है ; और

(घ) सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं ताकि यह प्रकाशन 25 वर्षों की सृजनात्मक कविताओं का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी): (क) स्वतंत्रता के बाद से भारतीय कविता की चयनिका का प्रकाशन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को सौंप

दिया गया है, बंगला अनुभाग का संकलन श्री सुभाष मुखर्जी को सौंपा गया है। इस समय इसका केवल हिन्दी तथा अंग्रेजी में ही अनुवाद प्रकाशित करने का प्रस्ताव हुआ है।

(ख) सूची संलग्न है।[**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–3453/72**]

(ग) उल्लिखित कवियों की कविताओं में से केवल समर सेन की कविता को चयनिका में स्थान नहीं मिला है।

(घ) सभी चयनिकाओं में आम प्रतिबन्धों के अधीन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से संकलन को किसी सुप्रसिद्ध बंगला कवि को सौंपकर और उसके सग्रह पर दो विख्यात बंगला के समालोचकों के विचार प्राप्त करके साहित्य की झांकी का प्रतिनिधि बनाने का भरसक प्रयत्न किया गया है।

पश्चिम बंगाल में उच्चतर माध्यमिक और तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम का पुनर्गठन

*2820. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल में उच्चतर माध्यमिक और तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम का पुनर्गठन करने के प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या उक्त परिवर्तनों का प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से और देश के अन्य राज्यों में प्रचलित उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और कालेज शिक्षा के ढांचे के अनुरूप और पिछले शिक्षा आयोग की सिफारिश के अनुसार किया गया ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूप-रेखा क्या है :

(ग) क्या शिक्षा के ढांचे में समन्वय और सामंजस्य लाने के लिये सब राज्यों के शिक्षा मन्त्रियों की एक बैठक की जानी है ; और

(घ) क्या शिक्षा मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के स्कूल और कालेज शिक्षा के ढांचे का पुनर्गठन करने के विचार अथवा प्रस्ताव के कारणों के बारे में जांच की है अथवा करेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के०एस० रामास्वामी) : (क) से (घ) : भारत सरकार को पश्चिम बंगाल में उच्चतर माध्यमिक और तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के पुनर्गठन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। तथापि, यह पता चला है कि दो वर्षों के इण्टरमीडिएट पाठ्यक्रम और दो वर्षों के डिग्री (पास) पाठ्यक्रम तथा तीन वर्षों के आनर्स पाठ्यक्रम का एक प्रस्ताव कलकत्ता विश्वविद्यालय के विचाराधीन है। राज्य सरकार का ध्यान भारत सरकार की राष्ट्रीय नीति के संकल्प की ओर दिलाया गया है जिसमें देश के लिए 10 वर्षों के स्कूल पाठ्यक्रम और उस के बाद दो वर्षों के उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम और उसके बाद तीन वर्षों के डिग्री पाठ्यक्रम के एक मोटे तौर पर एक समान ढांचे की सिफारिश की गई है। क्योंकि कुछ अन्य राज्य भी दो वर्षों का डिग्री पाठ्यक्रम लागू करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं अतः मई, 1972 में हुई शिक्षा सचिवों और शिक्षा निदेशकों की बैठक में एक संकल्प पारित किया

गया जिसमें राज्य सरकारों से केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा इस मामले की जाँच किए जाने तक पूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए अनुरोध किया गया है। इस मामले पर 18 सितम्बर, 1972 को होने वाली केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की अगली बैठक में विचार किया जाएगा।

देर से हुई वर्षा से अगली फसल पर प्रभाव

*3821 **श्री समर गुह :**

डा० कर्णीसिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में अगली मुख्य फसलों की सम्भालना के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या वर्षा की कमी का प्रभाव खेती पर पड़ेगा और यदि हां, तो अगली फसल के कितना कम होने की सम्भावना है ; और

(ग) देश के विभिन्न भागों में सूखे तथा कम वर्षा के कारण उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिये पहले क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : देश के अधिकांश राज्यों से ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि मानसून में विलम्ब होने के कारण जून और जुलाई के दौरान वर्षा की कमी और एक-जैसी वर्षा न होने से कुछ क्षेत्रों में खरीफ की फसलों की बुआई/प्रतिरोपण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। देश के अधिकांश भागों में अगस्त के शुरू की वर्षा खड़ी फसलों के लिए लाभदायक सिद्ध हुई है और इससे कुछ क्षेत्रों में मुख्य फसलें या मध्यवर्ती फसलें भी फिर से बोई जा सकेंगी। कुल मिलाकर देखा जाये तो ऋतु की सम्भाव्यतायें शेष भाग के मौसमी वातावरण से काफी हद तक प्रभावित होंगी। खरीफ की फसलों के उत्पादन में संभाव्य असफलता या कमी के विषय में इस समय कोई पूर्वानुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(ग) स्थिति का सामना करने के लिए उठाए जा रहे मुख्य कदमों में आपातकालीन योजनाओं के माध्यम से सिंचाई के जल की सप्लाई को बढ़ाना, खरीफ की फसलों को फिर से बोने के लिए सहायक उपाय करना, आवश्यकतानुसार बीजों और अन्य आदानों की सप्लाई करके मध्यवर्ती फसलों की खेती करके और आगामी रबी और ग्रीष्मकालीन फसलों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए अग्रिम कार्यवाही शुरू करना शामिल है। मन्त्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने अनेक राज्यों का दौरा किया है और राज्य सरकारों ने अनेक योजनाओं की शीघ्र क्रियान्विति के लिए सहमति व्यक्त की है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा अधिकृत भवन को खाली कराया जाना।

*2822. **श्री सी० के चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राँगण में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अधिकार में जो भवन है उसे खाली करा लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उससे खाली कराने में कितना समय लगेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) : राष्ट्रीय स्वयं सेवक के कब्जे में भवन को खाली करवाने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा दायर की गयी सिविल याचिका न्यायालय में पड़ी हुई है ।

फालतू प्रशिक्षित शिक्षकों को उन विषयों में प्रशिक्षण देना जिनकी मांग है

*2823. **श्री बनमाली पटनायक :**

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में स्नातक तथा स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक बेरोजगार हैं और सभी स्तरों पर प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिये कोई आयोजना तथा समन्वय नहीं हैं ;

(ख) क्या कुछ विषयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की मांग है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या फालतू प्रशिक्षित स्नातक तथा स्नातकोत्तर शिक्षकों को जिन विषयों में उनकी मांग है उन विषयों में थोड़े समय का प्रशिक्षण देकर उनकी 'सेवाओं का उपयोग करने की वांछनीयता पर विचार किया गया है , और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) : उपलब्ध सूचना के अनुसार 31-12-1971 को रोजगार कार्यालय में, दर्जे, स्नातक तथा स्नातकोत्तर प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या क्रमशः 22683 तथा 4704 थी । चूँकि स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों के रिक्त होने वाले पदों के अनुसार अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों को नियंत्रित कर दिया गया है अतः यह संख्या किसी भी समय बहुत अधिक नहीं थी ।

जबकि प्रशिक्षित अध्यापकों की माँग है और इस बात की भी जानकारी है कि किन-किन विषयों के अध्यापकों की आवश्यकता है अतः इस संबंध में अल्प-कालिक प्रशिक्षण देना अनिवार्य नहीं समझा गया है । समुचित रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों के लिए अध्ययन के पूर्ण पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं ।

कच्छ के बान्नी क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या को हल करने सम्बन्धी योजना

*2824. **श्री वेकारिया :**

श्री सोम चन्द सोलंकी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ जिले में बान्नी क्षेत्र में पीने के पानी की गम्भीर समस्या है ;

(ख) क्या उस क्षेत्र में पाइप लाइनों द्वारा पानी सप्लाई करने सम्बन्धी गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है और यह योजना कब तक क्रियान्वित की जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) :

(क) जी हां ।

(ख) और (ग) ग्राम जल पूर्ति के त्वरित कार्यक्रम के अधीन गुजरात सरकार ने हाल ही में बान्नी क्षेत्र के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए 79.65 लाख रुपये की अनुमानित लागत की एक योजना की मंजूरी के लिए भेजा था । इसे वित्तीय रूप से व्यवहार्य न पाये जाने के कारण इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस योजना को चलाने की मंजूरी नहीं दी गई ।

अनाज का बफर स्टाक

*2825. **डा० कर्णी सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास इस समय अनाज का कितना बफर स्टाक है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : अगस्त, 1972 के प्रारम्भ में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पास खाद्यान्नों का कुल प्रत्यक्ष स्टाक लगभग 82 लाख मीटरी टन था । 25 लाख मीटरी टन को परिचालन स्टाक मानते हुए लगभग 57 लाख मीटरी टन का बफर स्टाक था ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कर्मचारियों द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में लेख याचिका दायर किया जाना

*2826. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रधान कार्यालय के कुछ कर्मचारियों ने जून, जुलाई, 1970 में यूनियन आफ इण्डिया के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में लेख याचिका दायर की थी ;

(ख) क्या सरकार की ओर से उत्तर तैयार करने तथा लेख याचिका से सम्बद्ध अन्य कार्य करने के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कुछ सरकारी तथा गैर-सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को मानदेय (आनरेरियम) दिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो उन विभिन्न अधिकारियों तथा कर्मचारियों के नाम क्या हैं जिनको मानदेय मंजूर किया गया और उनमें से प्रत्येक को कितनी राशि दी गयी ; और

(घ) क्या मानदेय की मंजूरी किसी निगम के अन्तर्गत अनुज्ञेय थी और क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को वर्ष 1966 में आई० ए० आर० आई० के कर्मचारियों द्वारा दायर की गयी ऐसी ही लेख याचिका के सम्बन्ध में कोई मानदेय दिया गया था ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सामने लिखा हुआ मानदेय स्वीकृत किया गया था :—

1. श्री वी० एस० यादव, अवर सचिव	1,000.00 रुपये
2. श्री दरबारी लाल, अनुभाग अधिकारी	500.00 रुपये
3. श्री ए० आर० जैन, अनुभाग अधिकारी	500.00 रुपये
4. श्री वी० कृष्णमूर्ति, सहायक	450.00 रुपये
5. श्री लाल चन्द, वैयक्तिक सहायक	450.00 रुपये
6. श्री टी० वी० कृष्णामूर्ति,- वैयक्तिक सहायक	200.00 रुपये

(घ) जी हां । वर्ष 1966 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कर्मचारियों द्वारा दायर की गई इस प्रकार की लेख याचिका के सम्बन्ध में भारतीय कृषि अनुसँधान परिषद् के किसी अधिकारी या कर्मचारी को मानदेय नहीं दिया गया था ।

दिल्ली के अस्पतालों में इलाज किये गये मनोविकृति रोगियों की संख्या

*2827. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में मनोविकृति विज्ञान विभाग, पन्त अस्पताल, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली तथा मानसिक रोग अस्पताल, शाहदरा में इलाज के लिये कितने रोगी आये ;

(ख) कितने रोगी ठीक किए गये ; और

(ग) कितने रोगियों को वर्ष 1972 में ठीक किये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू)

		गोविन्द वल्लभ पंत अस्पताल, नई दिल्ली	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल	मानसिक रोग अस्पताल, शाहदरा
(क) मनोविकृत्ति चिकित्सा विभाग में इलाज के लिए आये रोगियों की संख्या	1970	9653	7204 (1270-71 में)	15760
	1971	10828	6882 (1971-72 में)	25127
(ख) कितने रोगी ठीक किए गए; और	1970	466	(*)	538
	1971	465		557
(ग) कितने रोगियों की वर्ष 1972 में ठीक किए जाने की सम्भावना है।		425	ऐसे ही परिणामों की आशा है।	540

*मनश्चिकित्सीय इलाज लम्बे समय तक चलने वाला इलाज है। शुरू में पूर्णतः नीरोग करने के बारे में बताना और उसका निर्धारण करना कठिन है। 1970-71 और 1971-72 के दौरान जो रोगी बहिरंग विभाग में इलाज के लिए गए अथवा अंतरंग रोगी के रूप में भर्ती हुए उनमें से लगभग 30 प्रतिशत रोगी पूरी तरह से रोग मुक्त हो गए। बाकी में से 50 प्रतिशत रोगियों में काफी सुधार आ गया जिससे कि वे समाज में उचित रूप से समा सकें। यह आशा की जाती है कि बाकी 50 प्रतिशत फिर से समाज में रहने योग्य बन जाएंगे।

**छुट्टी दिए गए रोगियों की संख्या।

दिल्ली विश्वविद्यालय के एम. बी. ए. पाठ्यक्रमों में दाखिला

2828. **कुमारी कमला कुमारी:** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 तथा 1971 में दिल्ली विश्वविद्यालय में मास्टर आफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पाठ्यक्रम में दाखिले के सम्बन्ध में क्या कसौटियां अपनायी गयी थीं ;

(ख) क्या समाचार एजेन्सियों के व्यक्तियों के लिए कोई आरक्षण नहीं किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं।

शिक्षा समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो. एस. नुरुल हसन) (क) बिजनेस प्रबन्ध और औद्योगिक विभाग में मास्टर आफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पाठ्यक्रम हैं अर्थात (1) नए

स्नातकों के लिए मास्टर आफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (पूर्णकालिक) और कार्यकारी व्यवसायियों के लिए (अंशकालिक)। इन प्रत्येक पाठ्यक्रमों में दाखिला के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कसौटी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) जी नहीं। प्राइवेट और पब्लिक क्षेत्रों के सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए अंशकालिक पाठ्यक्रम चालू है और इनको पाठ्यक्रम में प्रति योगिका के लिए बराबर अवसर दिये जाते हैं।

विवरण

शैक्षणिक वर्ष 1970-71 और 1971-72 के लिए दाखिले के लिए कसौटी।

(1) मास्टर आफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (पूर्णकालिक) :

मास्टर आफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पाठ्य क्रम के प्रथम वर्ष में दाखिला के लिए उन उम्मीदवारों से आवेदन लिये जायेंगे जिन्होंने कला, विज्ञान-समाजविज्ञान, वाणिज्य और प्रोद्योगिकी में स्नातक डिग्री परीक्षा में कम से कम 50% पूर्णयोग अंक लिए हैं। गणित इंजिनियरी वाणिज्य, अर्थशास्त्र, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान जैसे विषयों के शिक्षण से आने वालों को वरीयता दी जायेगी। स्नातकोत्तर, डिप्लोमा या उल्लिखित शिक्षण में से किसी में प्रमाण पत्र या विधि सांख्यिकी प्रचालन अनुसंधान लोक प्रशासन और दिल्ली विश्वविद्यालय की महिलाओं के लिए कार्यालय पर्यवेक्षण में स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम वालों को आवश्यक न्यूनतम अंकों से छूट दी जायेगी। बशर्ते कि लड़के या लड़की ने ऐसी परीक्षा में कम से कम कुल योग में 50% अंक प्राप्त किए हों।

2. मास्टर आफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पाठ्यक्रम में दाखिला निम्नलिखित कसौटी की योग्यता के आधार पर दिया जाएगा।

(क) उम्मीदवार का पिछला शैक्षिक रिकार्ड,

(ख) विभाग द्वारा संचालित विचार धारा और दाखिला परीक्षा में उम्मीदवार के प्राप्त अंक,

(ग) विभाग द्वारा लिए हुए इन्टरव्यू में उम्मीदवार के अंक,

(2) मास्टर आफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (अंशकालिक) :

1. ऐसे प्रत्येक उम्मीदवार को मास्टर आफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पाठ्यक्रम में दाखिला दिया जायेगा जिसने दिल्ली विश्वविद्यालय से कला, विधि, वाणिज्य, विज्ञान इंजीनियरी या प्रोद्योगिकी में स्नातक डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण की हो या उनके समान मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से कम से कम पूर्णयोग में 45% अंक लेकर स्नातक डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण की हो या निम्नलिखित अन्य योग्यताएं रखता हो।

उस लड़के या लड़की को कम से कम दो वर्ष का औद्योगिकी स्थापना या वाणिज्य में

अवर कार्यकारी स्तर का अनुभव हो और उन्हें वाणिज्य संचालन का अनुभव भी हो। वे (लड़का या लड़की) नियोक्ता द्वारा प्रायोजित किए गए हों।

टिप्पणी:– कोई सरकार या अर्धसरकारी संगठन या पब्लिक उपयोगी फर्म जिसका वाणिज्य का कार्य है, उम्मीदवारों को प्रायोजित कर सकते हैं बशर्ते कि उत्तरदायी उम्मीदवार को अवर कार्यकारी स्तर का कम से कम दो वर्ष का अनुभव है।

प्रथम वर्ष मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (अंशकालीन) पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए उम्मीदवारों का चुनाव उनकी शैक्षणिक उपलब्धता, में प्रायोजिता तथा अन्तिम साक्षात्कार के आधार पर किया जाता है।

सांध्यकालीन विधि केन्द्र (ला सेन्टर) दिल्ली विश्वविद्यालय में राज्यों के लिए स्थानों का आरक्षण

2829. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि कालेज के सांध्यकालीन विधि केन्द्र (मंदिर मार्ग) में दाखिले के लिए राज्यों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो. एस. नुरुल हसन) : (क) और (ख) जी, नहीं। दाखिले विश्व-विद्यालय द्वारा निर्धारित प्राविधियों के अनुसार योग्यता के आधार पर किये जाते हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय में एल. एल. बी. का पत्राचार पाठ्यक्रम

2830. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली विश्वविद्यालय तथा अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में एल. एल. बी. का पत्राचार पाठ्यक्रम आरम्भ करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो. एस. नुरुल हसन) : (क) जी, नहीं। अध्ययन के ऐसे पाठ्यक्रमों को चालू करना विश्वविद्यालयों का काम है, जिन्हें वे अपने अधिनियमों और संविधिकों के ढांचे में आवश्यक समझते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सामरिक महत्व की सड़कों के निर्माण के लिये पंजाब सरकार से सहायता का अनुरोध

2831. **श्री सुखदेवप्रसाद वर्मा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पंजाब सरकार ने राज्य में सामाजिक महत्त्व की सड़कों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख) सामाजिक महत्त्व के सड़क निर्माण कार्य, जिनकी लागत लगभग 23 करोड़ रुपये का अन्दाजा लगाया है और जिसे केन्द्रीय सरकार का शत प्रति-शत सहायता अनुदान उपलब्ध है, पहले ही प्रक्रिया और निर्माण के विभिन्न चरणों में है। कोई नई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

बिहार राज्य में थोक बाजार के लिये सहायता

2832. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार राज्य में थोक बाजार का विकास करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार से कितनी सहायता मांगी गई है और इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (अण्णासाहेब पी. शिन्दे) : (क) और (ख) : बिहार सरकार ने राज्य में 50 चुनींदा नियमित बाजारों के विकास के लिए एक परियोजना तैयार करके उसे अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, विश्व बैंक से सम्बद्ध) से सहायता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को भेजा है। भारत सरकार के अनुरोध पर अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा परियोजना का मूल्यांकन किया गया और उसके लिए 140 लाख अमरीकी डालर (10.16 करोड़ रुपये) की सहायता स्वीकृत की गई। कार्यान्वित की जा रही परियोजना में भारत सरकार से प्राप्त कुछ वित्तीय सहायता भी सम्मिलित है। कृषि मन्त्रालय की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत नियमित बाजारों के विकास की दृष्टि से अन्य राज्यों के साथ-साथ बिहार के कुछ चुनींदा नियमित बाजारों के लिए विपणन समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सकती है ताकि वे बाजारों के विकास के लिए संस्थागत वित्त प्राप्त कर सकें।

प्रौढ़ शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय नीति

2833. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा:**

श्री अरविन्द नेताम

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति निश्चित करने के बारे में विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय मे उप मंत्री (श्री के. एल. रामास्वामी) : (क) और (ख) प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली नीति पहले ही "राष्ट्रीय शिक्षा नीति" में शामिल की गई है। तथापि सरकार विशेषरूप से 15 से 25 वर्ष के युवकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे और अधिक व्यापक बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है। इस पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनी अगली बैठक में विचार किया जाएगा।

डी० आई० जैड क्षेत्र, नई दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना के दो दुग्ध केन्द्र (बूथ) खोलने के सम्बन्ध में हुई प्रगति

2834. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** :

श्री सतपाल कपूर :

क्या **कृषि मंत्री** 20 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 707 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेक्टर 'डी,' डी० आई० जैड० क्षेत्र, नई दिल्ली, में दिल्ली दुग्ध योजना के दो और दुग्ध केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) उन्हें कब तक खोला जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) डी० आई० जैड० क्षेत्र के 'डी' सेक्टर में ही चुने हुए दो स्थलों पर दुग्ध केन्द्रों के निर्माण के लिये नई दिल्ली नगर पालिका की स्वीकृति की प्रतीक्षा है। नगर पालिका से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् इन स्थलों को उन स्थानों में सम्मिलित कर लिया जायेगा जिन पर सरकार से स्वीकृति मिलने पर, दिल्ली दुग्ध योजना अपने विस्तार कार्यक्रम के अगले क्रम में नए केन्द्र बनायेगी।

(ख) अभी कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती है।

राज्यों में आवास समस्या के हल के लिये सहायता

2835. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास समस्या हल करने से लिये राज्यों की सहायता करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) तथा (ख) :

निम्न आय वर्ग के लोगों की आवास सम्बन्धी स्थिति में सुधार के लिये सरकार ने राज्य सरकारों की सहायता करने के लिये 1952 से कई सामाजिक आवास योजनाएं प्रारम्भ की हैं। उनमें से निम्नलिखित योजनायें इस समय राज्य क्षेत्र में हैं: —

1. औद्योगिक कर्मचारियों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना (1952)।
2. निम्न आय वर्ग आवास योजना (1954)।
3. गन्दी बस्ती सफाई/सुधार योजना (1956)।
4. ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम (1957)।
5. मध्यम आय वर्ग आवास योजना (1959)।
6. राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये किराया आवास योजना (1959)।
7. भूमि अर्जन तथा विकास योजना (1959)।

इन योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता राज्य क्षेत्र की सभी योजनाओं के लिये राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जा रही केन्द्रीय खण्ड सहायता में सम्मिलित है। राज्य क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कार्यान्वित किये जाने वाले कार्यक्रमों के निर्धारण के लिये राज्य सरकारें स्वतन्त्र हैं तथा उनके लिये निधियाँ उनकी अपनी आवश्यकताओं एवम् प्राथमिकताओं के अनुसार नियत की जाती हैं।

2. इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित योजनाएं केन्द्रीय क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही हैं:—

(i) बागान कर्मचारियों के लिये सहायता प्राप्त आवास योजना।

(ii) ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की योजना।

ऊपर (i) में उल्लिखित योजना 1956 में प्रारम्भ की गई थी। अप्रैल, 1970 से केन्द्रीय क्षेत्र में स्थानान्तरित किये जाने तक यह योजना राज्य क्षेत्र की योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही थी। ऊपर (ii) में उल्लिखित दूसरी योजना केवल चालू वित्तीय वर्ष के आरम्भ से ही कार्यान्वित करने के लिये 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि पहली योजना के कार्यान्वयन के लिये 75 लाख रुपये की एक अन्य राशि की व्यवस्था की गई है।

इन योजनाओं की मुख्य विशेषताएं संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

3. इन योजनाओं के अतिरिक्त 'आवास तथा नगर-विकास निगम' के नाम का एक केन्द्रीय सरकार का उपक्रम 10 करोड़ रुपये की साम्य पूंजी से हाल ही में स्थापित किया गया है। व्यवहार्य आवास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिये राज्य सरकारों तथा राज्य

आवास बोर्डों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु निगम द्वारा पर्याप्त आवर्तक निधि संयोजित किए जाने की आशा की जाती है।

4. कुछ बड़े शहरों में ऐसी गन्दी बस्तियों के वातावरण सम्बन्धी सुधार के लिये शत-प्रतिशत अनुदान देने के लिए भी एक योजना है जिनका अगले कई वर्षों में (जिन्हें 10 वर्षों से कम करके 5 वर्ष करने का प्रस्ताव है) पुनः निर्माण नहीं हो सकता। इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 15 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है।

जर्मन के सहयोग से बने नये ट्रैक्टर की कीमत तथा उसका कार्यकरण

2836. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी के सहयोग से बनाया गया नया ट्रेक्टर डी० डब्ल्यू० वी० टी० जैड० 40 एच० पी० माडल डी० 4006 बाजार में आ चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी कीमत तथा उसके कार्यकरण का विवरण क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय सहयोगकर्त्ता मैसर्ज किरलोस्कर ट्रैक्टर्स लिमिटेड द्वारा जोड़ने के लिए पश्चिम जर्मनी हाल में 500 ड्यूटेज माडल 4006 ट्रैक्टरों का आयात किया गया है।

(ख) भारत सरकार द्वारा कारखाने से पूर्व इस ट्रैक्टर का विक्रय मूल्य 41,717 रु० स्वीकृत किया गया है। ट्रैक्टर प्रशिक्षण एवं परीक्षण केन्द्र बुदनी में ट्रैक्टर का निरीक्षण किया गया है। कुछ समय क्षेत्र में कार्य करने के बाद इसके कार्य-निष्पादन का पता चलेगा।

चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिये मैसूर से अनुरोध

2837. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य ने देश में चीनी उद्योग के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) : जी नहीं।

(ख) : प्रश्न ही नहीं उठता।

चयन समिति के एक सदस्य का दिल्ली स्थित भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान में एक प्रोफेसर के रूप में चयन किया जाना

2838. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी:**
श्री जगन्नाथ राव जोशी

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान की चयन समिति ने समिति के एक

सदस्य का संस्थान के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के पाठ्यक्रम विकास सेल का प्रोफेसर नियुक्त किये जाने के लिये चयन किया है, और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) जी नहीं। सही स्थिति यह है कि पाठ्यचर्या विकास के प्रोफेसर का पद विज्ञापित किया गया था तथा कानूनों के अनुसार प्रवरण-समिति गठित की गई थी। प्रवरण समिति ने उम्मीदवारों से साक्षात्कार के बाद उस पद के लिए किसी भी व्यक्ति को उपयुक्त नहीं पाया। अतः इसने सिफारिश की कि चूंकि इस पद के लिए अनुभव तथा नेतृत्व के गुणों वाले व्यक्ति की आवश्यकता है, अतः सिविल इंजीनियरी विभाग के विद्यमान प्रोफेसरों में से किसी एक को पाठ्यचर्या विकास का कार्य सौंप देना चाहिए तथा उसके फलस्वरूप रिक्त होने वाले स्थान को विभाग के सहायक प्रोफेसर में से भरा जाए। संस्थान के शासी निकाय ने सिफारिश का पहला भाग स्वीकार कर लिया, किन्तु यह निर्णय किया कि उसके परिणामस्वरूप रिक्त होने वाले स्थान को सामान्य भर्ती प्रक्रिया से भरा जाना चाहिए।

आठ लाख की जनसंख्या वाले ग्यारह नगरों के लिये पर्यावरण सम्बन्धी योजना

2839. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री एम० कलामुतु :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठ लाख की जनसंख्या वाले ग्यारह नगरों में एक पर्यावरण सम्बन्धी योजना आरम्भ की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं, नगरों के नाम क्या हैं तथा इस योजना पर कितना खर्च आने का अनुमान है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, हाँ।

(ख) इस योजना में 11 शहरों में जिनकी प्रत्येक की आबादी 8 लाख से कम नहीं है, गन्दी बस्तियों के वातावरण सम्बन्धी सुधार के लिए राज्य सरकारों को शत प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था है। इस प्रयोजन के लिए 1972-73 के वर्ष के दौरान 15 करोड़ रुपये की राशि का नियतन किया गया है, तथा इस बात पर सहमति हो गई है कि इस वर्ष के दौरान इन शहरों के लिए 20 करोड़ रुपये तक की परियोजना मंजूर की जा सकती है। शहरों के नाम तथा नियत की गई राशि इस प्रकार है:—

क्रम संख्या	शहर का नाम	1972-73 के लिए नियत की गई राशि (करोड़ रुपयों में)
1.	कलकत्ता महानगर डिस्ट्रिक्ट	3.5
2.	वृहत्त बम्बई	2.5
3.	दिल्ली शहरी समूह	2.5
4.	मद्रास	2.5
5.	हैदराबाद शहरी समूह	1.5
6.	अहमदाबाद शहरी समूह	1.5
7.	बंगलौर शहरी समूह	1.5
8.	कानपुर	1.5
9.	पूना शहरी समूह	1.0
11.	नागपुर	1.00
11.	लखनऊ शहरी समूह	1 00
	कुल	20.00

यह सहायता वर्तमान गन्दी बस्तियों के वातावरण सम्बन्धी सुधार हेतु सामन्यतया, जलपूर्ति, नालियां, बरसाती पानी के नालों, सामुदायिक स्नान घरों तथा सार्वजनिक शौचालयों, वर्तमान गलियों को चौड़ा करने तथा पक्का करने तथा सड़कों पर रोशनी के लिए उपलब्ध है।

माल्दा में कुपोषण से मृत्यु

2840. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कुपोषण से कई लोगों के मरने के समाचार मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

असम को सड़क मार्ग से अनाज का भेजा जाना

2841. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा रेलवे माल डिब्बों के उपलब्ध होने के बावजूद भी असम को सड़क के मार्ग से अनाज भेजने के लिये कुछ परिवहन कम्पनियों को कुछ ठेके दिये गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस पर भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी संघ द्वारा आपत्ति की गई थी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : 1971 में मानसून मौसम के दौरान और लगभग अक्तूबर के अन्त तक पूर्वी क्षेत्र में रेल, नदी और सड़क यातायात में बाढ़ों से अत्यधिक विघ्न पड़ा था। इसके परिणामस्वरूप, उत्तरी बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर को ब्राड गेज और मीटर गेज रेलवे से खाद्यान्नों के संचलन पर अत्यधिक असर पड़ा था। बाद में पूर्वी क्षेत्र में आपातिक कार्यवाही शुरू हो गयी है। इन परिस्थितियों में असम और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के अन्य राज्यों में खाद्यान्नों का तीन महीने का स्टाक तुरन्त तैयार करना आवश्यक समझा गया था। अकेले रेल परिवहन का प्रयोग कर ऐसा करना सम्भव नहीं था। इसके साथ ही साथ उसी क्षेत्र में रेलों से अन्य तात्कालिक कार्य किए गए। अतः असम को रेलों से खाद्यान्न भेजने के साथ-साथ 1–1–71 तक सड़क से भी खाद्यान्न भेजने पड़े थे।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा बंगला देश में सैनिक कार्यवाही के दौरान सैनिकों को और बंगला देश से आये शरणार्थियों को दालों की सप्लाई

2842. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश में सैनिक कार्यवाही के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा सैनिकों को सप्लाई की गई घटिया स्तर की दालों के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिये कोई जांच की गई है;

(ख) क्या बंगला देश से आये शरणार्थियों को भी उसी किस्म की दालें सप्लाई की गई थीं;

(ग) क्या माल सप्लाई करने से पूर्व भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा स्टाक के परीक्षण के लिये टेंडर में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और इसलिए किसी प्रकार की जांच करवाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) बंगला देश के शरणार्थियों को दालें भारतीय खाद्य निगम ने राज्य सरकारों और भारत सरकार के पुनर्वास विभाग के माध्यम से उचित औसत किस्म की निर्दिष्टियों के अनुसार सप्लाई की थी।

(ग) जी, हाँ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नेहरू मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, नई दिल्ली में सायंकालीन कक्षायें

2843. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरू मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिक कालेज, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली में सायंकालीन कक्षायें इस वर्ष बन्द कर दी गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सायंकालीन कक्षाओं को बन्द करने के अधिकारियों के निर्णय से कालेज में दाखिले के लिये अपेक्षित अर्हता प्राप्त केन्द्रीय सरकार के अनेक कर्मचारियों को बहुत हानि होगी; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या दिल्ली में डाक्टरों की कमी को देखते हुए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार दिल्ली में सायंकालीन कक्षायें कालेज खोलने पर विचार करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हाँ ।

(ख) नेहरू मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के प्रबन्धक मण्डल की शिक्षा सलाहकार समिति ने निर्णय किया कि सांध्य कक्षाओं को बन्द कर दिया जाय क्योंकि उसने देखा कि इन कक्षाओं में उपस्थित होने वाले छात्र सप्ताह में 5 दिन प्रति दिन 3 घण्टे से ज्यादा समय नहीं दे सकते और शनिवार, रविवार एवं छुट्टियों के दिनों में तो मुश्किल से ही वे कोई समय दे पाते और इस प्रकार अपने अध्ययन को ठीक ढंग से नहीं चला सकते ।

(ग) चूँकि कक्षाएँ कम शिक्षार्थियों के आने के कारण बन्द की गई, अतः किसी को हानि पहुँचाने का प्रश्न ही नहीं उठता । अधिकारियों ने इस वर्ष केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं किये ।

(घ) दिल्ली में अर्हता प्राप्त होम्योपैथिक डाक्टरों की कमी नहीं है ।

गाँवों में आवास की आवश्यकताओं के बारे में आंकड़े एकत्र करना

श्री राम सहाय पांडे : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गाँवों में आवास की आवश्यकताओं के बारे में नवीनतम आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या गांवों में अपेक्षित आवास की व्यवस्था करने हेतु योजनायें बनाने के लिये आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं ; और

(ग) इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, नहीं; प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र के सम्बन्ध में ऐसे कोई आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) तथा (ग) : 1971 की जनगणना में मकानों की कमी पर कुछ आंकड़े एकत्रित किये गये हैं । इन आंकड़ों को महापंजीयक ने अभी सारणीबद्ध करना है ।

भारतीय जीवन की मुख्य धारा में अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों का समावेश

2845. **श्री वी० वी० नायक** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन की मुख्य धारा में अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के समावेश के लिए कौन से विभिन्न उपाय किये गये हैं ; और

(ख) इन उपायों के सम्बन्ध में सफलता के बारे में सरकार का मूल्यांकन क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) तथा (ख) : जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हितों की रक्षा करने तथा उन्हें बढ़ावा देने के लिए भारत के संविधान में विशेष उपबन्ध किए गए हैं । संविधान के अनुच्छेद 46 में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि राज्य जनता के दुर्बलतर विभागों के, विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकारों के शोषण से उनका संरक्षण करेगा ।

उक्त नीति के अनुसरण में पंचवर्षीय योजनाओं में विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं । योजना के प्रथम 18 वर्षों के दौरान पिछड़े वर्गों के कल्याण सम्बन्धी योजनाओं पर लगभग 275 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई थी । चतुर्थ योजना की अवधि के लिए 142 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के शैक्षिक और आर्थिक उत्थान के लिए पिछड़े वर्ग क्षेत्र के अन्तर्गत आदिम जाति विकास खण्डों, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों, मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों तथा आवास सुविधाओं इत्यादि जैसी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं । यह कार्यक्रम साधारण क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यक्रम का अनुपूरक है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें अपनी गैर-योजना निधियों में से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण पर काफी धन खर्च कर रही हैं ।

उक्त कार्यक्रम के अतिरिक्त अस्पृश्यता अधिनियम को अधिक कड़ाई से लागू किया जा रहा है । अन्तर्जातीय विवाहों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए साधारण छात्रावासों में अधिक स्थान दिया जा रहा है । अत्यन्त श्रेष्ठ शैक्षिक योग्यताओं वाले उम्मीदवारों को विदेशों में अध्ययन के सिए छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं । सरकारी और निजि संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कुछ

विशिष्ट प्रतिशत पद और स्थान आरक्षित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। इनके अतिरिक्त इन लोगों को साधारण कार्यक्रमों से भी लाभ प्राप्त होते हैं। विभिन्न राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को कृषि और मकानों के लिए जमीनें बांटने का कार्यक्रम शुरू किया है।

इन उपायों से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को भारतीय जीवन की मुख्य धारा में लाने में कुछ हद तक सफलता मिली है

अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के विभिन्न समुदायों को संवैधानिक लाभ

2846. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को मिलने वाले संवैधानिक लाभों का इन वर्गों की विभिन्न जातियों तथा समुदायों में समान रूप में वितरण किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का संसद तथा राज्य विधान मडलों में उनकी जनसंख्या की तुलना में, जाति-वार अनुपात क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) अनुसूचित जातिओं और अनुसूचित आदिम जातियों में भी उपेक्षित वर्ग हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अन्तर्गत आने वाली जातियों और समुदायों को मिलने वाले लाभों का वितरण समान नहीं कहा जा सकता है।

(ख) लोक सभा तथा विधान सभाओं के निर्वाचन लड़ने के लिए पात्रता साम्प्रदायिकता पर आधारित रहीं है। लोक सभा राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए स्थान उनके नाम अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की सूची में शामिल होने के आधार पर आरक्षित किए जाते हैं। उनके इस प्रकार घोषित किए जाने पर ही वे निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र होते हैं।

स्कूलों और कालेजों को वित्तीय सहायता

2847. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्कूलों और कालेजों जैसी विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं को जो वित्तीय सहायता दी जाती है वह इन संस्थाओं के राजस्व व्यय का एक मुख्य भाग है,

(ख) सरकार का विचार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है कि वित्तीय सहायता का उचित उपयोग हो,

(ग) क्या इन शैक्षिक संस्थाओं के प्रबन्ध निकायों में सरकार द्वारा मनोनीत किए गए व्यक्ति इन संस्थाओं की शैक्षिक स्वायत्तता में हस्तक्षेप करने के समान हैं,

(घ) इन शैक्षिक संस्थाओं के स्वच्छ प्रबन्ध के अनुरूप यह स्वायत्तता का सिद्धान्त किस हद तक कार्य कर रहा है, और

(ङ) क्या सरकार का विचार कम से कम उन शैक्षिक संस्थाओं में, जिनके प्रबन्ध का रिकार्ड खराब है, अपने निदेशक मनोनीत करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) केन्द्रीय वित्तीय सहायता में स्कूल और कालेज जैसे कुछ शैक्षिक संस्थानों के राजस्व व्यय का मुख्य भाग आता है।

(ख) वार्षिक परीक्षित लेखे और वार्षिक रिपोर्टें प्राप्त करके उनकी जांच की जाती है। जहाँ कहीं आवश्यक हो निरीक्षण-पुनरीक्षण किए जाते हैं।

(ग) यह संस्थानों के शैक्षिक स्वायत्ता पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।

(घ) स्वायत्तता सिद्धान्त, शैक्षिक संस्थानों के स्वच्छ प्रबन्ध के अनुकूल कार्य कर रहा है।

(ङ) अवसर आने पर इस प्रश्न पर योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले स्कूलों और कालेजों की प्रबन्ध समितियों के सदस्यों के लिए शैक्षिक अर्हताएं

2848. **श्री बालकृष्ण वेनकन्ना नायक** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार से सहायता-प्राप्त प्राइवेट स्कूलों और कालेजों की प्रबन्ध समितियों का सदस्य चुने जाने के लिए क्या न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की गई हैं, और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : **(क) और (ख)** : जी, नहीं। ऐसी योग्यत एं निर्धारित करना राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/राज्य शिक्षा मंडलों/संस्थानों का काम है।

दिल्ली में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों का राष्ट्रीयकरण

2849. **चौधरी दलीप सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बहुत से गर-सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनका 90 प्रतिशत से अधिक व्यय सरकारी सहायता से चलता है, परन्तु जिनका प्रबन्ध अभी तक गैर-सरकारी व्यक्तियों/निकायों/न्यासों/समितियों के हाथ में है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव है जिससे इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये, और

(ग) यदि हां, तो इनका राष्ट्रीयकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) संघ शासित प्रदेश दिल्ली में 177 सहायता प्राप्त स्कूलों के स्वीकृत खर्च की 95% तक की सीमा तक का आवर्ती अनुरक्षण अनुदान दिल्ली प्रशासन दे रहा है। सभी सहायता प्राप्त स्कूल दिल्ली शिक्षा संहिता, 1965 द्वारा शासित हैं। दिल्ली शिक्षा संहिता के अनुसार, अनुरक्षण आवर्ती अनुदान के स्वीकृत व्यय में ये शामिल हैं : (1) विभाग के अनुमोदन से नियुक्त किये गये उन कर्मचारियों के वेतन, जिनके पदों की संख्या की सीमा तक उन पद-निर्धारण नियमों के अनुसार सहायक-अनुदान के उद्देश्यों के लिये विभाग द्वारा मंजूर तथा अनुमोदित किया गया हो और (2) उसी कर्मचारियों के सम्बन्ध में भविष्यि निधि अंशदान। जब ऐसे स्कूलों के प्रबन्ध के बारे में दिल्ली प्रशासन को कोई शिकायत मिलती है तो त्रुटिपूर्ण कार्य तथा आंशिक रूप से वित्तीय अस्थिरता के कारण दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली शिक्षा संहिता की धारा 90 (क) के अनुसार ऐसे स्कूलों के प्रबंधों को बरखास्त कर दिया। दिल्ली शिक्षा संहिता के वर्तमान उपबन्धों के अधीन, यदि किसी सहायता प्राप्त स्कूल की प्रबंध समिति निर्विघ्न रूप से कार्य करती हुई नहीं पायी जाती तथा स्कूल आर्थिक दृष्टि से भी असमर्थ हो तो प्रशासन जनहित में प्रबन्ध समिति को कारण बताओ के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद स्कूल के प्रबन्ध को बरखास्त कर सकता है और प्रबन्धक अथवा प्रबन्ध समिति के समस्त कर्त्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करने के लिए प्रशासक के रूप में शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकता है। वर्तमान दिल्ली शिक्षा संहिता में व्यतिक्रमी स्कूलों को स्थायी रूप से अपने अधिकार में ले लेने की कोई व्यवस्था नहीं है।

डी० आई० जेड० क्षेत्र नई दिल्ली के सेक्टर 'बी' में बनाये गये मकानों के बारे में शिकायतें

2850. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** 20 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 784 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन क्वार्टरों की संख्या और क्रम संख्या, पृथक-पृथक क्या है जिनके गुसलखानों में असमान ढलान की मरम्मत की गई है और पालिश की खराबियाँ दूर की गई हैं ;

(ख) क्या उनके ध्यान में यह बात लाई गई है कि 5, हेग स्क्वेयर स्थित पूछताछ कार्यालय में रजिस्टर कराई गई शिकायतों पर महीनों तक ध्यान नहीं दिया जाता ;

(ग) इस बारे में क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूछताछ कार्यालय में रजिस्टर कराई गई शिकायतों पर शीघ्र ध्यान दिया जाये और वहां रहने वालों की तसल्ली के मुताबिक काम हो; और

(घ) क्या यह पता लगाने के लिए कोई जांच कराने का प्रस्ताव है कि इन नये बने क्वार्टरों के बारे में इतनी शिकायतें क्यों हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमा शंकर दीक्षित :

(क) **असमान ढलान के बारे में शिकायतें ।**

क्वार्टर नं० 583. 621. तथा 698.

फर्शों की पालिश के बारे में शिकायतें ।

क्वार्टर नं० 709,720, 721, तथा 757.

उपरोक्त सूची में वे कुछ क्वार्टर शामिल नहीं हैं, जिनकी ऐसी कमियों की रिपोर्ट सीधी ठेकेदार को की गई थी, जो गारंटी की अवधि में ये कमियां दूर करने का उत्तरदायी था ।

(ख) लिखाई गई अधिकतर शिकायतों की ओर 2 से 3 दिन की अवधि के भीतर ध्यान दिया जाता है । तथापि कुछ मामलों में, सामग्री आदि की कमी के कारण शिकायतों की ओर शीघ्र ध्यान देना संभव नहीं हो सका ।

(ग) पूछताछ कार्यालय को ये अनुदेश हैं कि वह सभी शिकायतों की ओर यथासंभव शीघ्र ध्यान दे । पूछताछ कार्यालय में सामान्य अनुरक्षण के लिये अपेक्षित सामग्री को स्टाक करने के कदम उठाये गये हैं ।

(घ) दखलकारों से प्राप्त शिकायतों की संख्या अनुचित सीमा तक अधिक नहीं समझी गई अतः कोई जांच आरम्भ करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Permission for Rented out Government Quarters by the Allottees

2851. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Works and Housing be pleased to state :

(a) whether 90 per cent of the Central Government employees allotted Government accommodation in R.K. Puram and Netaji Nagar have rented these quarters ;

(b) whether Government have permitted them to rent out the said quarters ; and

(c) the steps proposed to be taken in future by Government so that the Government quarters allotted to employees are not rented out ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planing and in the Ministry of Works and Housing (Prof. D.P. Chattop adhyaya) : (a) No, Sir,

(b) Allottees of the general pool quarters can share accommodation with other Government servants working in eligible offices. In such cases, they are not required to obtain any

permission for sharing or to communicate the fact of sharing to the Directorate of Estates. They can also share the accommodation allotted to them with employees working in certain other organisations such as Corporations, owned, controlled or corporated by Government, etc., as decided from time to time. In these cases, allottees have to communicate the fact of sharing to the Directorate of Estates within a period of two months from the date of such sharing.

(c) In order to curb the mal-practice of subletting, periodical checks are conducted in Government colonies by the Directorate of Estates. Action is also taken on complaints received from individuals. No action is, however, taken on anonymous/pseudonymous complaints.

Check on Birth-rate during 1972-73

2852. Shri Hukam Chand Kachwai : Will **the Minister of Health and Family Planning** be pleased to state the estimated target fixed by Government to check birth-rate during the year 1972-73 under review ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and in the Ministry of Works and Housing (Prof. D.P. Chattopadhyaya)

The targets (in thousands) fixed for the year 1972-73 for various methods of family planning are as under :

Sterilization	5697
I.U.C.D.	949
C.C.Users	4258

Request for Central aid for Drought Affected areas in West Bengal

2853. Shri Hukam Chand Kachwai :
Dr. Ranen Sen :

Will **the Minister of Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government of Bengal had asked for grants or financial assistance from the Central Government for some drought affected districts in Bengal ; and

(b) the names of the districts in the State affected by drought in June, 1972 and the number of persons affected thereby ?

The Minister of State in the Miuistry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) :

(a) Yes, Sir.

(b) The entire State has been affected by drought and the number of persons affected is 223 crores.

दिल्ली परिवहन निगम की बसों की मरम्मत

2854. **श्री फ़तहसिह राव गायकवाड़ :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली परिवहन निगम के वर्कशाप में कुल कितनी बसों की मरम्मत की जा रही है और दिल्ली निगम में एक बस औसतन कितनी अवधि तक चलने योग्य रहती है ;

(ख) दिल्ली परिवहन निगम की बस द्वारा प्रतिदिन औसतन कितनी मील-दूरी तय की जाती है तथा उसमें कितना समय लगता है ; और

(ग) बस खरीदने के समय से लेकर अलग-अलग पहले, दूसरे, तीसरे तथा इसी प्रकार अगले वर्षों में उसकी मरम्मत पर प्रति वर्ष कितना व्यय होता है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) 16-8-1972 को दिल्ली परिवहन निगम की 98 बसें, उसके केन्द्रीय वर्कशाप और डिपुओं में मरम्मत के लिये पड़ी थीं। इस निगम की बस का औसत जीवन अभी तक 12 वर्ष रहा है।

(ख) निगम की बस, प्रतिदिन औसतन साढ़े तेरह घंटों की परिचालन अवधि में 178 किलो मीटर औसत दैनिक फासला तय करती है।

(ग) अपने जीवन के पहले तीन वर्षों में, दिल्ली परिवहन निगम की बस की औसत वार्षिक अनुरक्षण लागत 13621 रुपये है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में "प्रि-मेडिकल" पाठ्यक्रम में दाखिला

2855. **श्री फ़तहसिंह राव गायकवाड़** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय में 'प्रि-मेडिकल' पाठ्यक्रम में ऐसे किसी भी विद्यार्थी को दाखिला नहीं दिया गया जिसके स्कूल की अन्तिम परीक्षा में 68 प्रतिशत से कम अंक थे, और

(ख) यदि हां, तो प्रथम श्रेणी वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है जिनको दिल्ली विश्वविद्यालय के 'प्रि-मेडिकल' पाठ्यक्रम में दाखिला नहीं मिल सका ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार उन 487 छात्रोंको पूर्व-मैडिकल-पाठ्यक्रम में दाखिल नहीं किया जा सका, जिन्होंने 67 प्रतिशत तथा इससे कम किन्तु 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हैं।

दिल्ली के मेडिकल कालेज में दाखिला

2856. **श्री भारखण्डे राय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष दिल्ली में 500 योग्य, छात्रों में से 350 को ही मेडिकल कालेजों में दाखिला मिला है ;

(ख) क्या दाखिला न पा सकने वाले छात्रों के माता-पिता की ओर से इस संबंध में सरकार को कोई ज्ञापन मिला है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) :

(क) से (ख) : इस वर्ष मेडिकल कालेजों में दिल्ली के पात्र विद्यार्थियों में से 475 से अधिक छात्रों को दाखिला दे दिया है । मेरठ मेडिकल कालेज में दाखिल किये गये 50 विद्यार्थी भी इसमें शामिल हैं । इन 450 विद्यार्थियों के अलावा खुली प्रतियोगिता के आधार पर दिल्ली के कुछ और पात्र विद्यार्थियों ने दिल्ली के बाहर मेडिकल कालेजों में दाखिला प्राप्त कर लिया है । उनकी ठीक संख्या अभी मालूम नहीं है ।

2. दिल्ली विश्वविद्यालय की प्री-मेडिकल परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करने वाले विद्यार्थियों की ओर से दिल्ली पेरेन्ट्स एसोशियेशन से सरकार को कई ज्ञापन मिले थे । विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों को उनसे एक भेंट और औपचारिक पत्र दोनों के जरिये असली हालत बता दी गई थी । जनता और सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को हालत बताने के लिये भारत सरकार ने समाचार पत्रों में एक वक्तव्य भी जारी किया था । इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य मँत्री ने एक प्रेस सम्मेलन को भी सम्बोधित किया था । अन्य बातों के साथ-साथ इस ज्ञापन में पड़ोसी राज्यों के मेडिकल कालेजों में और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चन्डीगढ़ में सीटों की व्यवस्था करने के अतिरिक्त, दिल्ली विश्वविद्यालय की प्री-मेडिकल के प्रथम श्रेणी के छात्रों के लिए ही मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज, यूनिवर्सिटी मेडिकल कालेज और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, में सीटें बढ़ाने की मांग की गई थी । उन्होंने इन छात्रों के लिये इस वर्ष दिल्ली के आस-पास एक और चिकित्सा कालेज खोलने की भी मांग की ।

3. दिल्ली के अधिक से अधिक पात्र छात्रों को चिकित्सा कालेजों में दाखिला की सुविधा देने के सम्बन्ध में सभी सम्भव प्रयत्न किये गए । फिर भी, चिकित्सा शिक्षा के स्तर को कम किये बिना दिल्ली के किसी चिकित्सा संस्थान में सीट बढ़ाना वांछनीय अथवा व्यावहारिक नहीं पाया गया । हाल ही में 1970 में दिल्ली के छात्रों के लिए मौलाना आजाद मेडिकल कालेज में 40 सीटें, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज में 30 सीटें बढ़ाई गईं । यूनिवर्सिटी मेडिकल कालेज अपनी वार्षिक क्षमता के अनुसार शिक्षा स्तर पर कोई प्रभाव डाले बिना इस वर्ष 100 छात्रों को दाखिल कर सका । चिकित्सा शिक्षा जो कालेज अथवा विश्वविद्यालय की आम शिक्षा की भान्ति न होकर एक जटिल तकनीकी किस्म की शिक्षा है, इसके स्तर को हानि पहुंचाये बिना 125 सीट बढ़ाने की अभिभावकों और छात्रों की मांग पूरी नहीं की जा सकती थी । इसके अलावा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चन्डीगढ़ में केवल

दिल्ली के छात्रों के लिए सीटें बढ़ाने की इस ज्ञापन में जो मांग की गई थी उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता था क्योंकि ये दोनों संस्थाएं राष्ट्रीय महत्त्व की और अखिल भारतीत स्तर की हैं। जिनका खर्च पूर्णतः भारत सरकार चलाती है। ऐसी संस्थाओं में किसी विश्वविद्यालय विशेष के छात्रों के उन अधिनियमों के उद्देश्यों के विपरीत होता है जिनके आधीन ये संस्थाएं गठित की गई हैं। यही नहीं, ये संस्थान मुख्यतः अनुसंधान और स्नातकोत्तर शिक्षण के लिए हैं। चिकित्सा शिक्षा के उप-स्नातक पक्ष की ओर उनके ध्यान को किसी प्रकार मोड़ने से उनका मूल उद्देश्य ही परास्त हो जाता।

4. जैसा कि उस ज्ञापन में मांग की गई थी दिल्ली के सुपात्र छात्रों के लिए पड़ोसी राज्यों के मेडिकल कालेजों में सीटों की व्यवस्था करने की सम्भावनायें खोजी गई थीं। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच द्विपक्षीय व्यवस्था के आधार पर उनके लिए मेरठ मेडिकल कालेज में 50 सीटों की व्यवस्था करने के अलावा इन प्रयोगों का आमतौर पर कोई नतीजा नहीं निकला।

5. माता-पिता और छात्रों के इस सुझाव पर कि इस वर्ष दिल्ली के आसपास एक और मेडिकल कालेज खोला जाए, उन्हें इस बारे में बता दिया गया है कि दिल्ली में अथवा उसके आसपास कोई और मेडिकल कालेज खोलना सम्भव नहीं है क्योंकि दिल्ली में सीट और जनसंख्या का अनुपात 16,500 है जो राष्ट्रीय अनुपात 1 : 45,000 से लगभग तीन गुना अधिक है। इसके अलावा दिल्ली में पिछले साल ही एक मेडिकल कालेज खोला गया था जबकि मूलतः चौथी पंचवर्षीय योजना में खोले जाने वाले मेडिकल कालेजों में इस संघ शासित क्षेत्र के लिए इसकी व्यवस्था नहीं थी।

6. इस समय दिल्ली और मेरठ स्थित मेडिकल कालेजों में सर्फ़ दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए 292 सीटें आरक्षित हैं। इसके अलावा दिल्ली स्थित चार मेडिकल कालेजों में 188 और सीटें सार्वजनिक प्रतियोगिता अथवा अनुसूचित जाति, जन जाति के छात्रों द्वारा भरी जाती हैं। दिल्ली के छात्र इन सीटों के लिये भी प्रतियोगिता में बैठ सकते हैं और अपना भाग्य आजमा सकते हैं। इसके अलावा वे दिल्ली से बाहर स्थित मेडिकल कालेजों में, जहां प्रतियोगिता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है, प्रवेश ले सकते हैं। इस प्रकार दिल्ली में पहले से ही स्नातक पूर्व चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं।

7. दिल्ली विश्वविद्यालय के प्री-मेडिकल पाठ्यक्रमों में गत तीन वर्षों में प्रवेश वालों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है। इस प्रकार प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या जो 1970 में 340 थी 1971 में बढ़कर 465 और 1972 में 580 हो गई अर्थात् इन दो सत्रों के दौरान इनमें 125 और 115 छात्रों की वार्षिक वृद्धि हुई। इस हिसाब से दिल्ली में हर साल अतिरिक्त प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश देने के लिए एक मेडिकल कालेज खोलना पड़ेगा। देश के व्यापक हितों को देखते हुए स्पष्टतया न ही यह सम्भव है और ना ही वांछनीय !

बिहार में सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए केन्द्रीय सहायता

श्री राम शेखर प्रसाद सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सूखाग्रस्त बिहार राज्य की सहायता करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो बिहार राज्य सरकार ने कुल कितनी धन राशि की मांग की है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार सहायता के रूप में कितनी धनराशि देना चाहती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : **(क) से (ग)** : राज्य सरकार के अनुरोध पर एक केन्द्रीय दल ने सूखे की स्थिति का जायजा लेने और केन्द्रीय वित्तीय सहायता के प्रयोजन के लिए सूखा राहत उपायों पर खर्च की सीमा की सिफारिश करने के लिए हाल ही में बिहार का दौरा किया था। राज्य सरकार की कुल अनुमानित आवश्यकताएं 38.86 करोड़ रुपये हैं। दल की सिफारिशें शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है और सिफारिशों की दृष्टि में केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाएगी।

Construction of Bridge at Hajipur Across Ganga River

2858. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) whether the Chief Minister of Bihar has made an announcement to the effect that Government have agreed to meet the entire expenditure to be incurred on the construction of the bridge across Ganga at Hajipur ; and

(b) if so, the reaction of Government thereon ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Om Mehta) :

(a) & (b) : Although certain press reports have appeared to this effect, we have not received any confirmation from the Government of Bihar as yet. The correct position is that for the time being the Government of India's commitment is to provide to the State Government a non-plan loan to meet 50 % of the expenditure on the bridge during the 4th Plan period subject to a maximum of Rs. 4.5 crores only, the entire balance being met by the State Government from their own resources.

Demands of Delhi University Employees Union

2859. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Education and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether the Delhi University Employees Union has submitted a charter of demands to the University authorities and Government ;

(b) if so, the list of the demands made ; and

(c) the reaction ot Government thereto ?

Minister of Education, Social Welfare and Cultures Prof. S. Nurul Hasan):

(a) According to the information furnished by the University, no charter of demands has been received by the University authorities from the Delhi University Karamchari Union. The Government has also not received any such charter of demands.

(b) & (c) Do not arise.

Reduction of Seats in Medical Colleges, Delhi

2860. Shri Ramavatar Shastri : Will the **Minister of Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the University of Delhi have reduced the number of seats in the Medical Colleges and if so, the reasons therefore ;

(b) whether there is a great resentment among the students and their guardians on account of the said decision of University ; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and in the Ministry of Works and Housing (Prof. D.P. Chattopadhyaya) :

(a) to (c). There are three medical colleges in Delhi, Maulana Azad Medical College, Lady Hardinge Medical College and the University Medical College which are affiliated to the University of Delhi. The annual admission capacities of these three colleges are 180, 130 and 100 respectively. The University Medical College was set up last year with an annual rate of admission of 100 but due to pressing circumstances 25 students were admitted in excess of 100, the rated capacity last year. In order to neutralise this excess so as to maintain the desirable standard of education 75 students should have been admitted this year to make the total of 200 in two consecutive years. As against this, 100 students have actually been admitted this year making a total of 225 in two years i.e, more than the rated capacity of 100 per year. Admissions in the other two colleges have been the same this year as last year i.e. 180 at Maulana Azad Medical College and 130 at Lady Hardinge Medical College.

2. It is thus not correct to say that the University of Delhi have reduced the number of seats in the medical colleges.

3. However, resentment was there amongst the students and their guardians who demanded, among other things, increase in the number of admissions at Maulana Azad Medical College and Lady Hardinge Medical College beyond 180 and 130 respectively and at the University Medical College beyond 100.

4. After consultations with all concerned, iucluding the Delhi University it has not been found possible to increase the admission rates at these three colleges in order to maintain the minimum required standard of medical education as laid down by the Medical Council of India. 50 seats have been arranged for Delhi students in Meerut Medical College besides admitting 100 students instead of 75 at the University Medical College.

Failure of cooperative Movement

2861. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government have received information from the several State Governments regarding the failure of the Co-operative movement there ;

(b) if so, the names of such states and the reasons for the failure thereof ; and

(c) the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shind) :

(a) No, Sir.

(b) & (c) Do not arise.

Assessment of Scheme of Medium Farmers

2862. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) whether any assessment has been made by Government in regard to implementation of the schemes pertaining to medium farmers ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture

Prof. Sher Singh : (a) & (b) : There is no Central Sector Scheme for assisting Medium Farmers under the 4th Five Year Plan.

Proposal to Make Higher Education a Central Subject

2863. Shri Dhan Shah Pradhan :
Shri K.M. Madhukar :
Will the Minister of Education and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal to make Higher Education a Central Subject ; and

(b) if so, the names of the States which have made a demand to this effect and the reaction of the Government thereto ?

The Minister of Education, Social Welfare & Culture (Prof. S. Nurul Hasan) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

किसानों के कब्जे में मकानों की जगहों के स्वामित्व-अधिकार उन्हें प्रदान करने सम्बन्धी विधेयक

2864. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री मूल चन्द डागा :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन किसानों की जिनके कब्जे में मकानों की जगह है, उन जगहों के स्वामित्व-अधिकार प्रदान करने सम्बन्धी विधेयक लाने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं और उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने ऐसा करने का निर्णय लिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) :ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की योजना के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को उन स्थलों का, जिन पर, फिलहाल, उनके मकान/झोपड़ियां बनी हुई हैं, वास-भूमि सम्बन्धी अधिकार देने के लिए राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा उपयुक्त कानून बनाने की (जहां वह पहले नहीं बना है) तुरन्त कार्यवाही किये जाने की आशा है। निर्माण और आवास मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों ने इस संबन्ध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही किसी न किसी रूप में पहले ही कर ली है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भी इस उद्देश्य के लिए आवश्यक कानून बनाने का निर्णय किया है।

सड़क बोर्ड की स्थापना

2865. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री एम० कतामुतु :

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 जुलाई, 1972 को मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में रेलवे बोर्ड की तरह का सड़क बोर्ड बनाने की माँग पुनः की गई थी, जिस का अपना स्वतन्त्र बजट हो ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख) : संभवतया सदस्य 9 जुलाई, 1972 को नैनीताल में

हुई इन्डियन रोड्स कांग्रेस की परिषद् की बैठक का उल्लेख कर रहे हैं जिसमें इसके अध्यक्ष ने केन्द्र में रोड बोर्ड के गठन की आवश्यकता पर जोर दिया था। प्रस्ताव विचाराधीन है।

कोर्ट और शिक्षा परिषद के बिना बिश्वविद्यालय

2866. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विश्वविद्यालय ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने कोर्ट और शिक्षा परिषदें अभी तक नहीं बनाई हैं,

(ख) यदि हाँ, तो उनकी संख्या और नाम क्या हैं, और

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन्हें ये निकाय शीघ्र बनाने के लिए नहीं कहेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) : 87 विश्वविद्यालयों में से 83 के बारे में सूचना उपलब्ध है। इस सूचना के अनुसार, कृषि विश्वविद्यालय तथा एम० एस० विश्वविद्यालय को छोड़कर सभी विश्व-विद्यालयों की कोर्ट अथवा सीनेट तथा अकादमी परिषद है। एम० एस० विश्वविद्यालय बड़ौदा की एक कोर्ट तथा स्नातकोत्तर अध्ययन परिषद है। केरल कृषि विश्वविद्यालय (त्रिवूर) के अतिरिक्त सभी कृषि विश्वविद्यालयों की प्रबन्धबोर्ड तथा अकादमी परिषद हैं। केरल विश्वविद्यालय की एक महा परिषद तथा अकादमी परिषद है।

(ग) विश्वविद्यालयों के विभिन्न अधिकारी वर्गों का गठन उनके संबन्धित अधिनियमों के अनुसार किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों के अभिशासन से संबन्धित गजेन्द्रगडकर समिति की रिपोर्ट की प्रतियाँ सभी विश्वविद्यालयों को भेज दी हैं।

शिमला से इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडीज को अन्यत्र ले जाना

2867. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन इंस्टीट्यूट आफ एडवान्स्ड स्टडीज को शिमला से कहीं और ले जाने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) इस निर्णय का औचित्य क्या है, और

(घ) इसे कब तक वहां से अन्यत्र ले जाया जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रौढ़ शिक्षा कार्य के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे स्वयं सेवी संगठन

2868. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रौढ़ शिक्षा-कार्य के लिये कितने स्वयं सेवी संगठनों ने सरकार से 1971-72 में वित्तीय सहायता प्राप्त की,

(ख) उनके नाम और स्थायी पते क्या हैं, और

(ग) प्रत्येक संगठन ने कितनी सहायता प्राप्त की ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) : विवरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी०—3454/72**]

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में लिया गया निर्णय

2869. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा कितनी बैठकें की गईं,

(ख) इनमें क्या निर्णय लिए गए, और

(ग) किन-किन निर्णयों और सिफारिशों को इस बीच लागू कर दिया गया है ?

शिक्षा समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) (क) : कोई नहीं । तथापि अगली बैठक 18-19 सितम्बर, 1972 के लिए निर्धारित की गई है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

Setting up of Transport Commission Council

2870. Dr. Sankata Prasad :
Shri K. Mallanna :

Will the **Minister of Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to set up a Transport Commission Council to co-ordinate rail and road traffic ; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in The Ministry of Shipping and Transport (Shri Om Mehta) :

(a) & (b) : The Transport Development Council was set up by the Government of India in 1958 to advise them on all matters of policy concerning the development of roads, road transport and inland water transport and also such matters relating to co-ordination between various modes of transport, as may be referred to it. The Council; which is presided over by the Union Minister of Shipping and Transport includes the Minister of Railways as a member. An Inter-State Transport Commission has also been appointed under Section 63A of the Motor Vehicles Act, 1939, for the coordination, regulation and development of inter-State road transport. A representative of the Ministry of Railways is a member of this Commission.

There is no proposal under the consideration of Government to set up any other Commission-or Council to discuss matters relating to coordination between rail and road transport.

Financial Assistance for Publishing Text Books in Sindhi Language.

2871 **Dr. Sankata Prasad :** Will the **Minister of Education & Social Welfare** be pleased to states :

(a) whether the Central Government have decided to grant financial assistance for publishing text books in Sindhi language ;

(b) if so, the amount thereof ; and

(c) whether such financial assistance is being given in respect of other languages also ?

The Deputy Ministry in the Minister of Education & Social Welfare (Shri K.S. Ramaswamy) : (a) to (c) Government of India have taken up a programme of production of university level books and other literature in Urdu and Sindhi languages during the Fourth Five Year Plan for which a sum of Rs. one crore each would be available.

Besides, Government of India has made available to State Governments which are participting in the book production programme a sum of Rs. one crore each during the Fourth Five Year Plan for production of university level literature in regional languages including Hindi.

भारतीय खाद्य निगम द्वारा सोयाबीन विधायन यंत्र संयव (प्रोसेसिंग प्लाँट) की स्थापना

2872. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोयाबीन के लिये अच्छा बाजार सुनिश्चित करने के लिए उसके विधायन (प्रोसैसिंग) की सुविधाओं का विकास किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सोयाबीन की खेती के अन्तर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल (एकड़ों में) किस राज्य में है ;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा विधायन संयंत्रों की स्थापना संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय वाल आपात निधि के सहयोग से की जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो संयंत्रों का रायवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) महाराष्ट्र में 1971-72 के दौरान सोयाबीन की खेती के अधीन सब से अधिक क्षेत्र था ।

(ग) जी हां, भारतीय खाद्य निगम यूनिसेफ की सहायता से 100/250 मीटरी टन प्रति दिन की क्षमता का एक संयंत्र स्थापित कर रहा है ।

(घ) हरियाणा राज्य में फरीदाबाद में केवल एक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बहु-प्रयोजनीय प्रायोगिक परियोजनाएं

2873. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से एक से अधिक फसल को बुआई द्वारा 90 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र पर खाद्यान्नों की खेती की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो योजना के चौथे वर्ष का बाकी लक्ष्य क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) (क) जी हाँ । बहु-फसलीय प्रयत्नों के परिणामस्वरूप चौथी योजना के दौरान न केवल खाद्य फसलों, बल्कि तिलहन, पटसन आदि, गन्ना, वनस्पतियाँ, फल और चारे जैसी नकदी फसलों के अन्तर्गत 90 लाख हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाना सम्भव होगा ।

(ख) चौथी योजना की अवधि में 310 लाख मीटरी टन खाद्यान्न के अतिरिक्त लक्ष्य में से शेष को अधिक उत्पादनशील किस्मों, लघु सिंचाई, भूमि विकास और वनस्पति रक्षण कार्यक्रम आदि द्वारा प्राप्त किया जाएगा ।

मद्रास शहर के गन्दी बस्ती क्षेत्रों में पर्यावरण सम्बन्धी सुधार

2874. **श्री सी० टी० दण्डपाणि** :

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सूचित किया है कि मद्रास शहर के गन्दी बस्ती क्षेत्रों में पर्यावरण संबन्धी सुधार करने के लिए 84 लाख रुपये की आवश्यकता पड़ेगी ।

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने केवल 21 लाख रुपये मंजूर किए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इतनी थोड़ी राशि आवंटित करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) गन्दी बस्तियों के वातावरण सम्बन्धी सुधार की नई केन्द्रीय योजना के अधीन मद्रास नगर के लिए 250 करोड़ रुपये का नियतन निर्धारित किया गया है, जो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उस शहर की गन्दी बस्ती सुधार परियोजनाओं के लिए 100% केन्द्रीय अनुदान के रूप में अधिकतम राशि है। लगभग 84 लाख रुपये की परियोजनाएं पहले मंजूर की जा चुकी हैं, और उस राशि में से 21 लाख रुपये अनुदान की प्रथम किस्त के रूप में दी जा चुकी है। शेष राशि अनुमोदित परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति के अनुसार दी जायेगी।

राज्य सरकार से कुछ और, गन्दी बस्ती सुधार परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं, और 58 लाख रुपये की लागत की परियोजनाओं की मंजूरी विचाराधीन है।

सरकारी कार्यालयों को दिल्ली से बाहर ले जाना

2875. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :**

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सचिवों की समिति ने निर्णय किया है कि भारत सरकार के अनेक कार्यालय दिल्ली से बाहर ले जाये जायें ताकि यहाँ बढ़ती भीड़-भाड़ कम की जा सके;

(ख) यदि हाँ, तो कितने कार्यालय दिल्ली से बाहर ले जाने का विचार है और इनमें कितने अधिकारी एवं कर्मचारी काम करते हैं ;

(ग) क्या बाहर ले जाने का क्रम आरम्भ हो गया है, यदि हां, तो अब तक कितने कार्यालय बाहर ले जाए जा चुके हैं और क्या कुछ मंत्रालय इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, इस पर क्या अन्तिम निर्णय लिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, हां।

(ख) 13 अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायगी।

(ग) तथा (घ) अभी तक किसी भी कार्यालय ने शिफ्ट नहीं किया और कुछ मंत्रालयों ने शिफ्ट करने के विरुद्ध अभ्यावेदन दिए हैं। अभ्यावेदन विचाराधीन हैं।

समारोहों आदि के लिए दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा अपने डिपुओं से दूध की सप्लाई करना बन्द कर देना

2876. **मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्याह और अन्य समारोहों के लिए दिल्ली दुग्ध योजना ने कुछ समय से अपने डिपुओं से बोतलों में दूध देना बन्द कर दिया है ;

(ख) क्या दिल्ली दुग्ध योजना प्राधिकारी दूध की सप्लाई 40 लिटर या इसी क्रम के माप के डिब्बों में ही करने पर जोर देते हैं ;

(ग) क्या विभिन्न खरीददारों को इन डिब्बों में सप्लाई किए गए दूध में मिलावट होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या इन डिब्बों में दूध की थोक सप्लाई से जनता को काफी असुविधा हुई है और यदि हां, तो प्रत्येक क्रेता की आवश्यकता के अनुसार दूध सप्लाई करने की पूर्व प्रक्रिया पुनः अपनाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

कृषि मन्त्रायय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) नियमित टोकन धारियों की दूध की बोतलों की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिये, फिलहाल दिल्ली दुग्ध योजना के सम्पूर्ण संयंत्र की क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार अब दिल्ली दुग्ध योजना विवाह आदि के अवसर पर सामान्यतः दूध के डिब्बों में दूध की सप्लाई करने से दूध की विशेष आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है। ऐसे अवसरों पर दूध की अधिक मांग होने की दृष्टि से सप्लाई का यह ढंग अधिकतर उपयुक्त समझा गया है। सयंत्र की बोतल भरने की क्षमता बढ़ाने के पश्चात् स्थिति का पुनरीक्षण किया जा सकता है।

दिल्ली दुग्ध योजना में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे कर्मचारी

2877. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना में किन-किन मदों पर कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर आये हुए हैं, वे कब से आए हैं और कब तक रहेंगे,

(ख) क्या कर्मचारी संघों से इन कर्मचारियों से ही अधिकारियों को अपने-अपने कार्यालयों में वापस भेजने और इस योजना के कर्मचारियों में से ही अधिकारियों की पदाली बनाने के बारे में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं,

(ग) यदि हाँ, तो उनकी मोटी रूपरेखा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों पर दिल्ली दुग्ध योजना के स्थानापन्न अधिकारियों के स्थान पर प्रतिनियुक्ति पर नए अधिकारी लाए जा रहे हैं, और यदि हां, तो क्यों ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दे दी गई है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—3455/72]

(ख) जी, हां ।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना कर्मचारी संघ सुझाव देता रहा है कि प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को उनके अपने संवर्गों/कार्यालयों को वापस भेज दिया जाये और जहाँ तक सम्भव हो, संगठन में नियमित रूप से कार्य करने वाले कर्मचारियो में से दिल्ली दुग्ध योजना के पदों को भरने के प्रयास किए जाने चाहिएं । सरकार की यह सामान्य नीति है कि दिल्ली दुग्ध योजना में बाहरी संवर्गों/कार्यालयों से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की क्रिया को कम किया जाये, और इस नीति के अनुसरण में, स्वतन्त्र आधार पर दिल्ली दुग्ध योजना के विभिन्न संवर्गों को कार्यरूप दिया जा रहा है । फिर भी संगठन ने उचित योग्यता प्राप्त और अनुभवी व्यक्तियों का अभाव होने के कारण अभी अभी कुछ पदों को प्रतिनियुक्त व्यक्तियों द्वारा भरा जाना है । जैसे ही दिल्ली दुग्ध योजना के योग्यता प्राप्त व्यक्ति अपेक्षित अनुभव ग्रहण कर लेंगे, प्रतिनियुक्त व्यक्तियों की संख्या में कमी करने पर विचार किया जायेगा । इस उद्देश्य को दृष्टि में रख कर सम्बन्धित भर्ती नियमों पर भी पुनः विचार किया जा रहा है ।

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना का एक अधिकारी तदर्थ आधार पर श्रेणी 1 के केवल एक पद पर कार्य कर रहा था । अब उक्त पद को सम्बन्धित भर्ती नियमों के अनुसार एक उचित अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरने का प्रस्ताव है ।

पिछड़े वर्गों के कल्याण के प्रभारी राज्यों के मंत्रियों का सम्मेलन

2878. **मौलाना इसहाक सम्भली** :

श्री श्री किशन मोदी :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दिल्ली में हुए पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण और समाज कल्याण के प्रभारी राज्यों के मन्त्रियों के सम्मेलन में जनजाति विकास की नई नीति की सिफारिश की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्मेलन द्वारा सुझाई गई इस नई नीति की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) नई नीति के अनुसार जनजाति कल्याण-कार्य को नया रूप देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां, सम्मेलन में आदिम जातीय विकास के लिए एक नई नीति का सुझाव दिया गया था।

(ख) नई नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) अनुसूचित क्षेत्रों के अन्दर और बाहर रहने वाले अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिए संरक्षणात्मक कानून बनाया जाए और उसे सख्ती से लागू किया जाए।

(2) अत्यन्त पिछड़ी तथा उपेक्षित आदिम जातियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएं और वर्तमान योजनाओं में संशोधन किया जाए।

(3) आदिमजाति विकास खण्ड के कार्यक्रम का विस्तार किया जाय ताकि उसके अन्तर्गत वे सभी क्षेत्र आ जाएं जिनकी कम से कम 50 प्रतिशत आबादी आदिम जातियों की हो और आदिम जाति विकास खन्डों के बाहर के आदिम जातियों की आबादी के छोटे-छोटे क्षेत्रों के लिए भी धन दिया जाए।

(4) विकास को तेज करने के लिए आदिमजाति विकास खण्डों तथा आदिमजाति क्षेत्रों के लिए आबंटन को बढ़ाया जा सकता है।

(5) अपेक्स सहकारी निगमों की कार्यवाहियों को बढ़ाने के लिए वित्तीय संस्थाओं को कर्ज देने चाहिएं।

(6) ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे साधारण क्षेत्र से भी अनुसूचित आदिम जातियों को विशेषतया पीने के पानी, संचार साधनों, स्वास्थ्य, कृषि, पशु-पालन तथा कुटीर उद्योगों इत्यादि के बारे में लाभ पहुँचे। इन कार्यक्रमों से अनुसूचित आदिम जातियों को मिलने वाले वास्तविक लाभों के बारे में लगातार आधार सामग्री एकत्रित की जानी चाहिए।

(7) प्रमुख परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए आदिम जातियों के लोगों के पुनर्वास की योजनाएं और उनमें विस्थापित लोगों की शिक्षा, प्रशिक्षण और साज-सामान के लिए कार्यक्रम शामिल होने चाहिएं।

(ग) सम्मेलन के सुझावों की जांच की जा रही है।

भारतीय खाद्य निगम में प्रतिनियुक्त पश्चिम बंगाल के कर्मचारी

2819. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम में पश्चिम बंगाल सरकार के 5,000 कर्मचारियों की प्रति-नियुक्ति की गई है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा उन्हें अपने नियमित कर्मचारियों के रूप में न खपाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। पश्चिमी बंगाल सरकार से लगभग 5000 कर्मचारी भारतीय खाद्य निगम में प्रतिनियुक्ति पर आए हुए हैं।

(ख) ये कर्मचारी 1966 में पश्चिमी बंगाल सरकार से राज्य में खाद्यानों की अधिप्राप्ति, संचयन और वितरण का कार्य निगम को सौंपे जाने से राज्य सरकार और निगम के बीच हुए समझौते के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर लिए गये थे। समझौते में अन्य बातों के साथ यह व्यवस्था है कि कोई भी पक्ष एक फसल वर्ष का नोटिस देकर इस समझौते को समाप्त कर सकता है। क्योंकि पश्चिमी बंगाल सरकार ने निगम को ये कार्य स्थायी आधार पर सौंपने का निर्णय नहीं किया है इसलिए निगम द्वारा इन कर्मचारियों को स्थायी आधार पर खपाने का फिलहाल प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में तीन पहियों वाले स्कूटरों में किराया मीटर

2880. **श्री विक्रम चन्द महाजन** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चल रहे तीन पहियों वाले स्कूटरों में उचित मीटर नहीं लगे हैं जिनसे नवीनतम दरों के अनुसार सही-सही किराये का पता लग सके ;

(ख) क्या टैक्सियों की तरह, स्कूटरों में नवीनतम किराया दिखाने वाले उचित मीटर लगाना कानून के अन्तर्गत अनिवार्य नहीं है ; और

(ग) सरकार का इस कानून को लागू करने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) 31 जुलाई, 1972 को दिल्ली में14275 रिक्शाओं (मोटर साइकल रिक्शाओं सहित) में से 7969 में अनुमोदित किराया मीटर नहीं लगे हुये थे।

(ख) जी हां।

(ग) उन तीन पहियों वाले स्कूटर रिक्शाओं के चालकों को, जिनमें अनुमोदित किराया मीटर नहीं लगे हुए हैं, यात्रियों के मार्गदर्शनार्थ अपनी गाड़ियों में परिवर्तन तालिका दिखाने होते हैं। काफी संख्या में किराया मीटरों के अनुमोदित प्रकार के इस समय उपलब्ध न होने के कारण स्कूटर रिक्शाओं में लगे हुए मौजूदा मीटरों के स्थान पर दूसरे मीटर जो बदले नहीं जा सकते, लगाने का क्रमिक कार्यक्रम तैयार करने का प्रश्न दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

संग्रहालयों के कार्यकरण सम्बन्धी समिति द्वारा की गई सिफारिशें

2881. **श्री जे० मैथा गौडर:** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में संग्रहालयों के कार्यकरण की जांच करने के लिए डा० मोती चन्द्र की अध्यक्षता में गठित समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं,

(ख) तीन केन्द्रीय संग्रहालयों और भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग के संग्रहालयों के कार्यकरण का अध्ययन करने वाली रन्धावा समिति की किन-किन सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा रहा है,

(ग) वित्तीय और प्रशासनिक प्रभाव वाली सिफारिशों का ब्यौरा क्या है, और

(घ) उन्हें कब तक क्रियान्वित करने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (के.एस. रामास्वामी): (क) देश के संग्रहालयों के कार्य कलापों की जांच करने के लिए डा० मोती चन्द्र की अध्यक्षता में समिति द्वारा की गयी मुख्य सिफारिशों का विवरण श्री नुग्गेहाली शिवप्पा द्वारा दिनांक 15-11-1971 को पूछे गये तारांकित प्रश्न सख्या 17 के भाग (ख) के उत्तर में लोक सभा के पटल पर रख दिया गया था।

(ख) रन्धावा समिति की उन सिफारिशों का विवरण संलग्न है, जिन्हें या तो कार्यान्वित कर दिया गया है अथवा कार्यान्वित किया जा रहा है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3456/72]

(ग) डा० मोती चन्द्र समिति तथा डा० रन्धावा समिति की उन सिफारिशों का विवरण संलग्न है, जिनमें वित्तीय तथा प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी गयी हैं।

(घ) प्रश्न के भाग (ग) में उल्लिखित सिफारिशों का कार्यान्वयन केन्द्र तथा राज्यों में वित्तीय तथा प्रशासनिक साधनों की उपलब्धि पर आधारित होगा। इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व विभिन्न निकायों तथा प्राधिकारियों का है।

सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान

2882. **श्री जे० मैथा गौडर : शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971-72 में देश के विभिन्न सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुमोदन के रूप में दी गई तीन लाख रुपये की राशि का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है,

(ख) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस वर्ष वित्तीय सहायता के लिए कितने मामलों की सिफारिश की गई है,

(ग) क्या मंत्रालय में अभी भी कोई मामला विचाराधीन है, और

(घ) यदि हां, तो उन्हें कब तक निपटा दिया जाएगा और उन्हें कितना अनुदान दिया जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) सार्वजनिक पुस्तकालयों के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वैच्छिक शिक्षा संगठनों को वित्तीय सहायता देने की योजना के अन्तर्गत 1971-72 के दौरान देश के विभिन्न सार्वजनिक पुस्तकालयों को कुल 4,12,980/–रुपये के अनुदान दिये गये थे। एक विवरण संलग्न है, जिसमें इस राशि के ब्यौरे दिये गये हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी.—3457/72]

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता देने के लिए 1971-72 के दौरान राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के जरिए 43 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

(ग) और (घ) : जी, हां।

ये आवेदन पत्र अंतिम तारीख समाप्त होने के बाद प्राप्त हुए थे और इनमें योजना के अन्तर्गत अपेक्षित सारी सूचना नहीं थी। तदनुसार, चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के जरिए इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए प्राप्त किये जाने वाले अथवा प्राप्त किये गये अन्य नये आवेदन पत्रों के साथ इन अनिर्णीत आवेदन-पत्रों पर 1972-73 के दौरान विचार किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए संस्कृति विभाग में स्थापित सलाहकार समिति की सिफारिशों पर तथा चालू वित्तीय वर्ष के लिए योजना के अन्तर्गत उपलब्ध 3 लाख रुपयों की कुल राशि को ध्यान में रखते हुए नये आवेदन-पत्रों के साथ-साथ प्रत्येक अनिर्णीत मामलों में दिये जाने वाले अनुदानों के संबन्ध में निर्णय इस विभाग द्वारा किया जाएगा।

टी० एम० एस० एस० महल पुस्तकालय तंजावूर को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया जाना

2883. **श्री जे० मैथा गौडर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टी० एम० एस०एस० महल पुस्तकालय, तंजावूर को राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था औपचारिक रूप से घोषित करने के प्रस्ताव को स्थगित करने के क्या कारण हैं ; और

(ख) इस पुस्तकालय को सरकार किस रूप में वित्तीय सहायता देगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) तमिलनाडु सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है कि टी० एम० एस०एस० महल पुस्तकालय तंजवूर को जब राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था के रूप में घोषित किया जाए और वित्तीय सहायता

दी जाय तो उसके प्रबंध बोर्ड का गठन खुदा बख्श ओरयंटल पब्लिक लाइब्रेरी, बोर्ड पटना की तरफ का होना चाहिए।

(ख) मामला विचाराधीन है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में अफीम और शराब का सेवन

2884. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली के विश्वविद्यालय तथा कालेजों में अफीम के सेवन की सिकायतें मिली हैं,

(ख) क्या कुछ विदेशी ये मादक पदार्थ स्कूलों और कालेजों में मुफ्त देने में रुचि दिखाते पाए गए हैं ताकि हमारे युवा-वर्ग का चरित्र और मन दूषित हो जाये, और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय कैम्पस और इसके कालेजों में अफीम का प्रयोग करने वाले विद्यार्थियों को शामिल करते हुए कोई मामला विश्वविद्यालय के नोटिस में नहीं आया है।

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा कोई ऐसी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है :

(ग) प्रश्न नहीं उठता

भारत और मारिशस और अन्य देशों के बीच यात्री नौवहन सेवा

2885. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और मारिशस और अन्य देशों के बीच यात्री नौवहन सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे उन देशों में रहने वाले भारतीय और अन्य नागरिकों को सुविधाएं प्राप्त हो सकें ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इस समय भारतीय नौवहन कम्पनियां वैस्ट-एशिया गल्फ पत्तन, पूर्वी अफ्रीका तथा मलेशिया/सिंगापुर तथा

तालायमन्नार (श्री लंका) तक यात्री सेवा का परिचालन करती हैं। इस समय किसी अन्य देश को सेवाएं चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में चलती फिरत भू-परीक्षण प्रयोगशालाएं।

2886. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य में जिला-वार इस समय चलती-फिरती कितनी भू-परीक्षण प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश राज्य ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में और अधिक चलती-फिरती भू-परीक्षण प्रयोगशालाओं की मंजूरी देने का अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) राज्य में दो चल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं। वाहन सामान्यतः किसी अकेले जिले के लिए ही निर्धारित नहीं होते बल्कि उन्हें आवश्यकतानुसार समय-समय पर विभिन्न जिलों को भेज दिया जाता है।

(ख) और (ग)

और अधिक वाहनों के लिए इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। एक और वाहन की आपूर्ति सरकार के विचाराधीन है।

राज्यों में स्वीकृत आदिवासी खण्डों का खोला जाना

2887. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के लिए स्वीकृत उन आदिवासी खंडों की संख्या कितनी है जिन्हें धनराशि की कमी के कारण खोला नहीं गया ; और

(ख) राज्यों में आदिवासी खण्डों को खोलने के लिए अतिरिक्त वित्त की व्यवस्था करने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) तथा (ख) : ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जब स्वीकृत कसौटियां पूरी किए जाने पर भी किसी आदिम जाति विकास खण्ड को धन की कमी के कारण न खोला गया हो। आदिम जाति विकास खण्डों को खोलने के लिए विहित की गई कसौटियाँ निम्नलिखित हैं :—

(1) 150-200 वर्ग मील का क्षेत्र।

(2) 25,000 की कुल जनसंख्या।

(3) आदिम जातियों की आबादी 66.2/3%।

(4) एक सामान्य प्रशासनिक एकक के रूप में चलाए जाने की व्यवहार्यता। इन कसौटियों के आधार पर मंजूर किए गए सभी आदिम जाति विकास खण्ड चल रहे हैं।

शिक्षा संस्थाओं में अल्प संख्यकों के लिए आरक्षण

2888. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए और शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में भी अल्प संख्यकों के लिए कुछ स्थान आरक्षित रखे जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें यह प्रथा विद्यमान है और इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा एल० एस० डी० का प्रयोग

2889. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा बड़े पैमाने पर 'एल० एस० डी०' के प्रयोग किये जाने के बारे में जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा बड़े पैमाने पर 'एल० एस० डी०' का प्रयोग करने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रामाणिक वैज्ञानिक प्रयोजनों को छोड़कर सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन, 'एल० एस० डी०' का आयात बन्द करने का विचार है। आम जनता के उपयोग के लिए जिसमें छात्र भी आ जाते हैं ; वीवेयर आव ड्रग एडिक्शन" नामक एक पुस्तिका तैयार कर ली गई है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर विचार गोष्ठी

2890. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1972 के दूसरे सप्ताह में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम पर एक विचार गोष्ठी हुई थी, और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिशें की गईं और उसका आयोजन किन निकायों अथवा व्यक्तियों ने किया था ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 1972 पर 14 जुलाई, 15 जुलाई, 1972 को प्रेस सूचना ब्यूरों द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। सेमिनार में व्यक्त की गई सर्वसम्मति संलग्न विवरण में दी गई है।

[**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–3458/72**]

Compulsory Education for Children of 6-14 Years Age Groups

2891, Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state ;

(a) the time by which the scheme to impart free and compulsory education to children of the age-group of 6 to 14 years would be implemented in the country and the additional amount of money proposed to be spent by the Central Government thereon ; and

(b) whether at the time of implementing the aforesaid scheme, Government would re-orientate the syllabus and training courses to bring out the best out of the children ?

Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare

(Shri K.S. Ramaswamy) : (a) Plans are being prepared in consultation with the Planning Commission and State Governments with a view to provide free and compulsory education to children of the age group 6-11 by 1975-76 and to the children up to the age of 14 years by 1980-81. According to general estimates, an amount of the order of about Rs. 2,000 crores may be required for fulfilling the objective.

(b) Side by side with the programme of expansion of primary education, schemes for qualitative improvement are also being worked out.

Maintenance of Works Undertaken in States Under Cash Programme for Unemployed

2892. Shri M.C. Daga : Will the **Ministers of Agriculture** be pleased to state :

(a) the name of the agency which would be responsible for the maintenance of the of the works undertaken under crash programme after their completion ; and

(b) whether a state whose financial condition is far from satisfactory is in a position to carry out repairs to the roads and dams already constructed can be completed to share the responsibility for maintenance of works completed under the crash programme ?

Ministry of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh)

(a) The overall responsibility for the maintenance of assets created under the Crash Scheme for Rural Employment is that of the State Governments. The position varies from State to State with regard to the agency responsible for the maintenance of such assets; though, generally speaking, the responsibility of maintenance is entrusted either to the Panchayati Raj bodies or the departmental agency.

(b) One of the conditions for the grant of funds under the Crash Scheme for Rural Employment is that the State Governments shall be responsible for the maintenance of the projects upon their completion. State Governments have accepted this condition while seeking approval for proposals under Crash Scheme for Rural Employment and drawing funds. There is no question of sharing the responsibility for maintenance with the Central Government. The expenditure on this account will be deemed to be non-plan committed expenditure usually placed before the Finance Commission for consi cleiation.

Nature and Expenditure on works undertaken in Pali, Rajasthan Under Crash Programme for Rural Employment

2893. Shri M.C. Daga: Will the **Minister of Agriculture** be pleased to state :

(a) the works undertaken under the crash programme from 1st April, 1971 to 31st March, 1972 in Pali district of Rajasthan ;

(b) whether full details of the nature of works, their location and the cost involved in each of them ;

(c) the amount expended on labour and material supplied ; and

(d) whether all these works would come under the head of durable assets ?

The Ministry of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh)

(a) to (d) : The information is being collected from the Government and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा संचालित यंत्रीकृत ईंट-संयंत्र

2894. **श्री नरेन्द्र कुमार साँधी :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा विभिन्न स्थानों पर चलाये जा रहे यंत्रीकृत ईंट संयंत्र अपनी अधिष्ठापित क्षमता का केवल 30 प्रतिशत उपयोग कर रहे हैं ;

(ख) क्या इन संयंत्रों के क्षमता से कम पर चलने का कारण सुखाने वाले चेम्बरों के मूल डिजाइन और स्थापित किये जाने में कुछ दोषों का होना है, और यदि हां, तो क्या सभी संयंत्रों में ऐसे ही दोष हैं, और

(ग) क्या तकनीकी समिति ने उत्पादन में सुधार करने के लिए संयंत्रों में कुछ परिवर्तनों

का सुझाव दिया है और यदि हां, तो समिति के सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालये में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने केवल एक यंत्रकृत ईंट संयंत्र लगाया है। यह दिल्ली में सुलतानपुर में है। वह एक पांरी की एक लाइन में काम कर रहा है तथा यह दोपारियों में दो लाइनों में काम करने की उत्पादन क्षमता के केवल 14.7 प्रतिशत का उत्पादन कर रहा है।

(ख) सुखाने वाले यन्त्रों के अकुशलता से चलने के प्रमुख कारण ये हैं .—

(क) वरनर्ज तथा पंखों की अपर्याप्त व्यवस्था, (ख) इन्स्ट्रुमेन्टल टेम्प्रेचर तथा आर्द्रता (ह्यूमिडिटी) नियन्त्रण का अभाव (ग) कम्बरशन चेम्बर का दोषपूर्ण डिजाइन (घ) सुखाने वाली प्रक्रिया के मानकीकरण का अभाव।

(ग) जी, हां। समिति द्वारा इस सम्बन्ध में की गई विभिन्न सिफारिशें विचाराधीन हैं।

राज्यों में स्कूली बच्चों के लिए 'केयर' द्वार भोजन वितरण की योजना

2895. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में स्कूली बच्चों को 'केयर' द्वारा भोजन बांटा जा रहा है, और

(ख) यदि हां, तो वितरण योजना का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) 1950 के भारत केअर करारनामें के अन्तर्गत स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम राज्य सेक्टर में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। केअर खाद्य वस्तुएं (मकई का आटा, घटिया गेहूँ, दलिया, दूध का पौडर, अनाज, सोयाबीन, सी० एस० एम०, सलाद का तेल, मिल्क ब्रेड) राज्य/संघ क्षेत्र की सरकारों को भारतीय बन्दरगाह तक निशुल्क सप्लाई करता है। राज्य तथा संघ क्षेत्रों की सरकारें इस माल को बन्दरगाह से छुड़ाने तथा ये खाद्य वस्तुएं बच्चों में वितरित करने के प्रशासनिक खर्चे तथा प्रेषित माल जहाज में लादने से पूर्व इसके पैकिंग करने और इस पर लेबल लगाने पर केअर द्वारा न्यूयार्क में किया गया खर्च और भारत में भारतीय कार्मिकों का वेतन और भत्ते तथा अमरीकी प्रशासन के अधीन राज्यों की राजधानियों में केअर के कार्यालयों के अनुसार अनुरक्षण का खर्चा वहन करती है। केयर के अनुमानों के अनुसार राज्यों/संघ क्षेत्र की सरकारों का कुल

110.19 लाख बच्चों को 1972-73 वर्ष के दौरान शामिल करने का प्रस्ताव है; जिसका ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

'विवरण'

क्रम संख्या	राज्य	1972-73 के दौरान लाभ पाने वालों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	10,42,174
2.	गुजरात	3,65,000
3.	हरियाणा	3,27,000
4.	केरल	17,86,000
5.	महाराष्ट्र	2,0,000
6.	मध्य प्रदेश	6,40,000
7.	मैसूर	12,75,000
8.	उड़ीसा	7,46,000
9.	पंजाब	3,85,000
10.	राजस्थान	4,00,000
11.	उत्तर प्रदेश	10,83,000
12.	तमिल नाडु	16,00,000
13.	पश्चिम बंगाल	11,30,000
	संघ क्षेत्र	
14.	पांडिचेरी	39,500
	जोड़	110,18,674

दिल्ली के भीतर तथा दिल्ली के बाहर केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालय

*2896. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में तथा दिल्ली के बाहर केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के कितने औषधालय हैं और वे किन-किन स्थानों पर हैं ;

(ख) क्या स्थानीय औषध निर्माताओं द्वारा औषधालयों को सस्ती और निम्नस्तर की दवाइयाँ सप्लाई की जाती हैं ;

(ग) क्या दवाइयों के निम्न स्तर के होने का पता अधिकारियों को भूतकाल में लग गया था परन्तु इसके बावजूद भी उन्हीं औषध निर्माताओं को आदेश दिए गए थे ; और

(घ) यदि हां, तो औषध निर्माताओं द्वारा औषधालयों को सप्लाई की जा रही औषधियों के स्तर को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3459/72]

(ख) जी नहीं। सम्भरण एवं निपटान महानिदेशालय की उच्चाधिकार समिति द्वारा जिनके पास दवाइयों की किस्मों पर नियंत्रण रखने की व्यापक व्यवस्था मौजूद है, अनुमोदित फर्मों से मिलने वाली दवाइयों की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए दवाइयां प्रतियोगी दरों पर खरीदी जाती हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के मेडिकल स्टोर डिपू में प्राप्त होने वाली दवाइयाँ प्रायः रासायनिक विश्लेषण के लिए कलकत्ता और गाजियाबाद स्थित केन्द्रीय औषधि प्रयोगशालाओं को भी भेजी जाती हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता। फिर भी सन्देहास्पद मामलों में, यदि कोई हो, औषध नियंत्रक (भारत) तथा संबंधित राज्य के औषध् नियंत्रक को समुचित कार्यवाही करने के लिए तुरन्त सूचित किया जाता है।

भवन निर्माण हेतु ऋण की सीमा का बढ़ाया जाना

*2897. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्रालय** के बर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन के पैरा 3.7 के भाग (ख) के उपबन्धों के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण सामग्री के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए भवन निर्माण ऋण की वर्तमान सीमा, 60 माह का वेतन अथवा 50,000 रुपये जो भी कम हो, को बढ़ाकर 75 माह का वेतन अथना 1 लाख रुपये दोनों में से जो भी कम हो, करने की वांछनीयता पर विचार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख)

मामला विचाराधीन है।

खेतिहर मजदूरों को पीने के पानी और मकानों के लिये जगह की सुविधा

*2898. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सब गाँवों में पीने के पानी की व्यवस्था करके और सब खेतिहर मजदूरों के लिए मकानों के लिए जगह की व्यवस्था करने के स्वतंत्रता की 25 वी वर्षगांठ मनाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो अपनाई जा रही योजनाओं और राज्यवार प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों की मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य,योग परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) :

जी, नहीं। स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती के दौरान सभी प्रकार के विकास हेतु, जिस में पानी की सप्लाई तथा आवास में सुधार भी शामिल है, प्रत्येक ब्लाक में एक जयन्तीं-ग्राम चुनने का प्रस्ताव है। तथापि, ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को बिना मूल्य आवास-स्थल देने हेतु राज्यों को सहायता देने के लिये निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई योजना जयन्ती ग्रामों तक ही सीमित नहीं है। राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिये अपने प्रस्ताव ज्यों ही वे तैयार हो जाएं, तथा जो योजना की शर्तों के अनूरूप हों, भेजे जा सकते हैं।

दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों के पुनरीक्षित वेतनमानों को क्रियान्वित किया जाना

*2899. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों के पुनरीक्षित वेतन मानों की क्रियान्विति के बारे में 29 मई 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7768 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों (प्राथमिक, मिडिल तथा उच्चतर माध्यमिक) के पुनरीक्षित वेतन मानों को जिनका भारत सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया था और जिन्हें 27 मई, 1970 से मंजूर किया गया था और जिनकी 5सितम्बर, 1971 को घोषणा की गयी थी इस बीच क्रियान्वित कर दिया गया है और बकाया राशि सहित भुगतान कर दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या 'सलेक्सन ग्रेड' को भी जो कि वरिष्ठ अध्यापकों सम्बन्धी पुनरीक्षित वेतन मानों का अंग है, क्रियान्वित कर क्या गया है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) प्रवरण (सलेक्सन) ग्रेड के अलावा, पुनरीक्षित वेतन मान लागू कर दिए गए हैं। कुछ मामलों में बकाया राशि दे दी गई है और शेष सब मामलों में यथा शीघ्र कारवाई की जाएगी।

(ख) और (ग) : जहां तक दिल्ली प्रशासन के अध्यापकों का सम्बन्ध है, प्रवरण(सलेक्सन) ग्रेड को लागू करने के बारे में सरकार ब्योरेवार नियमों पर विचार कर रही है। किन्तु छावनी बोर्ड ने प्रवरण (सलेक्सन) ग्रेड लागू कर दिए हैं।

न्यू मोती नगर, नई दिल्ली में पानी की सप्लाई

*2900. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवान नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू मोती नगर क्षेत्र, नई दिल्ली में बूस्टर पम्प लगाने के बावजूद 'बी' ब्लाक की पहली मंजिल (फर्स्ट फ्लोर) में गर्मी के मौसम में (1972) सवेरे से शाम तक पानी नहीं पहुंचता ;

(ख) क्या 'बी' ब्लाक के कुछ क्वार्टरों में (फर्स्ट फ्लोर पर) अब तक पानी उपलब्ध नहीं है ;

(ग) क्या जल सप्लाई विभाग के एक अधिकारी ने हाल में उस क्षेत्र का दौरा किया और जल की स्थिति की जाँच की तथा क्या निचली मंजिल के क्वार्टरों में अब पानी सारे दिन आ रहा है ;

(घ) क्या इन क्वार्टरों के निवासी सीधे कनेक्शन के हकदार हैं और यदि हां, तो उसकी प्रक्रिया क्या है ; और

(ङ) न्यू मोती नगर, नई दिल्ली (फर्स्ट फ्लोर) में 'बी' ब्लाक के निवासियों द्वारा गत कई वर्षों से उठाई जा रही मूलभूत आवश्यकता सम्बन्धी इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) : पहली मँजिल में गर्मियों में पानी सुबह के प्रारम्भिक घन्टों में ही मिल पाता है।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां। इन्टर्नल फिटिंग में फेर बदल करके दिल्ली नगर निगम का गंदी बस्ती विभाग पृथक कनेक्शन दे सकता है।

(ङ) इस क्षेत्र में पानी के दबाव को बढ़ाने के लिए एक बूस्टर पम्पिग स्टेशन स्थापित कर दिया गया है। यद्यपि पम्पिग स्टेशन में दबाव बढ़ा है किन्तु 'बी' ब्लाक में पानी का दबाव तदनुरूप नहीं बढ़ पाया है। दिल्ली जलपूर्ति एवं मल निष्कासन उपक्रम द्वारा इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

गुजरात में किसानों और भूमिहीन किसानों के परिवारों को रोजगार की योजना

*2901. **श्री वी० मयावन:**

श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने एक योजना बनाई है जिससे किसानों और भूमिहीन किसानों के 6,000 परिवार 1000 रुपए प्रतिवर्ष कमा सकेंगे ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने किसानों के लाभ के लिए अन्य राज्य सरकारों से भी ऐसी योजनायें बनाने को कहा है ; और

(घ) यदि हाँ, तो कितने राज्य ये योजनायें लागू करने पर सहमत हो गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) गुजरात सरकार से ऐसी किसी योजना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है :

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं होता ।

शैक्षणिक आंकड़ों की सारणियों के कम्प्युटरीकरण संबधी उप-समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति

*2902 **श्री वी० मयावन** : क्या **शिक्षा और समाजकल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शैक्षणिक आंकड़ों की सारणियों के कम्पयुटरीकरण संबंधी उपसमिति द्वारा दी गई तीनों सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है, और

(ख) यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मँत्रालय में उप मंत्री (श्री के. एस. रामास्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) दिल्ली प्रशासन से प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

सांख्यिकीय यूनिट के पुनर्गठन संबंधी समिति द्वारा दी गई सिफारिशों की क्रियान्विति

*2903. **श्री वी० मयावन** : क्या **शिक्षा, और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अतिरिक्त पदों के निर्माण की सिफारिश को छोड़कर यूनिट के पुनर्गठन सम्बन्धी समिति द्वारा दी गई कौन-सी सिफारिशों को मंत्रालय में क्रियान्वित किया है, और

(ख) अन्य सिफारिशों पर मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) : विवरण। और II संलग्न है जिसमें सूचना दी गयी है

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3460/72]

जर्मन जनवादी गणराज्य के विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग

*2904. **श्री वी० मयावन** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य जनवरी, 1971 में जर्मन जनवादी गणराज्य से कार्य-अनुभव के क्षेत्र में जिस विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त की गई थीं, उस की सेवाओं का भारत में कार्य-अनुभव और शिक्षा को व्यवसाय-प्रधान बनाने के कार्यक्रमों के लिए किस प्रकार उपयोग किया गया ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के०एस० रामास्वामी) : जर्मन जनवादी गणराज्य के विशेषज्ञ से अनुरोध किया गया था कि चुने हुए प्रायोगिक परियोजना जिलों के स्कूलों में कार्य-अनुभव और व्यवसाय-प्रधान शिक्षा को जारी रखने के लिए मार्गदर्शक रूप रेखाओं का प्रारूप तैयार करें। उन्होंने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिला प्रायोगिक परियोजना अधिकारियों और शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से मार्गदर्शक रूप रेखाओं का प्रारूप तैयार किया। ये परियोजनाएं अधिकारियों को, उनके मार्गदर्शन हेतु, भेज दी गई हैं।

विदेशी सहयोग से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए केरल से परियोजना प्रतिवेदन

*2905. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **कृषि मन्त्री** विदेशी सहयोग से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये केरल से परियोजना प्रतिवेदन के बारे में 20 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 757 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा किसी सहयोग से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सम्बन्धी कोई परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी स्वीकृति प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) :

विदेशी सहयोग से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की एक योजना केरल सरकार से सन् 1971 में प्राप्त हुई थी, किन्तु रिपोर्ट में विदेशी सहयोगकर्ता का नाम नहीं है।

परियोजना के लिए सोवियत सहायता प्राप्त करने की संभावना के सम्बन्ध में विचार किया गया था। मछली पकड़ने वाले जहाजों के आयात की नीति पर उस समय विचार किया जा रहा था। मार्च 1972 में यह निश्चय किया गया कि देशीय क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग किया जाये और शेष जहाजों का आयात उपलब्धि की सीमा तक रूस से किया जाना चाहिये। समुद्रीय तथा अन्तर्देशस्थ मात्स्यकी के क्षेत्र में सहयोग के लिये रूस से समझौते की बातचीत चल रही है।

समझौता सम्पन्न हो जाने के उपरान्त प्रस्तावित परियोजना को समझौते की शर्तों के अन्तर्गत प्रारम्भ करने की संभावना पर विचार किया जायेगा।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के सहायक मार्गों और राजमार्गों को चौड़ा करने के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि का अनुमान

*2906. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**
श्री ए० के० गोपालन :

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने और इनके सहायक मार्गों के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि के अनुमानों को मंजूरी दे दी है,

(ख) भारत सरकार के विचाराधीन अनुमानों का ब्यौरा क्या है, ये कब से विचाराधीन हैं और मंत्रालय इन पर कब मंजूरी दे देगा;

(ग) इन अनुमानों को मंजूरी देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं, और

(घ) क्या केरल राज्य के सहायक मर्गों पर व्यय को बांट कर वहन करने के अनुरोध पर शीघ्र फैसला हो जायेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता)

(क) से (ग) केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपमार्गों और सड़कों को चौड़ा करने के लिये भूमि अजर्न संबंधी प्राकलनों में से पचास स्वीकृत हो गये हैं, दो तकनीकी सवीक्षाधीन है और तीन की वित्तीय सवीक्षा की जा रही है। तकनीकी सवीक्षा से उत्पन्न होने वाले पांच प्राकलनों और वितीय संवीक्षा से उत्पन्न होने वाले तीन प्राकलनों के बारे में और सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने की दृष्टि से राज्य सरकार को लिखा गया है।

भारत सरकार के पास पड़े पांच प्राकलनों में से एक दिसम्बर 1971 से और चार मई-जून 1972 से पड़े हैं। इन थोड़े प्राकलनों की मंजूरी में विलम्ब के लिये मुख्य कारण ये हैं कि इन मंहगे प्रस्तावों में मितव्ययता करने की आवश्यकता और/या जहां कहीं सभव हो पूजा के स्थानों या धार्मिक संस्थानों जिनके अधिग्रहण में कठिनाइयां आयें, को निकालने की दृष्टि से सरेखन और अर्द्धा तकनीकी पहलू विचाराधीन हैं।

यह संभव है कि प्राकलनों से सम्बन्धित समस्त संगत आंकड़े तथा जानकारी उपलब्ध होने के बाद 3 महीनों की अवधि में तकनीकी सवीक्षा और वित्तीय सवीक्षा, सामान्यतया उसके तीन महीने बाद पूरी हो जायेगी।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास की सम्पूर्ण लागत तथा नगर पालिका क्षेत्र से बाहर पड़ने वाले

उपमार्गों के निर्माण की लागत भी केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जाती है। परन्तु, जहां कहीं ऐसे उपमार्ग नगर पालिका क्षेत्र में से होकर गुजरते हों केन्द्रीय सरकार की नीति के अनुसार, स्थानीय यातायात की पूर्ति के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग के उपमार्ग के दोनों ओर निर्माण की जाने वाली समानान्तर सेवायी सड़कों के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार को मूल्य चुकाना पड़ता है और यथासमय अपनी ही लागत पर उस का निर्माण करना होता है। परन्तु केरल सरकार ने यह प्रस्ताव रखा है कि नगर पालिका क्षेत्रों से गुजरने वाले ऐसे उपमार्गों के मामलों में केन्द्रीय सरकार, समानान्तर सेवायी सड़कों के लिए अपेक्षित भूमि की लागत भी वहन करे। राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है कि समस्त देश के लिए लागू होने वाली निर्धारित नीति केरल राज्य में उपमार्गों के मामलों में भी लागू करनी पड़ेगी। अतः उन से अनुरोध किया गया है कि वे प्रस्ताव पर पुन विचार करें और कुछ अपेक्षित आंकड़े भेजें, ताकि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के संशोधित प्रस्ताव की और जाँच कर सके।

भारत के प्रमुख नगरों और कस्बों में हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी की शाखाओं की स्थापना

*2907. **श्री हरीसिंह :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्रमुख नगरों और कस्बों में हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी की नई शाखाएं खोलने सम्बन्धी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी की इन नई शाखाओं में कब तक कार्य आरम्भ हो जायगा : और

(ग) नई शाखाओं के लिए सरकार ने किन-किन शहरों और कस्बों को चुना है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाधयेय) : (क) से (ग) प्रमुख नगरों में कम लागत के मकानों के बड़े पैमाने पर निर्माण में किफायत करने के तरीकों पर भारत सरकार द्वारा 1969 में स्थापित की गई विशेषज्ञ समिति ने यह सिफारिश की थी कि जहाँ कहीं स्थानीय निर्माण की गतिविधियों की मात्रा की दृष्टि से यह उचित हो वहां स्टेन्डर्ड भवन-घटकों तथा पूर्व विरचित पैनलों के निर्माणार्थ फैक्टरियां स्थापित की जायें। यह जरूरी नहीं कि ऐसी तमाम फैक्टरियों की स्थापना केन्द्रीय सरकार द्वारा हो अथवा हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी की शाखा के रूप में हो। महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से बम्बई में एक पूर्व विरचित हाउसिंग फैक्टरी बनाने का एक प्रस्ताव हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी दिल्ली के विचाराधीन है।

राष्ट्रीय पुरातत्त्व विभाग से दस्तावेज गुम हो जाना

*2908. **श्री हरी सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1947 में ब्रिटेन से भारत को सत्ता के हस्तान्तरण से संबंधित अधिकांश अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दस्तावेज राष्ट्रीय पुरातत्त्व विभाग से गायब हैं, और

(ख) यदि हां, तो यह कैसे हुआ और उन दस्तावेजों को बरामद करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी)

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आनन्द पर्वत शिशु सदन, नई दिल्ली

*2909. **श्री हरी सिंह :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 अगस्त, 1972 को छः से बारह वर्ष तक की आयु के चार बच्चे आनन्द पर्वत शिशु सदन, नई दिल्ली से बाहर निकाल फेंके गये थे ; और

(ख) यदि हाँ, तो बच्चों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार को रोकने के लिये सरकार का विचार कौन-से कदम उठाने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, नहीं। (ख) प्रश्न नहीं उठता।

देहाती मकानों में सुधार करने के लिए गन्दी बस्तियों के स्थान पर लघु उपयोगी मकान बनाने की योजना

*2910. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्दी बस्तियों के स्थान पर लघु उपयोगी मकान बनाने और देहाती मकानों में सुधार करने एवं 8 लाख से अधिक आवासीय मकानों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) उक्त योजना के क्रियान्वयन में अगर कोई प्रगति हुई तो उस का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) : देश के सभी नगरों तथा कस्बों की गन्दी बस्तियों के स्थान पर लघु उपयोगी मकान बनाने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है। गन्दी बस्ती सफाई सुधार योजना के नाम से एक स्कीम केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना

के रूप में 1956 से प्रारम्भ की गई थी। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिये दो कमरों वाले छोटे मकानों का वैकल्पिक वास देने की व्यवस्था है। चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से इस स्कीम को राज्य क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया गया। इसके कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता अब, वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को प्रतिवर्ष दी जा रही ब्लाक केन्द्रीय सहायता में सम्मिलित है। राज्य सरकारें निष्पादित किए जाने वाले कार्यक्रमों तथा इनके कार्यान्वयन के लिए अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार नियत की जाने वाली निधियों का निर्धारण करने में स्वतन्त्र हैं। राज्य सरकारों तथा संघ-शासित क्षेत्रों से मई, 1972 तक प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार 1,38,400 स्वीकृत टेनमेंट्स में से लगभग 84,000 टेनमेंट्स इस योजना के अन्तर्गत बनाए जा चुके थे।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने 8 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले 11 महानगरों में गन्दी बस्तियों के वातावरण सम्बन्धी सुधार के लिये हाल ही में केन्द्रीय क्षेत्र में एक नई योजना आरम्भ की है। इसके कार्यान्वयन के लिये चालू वित्तीय वर्ष में 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। 185 परियोजनाओं के लिये अब तक लगभग 6 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है।

2. अपने मकानों के निर्माण सुधार में ग्रामीण लोगों को सहायता देने के लिए ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम नाम की एक योजना 1957 में प्रारम्भ की गई थी। इस योजना में ग्रामीणों को अपने मकान बनाने। सुधारने के लिये दीर्घकालीन ऋण सहायता देने के अतिरिक्त भावी मकान बनाने वालों को तकनीकी सहायता देने तथा भूमिहीन कृषि मजदूरों को निःशुल्क आवास-स्थल देने की व्यवस्था भी है। जिन गांवों में यह योजना कार्यान्वित की जाती है उनमें गलियां तथा नालियां बनवाने के लिए भी इस योजना में व्यवस्था है। यह योजना भी इस समय राज्य क्षेत्र में सम्मिलित है तथा इसके कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता, विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली ब्लाक केन्द्रीय सहायता में शामिल होती है तथा इस योजना के कार्यान्वयन के लिए दी जाने वाली निधियों की राशि नियत करना राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। अब तक राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत निर्माणार्थ स्वीकृत 80,100 मकानों में से 50,500 मकान पूर्ण हो चुके हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन मजदूरों की आवास समस्या के समाधान की तुरन्त आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन मजदूरों को निःशुल्क आवास-स्थल देने के लिये केन्द्रीय क्षेत्र में हाल ही में एक नई योजना आरम्भ की है। इसके कार्यान्वयन के लिये राज्य सरकारों को 100 प्र० श० सहायता देने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है तथा इस राशि में से लगभग 4 करोड़ रुपये पाँच राज्यों को, उनसे प्राप्त परियोजनाओं के आधार पर स्वीकृत कर दिये गये हैं।

देश में नीम-हकीमों पर प्रतिबन्ध

*2911.**श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नीम-हकीमों पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) **और** (ख) : भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 15 की उप-धारा (२) के अधीन प्रत्येक चिकित्सक को अपना व्यवसाय आरम्भ करने से पूर्व राज्य मेडिकल रजिस्टर में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उप-धारा (३) में आगे यह भी व्यवस्था की गई है कि वह व्यक्ति जो इस प्रावधान का उल्लंघन करता है उसे एक वर्ष का कारावास अथवा एक हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों प्रकार के दण्ड दिए जा सकते हैं। नीम-हकीमों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए यह दण्ड व्यवस्था पर्याप्त है।

26 जुलाई, 1972 को हैदराबाद में आयोजित दक्षिणी क्षेत्र परिषद् की बैठक में वन्य पशुओं के संरक्षण के उपायों पर ओर दिया जाना

*2912. **श्री निहार लासकर** (क) क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि 26 जुलाई, 1972 को हैदराबाद में हुई दक्षिणी क्षेत्र परिषद् की बैठक में प्रधान मंत्री ने वन्य पशुओं के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस बारे में क्या नये उपाय किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) देश में वन्यप्राणि संरक्षण और वन्यप्राणि उत्पादकों के व्यापार, संचलन और चर्म-संस्कार के विनियमन के सम्बन्ध में एक विधेयक का मसौदा लोक सभा में पेश किया जा चुका है। यह विधेयक प्रारम्भ में उन राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 252 (1) के अन्तर्गत प्रस्ताव पास किये हैं और भविष्य में अन्य राज्य द्वारा ऐसे प्रस्ताव पास करने पर वहां भी लागू होंगे।

(ग) एक कार्य दल ने देश के चुनींदा क्षेत्रों में चीतों के संरक्षण के लिए एक परियोजना को प्रायः अन्तिम रूप दे दिया है। परियोजना को पहली अप्रैल, 1973 से प्रारम्भ में 6 वर्षों की अवधि के लिए शुरू करने का प्रस्ताव है।

लद्दाख में ठंडे मौसम में पैदा होने वाली शाक सब्जियों तथा बंजरभूमि में कृषि के सम्बन्ध में परीक्षण

*2913. **श्री कुशोक बाकुला** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार का विचार लद्दाख में ठन्डे मौसम में पैदा होने वाली शाक सब्जियों तथा

बंजर भूमि में कृषि करने और खाद्यान्न उगाने के सम्बन्ध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को परीक्षण करने के लिये कहने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

Volcanic Caves in Madhya Pradesh

*2914. **Shri Phool Chand Verma**: Will the **Minister of Culture** be pleased to state :

(a) whether for the first time in the history of India, volcanic caves have been found in Machalia Ghat area (Jhabua) in Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the facts thereof ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) :

(a) & (b) Information is being collected, which will be laid on the Table of the House in due course.

Manuscript copy of Ram Charit Manas

*2915. **Shri Phool Chand Verma** Will the **Minister of Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a landlord of Malihabad (Uttar Pradesh) has in his possession the first manuscript copy of Ram Charit Manas by Tulsidas ; and

(b) if so, what is the complete information in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri K.S. Ramaswamy)

(a) & (b). The Ministry of Education and Social Welfare have no information in this regard.

Rock Inscription found in Narval Village in Shajapur

*2916. **Shri Phool Chand Verma** : Will the **Minister of Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether a rock inscription has been found recently in Narval village in Shajapur district of Madhya Pradesh on which 1450 is inscribed ;

(b) whether several articles of historical importance were also found in the said village in the past ; and

(c) if so, whether the Central Government propose to get the said place excavated by the Archaeological Department ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan)

(a) No, Sir. But an architectural fragment of rtone bearing a Devanagari inscription giving the year Samvat 1451 has been found lying near the village.

(b) A few other sculptures of the early medieval period also exirt in the village.

(c) An officer of the Archaeological Survey of India will visit the place for thorough exploration of the area. Decision whether to undertake excavation will be taken after his report is received.

गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहन

*2917. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **कृषि मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष फसल के अच्छा न होने तथा गन्ने से बड़ी मात्रा में गुड़ तथा खांडसारी बनाये जाने से चीनी के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो गन्ना उत्पादकों को कौन से प्रोत्साहन देने का विचार है तथा गन्ने के इस प्रकार के उपयोग को रोकने के लिये कौन से कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रो० शेर सिंह) : (क) : 1971-72 में चीनी के उत्पादन में गिरावट मुख्यतः वर्ष के दौरान गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र में कमी आने और भारत के उत्तरी भागों में भारी वर्षा और बाढ़ें आने और दक्षिण में कुछ क्षेत्रों में सूखे से फसलों की क्षति होने के कारण आयी है। गुड़ और खांडसारी के अपेक्षाकृत ऊंचे मूल्यों के कारण इन उद्योगों में गन्ने का कुछ अधिक लगाया जाना सम्भव हुआ होगा।

(ख) : चीनी का अधिक से अधिक उत्पादन करने की दृष्टि से 1972-73 के लिए चीनी और गन्ने की नीति पर अन्तिम दौर में विचार चल रहा है।

पारादीप पत्तन टग के कथित घोटाले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जाँच

*2918. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **नौवहन और परिवहनन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों को पारादीप पत्तन टग के घोटाले की जाँच करने के लिये कहा गया था, और

(ख) यदि हां, तो जाँच का क्या परिणाम निकला है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशों में भारतीय डाक्टरों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण

*2919. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय डाक्टरों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सरकार ने कोई सर्वेक्षण कराया है; और

यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो०डी०पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कृषि मूल्य आयोग द्वारा सुझाये गये गेहूं के मूल्य के सम्बन्ध में शिकायतें

*2920. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग द्वारा गेहूं के वसूली मूल्य को घटाने की सिफारिश तथा राज्यों में असन्तोषप्रद व्यवस्था के सम्बन्ध में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर राज्य सरकारों की तथा केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : **(क) और (ख)** : कृषि मूल्य आयोग ने 1972-73 के लिए रबी खाद्यान्नों की मूल्य नीति पर अपनी रिपोर्ट में गेहूँ के अधिप्राप्ति मूल्य घटाने की सिफारिश की थी । आयोग की इस सिफारिश के विरुद्ध एसोसियेशनों और व्यक्तियों से बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे । सरकार ने राज्य सरकारों के साथ बारीकी से विचार-विमर्श करने और सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखने के बाद पिछले वर्ष के स्तर पर गेहूं के अधिप्राप्ति मूल्य बनाए रखने का निश्चय किया ।

यद्यपि उत्तर प्रदेश और राजस्थान से कुछेक शिकायतें, मुख्यतः क्रय केन्द्र आदि खोलने में विलम्ब होने के बारे में, प्राप्त हुई थीं लेकिन इन राज्यों में गेहूं की अधिप्राप्ति के प्रबन्ध सन्तोषजनक थे ।

मैसूर राज्य में परिवार नियोजन पर व्यय

*2921. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में परिवार नियोजन पर केन्द्रीय सरकार ने कितना व्यय किया और गत तीन वर्षों में प्रत्येक देश से इस कार्य के लिए कितनी विदेशी सहायता मिली ; और

(ख) सरकार को अपने उद्देश्य की प्राप्ति में कहां तक सफलता मिली ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय) : (क) पिछले तीन वर्षों में (1969-72) मैसूर राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर कुल अनुमानित खर्च 678.40 लाख रुपये था। इस अवधि में ऐसी कोई विदेशी सहायता प्राप्त नहीं हुई है जो उस राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए ही विशिष्ट रूप से दी गई हो।

(ख) परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू होने से मई 1972 के अन्त तक इसके अन्तर्गत मैसूर राज्य में 4.84 लाख नसबन्दी आपरेशन किये गये। 2.61 लाख गर्भाशयी गर्भरोधक(लूप)पहनाए गए तथा 33,000 व्यक्तियों ने प्रचलित गर्भनिरोधकों का उपयोग किया। इस कार्यक्रम के फलस्वरूप मैसूर राज्य में प्रजनन आयुवर्ग के 9.5 प्रतिशत दम्पत्ति इस समय सुरक्षित किये गए हैं।

इस कार्यक्रम का राष्ट्रीय उद्देश्य चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जन्म दर घटाकर 32 प्रति हजार तक लाना है। भारत के महापंजीकार का नमूना पंजीयन योजना के अनुसार 1970 में मैसूर में जन्म दर घटकर 33.3 हो गई थी। (ग्रामीण क्षेत्रों में 35.1 तथा नगर क्षेत्रों में 27.8)।

मंगलौर बन्दरगाह के निर्माण में प्रगति

*2922. **श्री पम्पा गौडा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर बन्दरगाह के निश्चित समय पर तैयार होने की संभावना नहीं है, और

(ख) यदि हां, तो इसकी निश्चित समय के अनुसार तैयार करने में क्या कठिनाइयां हैं और यह कब तक तैयार हो जायेगी और क्या इसके लिये कुछ अतिरिक्त धन-राशि भी मंजूर की गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : **(क) और (ख)** : मंगलौर हारबर के पूरा होने की ऐसी कोई निर्धारित तिथि नियत नहीं की गयी थी, परन्तु जहाँ तक हो सके इसे 1972 के अन्त तक पूरा किये जाने का इरादा था। नये हारबर को अब 1973 के अन्ततक कार्य करना शुरू कर देना है और 1974 के मध्य तक पूरा हो जायेगा। स्वदेशी फर्म को आदेशित एक निकर्षक की सुपुर्दगी में विलम्ब के कारण निकर्षण कार्यक्रम में कमी के सिवाय, कार्य की प्रगति संतोषजनक है। निकर्षण कार्य जितनी जल्दी हो सके, पूरा करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस पर आने वाले अतिरिक्त व्यय के बारे में कुछ कहना समय पूर्व होगा।

राष्ट्रीय अकादमियो और भारतीय साँस्कृतिक संबंध परिषद के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

*2923. **श्री वी०ए० सामिनाथन** : क्या **शिक्षा और समाज** कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन राष्ट्रीय अकादमियों और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के कार्यकरण

के पुनर्विलोचन करने संबंधी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जैसा कि अप्रैल, 1972 में आशा थी, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वा ी) : (क) और (ख) समिति ने अपनी रिपोर्ट 31-7-1972 को प्रस्तुत कर दी है और इस पर सरकार विचार कर रही है। प्रेस से रिपोर्ट की प्रतियां प्राप्त होने पर उसको एक प्रति सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Construction of Road fnow Darbhanga to Forbisganj

*2924. **Shri M.S. Purty :**

Will **the Minister of Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have accorded their approval for the construction of lateral road from the Western Kosi Canal and Darbhanga to Forbisganj ;

(b) if so, the expenditure to be incurred thereon by the Centre and the State Government respectivaly ; and

(c) whether any funds have been sanctioned by the Centre for the repairs of other roads also ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping & Transport :

(Shri OM Mehta)

(a) & (b) : The proposal for the construction of a link road between Darbhanga to Fonc ker ganyon the Lateral Road Project is still under consideration of the Government of India.

(c) Presumably the Hon'ble Member refers to the repairs of roads other than Lateral Road i.e,, National Highways. The Central Government provides funds every year for the repairs of roads forming part of the National Highway system.

सुधरी हुई किस्म के बीजों की अनुलब्धता के कारण बिहार में फसलों की पैदावार में हानि

*2925. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि समय पर सुधरी हुई किस्म के बीज न मिलने के कारण बिहार राज्य में फसल की उपज को काफी हानि हुई है, और

(ख) यदि हाँ तो सरकार ने भविष्य में समय पर सुधरी हुई किस्म के बीज उपलब्ध कराने हेतु क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) :

(क) और (ख) भारत सरकार को कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है परन्तु बिहार सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दुधारू पशुओं का आयात

*2926. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार ने कितने दुधारू पशुओं का आयात किया और उपरोक्त पशु किन-किन देशों से आयात किये गये;

(ख) सरकार ने इनमें से प्रत्येक देश को कितनी राशि अदा की;

(ग) देश के किन राज्यों को ये पशु दिये गये और प्रत्येक राज्य को कितने पशु दिये गये ; और

(घ) भारत में दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए भारत सरकार किन देशों से बात-चीत कर रहा है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) आस्ट्रेलिया, डेनमार्क, अमेरिका तथा इंगलैंड से गत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1969-70-1970-71 तथा 1971-72 में 1241 विदेशी पशुओं का आयात किया गया थ ।

(ख) इन देशों की सरकारों को कोई धन राशि का भुगतान नहीं किया । आस्ट्रेलिया सर-सरकार द्वारा 575 पशु तथा डेनमार्क सरकार द्वारा 164 पशु सप्लाई किये गये, जो भारतीय हवाई अड्डा/बन्दरगाह तक निष्प्रभार उपहार के रूप में थे । अमेरिका, इंगलैंड तथा आस्ट्रेलिया से उपहार के रूप में प्राप्त किये 503 विदेशी पशुओं के सम्बन्ध में केवल परिवहन प्रभार के रूप में 14,90,636,65 रु० की धनराशि भुगतान की गई थी ।

(ग) 1241 पशुओं का राज्यवार तथा श्रेणी-वार वितरण निम्न प्रकार है :—

क्र० स०	राज्य का नाम	जर्सी		फ्रीसिन		गुर्नसे		रेड डेन		ब्राउन स्विस	
		सांड	ओसर	साँड	ओसर	साँड	ओसर	साँड	ओसर	सांड	ओसर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	7	24	3	11	—	—	—	—	1	—
2.	असम	7	53	—	—	6	16	—	—	—	—
3.	बिहार	—	—	11	28	—	—	—	—	—	—
4.	केरल	15	48	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	तमिल नाडु	1	—	1	11	—	—	—	—	—	—
6.	महाराष्ट्र	3	74	11	12	—	—	—	—	—	—
7.	भारतीय कृषि-उद्योग प्रतिष्ठान महाराष्ट्र	—	80	—	23	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	मध्य प्रदेश	4	60	—	—	—	—	1	20	—	—
9.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय सहित)	—	—	3	223	—	—	1	18	—	—
10.	हरियाणा	13	90	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	पं० बंगाल	—	—	5	9	—	—	—	—	—	—
12.	जम्मू व कश्मीर	2	45	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	हिमाचल प्रदेश	4	46	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	उत्तर प्रदेश	2	48	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर	2	28	—	—	—	—	1	20	—	—
16.	राजस्थान	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—
17.	गोवा	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	मिलिटरी फार्म	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—
19.	भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर	2	12	—	—	—	—	—	—	2	15
20.	पांडीचरी	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	मेघालय	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
22.	गुजरात (आनन्द)	4	96	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग:	—75	704	43	317	6	16	3	58	3	15

टिप्पणी :—1 जर्सी सांड संगरीध काल के दौरान मर गया था।

(घ) भारत सरकार आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क तथा स्विटजरलैंड की सरकारों के साथ बातचीत कर रही है।

'केयर' को उपहार के रूप में प्राप्त हुए खाद्य पदार्थ

*2927. **श्री शशि भूषण** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'केयर' को उपहार के रूप में या वैसे प्राप्त हुए विभिन्न खाद्य पदार्थों का निरीक्षण करने और प्रमाणित करने की कोई व्यवस्था है कि वे मनुष्यों के खाने योग्य हैं;

(ख) क्या 'केयर' द्वारा प्राप्त माल के साथ अन्तर्राष्ट्रीय/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न होते हैं :

(ग) क्या गत तीन वर्षों में दुग्ध चूर्ण, 'बटर आयल', बिस्कुट अथवा अन्य खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं पाये गये थे; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जो पदार्थ खाने योग्य नहीं पाये गये थे उनका निपटान कैसे किया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मानवीय उपभोग के लिये अनुपयुक्त दुग्ध-चूर्ण और बटर आयल

*2928. **श्री शशि भूषण** :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय डेरी निगम और राष्ट्रीय डेरी बोर्ड ने राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि, विश्व युद्ध कार्यक्रम और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से मानवीय उपभोग के अनुपयुक्त कितना दुग्ध-चूर्ण और बटर आयल प्राप्त किया ;

(ख) क्या आम जनता, विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग के प्रयोग हेतु उन्हें जारी करने के पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की एजेन्सी द्वारा इस समान की जांच/निरीक्षण नहीं की गई थी और उन्हें प्रमाणित नहीं किया गया था;

(ग) मानवीय उपभोग के लिए ऐसी अनुपयुक्त वस्तुएँ जारी करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने का विचार है कि इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक क्षेत्र के साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रमाणपत्र संलग्न हों और आम जनता के उपभोग के लिए उन्हें जारी करने से पूर्व हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय भी उसे फिर से प्रमाणित करे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (घ) :—जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी । किन्तु भारतीय डेरी निगम ने सूचित किया है कि मानवीय उपभोग के अनुपयुक्त कोई भी दुग्ध चूर्ण तथा बटर आयल आम जनता के उपभोग के लिये नियुक्त नहीं किया गया है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय

*2929. **श्री शशि भूषण : श्री एम० के० तामुतु** : क्या **शिक्षा और समाज** कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 25 जुलाई, 1972 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'यूनीवर्सिटी लायब्रेरी-कैम्प्रास विहाइन्ड आर्डश्ली एक्सटीरियर' नामक शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में कौन से कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) : विवरण संलग्न है, जिसमें समाचार में उठाए गए विभिन्न प्रश्नों पर दिल्ली विश्वविद्यालय के विचार दिए गए हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०** 3461/72]

क्षेत्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, जालंधर में गन्ने की एक नई किस्म का विकास

*2930. **श्रीमती सावित्री श्याम : श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जुलाई, 1972 के 'इन्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि क्षेत्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जालंधर ने गन्ने की एक नई किस्म का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो इस गन्ने की अनुमानित प्रति एकड़ उपज क्या होगी और इस गन्ने से कितनी चीनी निकलेगी; और

(ख) गन्ने की इस नयी किस्म से तैयार होने वाली चीनी से देश की माँग किस सीमा तक पूरी की जा सकेगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शन्दे) :(क) जी हाँ। तीन नई किस्में अर्थात् एस 449-64, एस 480-64 और को 62399 खेती के लिए उत्साहवर्द्धक पाई गई है :—

(ख) इन नयी किस्मों की सम्भाव्य उपज नीचे दी गई है।

एस 449-64 700 क्विन्टल प्रति हैक्टार

एस 480-64 750-800 ,, ,, ,,

को 62399 800-850 ,, ,, ,,

ये किस्में क्रमशः शीघ्र, मध्यम और विलम्ब से पकने वाले वर्गों से सम्बन्धित हैं। गन्ने के पकने की अवधि के अन्तर को दृष्टिगत रखते हुए इन किस्मों की खेती से फैक्टरियों में गन्ने से प्राप्ति की प्रतिशतता में सुधार लाने में सहायता मिलने की सम्भावना है।

(ग) चीनी फैक्टरी के फार्मों और प्रगतिशील गन्ना उत्पादकों के खेतों में इन किस्मों के विभिन्न परीक्षण किए जा रहे हैं और आशा है कृषकों के खेतों में कार्य-निष्पत्ति के अध्ययन के उप-

रान्त इन किस्मों को खेती के लिए जारी कर दिया जायेगा । अतः इन नयी किस्मों से चीनी उद्योग की मांग किस हद तक पूरी होगी, इस विषय में इस समय कुछ सम्भव नहीं है ।

बंगला देश को खाद्यान्नों की सप्ल ई

*2931. **श्रीमती सावित्री श्याम : श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने बंगला देश को खाद्यान्नों की कुल कितनी सप्लाई की है;

(ख) क्या बंगला देश को खाद्यान्न की और भी सप्लाई की जानी है;

(ग) क्या बंगला देश को खाद्यान्न सप्लाई करते समय सरकार देश के विभिन्न भागों में तथा बंगला देश में भी सूखे की स्थिति को ध्यान में रखेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

(कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : 20 जुलाई, 1972 तक कुल 7,57,109 मीटरी टन खाद्यान्न भेजे गए थे । यह तय हो गया कि बंगला देश को 50,000 मी० टन गेहूँ की और मात्रा सप्लाई की जाए । इस में से लगभग 38,000 मी० टन की मात्रा 15-8-72 तक भेज दी गई है और शेष मात्रा अगस्त, 1972 के अन्त से पहले भेज दी जाएगी ।

(ग) जी हां ।

(घ) सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में सप्लाई स्थिति की बराबर समीक्षा की जा रही है । सूखे से प्रभावित राज्यों की खाद्यान्नों की उचित जरूरतें पूरी की जा रही हैं ।

मन्दिर मार्ग के टाइप II क्वार्टरों में सफाई और बागवानी की व्यवस्था

*2932. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नयी दिल्ली में मन्दिर मार्ग के टाइप II क्वार्टरों में गत आठ महीनों से किसी प्राधिकरण ने सफाई तथा बागवानी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और शीघ्रातिशीघ्र ऐसी सुविधायें प्रदान करने के सम्बन्ध में सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय (क) तथा (ख) : सफाई की व्यवस्था पहले ही कर दी गई है । जहाँ तक उद्यान संबंधी व्यवस्था का संबंध है, कच्चे पानी के बड़े पाइप डालने का काम जुलाई, 1972 में पूरा हो गया है तथा आवश्यक उद्यान संबंधी कार्य हाथ में है ।

समाज कल्याण बोर्ड को कानूनी दर्जा देना

*2933. **श्री बी० के० दास चौधरी :**

श्री एम० कतामुतु :

क्या **शिक्षा और समाज** कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में समाज कल्याण बोर्डों को कानूनी दर्जा देने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार का क्षेत्राधिकार केवल केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड पर है, जो इस समय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन कम्पनी के रूप में पंजीकृत है। इसके पुनर्गठन के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

समाज कल्याण तथा पिछड़े वर्ग कल्याण के कार्यकारी राज्य मंत्रियों के हाल में हुए सम्मेलन में राज्य सरकारों को राज्य समाज कल्याण बोर्ड का पंजीकृत संस्थाओं के रूप में पुनर्गठन करने की सलाह दी गई थी।

ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना को कार्य रूप देने के लिये एक उच्च शक्ति सम्पन्न समिति की स्थापना

*2934. **श्री वी० के० दासचौधरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये बनायी गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना का विस्तार से अध्ययन करने तथा इसके तुरन्त क्रियान्वयन के लिये आवश्यक संशोधनों का सुझाव देने हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति की स्थापना की गई है ;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों को उपलब्ध कराने को योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी०चट्टोपाध्याय : (क) जी हां।

(ख) और (ग) यह योजना सुचारु रूप से चले यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझे जाने वाले संशोधन सुझाने और इस पर विस्तार से विचार करने के निमित्त हाल ही में नई दिल्ली में हुए स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में मंत्रियों की एक समिति का गठन किया गया था। इस

समिति की पहली बैठक 27 जुलाई, 1972 को हुई थी। इस समिति की बैठक में संशोधन सम्बन्धी विभिन्न सुझावों को मोटे रूप से निम्नलिखित तीन वर्गों में बांटा जा सकता है :—

1. कुछ बुनियादी प्रशिक्षण देने के बाद परा-चिकित्सा कर्मचारियों की नियुक्ति करना।

2. परा-चिकित्सा कर्मचारी और जहां कहीं उपलब्ध हों भारतीय चिकित्सा पद्धतियों तथा होम्योपैथी के पंजीकृत चिकित्सक नियुक्त करना।

3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र खोलने की वर्तमान योजना का विस्तार करना और एम० बी० बी० एस० डाक्टरों को नियुक्त करना।

Expenditure on Small Farmers Development Agency

***2935. Shri G.C. Dixit :**

Will the **Minister of Agriculture** be pleased to state the amount actually expended on Small Farmers Development Agency and Marginal Farmers Development Agency, agricultural labour and scheme-wise details of the targets schieved in this regard ?

Minister of State In The Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) :

	S.F.D.A:	M.F.A.L
(i) Amount released by Central Government up to 31.7.72.	Rs. 12.36 crores	Rs. 7.38 crores.
(ii) Physical progress :		
(a) Participants identified : (lakhs)	16.84	7.88
(b) No. of participants enrolled as member of cooperatives (lakhs)	8.18	1.94
(c) No. of dug wells/tubewells assisted	34146	2573
(d) No. of pumpsets assisted	8081	1279
(e) other manor irrigation works assisted	5014	214
(f) Milch cattle units assisted	11047	5776
(g) Poultry units assisted	2113	2583
(h) loans issued : (Rs. in crores)		
(i) Short-term	12.54	0.95
(ii) medium-term	4.06	0.82
(iii) long-term	12.17	0.49

Setting up of Physical Training Institute in Madhya Pradesh

***2936 : Shri G.C. Dixit :** Will the **Minister of Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a Physical Training Institute at a place other than Gwalior in Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the seclient features there of ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri K.S. Ramaswamy) : (a) No such proposal is under consideration of the Government.

(b) Does not arise.

Review of Master Plan For Development of Fisheries in Madhya Pradesh

*2937. **Shr G.C. Dixit** : Will the **Minister of Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have accepted to review its past policy in regard to the master plan for the Development of fisheries in Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the results thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri AnnaSaheb P: Shinde) : (a) No Master Plan as such for the development of Fisheries in Madhya Pradesh has been received by the Government. Hence the question of acceptance to review its past policy in this regard has not arisen. However, a "project for fish seed production, ponds and reservoir development, reclamation of village ponds", proposed to be taken with World Banks assistance has been received from the Government of Madhya Pradesh,

(b) The Project Report has been examined and certain points have been brought to the notice of the Government of Madhya Pradesh on 17.7.1972 with the request that their coments thereon may be made available to the Government of India. A draft outline for preparing revised project report has also been sent to the State Government. The reply of the State Government is awaited.

Development Agency for Medium Farmers in M.P.

*2938. **Shri G.C. Dixit** : Will the **Minister of Agriculture** be pleased to state :

(a) the brief outlines of the schemes to be undertaken in Madhya Pradesh during 1972-73 under the Development Agency for medium farmers ; and

(b) the total expenditure likely to be incurred on those schemes ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) There is no Central Sector scheme as Development Agency for medium farmers ; nor is there any proposal for such an agency under consideration.

(b) Does not arise.

मध्य प्रदेश में रायपुर से सम्बलपुर जाने वाले राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 का बंद किया जाना

*2939. **श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल** : **क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 मध्य प्रदेश में रायपुर से सम्बलपुर तक जाता है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि यह राजपथ अनेकों नदियों पर में होता हुआ जाता है जिसके कारण यह मार्ग विशेष रूप से वर्षाकाल में बन्द हो जाता है,

(ग) क्या सरकार को राजपथ के बन्द होने के संबंध में व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप में लोगों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और

(घ) यदि हाँ, तो यह सुनिश्चित कराने के लिये कि यह राजमार्ग बन्द न हो, सरकार क्या कदम उठा रही है तथा आवश्यक कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 6 मध्य प्रदेश में रायपुर से उड़ीसा में सम्बलपुर तक जाती है।

(ख) यायायात बन्द नहीं होता लेकिन बरसात में कभी-कभी कुछ समय के लिये कुछ नदी घाटों पर केवल रुक जाता है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) वर्तमान आठ निमज्जक पुल जिनके कारण बरसात में यातायात रुक जाता है, के स्थान पर उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है। इनके शीघ्र ही शुरू किये जाने और पाँचवी योजना काल के दौरान पूरे किये जाने की संभावना है।

Scheme to Solve Basic Health Problem in Madhya Pradesh

*2940. **Shri ShriKrishna Agrawal** : Will **the Minister of Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether there is any centrally sponsored scheme to solve basic health problems in Madhya Pradesh ;

(b) if so, the boad outlines thereof ; and

(c) the steps taken or proposed to be taken to implement the said scheme expeditiously and to make it more effective during 1972-73 ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and in the Ministry of Worlds & Housing (Prof. D.P. Chattopadhyaya) : (a) to (c) There is a centrally sponsored scheme for strengthening the Primary Health Centres located in areas which have entered Malaria Maintenance Phase with the Basic Health Service staff according to the norm of one Basic Health Worker per 10,000 population, one Health Inspector to supervise the work of every four Basic Health Workers and one laboratory Technician per Primary Health Centre. 100% central assistance is provided under this scheme for the additional staff appointed after 1·4. 1969. A basic health worker is expected to carry out malaria vigilance, vaccination against smallpox, health intelligenc, recording of births & deaths and information in respect of family planning.

In the State of Madhya Pradesh as no area has yet entered into the Malaria Maintenance phase, Basic Health Service Scheme could not be implemented.

चुकन्दर तथा सूरजमुखी उगाने के लिये विदेशों से सहायता

*2941. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के कृषि विकास में विशेषतया चुकन्दर तथा सूरजमुखी उगाने के लिये, कुछ देशों ने सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो वे देश कौन-कौन से हैं और उनकी क्या शर्तें हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : चुकन्दर तथा सूरज मुखी की खेती के लिए किसी देश से कोई सहायता का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। दिनांक 10 अप्रैल, 1972 को रूस के साथ हस्ताक्षर किये गये पर एक संलेख के अधीन रूस सरकार ने अनुसंधान कार्य के लिए सूरज मुखी की कुछ किस्मों को दस-दस किलोग्राम बीज सप्लाई करना स्वीकार किया है।

भारत-डेनिस तकनीकी सहयोग सरकार के अन्तर्गत 14 अक्तूबर, 1970 से 38 महीनों की अवधि के लिए चुकन्दर तथा पान के बीज की खेती से सम्बन्धित मामले पर सलाह देने के लिए एक डेनिस विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त की गयीं हैं।

मिथिला विश्वविद्यालय

*2942. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में दरभंगा में एक आधुनिक (मिथिला) विश्वविद्यालय की स्थापना की गई; और

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उसे कितनी सहायता दी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) बिहार सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार मिथिला विश्वविद्यालय ने जिसका मुख्यालय दरभंगा में, है कार्य करना शुरू कर दिया है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत आयोग द्वारा निर्धारित मामलों में अपने आपको संतुष्ट करते हुए किसी विश्वविद्यालय को अनुदान प्राप्त करने के लिये योग्य घोषित करने पर ही उसे अनुदान दिया जा सकता है। विश्वविद्यालय द्वारा आयोग को लिखने के पश्चात् और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के उपबन्धों को ध्यान में रखने के बाद सहायता के प्रश्न पर यदि कोई हो, विचार किया जाएगा।

कृषि पालिटेकनिकों की स्थापना

*2943. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि पालिटेकनिकों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) शिक्षा आयोग (1964-66) की सिफारिशों के अनुसरण में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने विशिष्ट क्षेत्रों में मध्य-स्तरीय प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा सेवान्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से कृषिमन्त्रालय के परामर्श से कृषि पोलिटेक्निकों की एक योजना प्रारम्भ करने का निश्चय किया है। योजना का ब्यौरा तैयार करने के लिये एक कार्यकारी दल स्थापित किया गया है। अनुभव प्राप्त करने की दृष्टि से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान मार्गदर्शी परियोजनाओं के रूप में पांच कृषि पोलिटेक्निक स्थापित करने का प्रस्ताव है :—

1. बागवानी पोलिटेक्निक
2. डैरी पोलिटेक्निक
3. बहु-फसली पोलिटेक्निक
4. वारानी कृषि पोलिटेक्निक तथा
5. कृषि इंजीनियरिंग पोलिटेक्निक

प्रारम्भ में सेवान्तर्गत प्रशिक्षण तथा तकनीकी साकारता अभियान पर बल दिया जायेगा, जिससे ये कार्यक्रम बेरोजगारी की समस्या को और अधिक न बढ़ायें ।

सहायता का प्रतिमान अभी निश्चित किया जाना बाकी है। इनके स्थान कर्मचारियों आदि का ब्यौरा भी अभी तैयार किया जाना शेष है ।

चावल के लिये मिनी-किट कार्यक्रम

*2944. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्तार प्रवासों में तीव्रता लाने के लिये खाद्य प्रतिष्ठान के सहयोग से सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने चावल के लिए 'मिनी-किट' कार्यक्रम प्रायोजित किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। भारत सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सहयोग से चावल के 'मिनी-किट' कार्यक्रम विषयक एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है ।

(ख) इस कार्यक्रम की मुख्य बातें हैं : (।) विभिन्न कृषि-जलवायु की अवस्थाओं में उपयुक्त दो चुनींदा किस्मों की दो-दो किलो की मिनी किटों का वितरण करना, (2) क्षेत्रीय स्तर पर कार्यक्रम को क्रियान्विति के लिए उत्तरदायी विस्तार कार्मिकों को प्रशिक्षण देना, (3) कार्यक्रम में शामिल की गई किस्मों के बीजों का वर्णन करना, और (4) कृषकों की प्रतिक्रिया जानने की दृष्टि से खेत में परीक्षणों का मूल्यांकन करना ।

बड़े जहाज बनाने के लिये कलकत्ता में खुश्क गोदी का निर्माण

*2945. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में बड़े जहाज बनाने के लिये एक नई खुश्क गोदी का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या विदेशी सहयोग से गोदी का निर्माण किया जा रहा है,और

(ग) यदि हां, तो सहयोग का स्वरूप और शर्तें क्या हैं और गोदी कब तक बन जायेगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) कलकत्ता की गार्डन रीच वर्कशाप, लिमिटेड, अपनी विस्तार तथा आधुनीकीकरण योजना के भाग के रूप में अपनी वर्तमान सूखी गोदी का 188 मीटर × 27 मीटर × 10 मीटर आकार की बड़ी सूखी गोदी के रूप में विस्तार कर रही है, ताकि वे 28,000 डी० डब्ल्यू० टी० तक के समुद्रगामी पोतों का निर्माण कर सकें। विस्तार की गई सूखी गोदी का जुलाई, 1973 तक पूरे हो जाने की सम्भावना है । इस परियोजना के लिए किसी विदेशी सहयोग को लेने का विचार नहीं है ।

दी इन्टरनेशनल यूथ सांइस फोर्टनाईट में शिष्ट मण्डल भेजना

*2946. **श्री नगेन्द्र सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन छात्रों का एक शिष्टमण्डल 14 वीं इन्टरनेशनल यूथ साइंस फोर्टनाइट में भाग लेने के लिए लंदन गया है;

(ख) यदि हां, तो शिष्टमण्डल के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) उनके चयन के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के नाम क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) :—सरकार के पास कोई सूचना नहीं है । ऐसा कोई प्रतिनिधि मण्डल सरकार द्वारा प्रयोजित नहीं किया गया है ।

त्रिवेन्द्रम के कुछ स्कूलों में विषाक्त भोजन के मामले

*2947. **श्रीराम कंवर :**

श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम में अभी हाल में कुछ स्कूलों में संदेहास्पद विषाक्त भोजन के कई मामले हुए हैं ;

(क) क्या मुफ्त भोजन 'सर्वत्र अमरीकी राहत के लिये सहयोग' (केयर) संस्था के माध्यम से सप्लाई किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत सरकार ने स्कूली बच्चों को 'केयर' द्वारा सप्लाई किए गए भोजन की सप्लाई रोक दी है; और

(ङ) इस प्रकार की रोक लगाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) त्रिवेन्द्रम के निकट अटिंगल में एक लोअर प्राइमरी स्कूल में संदेहास्पद विषाक्त भोजन के मामले होने का पता चला था। इसमें कोई रासायनिक जीव-विष नहीं पाया गया , बाद में जीवाणवीय आधार पर चन्द मामलों में हैजा होने की पुष्टि की गई है।

(ख) जी हां।

(ग) इण्डो-केयर करार 1950 के अधीन केयर संस्था की सहायता से दोपहर के भोजन का एक कार्यक्रम राज्य-सेक्टर के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा पाण्डिचेरी की सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। 'केयर' संस्था भारतीय बन्दरगाहों पर राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को (कार्न-फ्लोर, साबुत गेहूँ, दला हुआ गेहूं, दुग्ध-चूर्ण, कार्न, सोयाबीन, सी० एस० एम०, सलाद, आयल और मिल्क-ब्रेड) मुफ्त सप्लाई करती है। बच्चों को खाद्य पदार्थ वितरित करने में होने वाले निकासी तथा अन्य प्रशासकीय व्यय तथा न्यूयार्क में लदान से पहले पैकिंग और लेबल लगाने की लागत एवं भारत में भारतीय कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते और एक अमरीकी प्रशासक के अधीन राज्यों की राजधानियों में केयर संस्था के कार्यालयों के रख-रखाव का व्यय भी राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन वहन करते हैं। 'केयर' के अनुसार राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों का 1972-73 के दौरान 1 करोड़ 10 लाख 19 हजार बच्चों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का विचार है।

(घ) और (ङ) केयर के खाद्य पदार्थों का स्कूल के बच्चों में वितरण रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किए हैं। संदेहास्पद विषाक्त भोजन के मामलों के

के कारण राज्य सरकार ने केयर भोजन कार्यक्रम पर अस्थायी तौर पर रोक लगाने के अनुदेश जारी किए हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के कर्मचारियों की मांगें

*2948. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली के कर्मचारियों ने हाल ही में अपनी मांगों के समर्थन में घेराव और आन्दोलन किया था,

(ख) कर्मचारियों की मांगें क्या थीं, और

(ग) क्या इन मांगों के बारे में कर्मचारियों के साथ समझौता करने के प्रयत्न किये गये थे ?

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली के कुछ कर्मचारियों द्वारा 31 मई, 1972 को संस्थान के निदेशक को मांगों का चार्टर प्रस्तुत किया गया था। कर्मचारियों द्वारा नौ मांगें प्रस्तुत की गई थीं इन माँगों का मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों से संबन्ध है :—

(1) कर्मचारी संघ को मान्यता देना।

(2) प्रशासनिक स्थायी समिति का गठन।

(3) अनुशासनिक मामलों की वापसी।

(4) ग्रेडों की सूचियां तैयार करना।

(5) अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करना।

(6) सरकार के सभी नियमों एवं आदेशों का कार्यान्वयन।

(7) शासी बोर्ड में आई० आई० टी० के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व।

(8) कुछ कर्मचारियों के पदनाम में परिवर्तन।

(9) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए उन्नति की सुविधाओं की व्यवस्था।

(10) सभी कर्मचारियों के लिए कैम्पस सुविधाओं और सुखसाधनों का विस्तार किया जाए।

मांगों का चार्टर प्राप्त होने पर, शासी बोर्ड के अध्यक्ष ने बोर्ड के कुछ सदस्यों के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श करने के बाद कर्मचारियों की विभिन्न मांगों की जांच करने के लिए 2 जुलाई, 1972 को शासी बोर्ड की एक उप समिति स्थापित की।

समिति ने 22 जुलाई, 1972 को बोर्ड को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दीं। समिति की रिपोर्ट पर शासी बोर्ड द्वारा अपनी 22 जुलाई, 1972 की बैठक में विचार किया गया। जिस

समय बैठक हो रही थी, कुछ कर्मचारियों ने प्रातः 11 बजे से सांय 5 बजे तक बोर्ड के सदस्यों का घेराव किए रखा तथा उन्हें बाहर नहीं जाने दिया।

बोर्ड ने समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं तथा निदेशक से अनुरोध किया कि संकाय के प्रतिनिधियों तथा अन्यों के साथ कर्मचारि-समिति का गठन करें, जो कि सलाहकार समिति का कार्य करेगी। उप समिति द्वारा सिफारिश किए गए तथा शासी बोर्ड द्वारा स्वीकृत किए गए अन्य सभी मामलों पर कार्रवाई की जा रही है।

चौथी योजना में सामाजिक सुरक्षा के उपाय

*2949. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल में हुए राज्य के समाज कल्याण मंत्रियों के सम्मेलन में क्या सामाजिक सुरक्षा के उपायों पर विचार विमर्ष किया गया;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या विचार व्यक्त किये गये ; और

(ग) क्या चौथी योजना में सामाजिक सुरक्षा के उपायों के लिये आवश्यक धनराशि के बारे में कोई अस्थायी अनुमान लगाये गये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) सम्मेलन की कार्यसूची में यह मद भी शामिल थी, पर इस पर विस्तृत विचार विमर्श नहीं किया गया। राज्य सरकारों से अलबता अनुरोध किया गया था कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिए अपने प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को शीघ्र भेजें।

(ग) कार्य सूची में शामिल प्रस्तावों पर 758 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान था।

कर्मचारियों के सामाजिक शिक्षा संस्थानों की गतिविधियों और कार्यक्रमों का विस्तार

*2950. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारियों के सामाजिक शिक्षा संस्थानों की गतिविधियों और कार्यक्रमों के विस्तार के लिए ठोस प्रस्ताव देने के लिए गठित 5 संसदीय विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों का ब्यौरा क्या है।

(ख) यह रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी ;

(ग) क्या राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड ने इस रिपोर्ट पर विचार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) विशेषज्ञ दल द्वारा की गई सिफारिशें संलग्न हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-3462/72]

(ख) विशेषज्ञ दल ने फरवरी, 1971 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

(ग) विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट का सरांश बोर्ड की 21-7-1972 को हुई बैठक के सम्मुख रखा गया था।

(घ) विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट कर्मचारियों के समाज शिक्षा मंत्रालयों को उन सिफारिशों पर कार्यान्वयन के लिए भेजी जा रही है, जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है।

चुने हुए जिलों में निरक्षरता की सम्पत्ति के लिए मार्गदर्शी परियोजनाएं

*2951. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चुने हुए जिलों में निरक्षरता की सम्पत्ति के लिए मार्गदर्शी परियोजनाएं बनाने के बारे में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड ने कब सिफारिशें की थीं ;

(ख) चौथी योजना के प्रथम चरण में चुने हुए जिलों में 60 लाख निरक्षर प्रौढ़ व्यक्तियों में निरक्षरता की पूर्ण समाप्ति के लिए तैयार की गई प्रारूप योजना का विस्तृत ब्यौरा क्या है ;

(ग) यह प्रारूप योजना कब से वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है ; और

(घ) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के पहले इस योजना के क्रियान्वयन की कोई सम्भावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) मई, 1970 में।

(ख) इस योजना में शुरू में 20 जिलों में क्रमिक तरीके से सामूहिक आधार पर निरक्षरता के उन्मूलन की परिकल्पना है। इसमें अधिकतम लोगों द्वारा भाग लेने की भी परिकल्पना है।

(ग) योजना राज्य सरकारों के विचाराधीन है ; सभी राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया का पता लग जाने पर इस पर वित्त मंत्रालय द्वारा विचार किया जाएगा।

(घ) यह राज्य सरकारों पर आधारित है।

भैंस प्रजनन केन्द्र के लिये प्रायोगिक परियोजना स्थापित करने हेतु पेरू (दक्षिण अमरीका) से प्राप्त प्रस्ताव

*2952. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पेरू दक्षिण अमरीका में भैंस प्रजनन केन्द्र के लिये प्रायोगिक परियोजना स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

युवकों द्वारा औषधियों के दुरुपयोग के बारे में गोष्ठी

*2953. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवकों द्वारा औषधियों के दुरुपयोग के बारे में 28 जुलाई 1972 को दो दिवसीय गोष्ठी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार से कोई सिफारशें की गई थीं ; और

(ग) यदि हां, तो उन सिफारशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, हां । दिल्ली प्रशासन ने औषधी दुरुपयोग तथा युवकों के बारे में 28 तथा 29 जुलाई, 1972 को दो दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया था ।

(ख) तथा (ग) गोष्ठी की सिफारिशें भारत सरकार को प्राप्त नहीं हुई थीं । ये दिल्ली प्रशासन को प्राप्त हुई थीं और उन्हीं के द्वारा इनकी जांच की जा रही है ।

भारतीय नौवहन निगम का विस्तार

*2954. **श्री वयालार रवि** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार भारतीय नौवहन निगम के कार्यकरण का विस्तार करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या है और इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : शिपिंग कारपोरेशन ने 8.71 लाख जी० आर० टी० (13.00 लाख डी० डब्लू० टी०) के 77 पोतों का बेड़ा प्राप्त किया है । अक्टूबर, 1971 में जयंती शिपिंग कम्पनी के शेयरों की अपिप्राप्ति के बाद जयंती शिपिंग कंपनी का बेड़ा भी जिसमें 2.95 लाख जी० आर० टी० (4.81 लाख डी० डब्लू० टी०) के 16 पोत शामिल हैं शिपिंग कारपोरेशन की मालकियत में आ गये हैं । इसके

अतिरिक्त, कारपोरेशन ने पहले ही चतुर्थ योजना विस्तार कार्यक्रम एक भाग के रूप में दोनों भारत और विदेशी के शिपयार्डों को कुल 10 लाख जी० आर० टी० (16 लाख डी० डब्लू० टी०) से ऊपर के 39 पोतों का आर्डर दे दिया है। पाँचवी पंच वर्षीय योजना अवधि के दौरान कारपोरेशन का अपने बेड़े और क्रियाकलापों में और विस्तार करने का इरादा है, देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकताओं और उनकी वाणिज्यिक सक्षमता के अनुसार दूसरे क्षेत्रों में अपने क्रियाकलापों और सेवाओं का विस्तार करने का भी विचार है। कारपोरेशन के अगले विस्तार कार्यक्रम में खुले माल वाहक, तेलपोत और अन्य विशिष्ट व्यापारों के विकास द्वारा अपने बेड़े की विविधता पर अधिक जोर दिया गया है। जहाँ कि इस समय भारतीय नौवहन की सहभागिता अपर्याप्त है।

आन्ध्र प्रदेश की सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिये केन्द्रीय सरकार की सहायता

*2955. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार को कोई सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और कितनी सहायता दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : **(क) और (ख)** : अप्रैल-जून, 1972 की अवधि के दौरान सूखा राहत उपायों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता के प्रयोजन हेतु 5.9 करोड़ रुपये की सीमा निर्धारित की गयी थी।

जून, 1972 के बाद रूखे की स्थिति के बने रहने के कारण राज्य सरकार ने केन्द्रीय दल द्वारा स्थिति की समीक्षा करने और बाद की अवधि के लिए धनराशि की आवश्यकताओं का अन्दाजा लगाने के लिए अनुरोध किया है।

दल द्वारा स्थिति का जायजा लेने तक राज्य सरकार ने 5 करोड़ रुपये की तदर्थ सहायता के लिए अनुरोध किया था। इसमें से राज्य सरकार का 2.50 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया गया है।

केन्द्रीय दल का भी गठन किया जा रहा है और वह दल शीघ्र ही राज्य का दौरा करेगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उस्मानिया विश्वविद्यालय में गामा इरेडियेशन यूनिट की स्थापना

*2556. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उस्मानिया विश्वविद्यालय में भारतीय डिजाइन का पहला गामा इरेडियेशन यूनिट लगाया गया है और यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं,

(ख) इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) यूनिट स्थापित करने के लिए लगभग कितनी धन-राशि खर्च की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हाँ। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के आइसोटोप प्रभाव द्वारा उस्मानिया विश्वविद्यालय के जननिक विभागों में विशेष रूप से डिजाइन किया गया और देश में निर्मित एक हजार क्यूटी कोबाल्ट-60 गामा शाइन लगाया गया है। इस यूनिट का मूल रूप से जीव विज्ञान अनुसंधान के लिए परिकल्पना की गई है। यह विस्तृत क्षेत्र के ऊपर का प्रचण्ड क्षेत्र प्रदान करता है। इस में कृषि पशु धन और निर्वाह पशु धन दोनों के परीक्षण की व्यवस्था है।

(ख) यूनिट पूरा कार्य कर रहा है और किरणीपन विकिरण द्वारा अन्न सुरक्षित रखने के अध्ययन के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है।

(ग) यूनिट और भवन पर लगभग 2 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।

रूस से मछली पकड़ने की नौकाओं का आयात

*2957. **श्री वयालार रवि** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र से मछली पकड़ने के लिए रूस से मत्स्य नौकाओं का आयात करने के बारे में सरकार ने अंतिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और केरल सरकार ने अपनी मत्स्य विकास परियोजाओं को क्रियान्वित करने के लिए कितनी आयातित नौकाओं की मांग की है ; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : समुद्री और अन्तर्देशीय मत्य-हरण के क्षेत्र में सहयोग विषयक एक समझौते के लिये सोवियत सरकार के साथ बातचीत की जा रही है। प्रस्तावित समझौता सामान्य शर्तों के लिए है और किसी विशेष संख्या या आयात किये जाने वाले जलयानों की विशेष किस्मों के विषय में नहीं है। अतः केरल या अन्य राज्यों को जलयान आवंटन करने का प्रश्न ही नहीं होता। स्वीकृत नीति के अनुसार गहन समुद्र जलयानों के निर्माण के लिये देशी क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग होना चाहिए। शेष जलयान उपलब्धि के अनुसार प्रस्तावित समझौते के अन्तर्गत प्राप्त किये जायेंगे। अतः समझौता होने पर उसको ध्यान में रखते हुये स्थिति पर पुनर्निलोकन किया जायेगा।

काजू की काश्त के विस्तार के लिये केरल को केन्द्रीय सहायता

*2958. **श्री वयालार रवि** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे काजुओं की सप्लाई के लिए विदेशों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए देश में काजू की काश्त में वृद्धि करने की आवश्यकता की सरकार को जानकारी है,

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है,

(ग) क्या केरल सरकार ने राज्य में काजू की काश्त का विकास करने के लिए कोई वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(घ) यदि हां तो इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) चतुर्थ योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने देश में काजू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुख्य काम उत्पादन राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रयोजित निम्नलिखित योजनाएं आरम्भ की हैं ।

योजना	चतुर्थयोजना के लिये **भौतिक लक्ष्य**	चतुर्थ योजना के लिए वित्तीय **विनियोग (लाख रुपयों में)**
1 काजू की गुच्छियों का उत्पादन	2,75,000 सं०	3.30
2. प्रदर्शन क्षेत्रों का संगठन	1,500	1350.
3. वनस्पति रक्षण उपायों को अपनाना	93,240 एकड़	50.38
4. विपणन सर्वेक्षण	—	4.82

चतुर्थ योजना के अंतिम दो वर्षों की अवधि में 100 लाख रुपये की कुल लागत से विभिन्न राज्यों में प्रत्येक के अन्तर्गत 5000 हैक्टर के लिए विभागीय बागानों में क्षेत्र विस्तार तथा काजू पर विशेष पैकेज प्रोग्राम योजना के कार्यान्वयन द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में काजू विकास कार्यक्रम को और बढ़ाया गया है ।

(ग) केरल सरकार द्वारा कोई विशेष सहायता नहीं मांगी गई है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

Agreement With Ussr for Sun Flower Seeds

*2959. **Shri K.M. Madhukar** : will the Minister of **Agriculture** be pleased to state ;

(a) whether any agreement in regard to sun flower seeds has been concluded between India and Soviet Union ; and

(b) if so, the quantity of sun flower seeds likely to be received by India from Soviet Union ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) : There has been no Agreement to import Sun Flower Seeds for production. A Protocol has, however, been signed on 10th April, 72 indicating the measures to be taken by

India and USSR during 1972 and first half of 1973 for scientific and technical cooperation with each other.

It provides for USSR supplying 10 kg. each of certain varieties of Sun Flower Seeds for research purposes.

सूरजमुखी की खेती

*2960. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के उन राज्यों का पता लगा लिया है, जहां सूरजमुखी की खेती होना सम्भव है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और क्या बिहार के किसी भाग में भी सुरजमुखी की खेती होना सम्भव है ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) ; गत तीन वर्षों के दौरान किये गये विस्तृत परीक्षणों के फलस्वरूप विभिन्न मौसमों तथा क्षेत्रों में सूरजमुखी की आयातित किस्मों की उपयुक्तता का पता लगा है। जिन क्षेत्रों तथा मौसमों में सूरजमुखी का उत्पादन किया जा सकता है, उनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

मौसम	उपयुक्त क्षेत्र	उपयुक्त किस्म
1	2	3
1. **खरीफ** जून-जुलाई में बुवाई तथा अक्टूबर-नवम्बर में कटाई	1. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान तथा बुन्देलखंड क्षेत्र के आसपास का केन्द्रीय क्षेत्र	महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में विनिमिक अथवा पेरेडाबिक, गुजरात, राजस्थान तथा बुन्देलखंड में अर्मावर्स्किज
2. **खरीफ** (जून-जुलाई में बुवाई तथा अक्टूबर-नवम्बर में कटाई)	2. दक्षिणी क्षेत्र मैसूर में रायचुर तथा तमिलनाडु में कोयम्बटूर और सेलम	अर्मावर्स्किज
3. **रबी** (नवम्बर-फरवरी) यदि आवश्यक हो सिंचित	3. महाराष्ट्र के कोल्हापुर तथा जलगांव क्षेत्र	अर्मावर्स्किज

1	2	3
	4. गुजरात का अहमदाबाद जिला	विनिमिक
	5. उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र	विनिमिक
	6. पश्चिम बंगाल	पेरेडाविक
	7. तमिलनाडु में कोयम्बटूर तथा सेलम	अर्मावर्स्किज
	8. आन्ध्र प्रदेश में तेलंगाना	अर्मावर्ट्स
4. ग्रीष्म (सिंचित) मार्च-जून	9. केन्द्रीय तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा का मैदान	

खरीफ के मौसम के दौरान बिहार में अखिल भारतीय समन्वित तिलहन सुधार परियोजना के अन्तर्गत सूरजमुखी का परीक्षण किया गया था। खरीफ की फसल कुछ अधिक आशाप्रद न थी। बिहार में सूरजमुखी की उपयुक्तता का पता लगाने के लिये कांके तथा पूसा, बिहार में अखिल भारतीय परियोजना के अन्तर्गत और प्रयोग किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण और विकास में बिहार का बहुत पिछड़ जाना

*2961. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण और विकास के बारे में बिहार चौथी योजना में निर्धारित लक्ष से बहुत पीछे है तथा स्वीकृत योजनाओं के लिये नियत 27.5 करोड़ रुपयों की राशि सहित 44,5 करोड़ रुपयों के कुल नियतन में से अब तक केवल 3.5 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा क्या केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण में देरी तथा धीमी प्रगति के बारे में राज्य सरकार से कारण पूछे हैं, और

(ग) यदि हां, तो बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार को क्या उत्तर दिया है., तथा केन्द्र का इस समस्या को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) बिहार में चौथी योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकास कार्यों की लागत 44.5 करोड़ रुपये आँकी गई है जिस में से आज तक 37.79 करोड़ रुपये के कुल प्राक्कलन मंजूर हुये हैं। 31 मार्च, 1972 तक हुआ व्यय 733 करोड़ रुपया है।

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के निष्पाहन में अपेक्षाकृत धीमी प्रगति के कारणों पर हाल ही में राज्य लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया है।

विटुमन की ढुलाई में कठिनाई और सविदागत समस्याओं के अलावा भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्यों की निविदाओं के निपटाने में विलम्ब धीमी प्रगति के मुख्य कारण हैं। राज्य लोक निर्माण विभाग को सविदाओं को जल्दी निपटाने और कार्य की गति तीव्र करने के लिये कहा गया है।

उन्होंने बताया है कि चालू वित्तीय वर्ष (1972-73) के दौरान निर्माण कार्यों पर व्यय 8 करोड़ रुपये के लगभग होगा।

दिल्ली दुग्ध योजना में कुछ पदों पर नियुक्ति के लिये बनाये गये नियम

*2962. **श्री एस० सी० सामन्त : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना में जाँच अधिकारी, कार्मिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर नियुक्ति के लिए कोई नियम बनाये गए थे जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 311 में उपबन्धित है और यदि हां, तो क्या वह उनकी एक प्रति सभा-पटल पर रखेंगे ;

(ख) इन पदों पर इस समय किस प्रकार नियुक्तियां की जाती है ;

(ग) क्या कुछ नियुक्तियों को रद्द किया जा रहा है हालांकि इन पदों पर नियुक्त सम्बन्धित नियुक्तियों का विनयमन करने वाली निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और स्थिति को ठीक करने के लिए तथा यथा-स्थिति बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह: (क) तीन पदों की नियुक्ति को विनियमित करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के भरन्तुक के अधीन भर्ती नियम बनाए जा चुके हैं। प्रत्येक के भर्ती नियम की एक प्रति संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सँख्या एल० टी० 3463/72]

(ख) इन पदों की नियुक्ति की स्थिति नीचे दी गई है :—

पदनाम	संख्या	नियुक्ति की स्थिति
1. जांच अधिकारी	1	इस पद को दिल्ली दुग्ध योजना के एक द्वितीय श्रेणी के अधिकारी की 31-1-1970 (अपराह्न) से 31-7-72 तक की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर नियुक्ति करके पुर किया गया था।
2. कार्मिक अधिकारी	1	इस पद को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के द्वितीय श्रेणी के अधिकारी की प्रति नियुक्ति द्वारा पहली जुलाई, 1971 से तदर्थ आधार पर पुर किया गया था।
3. प्रशासन अधिकारी	2	एक पद भर्ती नियमों के अनुसार प्रोन्नति द्वारा पुर किया गया है। दूसरे पद को प्रति नियुक्ति द्वारा भरने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(ग) जी नहीं। जांच अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्ति की शर्तों या भर्ती नियमों को पूरा न करने के कारण प्रत्यावर्तित (रिवर्ट) कर दिया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी विधान बनाने और उसके क्रियान्वयन का निरीक्षण करने के लिए तन्त्र

*2963. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई तन्त्र स्थापित किया जा रहा है अथवा स्थापित किये जाने की सम्भावना है, जो इस बात को सुनिश्चित करे कि भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी नियमों का अधिनियमन हो और उनका क्रियान्वयन हो और उनका क्रियान्वयन उचित और समान रूप से हो ; और

(ख) पहाड़ी राज्यों और अन्य क्षेत्रों से, जिन्हें भूमि को अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून से छूट दी गई है, भूमि की अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में क्या सुझाव प्राप्त हुए हैं और उनके लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जोत की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून को बनाना तथा कार्यान्वयन करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। प्रत्येक राज्य में इस उद्योग के लिये राजस्व मशीनरी है और आवश्यकता होने पर इसे सुदृढ़ किया जायेगा।

(ख) मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन ने सिफारिश की है कि मरू क्षेत्रों तथा पहाड़ी क्षेत्रों जैसे विशेष मामलों में वारानी-भूमि के लिये जोत की अधिकतम सीमा सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के साथ विशिष्ट मामलों पर विचार-विमर्श करने पर शिथिल की जा सकती है। इस सम्बन्ध में किसी राज्य सरकार से अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

समाज कल्याण कार्यक्रम के कार्यकरण में सुधार

*2964. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में समाज कल्याण में कार्यक्रम के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) क्या गत वर्षों की तुलना में समाज कल्याण के लिये निर्धारित धन राशि में वृद्धि की गई है अथवा की जाती है ; और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इस कार्य के लिये बने संगठनों अथवा प्रशासनिक व्यवस्था में उपयुक्त व्यक्तियों

की नियुक्ति करने तथा कार्य को सन्तोषजनक ढंग से चलाने के लिये कोई प्रबन्ध किये गये हैं ; और

(घ) क्या राज्यों में समाज कल्याण सम्बन्धी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने के लिये कोई केन्द्रीय एजेंसी विद्यमान है अथवा बनाई जाएगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) देश में समाज कल्याण कार्यक्रमों के कार्य में सुधार करने के लिये जरूरतों के अनुसार विभिन्न उपाय किये जाते हैं।

23 जुलाई, 1972 को हुए पिछड़े वर्गों और समाज कल्याण के राज्य मन्त्रियों के सम्मेलन द्वारा महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया था, जैसे कि :—

(1) आदिम जातियों के विकास के लिए एक नया कोशल।

(2) अस्पृश्यता का उन्मूलन।

(3) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन।

(4) समाज कल्याण में सरकार और स्वय सेवी संस्थाओं के कार्य।

(5) पांचवीं योजना में सामाजिक सुरक्षा।

(6) डकैती से पीड़ित व्यक्तियों तथा भूत-पूर्व डाकुओं के परिवारों का पुनर्वास। सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया जाएगा और उन्हें राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

समाज कल्याण के क्षेत्र में विशेषज्ञों तथा योजना आयोग द्वारा केन्द्रीय स्तर पर राज्य सरकारों की वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श किया जाता है और पथप्रदर्शक बातों तथा सुधारों का सुझाव दिया जाता है।

कार्यक्रमों के कार्य की जांच करने तथा उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए अध्ययन दलों/विशेषज्ञ समितियों का गठन किया जाता है।

प्रमुख कार्यक्रमों के सम्बन्ध में समय-समय पर मूल्यांकन अध्ययन किए जाते हैं और जहाँ कहीं आवश्यक होता है सुधारों का सुझाव दिया जाता है।

(ख) विभिन्न कार्यक्रमों की आवश्यकताओं के अनुसार वित्तीय लक्ष्यों को बढ़ा दिया गया है। चतुर्थ योजाना के पिछले तीन वर्षों के दौरान समाज कल्याण कार्यक्रमों पर वर्षवार खर्च तथा 1972-73 के लिए बजट व्यवस्था नीचे दी गई है :—

रुपये लाख की राशियों में

खर्च 1969-70	खर्च 1970-71	खर्च 1971-72 (प्रत्याशित)	व्यवस्था 1972-73
294.37 रुपए	513.71 रुपए	1,479.48 रुपए (विशेष पौष्टिक आहार कार्यक्रम पर खर्च शामिल)	2,563.52 रुपए (विशेष पौष्टिक आहार कार्यक्रम शामिल)

बच्चों के लिए विशेष पौष्टिक आहार कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान किया गया है और 1971-72 में किए गए 10 करोड़ रुपए के आवंटन को बढ़ा कर 1972-73 में 21.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

(ग) हाँ।

(घ) समाज कल्याण विभाग केन्द्रीय स्तर पर यह काम करता है।

मेडिकल कालेज, अलेप्पी में रूसी उपकरणों से सुसज्जित शिशु वार्ड की स्थापना

*2965. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :**

श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेडिकल कालेज अलेप्पी में रूसी उपकरणों से सुसज्जित 100 बिस्तरों वाले शिशु-वार्ड की स्थापना के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त वार्ड के कब तक स्थापित और चालू हो जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) टी० डी० मेडिकल, कालेज, एलेप्पी में रूसी उपकरणों से लैस 100 पलंगों वाले एक बाल चिकित्सा वार्ड की स्थापना के लिए रूस सरकार से सहायता का कोई प्रस्ताव भारत सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी, उपर्युक्त कालेज में भौतिक चिकित्सा और बाल चिकित्सा में एक-एक एकक की स्थापना के लिए सोवियत सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिए केरल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया है और यह महसूस किया गया कि देश में चिकित्सा विशिष्टताओं के विकास की वर्तमान अवस्था को देखते हुए अलेप्पी मेडिकल कालेज के बाल चिकित्सा और भौतिक चिकित्सा विभागों में नये एकक चालू करने के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं है। इस कालेज की सामान्य स्थिति काफी सन्तोषजनक है और विशिष्ट विभागों को चालू करने सम्बन्धी विचार करने से पहले इस संस्था को आधारभूत विषयों के लिए आवश्यक

कर्मचारी वर्ग और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए निश्चित प्रयत्न करना चाहिए। राज्य सरकार को तदनुसार सूचित कर दिया है।

फिर भी मेडिकल कालेज, अलेप्पी के बाल चिकित्सा विभाग में प्रयोग के लिए रूस सरकार से उपकरणों की विभिन्न वस्तुओं के उपहार के रूप में प्राप्त करने की मंजूरी केरल सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने दे दी है। केरल सरकार को उपकरण देने के लिए रूस सरकार को पहले ही अनुरोध किया जा चुका है।

बड़े जहाज बनाने के लिये शुष्क गोदी

*2966. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बड़े जहाज बनाने के लिये शुष्क गोदी की कोई योजना तैयार की है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है तथा इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) : कोचीन शिपयार्ड प्रायोजन में 255 मीटर 42.8 मी० 9 मीटर परिमाप की एक सूखी गोदी का निर्माण भी शामिल है। इस गोदी के अप्रैल, 1974 तक पूरा हो जाने की आशा है और इसमें 85 हजार डी० डब्लू० टी० तक के जहाज बनाने की क्षमता होगी। इस गोदी के निर्माण के सम्बन्ध में निविदाएं प्राप्त की गई हैं और उनका मूल्यांकन किया जा रहा है।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा आयोतिन 'बटर आयेल'

*2967. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में, देशवार, दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा कुल कितना 'बटर आयल' आयात किया गया और उसका मूल्य कितना है;

(ख) यह वस्तु कितने समय तक ठीक रह सकती है और उसको किस काम में लाया जा रहा है ;

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना के पास 1 जुलाई, 1972 को स्टाक में कितना 'बटर आयल' था और उसे किस प्रकार सुरक्षित रखा जा रहा है, और

(घ) इसका प्रयोग किस प्रकार करने का विचार है और पूरी मात्रा का उपयोग कब तक किया जा सकेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना को, 1-7-70 से 30-6-72 तक की अवधि के दौरान भारतीय डेरी निगम, बड़ौदा के माध्यम से लगभग 1.65

करोड़ रुपये के मूल्य का आयातित बटर आयल प्राप्त हुआ है। आयातित बटर आयल के राज्य-वार ब्यौरे का कोई लेखा-जोखा दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा नहीं रखा गया।

(ख) मुहरबंद डिब्बों में बंद करके बटर आयल को कोल्ड स्टोरेज में लगभग 6 महीने से एक वर्ष तक ठीक स्थिति में रखा जा सकता है। दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बटर आयल का दूध में पुनः मिलाने के लिए उपयोग किया जाता है।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना के भण्डार में दिनांक 1-7-72 को बटर आयल की मात्रा 81.8675 मीटरी टन थी। दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बटर आयल कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है।

(घ) बटर आयल को, ताजे दूध के साथ, मानकीकृत और टोन्ड दूध तैयार करने के लिये उपयोग में लाया जाता है। सामान्यतया, दिल्ली दुग्ध योजना को बटर आयल भारतीय डेरी निगम से पन्द्रह दिन में एक बार प्राप्त होता है और स्टाक का दो महीने के अन्दर उपयोग कर लिया जाता है।

सरोजिनी नगर के एल० और एम० ब्लाकों में पानी की अपर्याप्त सप्लाई

*2968, **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री सरोजिनी नगर, नई दिल्ली के एल० और एम० ब्लाकों में पानी की कमी के बारे में 22 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6845 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि गत मार्च महीने से इन ब्लाकों के शौचालयों में एक बूंद पानी भी नहीं आ रहा है जिससे अलाटियों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है तथा उन्हें भारी असुविधा हो रही है;

(ख) क्या दिन में भी पानी की सप्लाई दैनिक उपयोग की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इनसे ब्लाकों के अलाटियों को शौचालयों तथा अन्य दैनिक उपयोग के लिये पानी की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित कराने में लगभग कितना समय लगेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, हां। नई दिल्ली नगर पालिका की पानी की मुख्य नालियों में कम दबाव के कारण, गर्मी के महीनों में पानी ऊपर के टैंक तक नहीं पहुंच पाता।

(ख) तथा (ग)

एल० तथा एम० ब्लाक के निचली मंजिल के फ्लैटों की उनकी प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिये पानी की सप्लाई की कोई कठिनाई नहीं है। पहली मंजिल वालों को भी पानी की सप्लाई मिलती है, परन्तु वह अपेक्षाकृत कम घण्टों के लिये होती है जो नई दिल्ली नगर पालिका की पानी की मुख्य नालियों में दबाव पर निर्भर है। निचली मंजिल तथा पहली मंजिल दोनों के वर्तमान सांझे कनेक्शनों के स्थान पर पहली मंजिल के फ्लैटों को अलग सप्लाई-लाइन देने का कार्य

हाथ में है तथा उसके शीघ्र पूर्ण होने की सम्भावना है। इस कार्य के पूर्ण होने पर, पहली मंजिल के फ्लैटों को पानी की सप्लाई में कुछ सीमा तक सुधार हो जायेगा और आगे सुधार तब होगा जब नई दिल्ली नगरपालिका जल सप्लाई-वितरण-सर्कट के बन्द छोरों को जोड़ देगी, यह कार्य उनके द्वारा लगभग 2 मास की अवधि के भीतर पूरा किये जाने की आशा है।

सेवा निवृत्ति के समय तथा उपक्रमों में पुनर्नियुक्ति के दौरान सरकारी आवास का आवंटन

*2969. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर गये अधिकारियों को अथवा उन अधिकारियों को जिनके पास सेवा निवृत्ति के समय सरकारी आवास होता है तथा जो सेवा निवृत्ति के पश्चात् और उपक्रमों में पुनर्नियुक्ति के दौरान सरकारी आवास रखे रहते हैं, दिल्ली/नई दिल्ली में सरकारी आवास का आवंटन करने के लिये क्या मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए गये हैं;

(ख) इस वर्ग के अधिकारियों से किस दर से किराया वसूल किया जाता है;

(ग) क्या वे सभा-पटल पर ऐसे अधिकारियों के नाम दर्शाने वाला एक विवरण रखेंगे जो पहली जुलाई, 1972 को सरकारी उपक्रमों में पुनर्नियुक्ति के दौरान सरकारी आवास में रहते रहे तथा उन्हें वे आवास कब तक रखने की अनुमति दी गई है अथवा उन्हें कब तक रखने दिया जायेगा;

(घ) क्या सरकार इससे सम्बन्धित अपनी नीति पर पुनर्विचार करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) :—वर्तमान नीति के अनुसार, केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर गये अधिकारी सामान्य पूल से वास के आवंटन के पात्र नहीं हैं। केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों को जो दिसम्बर 1968 से पहले विभिन्न सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर गये थे और जो सामान्य पूल वास के दखल में थे, सम्बन्धित उपक्रम द्वारा बाजार दर पर लाइसेन्स फीस देने पर उस वास को रखने की अनुमति दे दी गई है। जो कर्मचारी ऐसे उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर 16 दिसम्बर, 1968 को अथवा इसके पश्चात् गये हैं, वे अपने दखल में लिए गए वास को नियमों के अधीन अनुमेय रियायती अवधि के बाद उन्हें बनाए रखने के पात्र नहीं हैं। वे सरकारी कर्मचारी जो सेवा निवृत्ति के समय सामान्य पूल वास के दखल में हैं, वे सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी पुनः नौकरी लगने पर उसे (वास को) बनाए रखने के पात्र नहीं हैं।

(ग) सार्वजनिक उपक्रम में पुनः नौकरी पर लगे केवल एक अधिकारी, अर्थात् श्री टी०के० बालासुब्रामण्यम् को उनकी सेवा काल के दौरान आवंटित किए गए वास को 16-10-72 तक रखने की अनुमति दी गई है।

(घ) वर्तमान नीति के पुनरीक्षण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

संसद भवग में दिल्ली दुग्ध योजना केन्द्र से घी की सप्लाई पर प्रतिबन्ध

*2970. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना ने संसद भवन के दुग्ध केन्द्र से संसद सदस्यों को घी सप्लाई करने के सम्बन्ध में राशन की व्यवस्था अथवा सप्लाई को सीमित कर दिया है या करने का विचार है,

(ख) यदि हाँ, तो प्रति मास कितना घी दिया जायेगा और इसे ऐसा करने के क्या कारण हैं,

(ग) कमी और बहुतायत की अवधि में दिल्ली दुग्ध योजना की घी बनाने की मासिक क्षमता कितनी है और इसका कहां तक उपयोग किया जा रहा है, और

(घ) घी की सप्लाई बढ़ाने के लिये, जिसकी राजधानी में जोरदार मांग है, क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) :—संसद भवन स्थित दुग्ध केन्द्र से संसद सदस्यों को घी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा पूर्ण प्रयास किए जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में ताजे दूध की उपलब्धि में कमी होने के फलस्वरूप घी के उत्पादन में काफी कमी करनी पड़ती है। इस अवधि में दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा संसद सदस्यों के लिए घी की आपूर्ति को समय-समय पर अतिरिक्त चिकनाई की उपलब्धि के अनुसार नियंत्रित किया जाता है।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना की घी उत्पादन की दैनिक क्षमता लगभग 8 मीटरी टन है। फिर भी, घी का वास्तविक उत्पादन, दिल्ली के नागरिकों की तरल दूध की आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात्, अतिरिक्त चिकनाई की उपलब्धि पर निर्भर करता है। वर्ष 1971-72 में प्रचुर मात्रा में दूध उपलब्ध होने वाले शीतकालीन मौसम के दौरान 183 दिनों की अवधि में संयन्त्र की 1464 मीटरी टन घी उत्पादन करने की क्षमता की तुलना में अतिरिक्त ताजे दूध की कम उपलब्धि होने के कारण केवल 286.625 मीटरी टन घी तैयार किया जा सका। दूध की कम उपलब्धि वाले ग्रीष्म के महीनों में बहुत कम मात्रा में घी तैयार होता है और यह समय-समय पर कम मात्रा में उपलब्ध होने वाली अतिरिक्त चिकनाई पर निर्भर करता है।

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना का मुख्य कार्य दिल्ली के नागरिकों की तरल दूध की आवश्यकताओं को पूरा करना है। घी जैसे गौण उत्पादों को तभी तैयार किया जाता है जबकि योजना के पास अतिरिक्त चिकनाई उपलब्ध हो। ताजे दूध की अधिप्राप्ति में वृद्धि के सम्बन्ध में दिल्ली दुग्ध योजना के प्रयास जारी हैं।

राज्यों में सुपारी के मूल्यों के बारे में ज्ञापन

*2971. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल, मैसूर तथा अन्य राज्यों के सुपारी उत्पादकों की ओर से सुपारी के मूल्य में भारी कमी के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो सुपारी उत्पादकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने के मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) ज्ञापन में दिये गये विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है और मामला सरकार के विचाराधीन है ।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के कर्मचारी

*2972. **ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और उनका दर्जा क्या है ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कर्मचारियों के दर्जे की स्पष्ट व्याख्या के लिए पेश की गई रिट याचिकाओं पर दो भिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए वे कर्मचारी स्वायत्त संस्था से सम्बन्ध रखते हैं अथवा एक सरकारी विभाग से ;

(ग) क्या इन दो निर्णयों की प्रतियां सभा-पटल पर रखी जायेंगी ; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या पतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है ।

(ग) माननीय उच्च न्यायालयों में दिये गये निर्णयों की प्रतियां:—

1. पंजाब उच्च न्यायालय, सर्किट बेंच दिल्ली में सिविल समादेश याचिका संख्या 266-डी/66-श्री रूलिया राम बनाम भारत संघ,

2. दिल्ली उच्च न्यायालय समादेश याचिका संख्या 1970 की 788-श्री प्रतूल चन्द्र ठाकुर बनाम भारत संघ तथा अन्य,

3. दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में सिविल समादेश याचिका संस्या 1971 की 88 से 91-श्री जी० एन० अस्थाना तथा अन्य बनाम भारत संघ,

यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उपरोक्त निर्णय (3) के विरुद्ध लेटर्स पेटेन्ट अपील संख्या 1972 की 81 तथा 82 प्रस्तुत कर दी गई है, जो कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन है ।

(घ) चूंकि मामला न्यायाधीन है, सरकार इस समय कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती ।

विवरण

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का जिस, संकल्प द्वारा गठन किया गया था, उसके अनुसार संस्थागत पक्ष में परिषद् सन् 1929 में सोसायटी के रूप में की गई थी, संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत इसका पंजीकरण किया गया, किन्तु इसका सचिवालय सरकार के नियमित विभाग के रूप में और बाद में 15 जनवरी, 1939 से कृषि विभाग के संलग्न कार्यालय के रूप में गठित किया गया। कर्मचारी सरकारी कर्मचारी थे और सचिवालय का व्यय केन्द्रीय राजस्व से वहन किया जाता था, सन् 1940 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सचिवालय में प्रायः सभी भारत सरकार के कर्मचारी थे, यद्यपि अनुसंधान योजनाओं के साथ-साथ सचिवीय तथा लेखा कार्य की देख भाल के लिये अनुसंधान निधि से कुछ इक्के दुक्के सचिवीय पद सर्जित कर लिये गये थे। सन् 1947 के उपरान्त परिषद् की गतिविधियों में समग्र रूप से वृद्धि के फलस्वरूप और अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था में सरकार की असमर्थता के कारण, परिषद् ने अपनी अनुसंधान निधि से, वर्षानुवर्ष आधार पर अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली। इस प्रकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सचिवालय को भारत सरकार द्वारा दिये गये सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ परिषद् द्वारा नियुक्ति सचिवीय तथा कुछ वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों की संख्या बढ़ गई।

सन् 1965 में भारत सरकार ने देश में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा के संचालन, प्रोन्नति, मार्गदर्शन तथा समन्वय के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को केन्द्रीय एजेन्सी के रूप में पुनर्गठित करने की स्वीकृति दी। अन्य बातों के साथ-साथ, सरकार ने निश्चय किया कि:—

(1) विभिन्न केन्द्रीय अनुसंधान संस्थानों तथा खाद्य और कृषि विभागों द्वारा प्रत्यक्ष शासित होने वाले केन्द्रों का प्रशासनिक नियंत्रण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् सोसायटी को हस्तान्तरित कर दिया जान चाहिए।

(2) भूतपूर्व केन्द्रीय पण्य समितियों को भंग करने के फलस्वरूप पण्य अनुसंधान संस्थानों का प्रशासनिक नियंत्रण भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् सोसाइटी को ग्रहण करना चाहिये ; तथा

(3) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का अपना सचिवालय तथा कार्यालय होना चाहिये।

उपरोक्त निर्णयों को कार्यान्वित करते हुये भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1966 से प्रारम्भ होने वाले क्रमबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत उपरोक्त (1) में उल्लिखित केन्द्रीय अनुसंधान संस्थानों का प्रशासनिक नियंत्रण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् सोसाइटी को हस्तान्तरित कर दिया था। इन संस्थानों में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् सोसाइटी में कुछ निश्चय शर्तों के अन्तर्गत सेवा करने के लिये विकल्प पत्र दिये गये थे। जिन सरकारी कर्मचारियों ने परिषद् की सेवा का विकल्प दिया, उन्हें सोसाइटी की सेवा में नियुक्त कर लिया गया है। जिन कर्मचारियों ने परिषद् की सेवा का विकल्प नहीं दिया है उन्हें सोसाइटी में बाह्य सेवा के रूप में समझा जा रहा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् सोसाइटी ने उपरोक्त (2) में उल्लिखित पण्य अनुसंधान संस्थानों में नियुक्त कर्मचारियों सहित केन्द्रीय पण्य समितियों के कर्मचारियों का एक अंश भी ले लिया।

जहाँ तक (3) का सम्बन्ध है, कृषि विभाग के संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करने वाले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सचिवालय को पूर्णतः भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् सोसाइटी द्वारा सचिवालय कार्यालय में परिवर्तित करने का निश्चय किया गया, जिसका वित्त भारतीय सोसाइटी को ही वहन करना होगा अतः भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में नियुक्त वैज्ञानिक, तकनीकी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को विकल्प पत्र दिये गये। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सचिवालय में कार्य कर रहे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को कोई विकल्प नहीं दिया गया। जहाँ तक अनुभंग अधिकारियों, सहायकों, आशु लिपिकों, उच्च श्रेणी लिपिकों, निम्नश्रेणी लिपिकों, जैसे सचिवीय कर्मचारियों का सम्बन्ध है, ये कर्मचारी सम्बन्धित केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के सदस्य हैं और कृषि विभाग के एकीकृत संवर्ग के अन्तर्गत आते हैं। और परस्पर परवर्तनीय हैं। अतः यह निश्चय किया गया कि कृषि विभाग तथा उसके संलग्न कार्यालयों के संवर्ग के अन्तर्गत आने वाले उपरोक्त कर्मचारियों को विकल्प पत्र दिये जायें, किन्तु भारतीय, कृषि अनुसंधान परिषद्, परिषद् के सचिवालय में विद्यमान सरकारी पदों की संख्या से अधिक विकल्पदाताओं को स्वीकार नहीं करेगी।

जिन कर्मचारियों ने सोसाइटी की सेवा का विकल्प दिया है, उन्हें सोसाइटी की सेवा में नियुक्त कर लिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सचिवालय में कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारी, जिसे अब गैर सरकारी कार्यालय में परिवर्तित किया जा रहा है, सरकारी कर्मचारियों के रूप में ही कार्य कर रहे हैं।

पुनर्गठन के उपरान्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् सोसाइटी द्वारा जिन व्यक्तियों की सेवायें प्रतिनियुक्त/विदेश सेवा पर ली गई हैं उनके अतिरिक्त जितने भी व्यक्ति अनुसंधान संस्थानों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के मुख्यालय में भर्ती किये गये हैं, सब सोसाइटी के कर्मचारी हैं।

पश्चिम बंगाल में माध्यमिक पद्धति का सर्वेक्षण

*2973. **ज्योतिर्मय बसु** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने हाल के पश्चिम बंगाल में माध्यमिक शिक्षा पद्धति का सर्वेक्षण किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें और निष्कर्ष क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्वतंत्रता के 25 वें वर्ष में निरक्षरता समाप्त करने के लिये द्रुत कार्यक्रम

*2974. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से स्वतन्त्रता के 25 वें वर्ष में निरक्षरता समाप्त करने के लिए द्रुत कार्यक्रम आरम्भ करने सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या विद्यमान ऐच्छिक साहित्यिक संगठनों की सेवाएं प्राप्त की जायेंगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हाँ,

(ख) परियोजना की मुख्य बातें यह हैं कि राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक चुने हुए क्षेत्रों में स्थानीय स्वयंसेवक की सहायता से साक्षरता अभियान आयोजित करेंगे ।

(ग) आवश्यकता पड़ने पर सेवाएं ली जाएंगी ;

हिन्दी शिक्षण के लिए गैर-हिन्दी भाषी राज्यों को वित्तीय सहायता

*2975. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रो-यूनिवर्सिटी और प्रो-डिग्री कक्षाओं के लिए हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति संबंधी केन्द्र-प्रायोजित योजना के कार्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए केरल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हाँ, तो उस पर क्या निर्णय किये गये ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : जी, हां । तथापि, साधनों की कमी के कारण, पूर्व-विश्वविद्यालय तथा पूर्व-डिग्री क्लासों को सम्मिलित करने के लिये अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित केन्द्रीय प्रोयोजित योजना के कार्यक्षेत्र की चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान विस्तार करना सम्भव नहीं होगा। केरल सरकार को तदनुसार सूचित कर दिया गया है ।

गुजरात के काण्डला कालोल उर्वरक समूह के लिये अमोनिया कंकर एवं बर्नर संयंत्र की खरीद के लिये ब्रिटिश फर्म को क्रयादेश

*2976. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के काण्डला-कालोल उर्वरक समूह में लगाये जाने वाले एक बड़े अमोनिया क्रेकर एवं बर्नर संयंत्र का खरीद के लिए हाल ही में मैसेर्स बैलमैन इनकेनड़सेन्ट फर्नेस कम्पनी स्मैथबिक नामक ब्रिटिश फर्म को क्रयादेश दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र का मूल्य तथा कृत्य क्या होंगे और भारत में यह संयंत्र कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा;

(ग) क्या देश में ऐसा संयंत्र अन्यत्र भी लगाया गया है और यदि हां तो यह कैसा कार्य कर रहा है ; और

(घ) यह संयंत्र भारत में क्यों नहीं बनाया गया जब कि भारत में इस सम्बन्ध का तकनीकी ज्ञान उपलब्ध है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) : मैसर्स हम्फ्रीज एण्ड ग्लास्गो लि० (लण्डन), जो इफ्फको के संविदाकारों मेंसे एक है कालोल स्थित यूरिया प्लाँट में लगाने के लिए एक अमोनिया क्रेकर एवं बर्नर का आयात कर रहे हैं।

(ख) : एकमुश्त संविदा में शामिल इस संयंत्र की अनुमानित लागत 20,000 पाउण्ड है। सही राशि का पता केवल संयंत्र के आयात होने के बाद ही चलेगा। इस संयंत्र का काम प्लांट को सुरक्षित ढंग से चलाने और बन्द करने के लिए अक्रिय गैस (नाइट्रोजन) की सप्लाई करना है। इस अक्रिय गैस का उपयोग अनुरक्षण के पूर्व प्लांट सज्जा के लिए भी किया जाएगा। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार यह संयंत्र, जो कि यूरिया प्लांट का एक अंग है, तब काम करना आरम्भ करेगा जब मार्च, 1974 में यह प्लांट चालू किया जाएगा।

(ग) : इण्डियन इक्सप्लोसिव लि०, कानपुर, दुर्गापुर में भारतीय उर्वरक निगम की यूनिट और गुजरात राज्य उर्वरक निगम, बड़ौदा कुछ ऐसे उर्वरक प्लाँट हैं, जिन्होंने अक्रिय गैस के उत्पादन के लिए अमोनिया क्रेकर संयंत्र लगाया है। यह पता चला है कि जहाँ इसका पूरा आयात किया गया है वहां इन संयंत्रों का कार्य संतोषजनक है और जहाँ इस संयंत्र का एक भाग स्थानीय रूप से बनाया गया है वहाँ इसका कार्य सन्तोषजनक नहीं है।

(घ) : तकनीकी विकास महानिदेशक द्वारा निर्धारित पद्धति अपनाने और अनुशंसित व्यापार पत्रिकाओं में दिए गए विज्ञापन का कोई उत्तर प्राप्त न होने के पश्चात ही संयंत्र का आयात करने की अनुमति दी गई थी।

ब्रिटेन में समाज कल्याण व्यवस्था के स्वरूप और उसके कार्यकरण का अध्ययन करने के लिये नियुक्त किये गये भारतीय अध्ययन दल का प्रतिवेदन

*2977. **श्री एस० ए० मुखानन्तम** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन में समाज कल्याण व्यवस्था के स्वरूप और उसके कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किये गये भारतीय अध्ययन दल का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है।

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं तथा क्या निष्कर्ष निकाले गये हैं ; और

(ग) उस प्रतिवेदन के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) दल ने पाँचवी पंचवर्षी योजना में शामिल किये जाने के लिए निम्नलिखित सामाजिक सुरक्षा उपायों की सिफारिश की थी:—

(1) पूर्णतया दुखी व्यक्तियों को आय के रूप में राहत ;

(क) 65 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धि व्यक्ति, जिनके पास जीविका का कोई साधन न हो ;

(ख) सभी अनाथ।

(ग) अत्यन्न विकलांग व्यक्ति ;

(ध) सभी विधवाओं को उनके वैधव्य के प्रथम 12 महीनों में ; तथा

(ङ) बच्चों वाली सभी विधवाओं को जब तक कि उनके बच्चे स्कूल की शिक्षा पूरी नहीं कर लेते।

(2) राहत प्रदान करने वाली संस्थाओं के कार्यों के क्षेत्र का आकार तेजी से विस्तार करना चाहिए ;

(क) वृद्ध व्यक्तियों के लिए आश्रम ;

(ख) अनाथालय ;

(ग) निराश्रित स्त्रियों के लिए सदन ;

(घ) दिवस देखभाल केन्द्र ; तथा

(ङ) विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र और सदन

(3) 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए वर्तमान पौष्टिक आहार सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि उसके अन्तर्गत कम से कम 25% बच्चे आ जाएं। स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का भी इसी प्रकार विस्तार किया जाना चाहिए।

(4) जन स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि उन्हें जनता की आवश्यकताओं के काफी निकट लाया जा सके।

ब्रिटेन ने मुख्य रूप से अपने नागरिकों के लिए जीवन का न्यूनतम स्तर प्राप्त कर लिया है। तो भी ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा के उपायों को नमूने के रूप में नहीं माना जा सकता, परन्तु विभिन्न सेवाओं को प्राथमिकता प्रदान करने तथा भारत में सामाजिक सेवाओं की विभिन्न मूल बातों को हल करने में इस से अवश्य सहायता मिल सकती है।

(ग) सरकार ने इन सिफारिशों पर अब तक तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

राज्य के स्वास्थ्य सचिवों की बैठक

*2978. **श्री के० बालदण्डायुतम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में राज्य के स्वास्थ्य सचिवों और प्रशासकीय चिकित्सा अधिकारियों की बैठक हुई थी ;

(ख) क्या उस बैठक में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने सम्बन्धी प्रस्तावों पर चर्चा की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

[**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—3464/72**]

भारतीय खाद्य निगम में प्रतिनियुक्त पश्चिम बंगाल के कर्मचारी

*2899. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम में पश्चिम बंगाल सरकार के 5,000 कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा उन्हें अपने नियमित कर्मचारियों के रूप में न खपाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हाँ । पश्चिमी बंगाल सरकार से लगभग 5000 कर्मचारी भारतीय खाद्य निगम में प्रतिनियुक्ति पर आए हुए हैं ।

(ख) ये कर्मचारी 1966 में पश्चिमी बंगाल सरकार से राज्य में खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, संचयन और वितरण का कार्य निगम को सौंपे जाने से राज्य सरकार और निगम के बीच हुए समझौते के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर लिए गए थे । समझौते में अन्य बातों के साथ यह व्यवस्था है कि कोई भी पक्ष एक फसल वर्ष का नोटिस दे कर इस समझौते को समाप्त कर सकता है । क्योंकि पश्चिमी बंगाल सरकार ने निगम के ये कार्य स्थायी आधार पर सौंपने का निर्णय नहीं किया है इसलिए निगम द्वारा इन कर्मचारियों को स्थायी आधार पर खपाने का फिलहाल प्रश्न ही नहीं उठता ।

———

स्थगत प्रस्ताव के बारे में
RE : MOTION FOR ADJOURNMENT

अध्यक्ष महोदय : ध्यान दिलाने वाली सूचना के बाद मैं स्थगत प्रस्ताव लूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) : नियम 60 के अनुसार प्रश्न काल के तत्काल बाद और कार्य सूची से पहले स्थगत प्रस्ताव लिया जाना चाहिये। परन्तु यदि आप अपने निदेश द्वारा उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हों तो.....

अध्यक्ष महोदय : यह ध्यान दिलाने वाली सूचना पर चर्चा के बाद लिया जाता है। यही प्रक्रिया है और हम कई वर्षों से इसी का अनुसरण कर रहे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है।

———

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सीमेंट कर्मचारियों की अन्तरिम सहायता सम्बन्धी कथित मांग

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासौर) : मैं श्रम और पुनर्वास मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"सीमेंट कर्मचारियों की अन्तरिम सहायता सम्बन्धी कथित मांग तथा इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया"

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : सीमेंट श्रमिकों की मजूरियों को उद्योग-वार आधार पर विगत दो अवसरों पर त्रिपक्षीय मजूरी बोर्ड के माध्यम से संशोधित किया गया है। पहला मजूरी बोर्ड 1958 में स्थापित किया गया था। उस समय विभिन्न स्थानों में सीमेंट श्रमिकों को दी जाने वाली मजूरियों में समानता नहीं थी। मंहगाई भत्ते की प्रणाली भी स्थान-स्थान पर पृथक थी। पहले मजूरी बोर्ड की शिफारिशों के फलस्वरूप, एक मानवीकृत मजूरी ढांचे की स्थापना हुई। इसके फलस्वरूप उस समय की मजूरियों में पर्याप्त वृद्धि हुई और कुछ मामलों में यह 25 रुपये प्रति महीने से भी ज्यादा थी। इसके अतिरिक्त, मंहगाई भत्ते के भुगतान को निर्वाह व्यय सूचकांक से जोड़ दिया गया था।

2. सितम्बर, 1964 में, सीमेंट उद्योग के लिए दूसरा मजूरी बोर्ड स्थापित किया गया। दुर्भाग्यवश इसकी रिपोर्ट सर्वसम्मत नहीं थी। मालिकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के बाद सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय लिया। यह भी निर्णय लिया गया था कि मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के जैसा कि सरकार ने उन्हें स्वीकृत किया है, 5 वर्षों की अवधि तक अमल में रहना चाहिए। द्वितीय मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के

फलस्वरूप, विभिन्न वर्गों के श्रमिक 10 रुपये से लेकर 32.50 रुपये प्रतिमास की गारंटी कृत वृद्धि पाने के हकदार हुये ।

3. यद्यपि वर्तमान मजूरी ढांचे को जो कि द्वितीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों पर आधारित है, जो 12 फरवरी, 1973 तक प्रभावी रहना है, तथापि सीमेंट श्रमिकों ने और आगे मजूरी संशोधन और अन्तरिम सहायता के भुगतान के लिए मार्च 1972 से मांगें करनी आरम्भ कर दीं । श्रमिकों की मांग थी कि उनकी मजूरियों को उस स्तर तक बढ़ाया जाए जोकि इस्पात श्रमिकों का है, जिन्हें कि नियोजकों के साथ द्विपक्षीय बातचीत के फलस्वरूप, 1 सितम्बर, 1970 से 240 रुपये प्रतिमास की न्यूनतम मजूरी मिली । नियोजकों का तर्क है कि मजूरियों में किसी भी प्रकार की वृद्धि होने से पहले सीमेंट के अभिधारण मूल्य में अवश्य वृद्धि होनी चाहिए । इस सम्बन्ध में, उल्लेख करना चाहूंगा कि 28 अप्रैल 1972 को सरकार ने शुल्क आयोग के उत्पादकों को फैक्टरी से बाहर दिए जाने वाली उचित कीमत के प्रश्न सहित सीमेंट उद्योग की विस्तृत पुनरीक्षा करने के लिए लिखा है । मजूरी की बढ़ोतरी के प्रश्न पर संबन्धित पक्षों में बातचीत हुई थी और इस प्रक्रिया में उन्हें मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) की सहायता प्राप्त थी । लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका और यूनियनों द्वारा 12 जुलाई, 1972 से हड़ताल का नोटिस दिया गया । इस अवस्था में मैंने मध्यस्थता की और मेरे आश्वासन पर कि अन्तर्ग्रस्त विषयों पर बातचीत करने के लिए नियोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत होगी, हड़ताल स्थगित कर दी गई थी ।

4. 11 जुलाई, 1972 को नई दिल्ली में श्रमिकों और नियोजकों के प्रतिनिधियों के साथ मैंने जो बैठक की, उसमें यह तय हुआ था कि अन्तरिम सहायता और इस उद्योग से सम्बन्धित अंतिम रूप से तैयार किये जाने वाले मजदूरी ढांचे के प्रश्न पर विचार करने के लिए नियोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त मजदूरी वार्ता समिति नियुक्त की जाये, इस मजदूरी वार्ता समिति की बैठक 27 जुलाई, 1972 को बम्बई में हुई लेकिन नियोजकों और श्रमिकों द्वारा विभिन्न दृष्टिकोण अपनाये जाने से अभाग्यवश बातचीत सफल नहीं हुई । फलतः वार्ता समिति में प्रतिनिधित्व करने वाले श्रमिक संघों ने 17 अगस्त, 1972 से उद्योग में आम हड़ताल करने का निर्णय कर दिया । इसलिए मैंने सीमेंट निर्माता संघ के अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय सीमेंट संयुक्त श्रमिक संघ के अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे 16 अगस्त, 1972 को मुझसे मिलें ताकि इस विवाद को तय करने के लिए कोई रास्ता निकाल सकें । उद्योग विकास मंत्री से बहुत लम्बे विचार-विमर्श और परामर्श के पश्चात मैंने यह सुझाव दिया कि श्रमिकों को 1.7.72 से 20 रुपये की अन्तरिम सहायता का भुगतान किया जाय और यह कि 230 रु० प्रति मास की कुल मजदूरी, जो कि पहली फरवरी, 1973 से देय हो, के आधार पर एक पंच वर्षीय मजदूरी समझौते पर हस्ताक्षर किये जायें । मैंने यह भी सुझाव रखा कि वार्षिक वेतन-वृद्धि, 1-2-1973 से निराकरण दर इत्यादि जैसे मामलों को बाद में विचार-विमर्श करके तय किया जा सकता है। इसके बावजूद भी सीमेंट उद्योग में 17 अगस्त 1972 से हड़ताल प्रारम्भ हो गई । फिर भी अन्तिम हल को ढूंढ़ने के प्रयासों को मैंने नहीं छोड़ा है और श्रमिकों तथा नियोजकों के प्रतिनिधियों से यह कहा है कि वे 21

अगस्त, को मुझसे फिर मिलें। मुझे आशा है कि एक ऐसा हल निकल जायेगा जो दोनों ही पक्षों को मान्य हो और शीघ्र ही हड़ताल समाप्त हो जायेगी।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र : हमारे देश में 54 सीमेंट उद्योग हैं और उनमें से 52 उद्योगों में श्रमिक हड़ताल पर हैं। देश में प्रतिदिन 40,000 टन सीमेंट तैयार होता है और उससे प्रतिदिन एक करोड़ रुपये की आय होती है। इस 5 दिन की हड़ताल से 5 करोड़ रुपये की हानि हो चुकी है। इस उद्योग के 7 संघों ने हड़ताल कर रखी है। मंत्री महोदय को इस बात की जांच करनी चाहिये थी कि इस हड़ताल के क्या कारण हैं। प्रतिदिन किसी न किसी उद्योग में हड़ताल रहती है। श्री खाडिलकर ने आश्वासन दिया था कि सभी श्रमिकों को कम से कम 8.33 प्रतिशत बोनस दिया जाना चाहिये। यदि नियोजकों ने इसको स्वीकार नहीं किया तो देशव्यापी हड़ताल होगी।

इस्पात उद्योग में न्यूनतम मजूरी 240 रुपये है। सीमेंट श्रमिकों ने मांग की है कि उनकी मजूरी इस्पात श्रमिकों के समान होनी चाहिए। इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। मंत्री महोदय के अनुरोध पर सीमेंट श्रमिकों ने एक महीने तक हड़ताल स्थगित की थी। क्या मंत्री महोदय उनको एक और महीने तक हड़ताल स्थगित करने पर राजी नहीं कर सकते थे ताकि अब तक हुई 5 करोड़ रुपये की हानि न होती ?

अब सीमेंट श्रमिक 70 रुपये प्रतिमास के हिसाब से अंतरिम सहायता की मांग कर रहे हैं। क्या मंत्री महोदय स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए विवाद को इस प्रकार सुलझाने के लिए संघ नेताओं के साथ तत्काल सम्पर्क स्थापित करेंगे जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो जायें ? क्या श्रमिकों को परेशान नहीं किया जायेगा और उन्हें हड़ताल की अवधि की मजूरी दी जायेगी ?

श्री आर० के० खाडिलकर : जैसाकि मैं ने अपने वक्तव्य के अंतिम भाग में बताया है, मैंने नियोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है। मैंने उनसे आज बातचीत की है और अब मतभेद काफी कम हो गये हैं। मुझे आशा है कि आज शाम तक कोई समझौता हो जायेगा। तथ्य की बात यह है कि यदि प्रत्येक उद्योग इस्पात उद्योग में दी जाने वाली मजूरी की मांग करेगा तो मजूरी बढ़ती जायेगी जो वर्तमान स्थिति में उचित नहीं होगा। सीमेंट उद्योग ग्राम आधारित उद्योग है। अतः हम अन्तरिम सहायता और अन्तिम सहायता और मजूरी को सूचकांक के साथ सम्बद्ध करने पर विचार कर रहे हैं। मैं इस बात का प्रयत्न कर रहा हूँ कि अन्तरिम सहायता का बोझ उद्योग स्वयं वहन करे और उसका प्रभाव उपभोक्ताओं पर न पड़े।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं हड़ताल करने वाले 75,000 श्रमिकों को बधाई देता हूं। मिल मालिकों ने गत पंद्रह या बीस वर्षों में अत्यधिक लाभ अर्जित किया है। यह प्रसन्नता की बात है कि मंत्री महोदय ने समझौता करने के विचार से संघ के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की है। सीमेंट उद्योग पर बहुत शक्तिशाली लोगों का नियंत्रण है और वह सीमेंट का मूल्य बढ़ाने के लिये सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। यह कहना गलत है कि केवल मजूरी में वृद्धि करने से मुद्रा स्फीति होती है। घाटे की अर्थव्यवस्था करने के कारण सरकार स्वयं मुद्रास्फीति के लिये जिम्मेदार है। सरकार मूल्यों को स्थिर रखने और उन्हें उचित स्तर तक कम करने में असफल रही है।

सभी अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है और सरकार देखती रह गई है। सीमेंट के श्रमिकों को केवल 20 रुपये दिए जा रहे हैं और यह समझौता पांच वर्ष का समझौता होगा। इन पांच वर्षों में सीमेंट निर्माताओं को करोड़ों रुपये का लाभ होगा परन्तु श्रमिकों की मजूरी 230 रुपये रहेगी।

मैं जानना चाहता हूँ कि अब श्रमिकों की मांग क्या है और आज की बैठक में उन्होंने क्या मांग रखी थी? क्या यह सच है कि वे 20 रुपए लेने को तैयार नहीं हैं और पांच वर्ष के लिये समझौता करने पर तब तक सहमत नहीं है जब तक इसे इस्पात उद्योग में दी जाने वाली मजूरी के साथ सम्बद्ध न किया जाये? यदि मिल मालिक मंत्री महोदय के प्रस्ताव पर सहमत नहीं होते तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है? क्या सीमेंट मूल्यों में वृद्धि जिसे स्वीकार किया जा चुका है, उपभोक्ता के हित में होगी? मेरे विचार में यह बात ठीक नहीं है, क्या सरकार हमें आश्वासन देगी कि पंच वर्षीय समझौता श्रमिकों पर जबरदस्ती नहीं थोपा जाएगा? इस समझौते की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये क्योंकि प्रतिदिन मूल्यों में वृद्धि हो रही है और सरकार मूल्य स्थिर रखने में बुरी तरह असफल रही है।

श्री आर० के० खाडिलकर : कारखाना मूल्य तय करने का प्रश्न टैरिफ आयोग के विचाराधीन है। अतः उसमें वृद्धि करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जहाँ तक पाँच वर्ष की अवधि का सम्बन्ध है, जब मजूरी की सूचकांक के साथ सम्बन्ध किया जायेगा, तो मेरे विचार में उद्योग में शक्ति रखने के लिये यह एक उचित प्रस्ताव है ताकि जब कभी मूल्यों में वृद्धि हो, मजूरी में भी वृद्धि हो जाये। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक श्रमिकों की मांगों का सम्बन्ध है, मैं श्रमिक संघों के नेताओं और मिल मालिकों के मतभेदों को कम करने का प्रयत्न कर रहा हूँ जिससे समझौता हो जाये।

जब हमने राष्ट्रीय मजदूर संघ परिषद बनाई थी तो वे इस बात पर सहमत थे कि यदि हड़ताल होगी भी तो आवश्यक सेवाओं और क्षेत्रों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुझे प्रसन्नता है कि इन्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने कारखानों में अपने-अपने संघों से कहा है कि वे अत्यावश्यक सेवाओं को चालू रखें और कारखानों के कुछ अत्यावश्यक भाग बन्द न हों। यह एक अच्छी बात है (व्यवधान)

श्री एस० एम० बनर्जी : कर्मचारियों की मांग क्या थी और यदि मिल मालिक उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं तो सरकार क्या कार्यवाही करेगी।

श्री आर० के० खाडिलकर : उनकी मांग यह थी कि उनकी मजूरी को इस्पात उद्योग में दी जाने वाली मजूरी के साथ सम्बद्ध किया जाये। वे यह भी चाहते हैं कि अन्तरिम सहायता को 30 रुपये से बढ़ा कर 1 जनवरी, 1972 से 70 रुपये कर दिया जाये। यह मांग तर्कसंगत नहीं है।

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई-उत्तर-पूर्व) : सीमेंट उद्योग में 17 अगस्त से जो हड़ताल हुई है वह बिल्कुल ठीक कार्यवाही है। मंत्री ने अपने वक्तव्य में यह नहीं बताया कि मिल मालिकों

का दृष्टिकोण क्या है। यह कहा गया है कि सीमेंट मिल मालिकों के असहयोग के कारण यह हड़-ताल हुई है। इसलिये यदि देश में सीमेंट के उत्पादन में कमी हुई है तो इसकी जिम्मेदारी भी मिल मालिकों पर है।

श्रमिक पूर्ण रूप से सहयोग दे रहे हैं और वे आज भी मंत्री महोदय से मिले हैं। यह कहना अनुचित है कि उनकी मांगे तर्कहीन हैं, मंत्री महोदय ने बताया था कि सीमेंट संघ ग्राम आधारित उद्योग है और सीमेंट उद्योग तथा इस्पात उद्योग में सेवा शर्तों और मजूरी में काफी अन्तर रहेगा।

इस्पात उद्योग में मजूरी में वृद्धि से पहले सीमेन्ट उद्धोग में न्यूनतम मजूरी तथा कुल उपलब्धियाँ अधिक थीं, परन्तु अब इस्पात उद्योग के श्रमिक की न्यूनतम मजूरी 260 रु० है जबकि सीमेन्ट उद्योग में न्यूनतम मंजूरी 180 रुपये है। यह अन्तर बहुत अधिक है। इसको देखते हुए, सीमेन्ट उद्योग के श्रमिक की माँग यह है कि उन्हें भी इस्पात उद्योग के श्रमिकों के समान मजूरी तथा उपलब्धियाँ मिलनी चाहिएं। अब वह अन्तरिम राहत की मांग कर रहे हैं। क्या मिल मालिक 20 रु० देने को तत्पर हैं? परन्तु श्रमिक 20 रुपये स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उनकी मांग कम से कम 30 रुपये है। इस्पात उद्योग में आन्तरिक राहत के रूप में 33 रुपये तथा अन्तिम निपटारे के लिये 67 रुपये की वृद्धि दी गई है। ये श्रमिक अन्तिम निपटारे में 60 से 67 रुपये तक लेने को तैयार हैं। उनकी यह मांग बहुत ही उचित है। श्रम मंत्री को अपने प्रस्ताव को अब बदलना चाहिये और मिल मालिकों को श्रमिकों की मांग मानने को कहना चाहिये। यह राष्ट्र के हित में है।

(श्री आर. के. खाडिलकर) : माननीय सदस्य की यह बात सच है कि यदि सीमेन्ट के निर्माता श्रमिकों की मांग के प्रति गंभीर होते तो वे इस पर अवश्य विचार करते। यह माँग पिछले मार्च में उठाई गई थी। वास्तव में इन निर्माताओं की यह इच्छा है कि जो भी वृद्धि स्वीकार की जाए उसका भार उपभोक्ता को वहन करना चाहिए और उसके लिए सरकार मूल्य वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करे, इसी कारण से वे अन्तिम समझौते में देरी कर रहे थे। सरकार अथवा शुल्क बोर्ड का निर्णय जो भी हो, मेरा प्रयास यह होगा कि जहां तक संभव हो सके उप-भोक्ता पर भार न पड़े और यदि उपभोक्ता पर भार बढ़ाया भी जाए तो वह न्यूनतम हो। मैं आश्वासन देता हूं कि श्रमिकों के लिए सन्तोषप्रद समझौते के लिए प्रयास किए जायेंगे।

———

स्थगन प्रस्ताव
MOTION FOR ADJOURNMENT

शाहदरा में हुई घटनाएं तथा पुलिस के कथित अत्याचार---अध्यक्ष महोदय : शाहदरा की घटनाओं के बारे में मुझे सात स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है।

श्री के० एस० चावड़ा : मैंने भी इसकी सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप ने भी सूचना दी है तो आपका नाम भी जोड़ा जा सकता है। सबसे पहली सूचना श्री एस. एम. बनर्जी की है। जो इस प्रकार है :

"शाहदरा में पुलिस के कथित अभूतपूर्व अत्याचारों, जिनके परिणामस्वरूप दिल्ली होम गार्ड का एक स्टाफ अफसर मारा गया, पुलिस द्वारा गोली वर्षा तथा लाठी प्रहार, जिनके कारण तीन सौ से अधिक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए तथा इसे रोकने में सरकार की विफलता।"

मैंने स्थगत प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी है। श्री बनर्जी सदन की अनुमति माँगें।

श्री एस. एम. बनर्जी (कानपुर) : मैं स्थगत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुमति मांगता हूं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मुझे इस प्रस्ताव पर आपत्ति है। शाहदरा पुलिस थाने के क्षेत्र में 18 अगस्त 1972 को श्री ओंकार सिंह की कथित हत्या के परिणाम स्वरूप होने वाली इन घटनाओं की सूचना देते हुए मुझे खेद हो रहा है। 18 अगस्त की सुबह को शान्ति और व्यवस्था संबंधी गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई और यह स्थिति 20 तारीख तक चलती रही। शाहदरा में अब स्थिति सामान्य हो रही है। सरकार ने इस कथित हत्या के मामले के अतिरिक्त अन्य घटनाओं के बारे में न्यायिक जाँच करने का निश्चय किया है, सरकार आशा करती है कि यह जाँच बहुत तत्परता से तथा शीघ्रता से पूरी की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य अनुमति दिये जाने के पक्ष में हैं, वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मुझे दुख: है कि इसके पक्ष में केवल 47 सदस्य हैं। अनुमति नहीं दी जाती।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

पशुओं पर परीक्षणों के नियन्त्रण और पर्यवेक्षण सम्बन्धी समिति के लेखापरीक्षित लेखे

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : मैं पशुओं पर परीक्षणों के नियन्त्रण और पर्यवेक्षण सम्बन्धी समिति (प्रशासन) नियम, 1965 के नियम 24 के उप-नियम (4) के अन्तर्गत पशुओं पर परीक्षण के नियन्त्रण और पर्यवेक्षण सम्बन्धी समिति, बम्बई, के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी 3433/72]

तकनीक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान (पश्चिमी क्षेत्र) मंत्रालय का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी. पी. यादव) : मैं तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान (पश्चिमी क्षेत्र), भोपाल, के वर्ष 1970-71

सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखा गया : देखिये संख्या एल० टी० 3444/72]

बाढ़ की स्थिति के बारे में अनुपूरक विवरण

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बंजनाथ कुरील) : मैं देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में एक अनुपूरक विवरण की प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखा गया : देखिये संख्या एल.टी. 3446-72]

1972-73 के दौरान बाजार ऋणों के बारे में विवरण

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चौहाण) : मैं बाजार ऋणों के संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ।

]ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी/3437-72]

सदस्य को दण्ड दिया जाना
CONVICTION OF MEMBER

(श्रीमती शकुन्तला नायर)

सदस्य की दोष सिद्धि
Conviction of Member

अध्यक्ष महोदय : मुझे दण्डाधीश, बहराइच, उत्तर प्रदेश के दिनांक 19 अगस्त, 1972 के एक बेतार संदेश की सूचना सभा को देनी है, जिसमें बताया गया है कि लोक सभा की सदस्या श्रीमती शकुन्तला नायर को 19 अगस्त 1972 को भारतीय दंड संहिता की धारा 288 के अधीन गिरफ्तार किया गया और केसरगंज के तहसीलदार-दंडाधीश द्वारा 100 रुपये जुर्माना किया गया और जुर्माना न देने पर एक सप्ताह का साधारण कारावास भुगतने का दंण्ड दिया गया। सदस्या ने जुर्माना नहीं दिया। अतः उन्हें जिला जेल, बहराइच में भेज दिया गया है।

साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण विधेयक 1972)
GENERAL INSURANCE BUSINESS (NATIONALISATION) BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री दरबारी सिंह (होशियारपुर) : मैं, जनसमुदाय के सर्वाधिक हितों में साधारण बीमा कारबार के विकास को सुनिश्चित करके वित्तीय आवश्यकताओं की अधिक अच्छी तरह पूर्ति करने तथा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि अर्थ-व्यवस्था के प्रचलन के परिणामस्वरूप धन का ऐसा संकेन्द्रण न हो जो सर्वसामान्य के अहित में हो, भारतीय बीमा कम्पनियोंतथा अन्य विद्यमान बीमा-कर्ताओं के उपक्रमों के अंशों के अर्जन तथा अन्तरण का, ऐसे कार बार के विनियम

और नियंत्रण का तथा तत्सम्बद्ध अथवा तदानुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

साक्ष्य

श्री दरबारा सिंह : मैं जनसमुदाय के सर्वाधिक हितों में साधारण बीमा कारबार के विकास को सुनिश्चित करके वित्तीय आवश्यकताओं की अधिक अच्छी तरह पूर्ति करने तथा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि अर्थ-व्यवस्था के प्रचलन के परिणामस्वरूप धन का ऐसा संकेन्द्रण न हो जो सर्वसामान्य के अहित में हो, भारतीय बीमा कम्पनियों तथा अन्य विद्यमान बीमा कर्ताओं के उपक्रमों के अंशों के अर्जन तथा अन्तरण का, ऐसे कारबार के विनियमन और नियंत्रण का तथा तत्सम्बद्ध अथवा तदानुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

———

राष्ट्रीय कृषि आयोग के आन्तरिक प्रदिवेदनों के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : INTERIM REPORTS OF NATIONAL COMMISSION ON AGRICULTURE

कृषि मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा चार अन्तरिम प्रतिवेदन पेश किये जाने के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ ।

———

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : मैं श्री राज बहादुर की ओर से प्रस्ताव करता हूँ : कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन से, जो 18 अगस्त 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मैं निवेदन कर सकता हूँ ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उस दिन बताया था कि सभा की कार्यवाही के बारे में कोई बात मंत्री द्वारा अगले सप्ताह की कार्यवाही के संबंध में वक्तव्य के पश्चात उठाने चाहिये । इस समय उस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

प्रश्न यह है : "कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 15वें प्रतिवेदन से, जो 18 अगस्त 1972, को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

———

पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति विधेयक
ANTIQUITIES AND ART TREASURES BILL

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि पुरावशेष तथा बहूमूल्य कलाकृति का निर्यात-व्यापार विनियमित करने, पुरावशेषों की तस्करी के कारबार तथा उनमें कपटपूर्ण संव्यवहार के विवरण, सार्वजनिक स्थानों में पुरावशेषों तथा बहुमूल्य कलाकृति के रखे जाने के लिये उन के अनिवार्य अर्जन और उनसे सम्बद्ध अथवा तत्संसक्त या तदानुषंगिक कतिपय अन्य विषयों के बारे में उपबंध करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :—प्रश्न यह है कि पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति का निर्यात-व्यापार विनियमित करने, पुरावशेषों की तस्करी के कारबार तथा उनमें कपटपूर्ण संव्यवहार के निवारण, सार्वजनिक स्थानों में पुरावशेषों तथा बहुमूल्य कलाकृति के रखे जाने के लिये उन के अनिवार्य अर्जन और उनसे सम्बद्ध अथवा तत्संसक्त या तदानुषंगिक कतिपय अन्य विषयों के बारे में उपलब्ध करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

प्रो० एस० नूरुल हसन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

———

भारतीय रियासतों के नरेश (विशेषाधिकारों का उत्सादन) विधेयक
RULERS OF INDIAN STATES (ABOLITION OF PRIVILEGBS) BILL

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच. आर. गोखले) मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय रियासतों ने नरेशों की मान्यता समाप्त किये जाने और उनकी निजी थैलियों का उत्सादन किये जाने के परिणामस्वरूप, उन नरेशों के विशेषाधिकारों का उत्सादन करने के लिये कतिपय अधिनियमों का और संशोधन करने और उन नरेशों को परिवर्तित परिस्थतियों के अनुसार अपने आपको उत्तरोत्तर ढालने के लिये सक्षम बनाने हेतु कतिपय संक्रमणकालीन उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :—प्रश्न यह है : "कि भारतीय रियासतों के नरेशों की मान्यता समाप्त किये जाने और उनकी निजी थैलियों का उत्सादन किये जाने के परिणामस्वरूप, उन नरेशों के विशेषाधिकारों का उत्सादन करने के लिये कतिपय अधिनियमों का और संशोधन करने और उन नरेशों को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार अपने आपको उत्तरोत्तर ढालने के लिये सक्षम बनाने हेतु कतिपय संक्रमणकालीन उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री एच. आर. गोखले : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

———

(खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक
MINES AND MINERALS (REGULETION AND DEVELOPMENT) AMENDMENT BILL

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस. मोहन कुमारमंगलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"खान और खनिज विनियमन और विकास अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री एस. मोहन कुमारमँगलम : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ ।

दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक—जारी
DENTIST (AMENDMENT) BILL—Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक पर आगे विचार किया जायेगा।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur), Sir, It appears that Government wants to take over the powers of the Dentists Council by bringing amendments in the original Act. But the Government have not taken any steps to take over the powers of other similar Councils such as the Medical Council. There was no need of making any provision for the visitor. the Government also wants to introduce the system of renewal. There was no need of introducing this system also.

The Home Minister is fully, aware that a large number of people are working on the roads as dentists without getting themselves registered as practitiones anywhere or even without getting proper training from any in stitution. Nothing has been done in the prcsent Bill to chide such unauthorised dentists. On the other hand this Bill will encourage more quades, to do this work because Government is giving to register all such people irrespective of the fact whether they are qualified or unqualified. In my view the Government have not taken the carrect position in this regard. I, therefore, suggest that the Bill may be referred to a Select Committee for consideration and advice

श्री एस. एम. बनर्जी (कानपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ परन्तु मुझे इस बारे में एक अथवा दो अनुरोध करने हैं । इस विरोव विधेयक के अनुसार दंत चिकित्सा संबंधी अहर्ता का अर्थ अनुसूची में दी गई किसी भी अहर्ता से हैं । कलकत्ता तथा आदि अनेक नगरों में चीन के लोग बसे हुए हैं जो दंत चिकित्सक का कार्य करते हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि उनकी स्थिति क्या होगी ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए औषधालयों में दांतों के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री को ऐसी व्यवस्था लागू करने पर विचार करना चाहिए।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : यह सच है कि देश में दंत चिकित्सकों की जो संख्या है वह लोगों की अधिक सेवा के लिए पर्याप्त नहीं है। परन्तु इसके साथ-साथ एक समस्या यह भी है कि अनेक दंत चिकित्सक बेरोजगार हैं। मंत्रालय ने इस समस्या की ओर ध्यान दिया है और योजना आयोग को एक योजना भेजी गई है जो कि आयोग के विचाराधीन है।

यह कहना ठीक नहीं है कि सरकार दंत चिकित्सक परिषद की शक्तियों को अपने हाथ में ले रही है। सरकार केवल दंत चिकित्सा सम्बन्धी अहर्ता को मान्यता देने की जिम्मेदारी ही अपने ऊपर ले रही है। इस विधेयक द्वारा उनमें समानता लाने का प्रयास कर रही है।

बर्मा, श्री लंका तथा बंगलादेश से आने वाले लोगों, जिनके पास निर्धारित अहर्ता नहीं है, के लिए इस विधेयक में विशेष उपबन्ध रखा गया है, ताकि वे अपने अनुभव के आधार पर अपना व्यवसाय कर सकें। अतः इनसे कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाला विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाय जिसमें 8 सदस्य हों अर्थात् :—

(1) श्री भागीरथ भंवर

(2) श्री खेमचन्द भाई चखड़ा

(3) श्री मूल चन्द डागा

(4) श्री कमल मिश्रा मधुकर

(5) श्री धनशाह प्रधान

(6) श्री रामकंवर

(7) श्री रामरतन शर्मा, और

(8) श्री उमा शंकर दीक्षित

और उसे आगामी सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाये।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The Motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि दंत चिकित्सा अधिनियम 1948, का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खण्ड 2 से 4

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 2 से 4 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 2 से 4 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 2 to 4 were added to the Bill

खण्ड 5

डा०. लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : मैं अपने संशोधन संख्या 4;5,6, और 7 प्रस्तुत करता है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 से 7 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendment Nos 4 to 7 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड विधेयक में जोड़ दिया गया,
Clause 5 was added to the Bill

खण्ड 6 से 28 विधेयक में जोड़ दिये गये
Clause 6 to 28 were added to the Bill

खण्ड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clause 1, the Enacting Farmula and the sitle were added to the Bill

(प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : 'कि विधेयक को पारित किया जाये ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

———

वन्य प्राणी (संरक्षण) विधेयक
WILD LIFE (PROTECTION) BILL

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) मैं प्रस्ताव करता है : "कि वन्य जीव जन्तुओं और पक्षियों के संरक्षण के लिए तथा उनसे सम्बन्धित या अनुसंगिक या प्रासंगिक सभी विषयों पर उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

हमारे देश में विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी पाये जाते हैं। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कि अन्य देशों में नहीं पाये जाते परन्तु इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और यह सारे विश्व के लिए तथा विशेष भारत के लिए बड़ी चिन्ता का विषय है। चीता तथा कश्मीरी सांड ऐसी जातियां हैं कि यदि यह एक बार समाप्त हो गई तो पुनः नहीं बनाई जा सकती।

1952 में भारत की राष्ट्रीय वन नीति में इन वन्य जीवजन्तुओं के संरक्षण पर बल दिया गया था। इसमें संरक्षण स्थानों की स्थापना तथा राष्ट्रीय पार्क बनाने का सुधार भी किया गया था। इसी वर्ष वन्य जीवजन्तुओं संबंधी भारतीय बोर्ड ने यह सिफारिश की थी कि इनके पर्याप्त संरक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा कानून बनाये जाने चाहिएं।

वन्य जीवजन्तुओं संबंधी भारतीय बोर्ड द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने इन जानवरों के संरक्षण पर बल दिया था। इस बारे में कानून बनाने की शक्ति केवल राज्य सरकारों की ही थी। परन्तु राज्य सरकारें लोगों को मूल आवश्यकताएँ प्रदान करने में ही व्यस्त रही हैं। और वे वन्य जीव जन्तुओं के संरक्षण के कार्य को प्राथमिकता नहीं दे सकीं परन्तु अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि यदि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें मिलकर इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं करतीं तो अनेक जानवरों की नस्ल ही समाप्त हो जायेगी।

केन्द्रीय सरकार ने अनेक दुर्लभ जानवरों तथा पक्षियों के निर्यात पर रोक लगाने के बारे में कार्यवाही की है। परन्तु यह पर्याप्त नहीं है और इसके लिए समूचे देश में इनके शोषण को रोकना होगा। अतः केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए संसदीय कानून बनाने का निर्णय किया। यह एक राज्य विषय था अतः इस बारे में केन्द्र द्वारा तब तक कानून नहीं बनाया जा सकता था जब तक कम से कम दो राज्य ऐसे संकल्प पास न कर दें कि केन्द्रो को कानून बनाने की शक्ति है। मुझे प्रसन्नता है कि ग्यारह राज्य सरकारों ने इस बारे में संकल्प पास कर दिये हैं।

वन्य जीवजन्तुओं के बारे में आर्थिक तथा वैज्ञानिक पहलुओं को उपेक्षा नहीं की जा सकती। इनसे पयर्टकों को आकर्षित किया जा सकता है। वन्य जीव जन्तु प्रोटीन का साधन हो सकते हैं। परन्तु इसके लिए हमें वैज्ञानिक तौर पर इनका रख-रखाव करना होगा। विभिन्न जानवरों तथा पक्षियों के शोषण के लिए अलग अलग दण्ड रखे गये हैं। यदि भविष्य में यह पता लगता है कि किसी जन्तु विशेष की संख्या बढ़ गई तो उसके निर्यात तथा शोषण की अनुमति दी जा सकती है

परन्तु यदि यह पता लगता है किसी जन्तु विशेष की संख्या कम हो गई तो उस पर नियंत्रण लगाया जा सकता है ।

इस विधेयक में वन्य जीवन के संरक्षण के मामले में राज्य सरकारों को और शक्तियां प्राप्त होंगी और केन्द्रीय सरकार ऐसे अधिकारी नियुक्त करेगी जो उनको सभी सम्भव सहायता देंगे ।

मुझे आशा है कि सभा विधेयक का स्वागत करेगी ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ "कि वन्य जीवजन्तुओं और पक्षियों के संरक्षण के लिए तथा उनसे सम्बन्धित या अनुसंगिक या प्रासंगिक सभी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री दशरथदेव (त्रपुरा पूर्व) सरकार ने वन्य प्राणियों को संरक्षण देनेमें जो तत्परता दिखाई है वही तत्परता तथा सहानुभूति उसे गरीब लोगों जिन्हें दोनों समय पेट भर भोजन भी नहीं मिलता है , की ओर भी दिखानी चाहिए । भुखमरी से उनका संरक्षण किया जाना चाहिए । चोर बाजार करने वाली मुनाफाखोरों तथा जमाखोरों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है ।

विधेयक में यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी रक्षा में किसी जानवर को मार देता है तो उससे उपलब्ध मांस सरकार की सम्पत्ति होगा । क्या ऐसा करना वन्य प्राणी के संरक्षण के हित में है अथवा सरकार का उद्देश्य कुछ इससे अधिक है । यदि यह खण्ड विधेयक में बना रहा तो जंगल में रहने वाले लोगों के लिए यह दमनकारी सिद्ध होगा । इसको हटाया जाना चाहिए ।

सरकार ने एक अन्य खण्ड में यह कहा है कि यदि किसी क्षेत्र को शरणस्थल घोषित किया जाता है तो उसमें लोगों को 'झूम खेती' का अधिकार नहीं होगा और लोगों को कुछ मुआवजा दिया जायेगा ।

विशेषकर हमारे राज्य के वन्य क्षेत्रों में लोगों को उस भूमि के स्वामित्व अधिकार नहीं दिये गये जिसका वे आम की खेती के लिए उपयोग करते हैं । वे झूम की खेती के बदले सरकार को वार्षिक एक मुक्त धन राशि देते हैं, यदि आप उस क्षेत्र को सँरक्षित क्षेत्र घोषित करते हैं तो वहाँ के लोगों के पास भूमि के स्वामित्व अधिकार न होने के कारण उन्हें क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी । चूंकि वे लोग परम्परागत रूप से उस भूमि का उपयोग कर रहे हैं अतएव उन्हें क्षतिपूर्त्ति मिलनी चाहिए ।

विधेयक में यह प्रावधान रखा गया है कि अन्य व्यक्तियों को वन्य जीवों का शिकार करने का अधिकार नहीं होगा, इस प्रकार का प्रावधान रखा जाना उचित नहीं है । यह कार्य उन कर्मचारियों का है जिनकी उन क्षेत्रों में बन्द जीवों का शिकार करने से रोकने के उद्देश्य से नियुक्त किया गया है, आप वहाँ के लोगों की इस सम्बन्ध में सहायता ले सकते हैं परन्तु अन्य व्यक्तियों को शिकार करने से रोकने का उत्तरदायित्व उन पर डाला जाना ठीक नहीं है । ऐसा करने से जंगलात के आस-पास रहने वाले निरपराध ग्रामीणों को तंग दिया जायेगा और इस प्रकार घूसखोरी

आदि जैसे कदाचारों में वृद्धि होगी। इस आशय का खंड 27 (2) विधेयक से हटा दिया जाना चाहिए।

मेरा एक संशोधन है जो विधेयक के खंड 30 के अंत में जोड़ दिया जाये, खंड 30 में यह कहा गया है कि यदि कोई संरक्षित क्षेत्र में आग लगाता है तो उसे दंड दिया जाना चाहिए परन्तु झूम की खेती के लिए जंगल में आग लगाया जाना अपेक्षित है। पर आग फैल सकती है और सँरक्षित क्षेत्र को अपनी लपेट में ले सकती है, इसके लिए उन्हें दंड नहीं दिया जाना चाहिए।

खंड 55 में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को इस विधेयक के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसे चीफ वार्डन अथवा चीफ सेक्रेटरी द्वारा दंडित किया जायेगा। परन्तु उन्हें न्यायालय में अपील करने की अनुमति नहीं होगी। यह एक खतरनाक उपबन्ध है अतएव इस उपबंध को विधेयक से निकाल दिया जाना चाहिए।

विधेयक के खंड 55 में कंपनियों को वन्य जीवों की खालें आदि संग्रहीत करने हेतु संरक्षित क्षेत्रों में शिकार खेलने के लिए लाइसेंस देने का प्रावधान रखा गया है। यह भी कहा गया है कि यदि कंपनी की जानकारी के बिना कोई अपराध होता है तो उसके लिए कंपनी को दोषी नहीं ठहराया जायेगा। ऐसा प्रावधान रखकर आप साधारण व्यक्तियों के प्रति दमनकारी नीति अपना रहे हैं और बड़े लोगों को इसकी छूट दे रहे हैं।

विधेयक में यह उपबंध रखा गया है कि जिन व्यक्तियों के पास उसमें उल्लिखित वस्तुएं हैं, वे उन्हें तुरन्त वापिस लौटा दें, यह अन्यायपूर्ण बात है, क्योंकि ऐसी वस्तुएं उनके पास वर्षों से हैं। यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद से ऐसी वस्तुएं जिनके पास होंगी वे उन्हें लौटानी पड़ेंगी।

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : Our Country was rich in wild life, but gradually deterioration has taken place and now the number of wild life has dwindled. The introduction of the Bill is imperative to protect them. Protection of wild life would be an honour for the country.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Dupty Speaker in the Chair

Regarding the Composition of the board, it has been provided that its fifteen members will be nominated by the state Governments but it has not been provided as to which catagories these members would belong. So there must be some guidelines for nominating the members.

In sub clause 5 of clause 9, the emphasis has been laid down on making inquiry with regard to the fitness or otherwise of the applicant before giving him licence for hunting. This is a wrong procedure. Instead, the number of the wild life should be taken into consideration before issueing licence to the concerned party.

Under clause 27 (2), certain conditions, such as prevention of offence, reporting the death to the authority have been laid down for the inhabitants residing in sanctuary areas.

This will cause great hardship to the inhabitants. I would request the Government to delete such a hard provision from the Bill.

In clause 27 (1), restrictions has been placed on the movement of persons other than mentioned therein. This will cause great leadership to the relatives and the friends of the inhabitants who wani to see them.

The Bill is not explicit regarding the right of cultivators to cultivate the land family in the sanctuary area. In clause 20, it has been provided that the right of the land to the sanctuary areas will be obtained from succession only. It has not been provided whether this right can be obtained from transfer or sale.

In clause 2 (ii), the definition of the dealer is limited. Those persons who sell skins after killing animals or otherwise should be brought under the periphery of the definition of the dealer so that tney may be covered by the law.

There is a provision in the Bill that a person has to report regarding the killing of animals within fifteen days of the expiry of the licence period. There will be much scope for manipulation in this period. So provision should be made to report immediately after the expiring of the licence period.

Steps should be taken to check unauthorized persons from destroying the bild life. This should be made a cognizable offe nce and provision for deterrent punishment to the culprits should be thesre. In the opinion of experts, 3 to 4 percent of the total land should be declared as reserve area, in the form of Sanctuary area or National Park. Although it is a state subject yet the centre can give direction to the states in this respects.

श्री एच० एन० मुकर्जी कलकत्ता-उत्तर-पूर्व): यह बड़े दुख की बात है कि सरकार इस विधेयक को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में असफल रही है। मंत्री महोदय ने विधेयक के प्रावधानों को समझाने का कोई प्रयास नहीं किया है। उन्होंने वन्य जीवों की वर्तमान स्थिति के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी है, उन्होंने केवल यह मान लिया है कि सभा विधेयक को पारित कर देगी।

मुझे आश्चर्य इस बात का है कि इतने महत्त्वपूर्ण विधेयक को प्रवर समिति के विचारार्थ क्यों नहीं भेजा गया है। यदि इसको समिति के पास भेजा जाता तो वह इसके खंडों पर सावधानी पूर्वक विचार करती और हमें वन्य जीवों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होती।

समाचार पत्रों में वन्य जीवों का लोप होने के बारे में चिन्ताजनक समाचार दिये जाते हैं, परन्तु हमें यहां इस बारे में विश्वास में नहीं लिया जाता है। इस विधेयक का उद्देश्य कुछ सीमा तक सही है, सरकार इसके द्वारा विधिवत रूप से वन्य जीवों को संरक्षण दे रही है परन्तु सभा को विश्वास में लिये बिना इस विधेयक को पारित करना उचित नहीं है।

वन्य जीव की परिभाषा के अंतर्गत न केवल पशु-पक्षी अपितु मानव भी आते हैं। वन्य जीव संरक्षण का अर्थ है आदिमजाति लोगों को संरक्षण देना, जो वनों तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों में रहते हैं। निश्चय ही इसका अर्थ आदिम जाति के लोगों को सँरक्षण देना है जिन्होंने कोई

दंडनीय अपराध नहीं किया है, जहाँ तक इस विधेयक का सँबँध है हम वन्य जीवों को संरक्षण देने के समर्थक हैं परन्तु हम इस बारे में विस्तृत ब्यौरा चाहते हैं।

वन्य जीवों की रक्षा करने की आवश्यकता पर हम बहुत कुछ कहते हैं परन्तु वास्तविक स्थिति क्या है? शेरों की संख्या में बहुत कमी हो गई है, मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जंगलों में चन्द्र प्रभा नदी के निकट जो शेर छोड़े गये थे उनका क्या हुआ? समाचार पत्रों के अनुसार, उनका लोप हो गया है, सरकार को इस बारे में वस्तु स्थिति बतानी चाहिए, जिम कार्बेट ने अपनी मृत्यु से पूर्व शिकायत की थी कि नेशनल पार्क के लिए जो उसे 180 वर्ग मील जमीन दी गई थी उसमें से 55 वर्ग मील जमीन वापिस ले ली गई है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या कर रही है?

मैं रीवा के सफेद शेरों के बारे में जानकारी चाहता हूं। श्री ई० पी० गी ने अपनी पुस्तक "दि वाइल्ड लाइफ आफ इंडिया" में रीवा गोविन्दगढ़ राजभवन का बड़ा सुन्दर चित्रण किया है जहां सफेद शेर रखे गये हैं; अब जबकि नरेशों की मान्यता तथा उनके अधिकार समाप्त कर दिये गये हैं तो क्या सरकार गोविन्दगढ़ राजभवन जैसे स्थानों को अपने अधिकार में ले लेगी जहां सफेद शेरों को पाला जा सकता है तथा बाद में उन्हें अन्य स्थानों पर भेजा जा सकता है। रायल बंगाल टाइगर के निवास स्थान सुन्दर वन क्षेत्र के बारे में सरकार ने क्या योजनाएँ बनाई हैं? वहां बनने वाले राष्ट्रीय पार्क तथा संसदीय क्षेत्रों के संबंध में क्या प्रगति हुई है?

कुछ समय पूर्व कलकत्ता के निकट साल्ट झीलों में चिड़ियों के लिए संरक्षित स्थल बनाने की बात उठी थी परन्तु अब उस स्थान का उपयोग अन्य कार्यों के लिये किया जा रहा है, इस विधेयक में खाल आदि के व्यापार आदि में होने वाले कदाचार तथा शिकारियों आदि के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रावधान रखा गया है। मैं नहीं जानता कि सरकार का विचार जानवरों के उन सिरों, खालों, सींगों आदि को अपने अधिकार में ले लेने का है जो कि समूचे देश के शो-रूम आदि की शोभा बढ़ा रही हैं, यह ठीक ही कहा गया है कि सरकार इस व्यापार में कार्यरत कंपनियों के प्रति उदार है परन्तु जंगल में रहने वाले निवासियों के प्रति कठोर है, सरकार जंगलात में बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

कलकत्ता में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ जानवरों तथा पक्षियों को बिक्री हेतु बड़ी ही खराब परिस्थिति में रखा जाता है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार वहाँ बड़े लोगों से मूल्यवान ट्राफी, खालें आदि लेकर ऐसे स्थान पर रखेगी जहां जनता को उनको देखने का अवसर मिले?

क्या सरकार अपने इस कार्य में उन शिकारियों का सहयोग प्राप्त करेगी जिनके मन से वन्य जीवों के लिए प्यार है तथा जो बंदूक से शिकार न करके अब उनका शिकार कैमरे के द्वारा करना चाहते हैं? इस विधेयक के बारे में मुझे एक शिकायत है। यदि इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाता तो हमें वन्य जीवों की वर्तमान स्थिति के बारे में बहुत-सी जानकारी प्राप्त हो जाती, वह समिति देश में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कई प्रभावी उपाय बता सकती थी। परन्तु

सरकार ने ऐसा न करके दूसरा ही मार्ग अपनाया है। इस विधेयक का उद्देश्य प्रशंसायोग्य है परन्तु इसको प्रवर समिति के विचारार्थ भेजा जाना अधिक उचित होता। वस्तुतः यह विधेयक जल्दी में लाया गया है और इसको बिना सोचे-विचारे पारित कराया जा रहा है।

अतः मैं मांग करता हूँ कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाय तथा उसे यह निदेश दिया जाय कि विधेयक के सत्र के अन्त से पहले-पहले लौटा दिया जाए। हमें इस विधेयक से संतोष नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : हस विधेयक के लिये दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है। अतः माननीय सदस्य अपने भाषण संक्षेप में दें क्योंकि चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या काफी है।

पर्यटन और नगर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : मैं पर्यटन मंत्री के नाते नहीं वरन भारतीय वन्य जीव बोर्ड के चेयरमैन के नाते इस चर्चा में भाग ले रहा हूँ। मैं माननीय सदस्य प्रो० हीरेन मुकर्जी द्वारा उठाए गए कुछ सवालों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

इस सन्दर्भ में भारत के समक्ष समस्या का उल्लेख करने से पहले मैं विश्व के वन्य जीवन की स्थिति पर थोड़ा-सा प्रकाश डालना चाहूँगा। पृथ्वी पर असंख्य प्राणी हैं जिनमें से मानव भी एक है। किन्तु मानव के अपनी शक्तियों के द्वारा अन्य सभी प्राणियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया है तथा प्राकृतिक संसाधनों को अपने अधिकार में कर लिया है जिसके कारण जीवों की हजारों जातियां नष्ट हो गई हैं अथवा होने वाली हैं। विज्ञान, औद्योगिकी तथा प्रमाणु शक्ति के विकास के कारण प्राकृतिक नियमों में अव्यवस्था उत्पन्न हुई है जिसके परिणामस्वरूप सूखा, बाढ़ तथा भूमि कटाव जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती जा रही हैं। इतना ही नहीं वरन् परिस्थितियों में विषमता उत्पन्न हुई है तथा जलवायुगत समस्याएँ उठ खड़ी हुई हैं। मानव ने अपने हित के लिये वनों पर अधिकाधिक अधिकार जमाया है जिससे वन्य जीवों की जातियां नष्ट होती जा रही हैं। परमाणु हथियारों के कारण अब मानव जाति को भी खतरा उत्पन्न हो गया है क्योंकि उनका प्रभाव पशु या मानव में कोई अन्तर नहीं रखता। यदि अमरीका में समुद्र दूषण होता है तो उसका प्रभाव -धीरेधीरे अन्य समुद्रों पर भी पड़ेगा ;

इस विषय पर अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं। जिनके पढ़ने से ज्ञात होता है कि कीट नाशक औषधियों का प्रभाव प्राकृतिक जीवन पर भी पड़ता है। एक पुस्तक बैरी कामनी द्वारा लिखी गई है जिसका नाम 'क्लोजिंग सर्किल' है ; मैं माननीय सदस्य को सुझाव देता हूं कि वह इसे अवश्य पढ़ें।

मुझे इस वर्ष मानव पर्यावरण के बारे में हुये सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला। यह सम्मेलन वास्तव में अभूतपूर्व सम्मेलन था तथा उसमें लगभग सभी राष्ट्रों ने, चाहे उनकी राजनीतिक विचारधारा कैसी भी है, एक मत से इस बात की मांग की कि विनाशकारी परिस्थितियों को उत्पन्न होने से रोका जाए। सदन को यह जानकर हर्ष होगा कि भारत ने वन्य-जीव संरक्षण

के बारे में सम्मेलन को एक नया सिद्धान्त दिया जिसका वहाँ स्वागत किया गया तथा जो अंतिम घोषणा में निहित है। उसका आशय यह है कि मानव पर वन्य जीवन की रक्षा करने तथा वन्य जीवों की जातियों को सुरक्षित रखने का विशेष उत्तरदायित्व है।

वन्य जीवन की सुरक्षा का कार्य केवल विकसित राष्ट्रों का ही नहीं वरन् इस सम्बन्ध में हमारे ऊपर भी उतना ही उत्तरदायित्व है क्योंकि हमारा देश भी आर्थिक विकास की ओर गतिशील है। पर्यावरण योजना तथा इसके समन्वय के लिये एक समिति की स्थापना की गई है।

माननीय सदस्यों ने पशुओं के महत्त्व के सम्बन्ध में प्राचीन भारतीय संस्कृति तथा बुद्ध धर्म और जैन धर्म आदि की समस्याओं का उल्लेख किया है। भारतीय वन्य जीवन बोर्ड के चैयरमैन की हैसियत से मुझे यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि आज भारत में वन्य जीवों की स्थिति दयनीय है। इन जीवों की अनेक जातियाँ नष्ट हो चुकी हैं तथा अनेक नष्ट होने वाली हैं। इसका कारण यह है कि लगातार वनों को काटा जा रहा है। गत 25 वर्ष में ही इतने वनों को काट दिया गया है कि कश्मीर जैसे स्थानों की जलवायु ही बदल गई है।

मैं 1969 में इस बोर्ड का चेयरमैन बना था तथा उस वर्ष के अक्तूबर महीने में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। अब समिति का प्रतिवेदन अगस्त, 1970 में प्राप्त हुआ था। यह प्रतिवेदन अपने देश के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है जो देश की समस्याओं को भलीभांति जानते हैं। हम इस सम्बन्ध में कोई देरी करना नहीं चाहते क्योंकि हमें बड़ी कठिनाई से चीते के शिकार पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने में सफलता मिली है। मुझे तथा स्वयं प्रधान मंत्री को इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रियों को सहमत करने में लगभग दो वर्ष लगे हैं। वर्तमान काल के अनुसार, पूरे देश में लगभग 2000 चीते हैं जबकि सौ वर्ष पहले उनकी संख्या 40,000 से 50,000 तक थी। यह पशु शक्ति का प्रतीक है तथा सुन्दर भी है। आज उनकी संख्या इतनी कम रह गई है कि यदि उन्हें सुरक्षित नहीं रखा गया तो देश में उनकी जाति ही नष्ट हो जाएगी।

आज विश्व के विकसित कहलाने वाले देशों में मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण से दूर हटता जा रहा है। अतः आर्थिक विकास की ओर बढ़ते समय भारत को इस विशेष स्थिति को ध्यान में रखना चाहिये अन्यथा हमारे देश में भी वन्य जीव नष्ट होते जाएंगे, चाहे उनके प्रति हमारी दुर्भावना हो या नहीं। विशेषज्ञ समिति की एक सिफारिश के अनुसरण में, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने राज्यों से इस सम्बन्ध में पत्रव्यवहार किया तथा राज्यों और विधि मंत्रालय के परामर्श से यह व्यापक कानून का मसौदा तैयार किया गया।

यह निश्चित है कि केवल इस कानून को बनाने मात्र से समस्या का समाधान नहीं होगा। जब तक राज्य सरकारें पूरा सहयोग नहीं देंगी तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि संविधान में अधिकतर अधिकार राज्यों को प्राप्त हैं।

वस्तुतः राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में कोई विशेष आपत्ति नहीं है। आपत्ति केवल ऐसे लोगों को है जो जंगलों में रहते हैं अथवा जिन्हें शिकार खेलने का शौक है। किन्तु जिस प्रकार हम

फतेहपुर सीकरी, ताजमहल अथवा बड़े-बड़े मंदिरों आदि की रक्षा करते हैं तथा जिस प्रकार हम सांस्कृतिक और धार्मिक कला-कृतियों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने देश के वन्य जीवों की भी रक्षा करनी चाहिये। कुछ व्यक्ति शेर का शिकार करने में गौरव अनुभव करते हैं किन्तु इस सम्बन्ध में मुझे ऐसे व्यक्तियों से कोई सहानुभूति नहीं है। मैं भारत की जनता के लिये भारतीय वन्य जीवों को बचाए रखना चाहता हूँ। इसी बात को ध्यान में रखकर हम वन्य जीव शरणस्थल बना रहे हैं तथा पर्यटकों की सुविधा के लिये वहाँ छोटी बसें चला रहे हैं जिससे हमारे देश के नव-युवक वन्य जीवों तथा सुन्दर-सुन्दर पर्वतों और वनों के दर्शन कर सकें और कृत्रिम सुविधाओं से पूर्ण नगरीय जीवन से दूर प्राकृतिक सौन्दर्य का लाभ उठा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके कथन को ध्यान में रखते हुए, क्या आप इस बात का समर्थन करेंगे कि विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाये, यद्यपि आपके द्वारा प्रकट किये गये विचारों पर अधिक सावधानी से विचार करना था ? (व्यवधान)

डा० कर्ण सिंह : वास्तविक समस्या यह है कि इस विधेयक को लाने में हमारी आशा से अधिक देरी हो चुकी है। मैं यह आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि यदि इस सम्बन्ध में कोई समस्या उत्पन्न होगी तो सरकार स्वयं संशोधन प्रस्तुत करेगी। अतः इस समय इस विधेयक को रोका नहीं जाना चाहिये। सरकार को इस पर छः महीने तक कार्य करने देना चाहिये।

श्री मोहन राज कलिंगारायर (पोलाची) : स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हम राजनीतिक, जनसंख्या सम्बन्धी, सुरक्षा तथा औद्योगिक समस्याओं को सुलझाने में लगे रहे तथा वन्य जीवों की सुरक्षा की समस्या पर कोई ध्यान न दे पाए।

भारतीय वन्य जीव बोर्ड गत 20 वर्षों से कार्य कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुमने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ? यह सच है कि उक्त बोर्ड ने आसाम तथा पश्चिम बंगाल में गैंडा की जाति को संरक्षण देने तथा गुजरात में शेरों की जाति को बचाने का उपयुक्त समय पर कुछ कार्य किया है। किन्तु केवल दो प्रकार के वन्य जीवों को सुरक्षा से काम नहीं चल सकता। दक्षिण भारत के कुछ घने जंगलों से शेर-चीते की जातियाँ नष्ट हो गई हैं। अतः मैं श्री मुकर्जी का समर्थन करता हूं और माँग करता हूँ कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाए।

ग्रामीण जनता ने शेर आदि वन्य जीवों को मारने का एक सरल तरीका निकाल लिया है। वे इन्हें घालीडाल नामक विष देते हैं तथा उन्हें मारकर उनकी खालों को ऊँचे दामों पर बेचते हैं। सरकार को इस सम्बन्ध में कठोर उपाय करने चाहियें।

एक अन्य महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जब हम बड़े पैमाने पर वनों को काटते जा रहे हैं तो वन्य जीव कहाँ रहेंगे। एक दिन ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि वन्य प्राणियों के रहने के लिये कोई स्थान ही नहीं रहेगा।

लगभग एक वर्ष पूर्व तमिलनाडु के मुदुमलाइ स्थित वन्य जीव शरण-स्थल में अरना भैंसा पांव और मुंह के रोग से ग्रस्त हो गये तथा प्रतिदिन हजारों भैंसें मरने लगे किन्तु उनके लिये वन्य विभाग किसी औषधि की व्यवस्था न कर सका। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जब पालतू

पशुओं को उस क्षेत्र में चरने के लिये छोड़ा जाए तो पशु चिकित्सक पहले उनकी स्वास्थ्य परीक्षा करें जिससे वन्य जीवों में किसी प्रकार का रोग न फैला सकें। प्रत्येक शरण-स्थल में पशु चिकित्सालय होना चाहिये तथा उनमें प्रशिक्षण प्राप्त डाक्टर नियुक्त किये जाने चाहिएँ।

सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये वन्य प्राणी (संरक्षण) विधेयक पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये। राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के बावजूद वन्य जीवों का चोरी छिपे शिकार किया जाता है।

पशुओं की खाल के वस्त्र आदि बनाने वालों की इस सम्बन्ध में जांच की जानी चाहिये कि उन्होंने कितने-कितने पशुओं की खालों की विभिन्न वस्तुएँ बनाई हैं तथा कितनी वस्तुओं के क्रयादेश उनके पास हैं जिससे इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या कोई व्यक्ति अवैध रूप से पशुओं का शिकार करता है ताकि उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सके।

मैं अध्याय तीन के खण्ड 17 में यह उपबन्ध सम्मिलित करना चाहता हूं कि कोई शिकारी दूरबीनयुक्त बन्दूक का प्रयोग नहीं कर सकता। आशा है सरकार इस संशोधन को स्वीकार करेगी।

वन्य जीवों की नष्ट होती हुई जातियों को ध्यान में रखकर मेरा यह सुझाव है कि शिकार पर दो-तीन वर्ष के लिए प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये तथा सभी लाइसेंस प्राप्त शिकारियों को अपने हथियार जमा करने का आदेश दिया जाना चाहिये।

मद्रास के वेदांथंगल नामक स्थान पर एक सुन्दर पक्षी शरण-स्थल है। वहाँ केन्द्रीय सरकार का एक विश्राम गृह भी है। मेरा सुझाव है कि इस पक्षी-शरण-स्थल का विकास किया जाना चाहिये जिससे विदेशी पर्यटक उसे देख सकें। इसके विकास के लिये केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार की सहायता करनी चाहिये।

अन्त में मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही करें अन्यथा हमारी आगामी पीढ़ी को केवल संग्रहालयों में खाल में भूसा आदि भरे हुये जीवों को ही देखना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या इतनी हो गई है कि यदि मैं सब को पांच-पांच मिनट का समय भी दूँ तो दो घण्टे से अधिक समय लगेगा।

श्री निंबालकर (कोल्हापुर) : यद्यपि हमें इस विधेयक से पूरा संतोष नहीं है तथापि मेरा सुझाव है कि इस विधेयक को पारित करने में देरी नहीं की जानी चाहिये, क्योंकि इसमें जितनी देरी की जाएगी उतने ही अधिक वन्य प्राणियों का वध कर दिया जाएगा। अतः इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का विचार त्याग देना चाहिये। इसमें किसी भी समय संशोधन लाए जा जा सकते हैं। हमारे देश में विधेयक लाने की प्रक्रिया इतनी दोषपूर्ण है कि प्रत्येक कानून में कोई न कोई त्रुटि रह जाती है। इसके अतिरिक्त, कानूनों को उचित रूप से क्रियान्वित नहीं किया जाता जिससे वे निरर्थक हो जाते हैं। अतः मेरा सुझाव है कि विभिन्न राज्यों द्वारा नियम बनाते समय इस कानून में रही किसी भी त्रुटि को दूर कर लिया जाना चाहिये।

माननीय मंत्री ने शिकारियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई और मैं भी शिकारियों से कोई सहानुभूति नहीं रखता। किन्तु शिकारियों और 'हंटरों' में अन्तर है। हन्टर जानते हैं कि किस पशु को मारा जाना चाहिये और किसको नहीं मारा जाना चाहिये अतः इस विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसकी सहायता से इस समस्या का समाधान किया जा सके।

इस विधेयक में मछलियों के संरक्षण के बारे में भी कोई उपबन्ध नहीं रखा गया। खण्ड 11(3) में कहा गया है कि किसी व्यक्ति की रक्षा में मारा गया अथवा घायल पशु सरकार की सम्पत्ति होगा। वास्तव में इस उपबन्ध को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसको हटाने की लागत कौन वहन करेगा।

खण्ड 14(4) में 15 दिन की अवधि को बढ़ाकर एक महीना किया जाना चाहिये।

खण्ड 17(i) हास्यास्पद है, क्योंकि इसमें गैर-सरकारी भूमि पर उसके मालिक की अनुमति के बिना किसी पशु का शिकार करना निषिद्ध ठहराया गया है। इस उपबन्ध से गैर-सरकारी पशु-शरणस्थल बनाये जाने की सम्भावनाएँ उत्पन्न की गई हैं। इस व्यवस्था के अन्तर्गत कुछ व्यक्ति निजी पशु-शरणस्थल बना सकते हैं तथा शेष जनता उससे वंचित रह जाएगी।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण विधान है। जिसे सरकार लागू करना चाहती है। इस विधान को अत्यन्त प्रभावकारी बनाया जाना चाहिए। किन्तु यह बात समझ में नहीं आती कि सरकार इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने में क्यों हिचकिचाती है।

यह विधान देश में पहली बार नहीं बनाया जा रहा है। 15 वर्ष पूर्व पंजाब में पंजाब वन्य जीव परीक्षण अधिनियम लागू किया गया था जो वहाँ आज भी लागू है। और इस अधिनियम को दिल्ली में भी लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम के लागू होने के बावजूद भी दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश में तीतर, बटेर आदि का आज भी शिकार किया जाता है जिसके फलस्वरूप इन राज्यों में पक्षी समाप्तप्रायः हो गये हैं। वन्य पशुओं तथा पक्षियों विशेषकर काली बक के संरक्षण के लिए इस अधिनिमय के बावजूद भी राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली अथवा हरियाणा में कुछ भी नहीं किया है।

हरियाणा में ये पक्षी इसलिए समाप्त होते जा रहे हैं कि वहाँ दिल्ली से प्रतिसप्ताह शिकारी विशेषकर अधिकांश राजनयिक शिकारी जाते हैं। कोई व्यक्ति उन्हें रोकने का साहस नहीं करता। ये शिकारी बहुत से पक्षी ले जाते हैं। यदि वन्य जीव विशेषकर पक्षी भारत में समाप्त हो गये तो इसकी जिम्मेदारी बड़े-बड़े अधिकारियें जैसे पुलिस कर्मचारियों वन अधिकारियों न्यायधीशों तथा दण्ड अधिकारियों पर पड़नी चाहिए, जिन्हें इस अधिनियम को लागू करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। इस अधिनियम का सबसे अधिक उल्लंघन इन्हीं अधिकारियों ने किया है। इसलिए मंत्री महोदय से हमारा अनुरोध है कि इस अधिनियम को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए इन्हें अपने प्रभाव का प्रयोग करना चाहिए।

इस विधेयक में अनेक कमियां हैं। पंचायतों को यह शक्तियां दी जानी चाहिएं कि वे अपने क्षेत्रों में इन अपराधों को रोकें।

हमारी सरकार को सम्भवतः यह पता नहीं है कि काले मृग की तरह काले तीतर भी बड़ी तेजी से समाप्त होते जा रहे हैं। रंगीन भट्टतीतर तो भारत से विलुप्त ही हो गये हैं। अतः इनको अनुसूची एक में शामिल किया जाना चाहिए। हाथियों की अनुसूची दो में जो शामिल किया गया है उन्हें भी अनुसूची एक में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि ये भी भारत में शेरों की तरह बहुत शीघ्र लुप्त हो जायेंगी। हाथियों का शिकार करने के लिए लाइसेंस जारी नहीं किए जाने चाहिए।

इस विधेवक को पारित करने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। यह केवल पंजाब वन्य जीव परिरक्षण अधिनियम की ही प्रतिमात्र है। इसको और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है और भारत की अन्य राज्य सरकारों से इस बारे में संकल्प प्राप्त करने चाहिएं। इसे समस्त भारत में लागू करना चाहिए।

पशुओं और पक्षियों के लिए सर्वोत्तम आश्रय स्थल गांवों की सामान्य भूमि और चरागाहों में मुख्यतः पाया जाता है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय नहीं कर रही है कि गांवों में विशेषकर मैदानों में इस सामान्य भूमि और चारागाहों को अधिकतम सीमा के कानूनों से छूट दी जाए और उनका संरक्षण किया जाय। यदि ऐसा नहीं किया गया तो कम से कम मैदानी क्षेत्रों में वन्य जीव पूर्ण रूप से समाप्त हो जायेंगे। सरकार एक ओर तो वनों को समाप्त कर रही है और दूसरी ओर वनों के लिए भूमि का अधिग्रहण कर रही है। यदि सरकार को वन्य जीवों से वास्तव में प्यार है तो उसे वर्तमान वनों की सुरक्षा करनी चाहिए।

अतः सरकार को इस बारे में कुछ अधिक समय लगाकर इस पर विचार करना चाहिए। इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेज देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया है कि आज ही अनेक संशोधन आये हैं जिनमें एक संशोधन सरकार ने भी भेजा है, जब कि सामान्यतः कम से कम एक दिन का समय देना आवश्यक होता है। सरकार के अपने विधेयक पर सरकार के संशोधन को अधिक महत्त्व दिया जायेगा। इसके साथ ही अन्य संशोधनों को भी स्वीकार किया जायेगा। इन्हें परिचालित करने का प्रयत्न तो किया जायेगा और यदि ऐसा नहीं हो सका तो माननीत सदस्य अपने संशोधन पढ़ कर सुना देंगे।

श्री डी० पी० जदेजा (जामनगर) : इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए मैं सरकार और मंत्री महोदय को बधाई देता हूँ। यह विधेयक विशेषतया अन्य वि धेयकों से इसलिए भिन्न है कि इसमें न केवल वन्य जीवों का परिरक्षण करने पर बल दिया गया है अपितु इनकी शिकारियों और व्यापारियों से भी सुरक्षा करने की इस विधेयक में व्यवस्था है यह एक बहुत प्रभावकारी कदम है जिससे इस देश के समाप्त हो रहे वन्य जीवों की सुरक्षा हो सकेगी।

शस्त्रों के लाइसेंसों पर नियत्रंण किया जाना चाहिए और इससे सम्बन्धित अधिनियम का

संशोधन किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में सरकार को इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि जब कभी शस्त्रों के लाइसेंस दिये जाएं तो क्रीड़ा वार्डन से भी परामर्श किया जाना चाहिए। वन्य जीवों के सम्बन्ध में केन्द्रीय स्तर पर संसद सदस्यों की एक स्थायी समिति गठित की जानी चाहिए। इसके बारे में प्रधान मंत्री से सलाह लेनी चाहिए कि वन्य जीवन का नियत्रंण करने के लिए एक अलग मंत्री होना चाहिए।

इस बारे में सूचना देने वालों को इनाम देने की प्रणाली आरम्भ की जानी चाहिए। वन्य जीवों के बारे में सही और उचित सूचना देने वालों को इनाम दिया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। इससे ये इस कार्यक्रम में अपनी भूमिका अधिक तत्परता से निभायेंगे। वन्य जीवन पर नियंत्रण करने में अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति की जानी चाहिए और उनकी वेतन-वृद्धि की जानी चाहिए। वन्य जीदों के संरक्षण के बारे में अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारियों को उचित पुरस्कार भी दिया जाना चाहिए।

देश में सरकारी कार्यालयों और प्रत्येक स्कूल में विलुप्त होने वाले वन्य प्राणियों की नस्लों का वर्णन करने वाला एक सचित्र चार्ट लगा देना चाहिए।

गुजरात के गिर जंगल में एक चरागाह है। मुझे पता लगा है कि वहां शेरों की सुरक्षा के लिए 37 लाख रुपये की लागत से इस चरागाह के चारों ओर 4 फुट की दीवार बनाने की योजना है। केवल धन खर्च करने से वन्य प्राणियों की रक्षा नहीं होगी। 4 फुट की दीवार से कोई फायदा नहीं होगा। ऐसी कोई योजना क्यों नहीं तैयार की जाए जिससे खर्च कम हो और अतिरिक्त धन उन ग्वालों और गडरियों को दिया जाए जिन्हें उस क्षेत्र से बाहर जाने के लिए कहा जाता है।

उस क्षेत्र अर्थात गिर जंगल में 20000 से अधिक वन्य पशु हैं जिनके कारण वहाँ घरेलू पशुओं के लिए घास नहीं बच पाती है। अब तो वहां 40,000 और अधिक पशु हो गये हैं। सरकार को ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए ताकि वहां और अधिक पशुओं का आना रोका जाए।

गुजरात काले मृगों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 20 वर्ष पहले ही यहां दो लाख से अधिक काले बक थे। अब इनकी संख्या केवल 2000 रह गई है। अहमदाबाद के बाजारों में इनका व्यापार होता है। अतः माल-क्षेत्र में काले बकों की हत्या पर नियंत्रण करने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिएं।

सारंग पक्षी भारत में विलुप्त होता जा रहा है। मादा सारंग वर्ष भर में केवल एक अंडा देती है। यदि पंचायती राज्य और स्थानीय ग्राम पंचायतें इस पक्षी की सुरक्षा के लिए रुचि लें तो इसकी नस्ल की रक्षा की जा सकती है और सारंग विलुप्त नहीं होने पायेगा। अन्यथा यह पक्षी आगामी पांच वर्षों में समाप्त हो जायेगा।

उत्तरी गुजरात में राजहंसों का एक प्रसिद्ध प्रजनन क्षेत्र है। इस पक्षी की नस्ल को बचाने

के लिए सरकार को ठोस कार्यवाही करनी चाहिए और इस क्षेत्र को पर्यटक आकर्षण केन्द्र बनाना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजहंसों का यह क्षेत्र राष्ट्रीय परियोजना बन जाए।

Shri R.V. Bade (Khargone) : Sir, I wellcome this Bill, but it is no clumsy and defective that we have given amendments on every clause of this Bill. If the provisions of this legislation are implemented and inforced in Madhya Pradesh, 56 lakhs of tribals will oppose it and will become rebels against the administration, because it will harm their interests. The tribals people live in jungles and the wild animals, whenever they happen to come there, take amany their cattle and damage their crops. Therefore the provisions of this Bill have not given any protection to the tribals and Adivasis for safeguarding their cattle and crops against damages caused to them by wild animals. Under the provisions of this Bill, killing a wild animal who damages the crops or threatens the lives of cattle and villages, has been made an offence. Therefore, the provisions of this Bill will adversly affect the rights and interests of tribals and adivasis who live in Bastar and other areas in Madhya Pradesh. Therefore, this Bill should be referred to select committee for detailed consideration.

The provisions of this Bill should be adequately amended so that there should be no game sanctuary within 5 miles of the irrigated land and village of the tribal people, so that there is no danger to their cattle and crops.

The tribal people have gone into the interier of forests for fear of becoming victims of forced labour by foresr officers. I fear this Bill is nothing but the lofty gate of corruption for the officials of forest department. If this bill is enacted as it is, it will become atrocious for the tribals of Madhya Pradesh, who will not only oppose this legislation but also become rebels against the Government.

I, therefore, request the Government that this bill should be adequately amended sothat the interests of the tribal people may be protected. This Bill should be referred to select committee for detailed consideration.

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagaur) : Sir, this i sa long awaited legislation and I wellcome this. Every body in the world wants to lead a happy and prosperous life. In order to perpetuate the existence of human being in this world we shall have to see that the ecological or natural balance is not disturbed. In order to effect development we shall have to understand all these realities of nature and natural resources. In order to achieve this objective this bill should have been brought forward long before.

Various State Governments have implemented such measures in their respective States, Similar legislation was brought into force in Rajasthan in 1952-53 and the wild life as it is today in Rajasthan is due to that legislation.

Government Officials are responsible for such a large scale destruction of wild animals in the country. There should be complete ban on hunting.

Stringent steps should be taken to leau hunting of wild animals. The officials of the forest and other departments should not be allowed to hunt in forests ; because they are more or less responsible for vast destruction of rare species. Licences for game

hunting should not be issued for a pretty long time, say for ten years. Shooting and hunting of wild animals should be completely banned.

In order to save our rare speces, no one should be allowed to kill animals. Trading in flash, horns, haides, leones and such other articles sould be banned in the country. It is hish time that stringent steps are taken to confiscate those articles and stop their sale. In order to implement this legislation more effectively, the cooperation of State Governments is rather necessary. Government should become more strict and in restoring the disturbed balance of ecology or nature. Therefore, the provisions of this bill should be enforced more strictly and only then we should be able to preserve our forests and our wild life.

उपाध्यक्ष महोदय : चर्चा आरम्भ हुए लगभग दो घण्टे हो गये हैं। मंत्री महोदय को अभी वाद-विवाद का उत्तर देना है। फिर खण्ड वार विचार किया जायेगा, और अभी अनेक वक्ता शेष रह गये हैं जो सब सत्ताधारी दल के सदस्य हैं। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार क्या चाहती है।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मेरा अनुरोध है कि आधे घन्टे का समय और बढ़ा दिया जाए जिससे चार या पाँच वक्ताओं को समय मिल सके।

अध्यक्ष महोदय : आधे घण्टे में केवल चार ही सदस्य भाग ले सकते हैं। मंत्री सहोदय को भी उत्तर देना होगा और खण्ड वार विचार भी करना होगा, जिसका अर्थ है कि कम से कम एक घण्टे का समय बढ़ाया जाए।

श्री जे० बी० पटनायक (कटक) : इस विधेयक का सारे सदन को समर्थन करना चाहिए। इस विधेयक को लागू करने में हमें अब और विलम्ब नहीं करना चाहिए। हमारे देश में ही नहीं अपितु विश्व भर में वन्य जीवों का बहुत विनाश किया जाता है और संसार भर के सभ्य समाज को इस स्थिति की जानकारी है।

4226 स्तन धारी पशुओं में से आज 40 नस्लें विलुप्त हो गई हैं और 8648 पक्षियों की नस्लों में से 93 नस्लें विलुप्त हो गई हैं। अनेक प्रकार के वन्य जीवों, विशेषकर पक्षियों के लिए, भारत बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि हमारे देश में ये बहुत अधिक संख्या में पाये जाते हैं। आज पक्षियों की जाती यानी 8600 जातियों में से केवल भारत में 2016 जातियां हैं किन्तु इनमें से अनेक पक्षी और स्तनधारी पशुओं की जातियां विलुप्त होती जा रही हैं।

पक्षियों और पशुओं का निरंकुशता से वध करने पर रोक लगायी जानी चाहिए और इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। केनिया, यूगाण्डा तथा तंजानिया जैसे अफ्रीकी देश अधिकांश राजस्व वन्यजीव पर्यटन से प्राप्त करते हैं और लगभग 20 करोड़ की विदेशी मुद्रा वन्य जीव पर्यटकों से प्राप्त करते हैं। भारत में वन्य जीवों का दुगुना भण्डार है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि भारत अपने वन्य जीवन का विकास नहीं करे। पक्षियों और पशुओं का निरंकुशता से वध किये जाने से पता लगता है कि प्रकृति के संतुलन सिद्धान्त की उपेक्षा की जाती है। अतः वन्य जीवों की सुरक्षा करना हमारे जीवन और वातावरण के लिए आवश्यक है।

अतः इस सदन में एक ऐसा व्यापक विधेयक पेश करना चाहिए था जिसमें कि केवल वन्य जीवों की रक्षा ही नहीं अपितु वन्य जीवन के परिरक्षण सम्बन्धी सब पहलुओं पर ध्यान दिया जा सके। इस विधेयक में नये बान्धों और नये नगरों के निर्माण और बड़े पैमाने पर वनों के काटे जाने से, वन्य जीवों के विनाश की स्थिति की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप बन्द कर दिए जाएं अपितु इस बात पर विचार करना चाहिए कि इस प्रक्रिया में वन्य जीवों के विनाश को रोकने के लिए क्या वैकल्पिक उपाय किए जा सकते हैं।

वन्य जीव बोर्ड स्थापित करना तो ठीक है परन्तु ये जन्तु वायु और जल अदि को दूषण से भरते हैं इसलिए प्रत्येक राज्य में वातावरण का अध्ययन करने के लिए बोर्ड बनाए जाने चाहिएं जो वातावरण संबंधी एक आयुक्त के अधीन हों और जिसमें प्रत्येक विभाग के सचिव सदस्य के रूप में हों, जैसे वन सचिव, सिंचाई और विद्युत सचिव, कृषि सचिव आदि।

चीता जिसका पहले ही लोप हो रहा है, प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है, इसका क्या अर्थ है? इस विधेयक में स्वयं सेवी संस्थाओं का कोई उल्लेख नहीं है। सिमीलिपल नेशनल पार्क जो उड़ीसा में है, की सरकार को काफी सहायता करनी चाहिए और अपनी ओर से इसका विकास करना चाहिए। चिल्का झील पूर्वी तट की सब से बड़ी झील है और मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इसे पक्षियों के सबसे बड़े रक्षित क्षेत्र के तौर पर विकसित करे।

Shri Y.P. Mandal (Samastipur) : Alongwith U.N. and some Western countries, steps have been taken in our country also to protect wild life in the shape of 27 laws enacted since 1950. There are as many as 30,000 kinds of b rds and 3,000 mammals, and their preservation is necessary. Hence the present Bill. Although, it is a very comprehensive legislation, but in spite of best efforts, there are certain lacunae in it. I feel that sec. 15 should be deleted altogether.

Under section 64, excemption has been granted to tribals of Andaman and Nicobar Island. Similar exemption shall be granted to tribals living in certain parts on the mainland.

I welcome this Bill and support it whole heartedly.

Smt. Sahodra Bai Rai (Saugar) : Sir, I welcome this Bill. I urge upon the Government to ban professional killing of birds and animals of prey. It is because of these people that many species are today becoming extinct.

All hunting except swines, animals below 12 years' of age and mad lions should be banned.

Shri M. L. Daga (Pali) : The first legislation on the subject was enacted in 1912 and it is 60 long years that another such Bill has been brought forward which is welcome. In 1950, late Pt. Nehru wanted a national forest policy, but today the process of indiscriminate denudation and deforestation has made many species of wild life extinct. I want adequate protection to be given to people being in jungles. Today the guardians of jungles have themselves became killers of wild life. There are many flows in this legislation and I shall dwell on them in detail when I introduce my amendments.

Shri P. Ganga Reddy (Adilabad): I am happy that this Bill has been brought forth, which w s the crying need of the hour. The main cause of such sharp decline in wild life is shrinking forests and indiscriminate killing of wild animals and birds. Bush firs and wild fires are also major causes. Game shooting should be banned for at leaste five years. Lastly, the two game sanctuaries in my state should be developed.

Shri Chandra Bhal Mani Tewari (Balrampur): I support the Bill and feel that the appointment of a Separate Director is not necessary.

Additional forest areas shall be declared or protected areas for conversion into sanctuaries. If tribals of Andaman and Nicobar Islands have been exempted from the provisions of this Bill, other tribals in the mainland should also have been given similar cncessions.

The Minister of Tourism should convert them into tourist attractions.

Shri Rudra Pratap Singh (Bara Banki): I congratulate the government and the prime minister for the fact that while they are trying to provide social justice and to remove economic disparties' in the country, they are at the same time anxious to protect our cultural heritage. This is a really welcome measure as it is closely connected with our culture. I think it is not proper to refer the Bill to a select committee when the wild life in the country is fast dwindling.

Shri M.G. Uikey (Mandla): The Bill should be referred to a select committee to avoid victimisation and exploitation of tribals and I will explain the difficulties of tribals before that committee.

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : मैं उन सभी सदस्यों और विशेषकर अपने मित्र, डा० कर्ण सिंह का आभारी हूँ जिन्होंने इस विधेयक पर अपने बहुमूल्य विचार रखे । आदिवासियों के संबंध में जो भय और शंकाएं व्यक्त की गई हैं उनके बारे में मुझे यही कहना है कि उन्हें जो भी शिकार के अधिकार इस समय प्राप्त हैं उनकी रक्षा की जाएगी ।

कुछ सदस्यों ने जंगली जीवों से फसलों की रक्षा में कठिनाई का उल्लेख किया है तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वे इस विधेयक की धारा 11 (1) (ख) पढ़ें, जिसमें प्रथम अनुसूची में उल्लिखित जीवों को छोड़कर सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति से उन सभी जीवों को मारने की आज्ञा दी गई है जो मनुष्यों, सम्पत्ति आदि (इसमें खड़ी फसलें भी आती हैं,) को क्षति पहुँचाते हैं ।

श्री आर. वी. बड़े : क्या पशुओं पर आक्रमण करने पर किसी अन्य जीव को स्वत: मारा जा सकता है ?

प्रो. शेर सिंह : उस दशा में किसान चीफ वाइल्ड लाईफ वार्डन से आज्ञा प्राप्त करके उसे मार सकता है ।

साल्टलेक में पक्षी-रक्षित क्षेत्र के बारे में नगर निगम विभाग ने आपत्ति की हैं क्योंकि यह स्थान हवाई अड्डे के निकट है । किन्हीं चुने हुए रक्षित क्षेत्रों और नेशनल पार्कों में बेहतर दूर-संचार व्यवस्था करने पर भी सरकार विचार कर रही है :

श्री डागा ने कहा कि 'सार्वजनिक प्रयोजन सम्बन्धी' उपबन्ध हटा दिया जाये। परन्तु सरकार कोई भी अर्जन इसके बिना नहीं कर सकती है।

कुछ पशु-पक्षी अनुसूचियों में शामिल करने के लिए भी कहा गया है। कोई भी राज्य सरकार द्वितीय अनुसूची के दूसरे भाग में अपने क्षेत्र का कोई भी पशु-पक्षी शामिल कर सकती है।

श्री कलिंगरयार ने यूक्लिपटिस के बाग लगाने की बात कही थी, तो इन्हें रक्षित बनों में ही उठाया जा सकता है। इन रक्षित वृक्षों में टीके आदि लगाने की व्यवस्था तो कर दी गई है परन्तु पूरा दवाखाना प्रत्येक क्षेत्र में रखना आवश्यक नहीं है। इस विधेयक में मछलियों के शिकार का भी विनियमन कर दिया गया है।

वातावरण का अध्ययन करने के लिए सरकार ने एक राष्ट्रीय समिति बनाई है। मैं इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के पक्ष में नहीं हूँ क्योंकि इससे और विलम्ब होगा, पहले ही सात गैंडे मार दिए गए हैं।

मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि वन्य जीव जन्तुओं और पक्षियों के संरक्षण के लिये तथा उनसे सम्बन्धित या अनुषंगिक या प्रासंगिक सभी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार आरम्भ करते है। क्योंकि खण्ड 2 से 4 पर कोई संशोधन नहीं हैं, अतः में इन्हें एक साथ मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है : 'कि खन्ड 2 से 4 बिधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।
Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

खण्ड 5

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं अपने संशोधन सं० 12 और 13 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 12 और 13 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए
The Amendments Nos. 12 and 13 were Put and Negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was Adopted

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clauses 5 was Added to the Bill

खण्ड 6

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री जदेजा अपने संशोधन पेश करना चाहते हैं।

श्री डी० पी० जदेजा : जी, नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपने संशोधन सं० 14, 15 और 16 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 14, 15 और 16 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए
The Amendment Nos. 14, 15 and 16 were Put and Negatived

श्री मूलचन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

पृष्ठ 5 (i) पंक्ति 35 और 36 में 'One of the members of the Board' '(बोर्ड के सदस्यों में से एक)' के स्थान पर 'chief conservator of Forests or chief Life Warden, '(मुख्य वनपाल या मुख्य वन्य जीव संरक्षक)' रख दिया जाये।

पृष्ठ 5 (ii) पंक्ति 36 में
'there of' (उसका) के स्थान पर 'of the Board' (बोर्ड का) शब्द रख दिये जायं।

(संशोधन सं० 17)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि : पृष्ठ 5 (i) पंक्ति 35 और 36 में one of the wencher of the Board ('बोर्ड के सदस्यों में से एक) के स्थान पर "chief conservater of forest or chief wild life warden" "(मुख्य वनपाल या मुख्य वन्य जीव संरक्षक)" रख दिया जाये।

पृष्ठ 5 (ii) पंक्ति 36 में 'there of' '(उसका)' के स्थान पर 'of the Board' (बोर्ड का) शब्द रख दिये जायं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was Adopted

श्री आर० वी० बड़े (खारगौन) : मैं अपना संशोधन सं० 50 प्रस्तुत करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 50 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
The Amendment No. 50 was Put and Negatived

डपाध्यक्ष महोदय : प्रश्य यह है : "कि खण्ड 6 संशोधन रूप में, विधेयक का अंग बने ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was Adopted

खण्ड 6 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 6, as Amended, was Added to the Bill

खण्ड 7

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व :) मैं अपना संशोधन सं० 31 प्रस्तुत करता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 31 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
The Amendment No. 31 was Put and Negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्वाव स्वीकृत हुआ
The Motion was Adopted

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 7 was Added to the Bill

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 8 was Added to the Bill

खण्ड 9

प्रो० शेर सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं : पृष्ठ 6, पंक्ति 21 में—
'under' (के अन्तर्गत) के स्थान पर 'referred to in' '(में उल्लिखित)' रख दिया जाये ।
(संशोधन सं० 60)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि : पृष्ठ 6, पंक्ति 21 में—
'under' '(के अन्तर्गत)' के स्थान पर ' referred to in' (में उल्लिखित)' रख दिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was Adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 9, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was Adopted

खड 9, संशोधित रूप से, विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 9, as Amended, was added to the Bill

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 10 was Added to the Bill

श्री दशरथ देव : मैं अपने संशोधन सं० 32 और 33 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री आर० वी० बड़े : मैं अपना संशोधन सं० 51 प्रस्तुत करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 32, 33 और 51 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए
The Amendment No. 32, 33 and 51 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was Adopted

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 11 was added to the Bill

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 12 was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 13 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was Adopted

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 13 was Added to the Bill

खण्ड 14

श्री दशरथ देव : मैं अपना संशोधन सं० 34 प्रस्तुत करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 34 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
The Amendment No. 34 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह : "कि खण्ड 14 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clanse 14 was added to the Bill

खण्ड 15 और 16 विधेयक में जोड़ दिये गये
Clanses 15 and 16 were added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 17 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clanse 17 was added to the Bill

खण्ड 18 विधेयक में जोढ़ दिया गया
Clausc 18 was added to the Bill

खण्ड 19

श्री दशरथ देव : मैं अपना संशोधन सं० 35 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री आर० वी० बड़े : मैं अपना संशोधन सं० 52 प्रस्तुत करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 35 और 52 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए
The amendment No. 35 and 52 wese put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 19 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 19 was added to the Bill

खण्ड 20 से 26 तक विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 20 to 26 were added to the Bill

खण्ड 27

श्री दशरथ देव : मैं अपना संशोधन सं० 36 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री शेर सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि : पृष्ठ 11, पंक्ति 16 में—

'who ordinrily resides' (जो सामान्यत: रहता है) के स्थान पर

'Who has been permitted by the chief wild Life warden or the authorised officesr to reside"

"जिसे मुख्य वन्य जीव संरक्षक अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा रहने की अनुमति दे दी गई है।" रख दिया जाय। (संशोधन सं० 61)

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 36 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
The amendment No. 36 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि : पृष्ठ, 11, पंक्ति 16 में--

'Who ordinarily resides' (जो सामान्यत: रहता है) के स्थान पर 'Who has been permitted by the chief wild life warden or the authorised officer to reside ' "(जिसे मुख्य वन्य जीव संरक्षक अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रहने की अनुमति दे दी गई है)" रख दिया जाय।

प्रस्वाव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 27, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 27 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया
Clanse 27, as amended, was added to the Bill

खण्ड 28 और 29 विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 28 and 29 were added to the Bill

खण्ड 30

श्री दशरथ देव : मैं अपना संशोधन सं० 37 प्रस्तुत करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 37 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
The amendment No. 37 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 30 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 30 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 30 was aded to the Bill

खण्ड 31 से 34 तक विधेयक में जोड़ में दिया गया

खण्ड 35

श्री आर० वी० बड़े : मैं अपना संशोधन सं० 53 प्रस्तुत करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 53 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
The amendment No. 53 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 35 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 35 खण्ड विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 35 was added to the Bill

खण्ड 36 से 38 तक विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 36 to 38 were added to the Bill

खण्ड 39

श्री दशरथ देव : मैं अपना संशोधन सं० 38 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन नं० 38 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
The amendment No. 38 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 39 वि ेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 39 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 39 was added to tee Bill

खण्ड 40

श्री दशरथ देव : मैं अपने संशोधन सं० 39 और 40 प्रस्तुत करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोद द्वारा संशोधन सं० 39 और 40 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए
The amendments No. 39 and 40 were put and negatived

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 15, पंक्ति 49—

"for sale" "(बिक्री के लिए)" के पश्चात् "or otherwise transfer" (अथवा अन्यथा हस्तान्तरित)" रख दिया जाये ।

(सं० 62)

(प्रो० शेरसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 40 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृ हुआ
The motion was adopted

खण्ड 40 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 40, as amended, was added to the Bill

खण्ड 41 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clanse 41 was added to the Bill

खण्ड 42

संशोधन किया गया : पृष्ठ 16 में पंक्ति 33 हटा दीजिए ।

(सं० 7)

(प्रो० शेरसिंह)

श्री दशरथ देव : मैं अपना संशोधन सं० 41 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 41 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
Amendment No. 41 was put and nagatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 42, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 42, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 42, as amended, was added to the Bill

खण्ड 43

उपाध्य महोदय : प्रश्न यह है : कि खण्ड 43 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 44

श्री आर० वी० बड़े : मैं संशोधन सं० 54, 55 और 56 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 54, 55 और 56 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The emedment No. 54, 55 and 56 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 44 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 44 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clauser 44 was added to the Bill

खण्ड 45 से 48 तक विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 45 to 48 were added to the Bill

श्री डी० पी० जदेजा : (जामनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि : पृष्ठ 20, पंक्ति 25 में "purchase" "(क्रय)" के पश्चात् "receive" "(प्राप्त)" अन्त:स्थापित किया जाये।

(सं० 29)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि : पृष्ठ 20, पंक्ति 25 में.
" purchase" "क्रय' के पश्चात् "receive" "(प्राप्त)' अन्त:स्थापित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है : "कि खण्ड 49, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 49, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 49, as amended, was added to the Bill

खण्ड 50 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 50 was added to the Bill

खण्ड 51

श्री दशरथ देव · मैं अपने संशोधन सं० 42 से 47 तक प्रस्तुत करता हूँ।

श्री आर० वी० बड़े : मैं अपना संशोधन सं० 57 प्रस्तुत करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 42 से 47 और 57 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendment No. 42 to 47 and 57 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 51 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 51 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 51 was added to the Bill

खण्ड 52 से 54 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 52 to 54 were added to the Bill

खण्ड 55

प्रो० शेर सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि : पृष्ठ 23, पंक्ति 16 और 17 में—

"the authorised officer" "(प्राधिकृत अधिकारी)" के स्थान पर "Such other officer as the state Government may authorise in this behalf" (ऐसा अन्य अधिकारी, जिसे राज्य सरकार इस सम्बन्ध में प्राधिकृत करे)" प्रतिस्थापित किया जाय। (सं० 11)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि : पृष्ठ 23, पंक्ति 16 और 17 में—

"the au'horised officer" "(प्राधिकृत अधिकारी)" के स्थान पर "such other officer as the state Government may authorise in this behalf" "(ऐसा अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार इस सम्बन्ध में प्राधिकृत करे)" प्रतिस्थापित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 55, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 55, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 55, as amended, was added to the Bill

खण्ड 56, और 57 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिए गए

Clauses 56 and 57 were added to the Bill

खण्ड 58

श्री नशरथ देव : मैं अपना संशोधन सं० 49 प्रस्तुत करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 49 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 49 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 58 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 58 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 58 was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है : "कि खण्ड 59से61 विधेयक के अंग बनें

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 59 से 61 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 59 to 61 were added to the Bill

खण्ड 62

प्रो० शेर सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ 25, पंक्ति 1 में,

"No twith standing any thing Contained in sub-section (2)" "(उपधारा (2) में निर्दिष्ट होने पर भी) के स्थान पर "subject to the provisions" "(के उपबन्धों के अधीन) प्रतिस्थापित किया जाय । (सं० 8)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि : पृष्ठ 25, पंक्ति 1 में,

"No twithstanding anything Contained in sub-section (2)" "(उपधारा (2) में निर्दिष्ट होने पर भी)" के स्थान पर "subject to the provisions" (के उपबन्धों के अधीन) प्रतिस्थापित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि : "खण्ड 62, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 62, संशोधन रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 62, as amended, was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि : "खण्ड 63 से 66 विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 63 से 66 विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 63 to 66 were added to the Bill

प्रथम अनुसूची

प्रो० शेर सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि : पृष्ठ 28, मद 17 में,
"harmani" "(हरमनी)" के स्थान पर "crassoptilon" (क्रासोप्टिलान)" प्रतिस्थापित किया जाय। (सं० 9)

श्री आर० वी० बड़े : मैं अपना संशोधन सं० 58 प्रस्तुत करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि : पृष्ठ सं० 28 मद 17 में,
"harmani" "(हरमनी)" के स्थान पर "Crossoptilon" क्रासोप्टिलान)" प्रतिस्थापित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री आर० बी० बड़े : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूँ।

संशोधन सं० 58, सभा की सहमति से वापस लिया गया।
Amend No. 58 was, by leave, withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि : "प्रथम अनुसूची संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

प्रथम अनूसूची संशोधन रूप में, विधेयक में जोड़ दी गईं।
First schedule, as amended, was added to the Bill

दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।
Second Schedule, Third Schedule and Fourth Schedule were added to the Bill

पांचवी अनुसूची

श्री डी० पी जदेजा : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि : पृष्ठ 33 में पंक्ति 10 हटा दी जाय। (सं० 6)

पृष्ठ 33, पंक्ति 4 में—
"1. Bandi Coots" "(घूंस)" का लोप कर दिया जाये (सं० 30)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि : पृष्ठ 33 में पंक्ति 10 हटा दी जाय।

पृष्ठ 33 पंक्ति 4 में—

"1. Bandi Coots" "(घूंस)" का लोप कर दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was Adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि : "पाँचवी अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was Adopted

पांचवी अनुसूची. संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दी गई
Fifth Schednle, as amended was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि : "खण्ड, 1 अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 1 अधिनियम सूत्र प्रस्तावना और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गये।
clause J, the Enacting Formula, the Preamble and the Title were added to the Bill

प्रो० शेर सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूँ : "कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was abopted

विक्टोरिया स्मारक (संशोधन) विधेयक
Victoria Memorial(Amendment) Bill

शिक्षा समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : मैं प्रस्ताव करता हूं; "कि विक्टोरिया स्मारक अधिनियम 1903 में और संशोधन करने सम्बन्धी विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाय।"

श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
Shir K. N. Tiwary in the chair

सदन को जैसा ज्ञात है कि यह अधिनियम मूल रूप में ऐतिहासिक कारणों से लाया गया था परन्तु, अब यह संग्रहालय काफी महत्त्वपूर्ण संग्रहालय बन गया है। संसद की प्राकलन समिति

ने कुछ उपाय सुझाये थे, जिनके अनुसार चौथी योजना में क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित कार्य-क्रम शामिल किये गये हैं :- (1) पुस्तकालय में सुधार (2) संरक्षण एकक की स्थापना, (3) वस्तुओं के प्रदर्शन और सैल्युलोज एसीटेट कागज सहित संरक्षण के लिए वैज्ञानिक उपकरणों की प्राप्ति आदि विकास योजनायें (4) मानकीकृत स्टाक रजिस्टर और वर्गीकृत कैटालाग वा तैयार किया जाना तथा (5) मार्गदर्शी पुस्तकों का प्रकाशन। चालू वर्ष के बजट में कुछ धनराशि की व्यवस्था कर दी गई है तथा चौथी योजना की शेष अवधि में और भी धनराशि नियत की जायेगी।

यह अनुभव किया गया है कि जिस ढंग से इस अधिनियम को मूलरूप में बनाया गया था उस समय बोर्ड की सदस्यता के लिए अर्हताओं की व्यवस्था नहीं की गई थी। इस विधेयक में कहा गया है कि सरकार द्वारा मनोनीत दो सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों की नियुक्तियां न्यास-धारियों द्वारा की जानी हैं, और वे व्यक्ति संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुओं, इतिहासकार आदि का विशेष ज्ञान वाले व्यक्ति होंगे।

इस विधेयक में जिस दूसरे उपबन्ध की व्यवस्था की जा रही है वह यह है कि बोर्ड के अध्यक्ष पद पर राष्ट्रपति के स्थान पर विक्टोरिया स्मारक से सम्बन्धित मामलों के केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय के मंत्री अध्यक्ष बनेंगे।

'विक्टोरिया स्मारक' नाम के सम्बन्ध में इस विधेयक से राज्य-सभा में कुछ गलतफहमियाँ हो गई हैं। मुझे इस नाम से प्रसन्नता नहीं है परन्तु इस समय संविधान की सातवीं अनुसूची 1 में यह नाम आया है। इस नाम में परिवर्तन कैसे किया जाये, इस पर विचार किया जा रहा है। जिस रूप में यह संस्था मूलरूप में बनाई गई थी अब इस संग्रहालय को एक दूसरे ही रूप में, बनाया जायेगा। बोर्ड का जिस रूप में गठन किया गया था, उससे विशेषताओं को इसे नया रूप देने का अवसर नहीं मिलेगा। अतः इस विधेयक से जो रूप हम इस संग्रहाल को देना चाहते हैं, उससे हम चाहते हैं कि यह आधुनिक भारतीय इतिहास का केन्द्र बने और जिन कलाकृतियों की देखभाल की जा सकती है उनकी उचित व्यवस्था तथा प्रदर्शन हो।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : "कि विक्टोरिया स्मारक अधिनियम, 1930 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्यसभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाये।"

***श्री माधुर्य्य हालदार** (मथुरापुर) : विक्टोरिया स्मारक का नाम हमें ब्रिटिश शासन के घृणास्पद तथा लज्जाजनक दिनों की याद दिलाता है।

संविधान में इस अप्रिय नाम को एक संशोधन द्वारा बहुत पहले ही बदला जाना चाहिये था। आशा है, सरकार इस मामले पर शीघ्र ही विचार करेगी।

---

*बंगला में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

* Summarised translated vesion based on English translation of the speech delivered in Bengali.

खंड (घ) के अनुसार सरकार केवल उन लोगों को इस बोर्ड में मनोनीत करेगी, जो 'सरकार की राय में' स्मारक की प्रदर्शित वस्तुओं, अथवा इतिहास का विशेष ज्ञान रखते हों। मुझे आशंका है कि सरकार अपनी राय से किसी भी व्यक्ति को मनोनीत कर सकती है, चाहे वह योग्य हो अथवा न हो।

यह व्यवस्था की जा रही है कि न्यासी अंशदाताओं की साधारण सभा में प्रतिनिधि करने के लिये किसी भी व्यक्ति को मनोनीत करेंगे। इस बात की क्या गारन्टी है कि ऐसे लोग अंशदाताओं का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे ! अंशदाताओं को अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनने चाहिएं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : बड़े दुःख की बात है कि हम 'विक्टोरिया' मेमोरियल नाम को चला रहे हैं। कलकत्ता में जार्ज पंचम तथा अन्य सेनाध्यक्षों, जिन्होंने अत्याचार किया, की मूर्तियां हटा दी गई हैं परन्तु रानी विक्टोरिया की मूर्ति आज भी चमक रही है। उसके शासन काल में हमारे देश में अत्यधिक कुप्रशासन रहा।

ब्रिटिश अत्याचार का यह घृणास्पद द्योतक हटा दिया जाना चाहिये।

मंत्री महोदय ने कहा है कि नाम बदलने में कुछ संवैधानिक कठिनाइयां आ रही हैं। यदि कार्य उपबंध कठिनाई उत्पन्न करता है, तो उसका संशोधन किया जाना चाहिये।

कुछ कलाकारों तथा नाटककारों ने सुझाव दिया है कि इस स्मारक को थियेटर बना दिया जाना चाहिये। इस विषय में 'युगान्तर' में अनेक लेख प्रकाशित हुए हैं। पश्चिम बंगाल में एक आन्दोलन चल रहा है कि इसे एक राष्ट्रीय थियेटर के रूप में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिये। कुछ लोगों का कहना है कि इसे राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में बदल दिया जाये, जहाँ स्वतंत्रता सेनानियों तथा शहीदों के पत्र तथा साहित्य को रखा जाये।

मैं मंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहता हूँ कि हम इस सम्बन्ध में अन्य देशों में जो कुछ हो रहा है, उसका अनुसरण करें। उदाहरणार्थ रूस में छात्रों को ऐसे स्थलों पर ले जाया जाता है और उन्हें वे स्थल दिखाए जाते हैं, जहां क्रांति के शत्रुओं को गोली से उड़ा दिया गया था।

मुझे इस विधेयक पर कोई आपत्ति नहीं है।

***श्री सी० टी० दंडपाणि** (धारापुरम) मुझे विश्वास है कि ऐतिहासिक दृष्टि से मूल्यवान प्राचीन साहित्य तथा स्मारकों की सुरक्षा करने की आवश्यकता के बारे में इस सभा में कोई भी व्यक्ति संदेह प्रकट नहीं करेगा। मंत्री महोदय ने "विक्टोरिया मेमोरियल" के रख रखाव के बारे में कहा है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में काफी संख्या में

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

* Summueised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

महत्त्वपूर्ण स्मारक बिखरे हुए हैं जिनकी ओर सरकार को तुरन्त ध्यान देना चाहिए। सरकार का यह परम कर्त्तव्य है कि भविष्य के लिये इन्हें सुरिक्षत रखे।

"विक्टोरिया मेमोरियल" नाम घृणित ब्रिटिश साम्राज्यवाद का परिचायक है। इस नाम को बदल दिया जाना चाहिए और इसके लिये संवैधानिक संशोधन की अनुमति देने में इस सभा को अपार हर्ष होगा।

विक्टोरिया मेमोरियल के संरक्षण के लिए कुछ वैज्ञानिक उपकरणों का आयात करने की संभावना है। हमारे देश में कई विख्यात संग्रहालयविद् इतिहासकार तथा कला इतिहासकार हैं। क्या सरकार उनकी सेवाओं को उपयोग में लाने के प्रश्न पर विचार नहीं कर सकती? इस प्रयोजना हेतु सरकार को देसी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए।

निसंदेह यह महत्त्वपूर्ण समस्या है। इस समस्या से केवल कलकत्ता के लोगों का सम्बन्ध है और वे ऐतिहासिक महत्त्व की ऐसी वस्तुओं की अच्छी तरह देखभाल करना जानते हैं। अतः केन्द्र को चाहिए कि वह सम्बन्धित राज्य सरकारों को इस प्रयोजन के लिये वित्तीय सहायता दे।

भारतीय संस्कृति विज्ञान आदि के बारे में सरस्वती महल ग्रंथालय प्राचीन संस्कृत साहित्य का विपुल भंडार है। केन्द्रीय सरकार को ऐसी मूल्यवान वस्तुओं के रख-रखाव के लिये राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देनी चाहिये।

Shri Moha Deepak Singh Shakya (Kasganj): Though 25 years of our Independence have elapsed, it seems.....

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्र पाड़ा): सदन में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय: अब गणपूर्ति हो गई है। माननीय सदस्यगण गणपूर्ति बनाये रखें कि भाषण दे रहे माननीय सदस्यों को बाधा न हो।

Shri Moha Deepak Singh Shakya: I was saying that though 25 years of our Independence have elapsed, it seems that even to-day we are mentally slave. This feeling of slavery could not be put to an end. Therefore, I oppose this Bill.

It is obvious that there is a motive behind the introduction of this Bill. Through an amendment to this Bill it is sought that "in the opinion of the Government" the persons having expert knowledge of the exhibits in the Museum, museologists, historians or art historians will be nominated by the trustees. The terminology—"in the opinion of the Government" shows that the Government are going in the direction of monopoly. This power should be given to His Hon. House.

On the one hand amendments to the Bills are made and on the other there are neither guides not guide-books in the Museums. Not only that, the statnes are stolens. The Government should take stringet measures to check the theft of there statnes.

प्रो० एस० नूरुल हसन : मैं इस विचार से सहमत नहीं हो सकता कि संग्रहालय को थिएटर में बदल दिया जाये । परन्तु इसको नया रूप दिया जाना चाहिए और इसका तदनुसार विकास किया जाना चाहिए ।

जहां तक ऐतिहासिक वस्तुओं की सुरक्षा का सम्बन्ध है, सरकार को इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए । इस विषय में एक विधेयक पेश किया गया है ।

कई वस्तुओं के आयात का उल्लेख किया गया है । सरकार के नियम पक्के हैं । जो कुछ भी देश में उपलब्ध है, उसका आयात नहीं किया जा सकता । केवल उन्हीं वस्तुओं का आयात किया जाता है, जो देश में उपलब्ध नहीं हैं तथा देश के लिये नितांत आवश्यक समझी जाती हैं ।

सरस्वती महल ग्रंथालय का उल्लेख किया गया है । यह एक राष्ट्रीय सम्पति है और यद्यपि इसके लिये शासी निकाय गठित करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार में मतभेद हो सकता है तथापि केन्द्रीय सरकार को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि पांडुलिपियों के संरक्षण में विलम्ब न हो । अन्य चर्चा चल सकती है ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक पर विचार किया जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि विक्टोरिया स्मारक अधिनियम, 1903 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

सभापति महोदय : खण्डों पर कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है : "की खंड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 2 was added to the Bill

खंड 1 अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गए ।
Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैं प्रस्ताव करता : हूँ "कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है : "कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प तथा इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक

Statutary Resolution re-Disapproval of Indian Iron and Steel Company (Takings aver of Management) :— Ordinance and Indian Iron and Steel Company (Taking over of Management) Bill.

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsour) :

I beg to move :

"That this House disapproves of the Indian Iron and Steel Company (Taking over of Management) Ordinance, 1972 (Ordinance No. 6 of 1972) promulgated by the President on the 14th July, 1972." While stating the reasons for the promulgation of ordinace, the Iron Minister, said that the work of this Company is not upto the mark so its management is being taken over by the Government. Keeping this very reason in view, government should take over all the basic industries. But taking over this Company by an ordinance raises certain points. Government was having majority shares and they were also aware of the loss being suffered by the company, as such it was not good on the part of the government to take over its management when Parliament was not in Session. They could have brought this legislation even earlier. The second point is this that government is taking the management only for two years and according to their estimates they will have to spend Rupees 30 crores on maintenance etc. This arrangement was also done in the case of working coal mines but afterwards they have to make other arrangements. Therefore, the management of this company should be in the hands of government for all the time.

Government have repeatedly said that they went to increase the production of steel, but we see that year after year our steel plants are suffering heavy loss and production is declining. In 1967-68 it was 4566 thousand tonnes and in 1971-72 it remained only 4543 tonnes. Why production in Durgapur is not increasing ? What action is being taken to improve the situation then ? One thing more that since the association of steel company with Durgapur Steel Plant, it is running in loss. I would like to ask as to why it is not possible to have production according to rated capacity of various plants ? There has been an over all increase in the prices of steel since 1964. Partial control has not at all proved successful. It has not given any good results. Keeping all this in view there should be a redical change in the steel policy of India.

With these words I oppose the ordinance.

सभापति महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 14 जुलाई, 1972 को प्रख्यापित इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1972 (1972 का अध्यादेश संख्या 6) का निरनुमोदन करती है।"

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के उपक्रम का, लोक हित में और उस उपक्रम का समु-

चित प्रबन्ध सुनिश्चित करने के लिये सीमित अवधि के लिये प्रबन्ध ग्रहण का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इन्डियन आयरन की स्थिति यह थी कि 1963-64 में इसमें जबकि 10 लाख मीट्रिक टन लोह पिण्ड तथा 8,10,000 मीट्रिक टन बिक्री योग्य व इस्पात का उत्पादन हुआ, 1971-72 में घटते-घटते यह क्रमशः 617,000 मीट्रिक टन और 500,000 मीट्रिक टन रह गया। अतः वित्तीय वर्ष 1971-72 के बाद इसे सरकार ने अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय किया। 1971-72 की प्रथम तिमाही में क्रमशः 91,029 और 69,197 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। यदि 1972-73 के पूरे वर्ष इसी दर से उत्पादन होता है, तो वर्ष के अन्त तक हम 364,116 मीट्रिक टन लोह पिण्ड और 276,788 मीट्रिक टन बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन कर सकेंगे जो, 1971-72 के उत्पादन की तुलना में कहीं अधिक है।

डा० पाण्डेय का यह कहना है कि सरकार को इसे पहले ही अपने हाथ में लेना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि अब इस बात की चर्चा करना आवश्यक नहीं है। देखते-देखते स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि हम इसे और अधिक नहीं टाल सकते थे। और यह सोच कर कि सभा भी इसे अपनी अनुमति दे देगी तुरन्त हस्तक्षेप कर इसे अपने हाथ में ले लिया।

इण्डियन आयरन में उत्पादन गिरने का सबसे मुख्य कारण श्रमिकों का असहयोग बताया गया है। पर मामले की तह में पहुंचने पर सरकार को यह पता लगा है कि मुख्य कारण अच्छे रख रखाव की कमी, यंत्रों को ने बदलना, इण्डियन आयरन का आधुनिकीकरण न करना तथा कुछ सीमा तक औद्योगिक सम्बन्धों का खराब रहना था।

इण्डियन आयरन में उत्पादन की कमी का वास्तविक कारण कोयला भट्टी था जिसके परिणाम स्वरूप गैस की कमी के अथवा अनुपलब्धता के करण भी उत्पादन में कमी आई और हमें रोलिंग मिलों को चलाने में कठिनाई आई। अब हमने दूसरे प्रकार के ईंधन का इस्तेमाल शुरू कर दिया और हमारे रोलिंग मिल चल पड़े हैं। पर यह कदम भिलाई, राउरकेला आदि के सम्बन्ध में ही उठाया गया। इण्डियन आयरन के सम्बन्ध में यह कदम उसके प्रबन्ध को अपने नियंत्रण में लेने से पहले नहीं उठाया गया।

श्रमिक असंतोष को समाप्त करने का भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें हमें कार्मिक संघों की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन मिला है। मैं स्वयं भी वहां गया हूं। और हम उस ओर पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं।

सभी माननीय सदस्य यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि जुलाई में इण्डियन आयरन का प्रबन्ध अपने नियंत्रण में लेने के बाद से सरकार ने क्या किया। पहले कदम के रूप में हमने कोयले और कोलतार की उपलब्धता को बढ़ाया। दुर्गापुर परियोजना ने हमें 1000-1000 मीट्रिक टन कोयला और कोलतार दिया है तथा कोयले की सप्लाई का वायदा भी किया है। इसके अतिरिक्त आवश्यक मरम्मत आदि भी कराई गई है तथा बेकार हो गये यंत्रों यथा क्रेनों बायलर आदि को बदलने की व्यवस्था भी की गई है।

प्रबन्ध को अपने नियंत्रण में लेने के बाद हम इण्डियन आयरन के सैंटर सैक्शनों को पुन: चलाने में सफल हुए हैं और इस प्रकार बन्द होने वाले रेल के डिब्बे बनाने के उद्योग को पुनर्जीवित किया है।

इण्डियन आयरन का प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने के बाद अगस्त में 20 दिन के अन्दर-अन्दर हमने पूरी जुलाई के उत्पादन से अधिक उत्पादन किया है। पर अभी हम अपने लक्ष्य से बहुत दूर हैं। मैं माननीय सदस्यों को सन्तुष्ट करना चाहता हूं और उन्हें यह अनुभव करा देना चाहता हूँ कि हम समस्या को बड़े गम्भीर रूप में ले रहे हैं।

विधेयक के खण्ड 3 उपखण्ड (3) के द्वारा हमने प्रबन्ध सम्बन्धी सभी ठेके, जो कि मार्टिन बर्न के पास थे, समाप्त कर दिए हैं। इन ठेकों के कारण इण्डियन आयल को प्रतिमास लाखों रुपया खर्च करना पड़ता था।

निदेशक मण्डल ने यह निर्णय किया है कि निदेशकों की एक समिति जिसमें सर्व श्री रमणमुखर्जी और बी. पी. राय होंगे, कम्पनी के कार्य की देख रेख करेगी। यह एक संकल्प के द्वारा किया गया है।

श्री आर० डी० भण्डारे पीठासीन हुए
Shir, R. D. Bahndare in the chair

मुझे इस खण्ड को विधेयक में स्थान देने के औचित्य के बारे में कुछ कहना है। और यह एक विशेष खण्ड है, जो पहले के कानूनों में विद्यमान नहीं था।

[श्री आर डी० भंडारे पीठासीन हुए]
Shri R. D. Bhandare in the chair

दो वर्ष की अवधि का कोई महत्त्व नहीं है। सरकार प्रबन्ध को पूर्व प्रबन्धकों को नहीं सौंपेगी।

सरकार के और वित्तीय संस्थाओं के कुल 49.35 प्रतिशत शेयर हैं। सरकार यह चाहेगी कि प्रबन्ध उन हाथों में जाये जिनके शेयर एक प्रतिशत से भी कम हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : 1976 के चुनावों के पूर्व वे भारी रकमें देंगे और सरकार प्रबन्ध उन्हें सौंप देगी।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : हम यह शक्ति इस लिये चाहते हैं ताकि यह निश्चय कर पाएं कि हम क्या करना चाहते हैं। हमारे संविधान के अनुसार सरकार को हाथ में लिये गये शेयरों अथवा जिन कम्पनियों को अधिकार में लिया जाता है, उनकी क्षतिपूर्ति देनी होती है। कम्पनी का प्रबन्ध सरकार को ही करना है।

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की क्षमता 10 लाख टन करने के लिये हमें इसमें

पर्याप्त धन, लगभग बीस करोड़ रुपये लगाने पड़ेंगे। उक्त कम्पनी की एक और परियोजना है, जिस पर 60 करोड़ रुपए से अधिक लगेंगे। इसलिए हमने उचित निर्णय पर पहुंचने के लिये दो वर्ष की अवधि रखी है।

इस विधेयक का पूरे दल में स्वागत किया गया है। इसलिए मैं विधेयक को सदन में विचार के लिये पेश करता हूँ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

कि इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के उपक्रम का, लोक हित में और उस उपक्रम का समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के लिये सीमित अवधि के लिए प्रबन्ध ग्रहण का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

श्री रोबिन सेन (आसनसोल) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता, यदि इससे राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था की जाती। मंत्री महोदय ने बताया कि कुप्रबन्ध एवं उत्पादन में कमी के कारण कम्पनी को अधिकार में लिया गया है।

संयंत्र एवं मशीनरी में निरन्तर खराबी के कारण उत्पादन 1963-64 में 10 लाख टन से 1971-72 में 6 लाख टन ही रह गया है। परन्तु इस अवधि में उत्पादन घटने पर भी लाभाँश बढ़े हैं।

निश्चय ही कार्मिकों के शोषण से ही लाभ बढ़े हैं। इस्पात उद्योग के कामगारों को सबसे कम वेतन मिलते हैं। उनमें से 97 प्रतिशत को मूल वेतन 61 से 133 रुपये मासिक मिलता था। ऐसी हालत में कम्पनी को पहले ही अधिकार में ले लिया जाना चाहिए था।

दो वर्ष के लिये अधिकार में लेने से सरकार का क्या अभिप्राय है। क्या दो वर्ष में कम्पनी पर धन लगा कर उसे सर बीरेन को वापस करने का विचार है ?

श्री एस० कुमारमंगलम : मैंने अभी-अभी बताया है कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है।

श्री रोबिन सेन : संदेह इस लिए उत्पन्न होता है क्योंकि कम्पनी के कुछ अधिकारी, जो उत्पादन में कमी तथा कुप्रबन्ध के लिये उत्तरदायी हैं, अब भी मिल को चला रहे हैं। क्या श्री एन० आर० दत्त को जो कि सर बीरेन के विश्वास पात्र हैं, इसलिए रखा गया है कि कम्पनी पर सर बीरेन का नियंत्रण बना रहे ? इस्पात मंत्री को इस व्यक्ति से छुटकारा पाना चाहिए।

इस कम्पनी में ठेके की श्रमिक व्यवस्था लागू थी। मैं चाहता हूं कि इस व्यवस्था को समाप्त करके स्थायी सेवा पर श्रमिकों को रखा जाये।

इस कार्यवाई का समर्थन करते हुए कि प्रबन्ध कार्य का जनतन्त्रीकरण किया जाये श्रमिकों

की कठिनाइयों पर ध्यान दिया जाये और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रबन्ध कार्य में प्रतिनिधित्व दिया जाये।

सरकार कब तक घाटे की कम्पनियों में सार्वजनिक धन लगाती रहेगी। उन एकाधिकार ग्रहों, जिनमें भारी सार्वजनिक धन लगा है, का सरकार राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करती?

श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
(Shri K.N. Tiwary in the Chair)

Shri Swaran Singh Sahni (Jamshedpur) : I welconre this move. He has stipulated a period of to years. But two years are not enough even for the retain work of flarts and equipment ;

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

***भारतीय भूतत्त्वीय सर्वेक्षण विभाग का विकेन्द्रीकरण**
***Decentralisation of Geological Survey of India**

श्री (मरगुह (कन्टाई) भारतीय भूतत्त्वीय सर्वेक्षण विभाग की सदस्यता समाप्त करने ने उनके कर्मचारियों के भविष्य पर तुरन्त प्रभाव पड़ेगा। कईयों को फालतू घोषित किया जायेगा और कईयों की पदावनति हो जायेगी।

यह निर्णय अवैज्ञानिक अनुचित, मनमाना, अन्य मंत्रालयों के लिये हानिकारक और संसदीय परम्परा के विरुद्ध है।

भारतीय भूतत्त्वीय सर्वेक्षण विभाग की जांच के लिए एक वैज्ञानिक अनुसंधान समिति स्थापित की गई थी। उस समिति का कार्य विज्ञान और टैक्नोलाजी संबंधी एक अन्य समिति ने अपने हाथ में लिया और इसने निर्णय दिया कि इसे दो भागों में विभाजित कर दिया जाना चाहिये और इसका बड़ा भाग या कम से कम 50 प्रतिशत केन्द्रीय भूमिगत जल मंडल को मिलना चाहिए।

उन विशेषज्ञों ने, जिनको भूविज्ञान तथा भू-जल विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं है, इस संस्था के भविष्य के बारे में निर्णय करने के लिए बैठक की अध्यक्षता की और उन्होंने निर्णय लिया कि इसकी सदस्यता समाप्त की जानी चाहिये।

उन्होंने एक प्रारूप तैयार किया और उस पर अंतिम निर्णय लेते समय उस समिति के अध्यक्ष ने भारतीय भूतत्त्वीय सर्वेक्षण विभाग के निर्देशक को समिति की अंतिम बैठकों में उपस्थित न होने के लिये कहा। इस संबंध में दो पत्र मैं सभा पटल पर रखता हूँ।

---

*आधे घंटे की चर्चा
Half an hour discussion

सभापति महोदय : इन्हें अध्यक्ष महोदय के पास अनुमति के लिये भेजा जायेगा।

श्री समर गुह : केवल इसी बात के कारण कि उस समिति के सभापति का व्यवहार अवैज्ञानिक, अनियमित था, अतएव उसके आधार पर मंत्री मंडल द्वारा लिये गये निर्णय को मैं चुनौती देता हूं।

प्राक्कलन समिति के 126वें प्रतिवेदन में बताया गया है कि भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था के मामलों की जाँच के लिये एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाये। उसके अनुसार प्रसिद्ध भूवैज्ञानिकों तथा भौतिक विदों की एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। उस समिति ने स्पष्ट रूप से बताया कि भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था बहुत उपयोगी कार्य कर रहा है और इस संस्था को समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जिन व्यक्तियों ने भारतीय भूतत्त्वीय सर्वेक्षण विभाग की सदस्यता भंग करने का सुझाव दिया है, वे विशेषज्ञ नहीं हैं।

संसद द्वारा नियुक्त केन्द्रीय सिंचाई आयोग ने इस संस्था को भंग करने के प्रस्ताव का स्पष्ट विरोध किया था। गत सितम्बर में दिल्ली में हुई एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में श्री के० एल० राव ने न केवल इसका विरोध किया था अपितु यह भी कहा था कि इस संस्था को समाप्त करना एक भारी भूल होगी। दुर्भाग्यवश वह मंत्रिमंडल की उस बैठक में उपस्थित नहीं हो सके, जिसमें इस बारे में निर्णय लिया गया। आयोग के योजना सेल ने भी इसका विरोध किया था।

भारतीय भू-विज्ञान संस्था विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को ब्यौरा, तथ्य और आंकड़े उपलब्ध करती है। यह ब्यौरा नलकूपों के लगाने के लिए आवश्यक है। इसके लिये एक विशेष संस्था है, अर्थात ड्रिलिंग प्रयोजन हेतु समन्वेषी नलकूप संस्था। अतः भू-सर्वेक्षण कार्य को कृषि मंत्रालय को देने में अन्य मंत्रालयों को हानि होगी।

जब किसी आयोग का गठन इस सदन द्वारा किया जाता है, तो उसकी रिपोर्ट पर निर्णय लेने से पूर्व इस सदन में उस पर विचार किया जाना चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 246 और संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 68 के अंतर्गत भारतीय भूतत्त्वीय सर्वेक्षण विभाग संबंधी कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद को प्राप्त है। सरकार केवल कार्यकारी आदेश के द्वारा इसका विकेन्द्रीकरण नहीं कर सकती।

मैं सरकार से इस सम्बन्ध में आदेश को वापस लेकर इस पर पुनः विचार करने के लिये आग्रह करता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : क्या यह सच है कि विज्ञान और औद्योगिकी समिति (कास्ट) के एक मात्र वैज्ञानिक सदस्य श्री एम० एस० बाल सुन्दरम, महानिदेशक भारतीय भूतत्त्वीय सर्वेक्षण विभाग, समिति की पहली बैठक में उपस्थित नहीं थे। क्या डा० के०एल०राव ने भी मंत्रिमंडल के निर्णय के विरुद्ध विचार व्यक्त किये? क्या योजना आयोग के जल साधन पेनल

ने 17 सितम्बर 1971 को अपने अन्तिम प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि भारतीय भूतत्त्वीय सर्वेक्षण विभाग को भूमिगत जल सम्बन्धी कार्य जारी रखना चाहिये। प्राक्कल समिति ने सिफारिश की है कि एक विशेषज्ञ समिति जिसमें भारतीय भूतत्त्वीय सर्वेक्षण विभाग के लोग न हों, को भारतीय भूतत्त्वीयसर्वेक्षण विभाग के कार्य की जाँच करनी चाहिये और सरकार तथा संसद को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिये।

क्या भारतीय भूतत्त्वीय सर्वेक्षण विभाग के विकेन्द्रीयकरण का कर्मचारियों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ? क्या मंत्री महोदय इन प्रश्नों का उचित उत्तर देंगे ?

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : क्या भारतीय भूतत्त्वीय सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जो एकमात्र विशेषज्ञ थे, को समिति की अन्तिम बैठक में भाग लेने से रोका गया था। क्या मंत्री महोदय भारतीय भूतत्त्वीय सर्वेक्षण विभाग के वैज्ञानिक कर्मचारियों ने इस निर्णय को गलत कहा है ? क्या मंत्रिमंडल में भी इस मामले पर मतभेद था ?

बंगाल में लोगों के बीच यह धारणा पैदा हो रही है कि सरकार धीरे-धीरे वहां से सारे केन्द्रीय कार्यालय अन्य स्थानों पर ले जा रही है।

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : इस में भाग लेने के लिये मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। कुछ समय से सरकार भारतीय भूतत्त्वी सर्वेक्षण विभाग के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार कर रही है ताकि इसे और अधिक कार्यकुशल बनाया जा सके। देश में भूतत्त्व सम्बन्धी कार्य के मानचित्र को पूरा करने के लिये हमने जो प्रगति की है, वह अपेक्षाकृत धीमी गति से हुई है। यही कारण है कि सरकार द्वारा न केवल भारतीय भूतत्त्वीय सर्वेक्षण विभाग से उन कार्यों को, जो अब केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड को स्थानाँतरित किये जा रहे हैं ले लेने का निर्णय किया है, बल्कि उसने भारतीय भूतत्त्वीय सर्वेक्षण विभाग में जारी रहने वाले सर्वेक्षण और मानचित्र के कार्य बीच के कार्य को करने के लिए एक खनिज अन्वेषी निगम का गठन करने का भी निर्णय लिया है और अन्वेषण का वास्तविक कार्य सरकारी क्षेत्र के खनन निगम द्वारा किया जायेगा। केन्द्रीय भूमिगत जलबोर्ड के सम्बन्ध में और मानचित्रण से भिन्न जल विज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान के कार्य को केन्द्रीय जल बोर्ड को हस्ताँतरित करने का निर्णय वास्तव में उसी सिद्धान्त के अनुसार किया गया।

कुछ वर्ष पूर्व मंत्रि मंडलीय सचिवालय ने भारत सरकार की विभिन्न वैज्ञानिक समितियों के कार्य संचालन के सम्बन्ध में विचार करने के लिए एक समिति गठित की थी, इस समिति ने पहली बार भारतीय भूतत्त्वीय सर्वेक्षण विभाग के कार्यों और संस्थागत ढ़ाँचे पर विचार किया था। यद्यपि इस समिति को दिसम्बर 1970 में भंग कर दिया गया और इसके कार्य को 'कास्ट' नामक विज्ञान और प्राद्यौगिकी समिति को हस्तांतरित कर दिया गया। 'कास्ट' ने प्रतिवेदन के प्रारूप पर, जिसे मूलत: सी० ओ० एस० आर० ने तैयार किया था, विचार करने के लिए एक उपसमिति नियुक्त की।

यह बात सच है कि श्री बाल सुन्दरम इस उप समिति की एक बैठक में शामिल हुए थे और उसके पश्चात इसकी अन्य बैठकों में वह सम्मिलित नहीं हुए। यह बात भी सच है कि श्री नाग चौधरी ने श्री बालसुन्दरम को बाद की बैठक में विशेष कर जब प्रतिवेदन पर चर्चा हो रही हो, सम्मिलित न होने की प्रार्थना की, ऐसा शायद इस लिए किया गया कि श्री नाग चौधरी ने इस मामले के गुण दोषों के सम्बन्ध में श्री बालसुन्दरम से विस्तृत चर्चा की थी और उनके साथ विस्तृत चर्चा और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के श्री बोहरा के साथ भी प्रथम चर्चा करने के पश्चात ही उस उप समिति के अन्य सदस्य किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, जिसे बाद में 'कास्ट' के सामने रखा गया और मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया।

'कास्ट' द्वारा की गई सिफारिशों का वास्तविक आधार यह है कि जहां तक सरकार और देश का सम्बन्ध है, अन्वेषण शुरू करने से पूर्व निहित कार्यों और किसी क्षेत्र में देश के खनिज संसाधनों के मूल्यांकन और अन्वेषी संस्था द्वारा कार्य आरम्भ करने के लिए उत्तरदायित्व लेने के बारे में सुस्पष्ट और विस्तृत रूप से तैयार करना एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। इस समिति ने स्वयं यह अनुभव किया है कि वास्तविक मानचित्रण के काम को फैलाना उचित होगा। वास्तव में यह प्रश्न हमारे संसाधनों की अच्छी तरह जांच करने का है तथा अन्ततः जो निर्णय लिया गया है उसका कार्यान्वयन केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा ही अच्छी तरह हो सकता है। हमने इस मामले पर भलीभाँति विचार किया है तथा हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं तथा हमने इस का कार्यान्वयन करने का निर्णय किया है।

विज्ञान तथा तकनीकी समिति तथा उप समिति में प्रमुख व्यक्ति हैं तथा हम उनसे आशा करते हैं कि वे सभी तथ्यों की जांच करने के बाद ही सही निर्णय लेते हैं। हम वहाँ की परिस्थितियों से सन्तुष्ट हैं तथा हमारा विचार है कि इस निर्णय से स्थिति का समाधान करने में सहायता मिलेगी। हमें मालूम है कि भूगर्भ शास्त्री तथा वैज्ञानिकों तथा कर्मचारी वर्ग में इस बारे में असन्तोष की भावना फैली हुई है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उन पर किसी प्रकार का भी प्रभाव न पड़े।

कलकत्ता स्थित दफ्तर को कोई हानि नहीं होगी तथा उसका स्थानान्तरण नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त किसी के भी परामर्श को भूला नहीं जाता, सब पर विचार किया जाता है। सम्बन्धित व्यक्तियों के परामर्श पर विचार करने के पश्चात ही निर्णय लिया गया।

इसके पश्चात लोक-सभा मंगलवार, 22 अगस्त, 1972/31 श्रावण, 1894 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjouned till Eleven of the Clock on Tuesday, August 22, 1972 Sravana 31, 1894 (Saka)

P.L.S. 48. XVIII. 11.72(N)
490

© 1972 प्रतिलिप्यधिकार लोकसभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पाँचवाँ संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और नरेन्द्र तिवारी,
नई दुनिया प्रेस, केशरबाग रोड़, इन्दौर द्वारा मुद्रित ।

© 1972 BY LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED BY NARENDRA TIWARI, NAI DUNIA PRESS, KESHARBAGH ROAD, INDORE (M.P.)